राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] ग्याहरवीं विधान सभा के अष्टम सत्र का चौथा दिवस [संख्या : 4

गुरुवार;

21 मार्च, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

इलैक्ट्रोनिक विद्युत मीटरों की प्राप्त शिकायतों की जांच के परिणाम

56. श्री मदन दिलावर (अटरू), श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) एवं श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 1999 के बाद बिजली के दाम प्रति यूनिट व ट्रांसफार्मर चार्ज, पोल चार्ज, मीटर किराया, सरचार्ज इत्यादि के कब-कब, कितने-कितने बढ़ाये गये? श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विद्युत नियामक आयोग बनाकर बिजली बोर्ड को कम्पनियों में बांटने से कुल लाभ/हानि कितनी हुई? कम्पनीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने से वितरण निगमों को अतिरिक्त कितना लाभ हुआ? यदि नहीं, तो करोड़ों रुपये अनावश्यक क्यों खर्च किये गये?

(4) इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने के बाद क्या कुछ उपभोक्ताओं ने यह शिकायत की कि हमारे बिल अधिक आ रहा है? क्या शिकायतों के आधार पर सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो सर्वे का परिणाम क्या रहा?

(5) क्या इलैक्ट्रोनिक मीटर बिजली की अधिक खपत दिखाने के दोषी पाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त फर्जी मीटरों का उपयोग क्यों किया जा रहा है?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) :

(1) जनवरी, 1999 के पश्चात् बिजली के दाम प्रति यूनिट वृद्धि, ट्रांसफार्मर किराया, पोल चार्जेज, मीटर किराया, सरचार्ज इत्यादि में की गई बढ़ोतरी का विवरण परिशिष्ट ''अ'', ''ब'', ''स'' व ''द'' पर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विद्युत मण्डल के विभाजन के बाद (19 जुलाई, 2000), जयपुर, अजमेर व जोधपुर विद्युत वितरण निगमों को हुये अनुमानित घाटे का विवरण निम्नप्रकार से है :-

(डा. चन्द्रभान)

विद्युत वितरण निगमों को होने वाला अनुमानित घाटा

(करोड़ों रुपयों में)

	वर्ष 2000-01 (19 जुलाई, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक)	वर्ष 2001-2002
जयपुर, डिस्काम	310.16	305.47
अजमेर, डिस्काम	296.62	345.89
जोधपुर, डिस्काम	237.51	393.54

श्री मदन दिलावर : 2000 करोड़।

डा. चन्द्रभान : ऐसा है आप सुनते नहीं हो। पहले वाला जो घाटा है वह आठ महीने का है, यह घाटा साल भर का है।

(3) इलैक्ट्रोनिक मीटर लाभ के लिये नहीं लगाये गये हैं, वरन उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग किये गये विद्युत के सही आकलन के लिये लगाये गये हैं। (व्यवधान) आप सुनेंगे तो मैं आपके हर सवाल का, हर सप्लीमेंट्री का जवाब दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, ये ही नहीं सूनेंगे तो दिक्कत खड़ी होगी।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं। यहां सुनने के लिये बैठे हैं।

डा. चन्द्रभान : पूर्व में स्थापित इलैक्ट्रोनिक/मैकेनिकल मीटर समय के साथ–साथ धीरे चलने लगते हैं तथा विद्युत के उपभोग को सही नहीं दर्शा पाते हैं। ऐसे मीटरों को चैकिंग के दौरान खराब पाये जाने पर उपभोक्ताओं से एवरेज चार्ज लिये जाते थे। इससे उपभोक्ताओं पर अत्यधिक भार एक साथ पड़ता था तथा अनावश्यक विवाद भी उत्पन्न होता था। इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने से उन विवादों में कमी आई है। इलैक्ट्रोनिक मीटर राजस्थान में 1995 से ही खरीदे जा रहे हैं और विद्युत को मापने की दृष्टि से एकदम सही हैं, इसलिये इनकी खरीद अनावश्यक नहीं है।

(4) उपभोक्ताओं की अधिक बिल आने की शिकायतें इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने के पूर्व में भी आती थीं तथा इसके उपरान्त भी प्राप्त होती रहती हैं। इलैक्ट्रोनिक मीटरों के बारे में जनता में भ्रम की स्थिति पैदा न हो इसके लिये माह अक्टूबर–नवम्बर, 2001 में जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर में विशेष रूप से वितरण निगमों द्वारा इलैक्ट्रोनिक मीटर टैस्टिंग के लिये जगह–जगह कैम्प लगाये गये। उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत शिकायतों का निस्तारण कैम्प में ही किया गया।

(5) इलैक्ट्रोनिक मीटरों में अधिक खपत की शिकायतें साधारणतया सही नहीं पाई गयीं। जिन मामलों में मीटर तेज चलते पाये गये, उनके मीटरों को बदल दिया गया तथा उपभोक्ताओं से अधिक वसूल की गयी बिल की राशि को आगामी बिलों में समायोजित कर दिया गया। इलैक्ट्रोनिक मीटरों को फर्जी बताना सही नहीं है और इनके उपयोग से विद्युत का सही आकलन होता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यदि 200 यूनिट कोई आदमी जलाता है घरेलू बिजली कनेक्शन में, कृषि बिजली कनेक्शन में या कामर्शियल बिजली कनेक्शन में, तो औसत सारे खर्चे जोड़ने के बाद एक यूनिट का कितना खर्चा आता है? सारे चार्जेज जोड़ लो तो कितना खर्चा पड़ता है? दूसरा, इलैक्ट्रोनिक मीटर के बारे में आपने कहा है, ये कौन से देश के बने हुये हैं तथा कौन-कौन से देशों में इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाये गये हैं? क्या अमरीका में इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाये गये हैं? क्या यह सही है.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य बहुत इम्पार्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको सुनने दीजिये। आर्डर रखिये, काम आएगा।

श्री मदन दिलावर : क्या राजस्थान प्रदेश के अलावा हमारे देश के अन्य प्रदेशों में भी इलैक्ट्रोनिक मीटर लगे हुए हैं? यदि हां तो कौन-कौन से प्रदेश में? क्या पापुलेशन, आर्द्रता और तापक्रम के साथ भी वैरी करते हैं? क्या यह सही है कि जहां इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाया जाये वहां का वातावरण एयर कंडीशण्ड हो? यदि हां, तो जो इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाये गये हैं वहां कहां-कहां पर एयर कंडीशनिंग करके लगाये गये हैं?

दूसरा मेरा सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : चौथा हो गया अब तो।

श्री मदन दिलावर : 1999 के पूर्व स्थाई प्रभार लागू नहीं था और जब स्वयं का मीटर होता था तो उनसे मीटर किराया नहीं लिया जाता था। परन्तु अब बिलों में ही मीटर किराया शामिल करके सेवा शुल्क जोड़ करके स्थाई प्रभार लिया जा रहा है, यह क्यों लिया जा रहा है? क्या इण्डिया इलैक्ट्रिसिटी एक्ट, 1910 के अनुसार स्वयं का मीटर होने पर मीटर का किराया नहीं ले सकते? तो फिर स्थाई प्रभार क्यों लागू किया?

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। दो और माननीय सदस्य प्रश्नकर्त्ता हैं, आप पहले पूछें या इनका जवाब आने दें।

श्री मदन दिलावर : हमारा होने दो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पहले जवाब दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : सप्लीमेंट्री की तो बाद की बात है, अभी तो दो और बैठे हैं। (व्यवधान) जरूर पूछो।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डोमेस्टिक कैटेगरी और एग्रीकल्चर कैटेगरी में फिक्स चार्ज और एनर्जी चार्ज दोनों को जोड़ कर प्रति यूनिट दर की बात उठाई है।

(डा. चन्द्रभान)

उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2001 में रैगुलेटरी कमीशन की स्थापना के बाद जो टैरिफ का रिवीजन हुआ है उसमें फिक्स और एनर्जी चार्जेज अलग-अलग लिये जाते हैं। इसके पहले विद्युत मण्डल के समय और कम्पनियों के समय में फिक्स सर्विस चार्ज, मीटर रेन्ट और फ्यूल सरचार्ज अलग-अलग कैटेगरी में लिये जाते रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, फिक्स चार्ज 50 यूनिट डोमेस्टिक में पहले 15 प्लस 15, 30 रुपये था मीटर रेन्ट और फिक्स चार्ज। (व्यवधान) अब यह बढ़ कर 50 रुपये हो गया।

श्री मदन दिलावर : स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि यदि 200 यूनिट जलाते हैं तो पर यूनिट कितना आता है, यह बताइये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि क्यों लिया जाता है, कारण तो बतायें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर देंगे, पूछ लेना। अब आने दो। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : आप लाजिक बताइये।

डा. चन्द्रभान : मैं उसी पर आ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उसी के जवाब पर आ रहा हूं। कोई भी उपभोक्ता एक महीने में 75 यूनिट से ज्यादा उपयोग करता है तो उसके फिक्स चार्जेज जो पहले 30 + 15 = 45 रुपये थे, वे बढ़कर अब 75 रुपये हैं। अनुमानतः हमने जो एवरेज निकाला है उसके हिसाब से डोमेस्टिक कैटेगरी में पहली 100 यूनिट दो महीने में जलाते हैं तो उसका चार्ज आता है 2 रुपये 20 पैसे पर यूनिट और 100 यूनिट से ज्यादा का चार्ज आता है 3 रुपये 30 पैसे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : औसत सारे चार्जेज मिला कर?

डा. चन्द्रभान : हां, सब मिला कर 3 रुपये 30 पैसे और पहले 100 यूनिट पर 2 रुपये 20 पैसे। राष्ट्रीय स्तर पर यदि देखें तो राजस्थान आज 10वें नम्बर पर है। आपको मैंने एक पत्र भी भेजा है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक एग्रीकल्चर कैटेगरी का सवाल है, एग्रीकल्चर कैटेगरी में फिक्स चार्जेज में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कुल मिलाकर किसान से जो टैरिफ वसूल की जाती है वह 90 पैसे प्लस 4 नये पैसे इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी कुल 94 पैसे फ्लैट रेट। हमारे यहां करीब सवा तीन लाख कंजूमर हैं उनसे 85 रुपये हार्स पावर प्लस 2 परसेंट इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी। इन्होंने डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर दो ही सवाल पूछे हैं।

श्री मदन दिलावर : नहीं, नहीं। कामर्शियल भी पूछा है।

डा. चन्द्रभान : कामर्शियल की रेट इसमें आलरेडी दी हुई है, 4.50 रुपये और 4.90 रुपये।

श्री मदन दिलावर : सारे चार्जेज नहीं जोड़े उसमें।

डा. चन्द्रभान : इलैक्ट्रोनिक मीटर का जहां तक सवाल है, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि ये कहां-कहां स्थापित किये जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी शुरूआत राजस्थान से ही हुई और 1995 में हुई। वो लगाये गये और अभी भी फील्ड में काम कर रहे हैं। उसके बाद में अब तो, उपाध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि सब जगह इलैक्ट्रोनिक गुड्स का जमाना है। यह दीवार में जो घड़ी लगी है यह भी इलैक्ट्रोनिक है, आपने जो घड़ियां पहन रखी हैं वो भी इलैक्ट्रोनिक हैं, आज राजस्थान में ही नहीं, देश भर में सभी विद्युत मण्डल और निगम इलैक्ट्रोनिक मीटर लगा रहे हैं और माननीय सदस्य जो अमेरिका की बात कर रहे हैं वहां भी इलैक्ट्रोनिक मीटर स्थापित किये जा रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : नहीं, नहीं। नहीं है अमेरिका में कहीं भी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. चन्द्रभान : आप बहस कर सकते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): पहले लगाये थे, बन्द कर दिये, आपकी नालेज के लिये बताऊं। अमेरिका में आपकी जानकारी के लिये बताती हूं कि लगाये थे लेकिन अब बन्द कर दिये।

डा. चन्द्रभान : नहीं, आप लोगों को जिन्होंने ब्रीफ किया है वो थोड़े दिनों पहले हमारे यहां पर तकनीकी सदस्य हुआ करते थे। कल रात को ब्रीफ किया है, मैं जानता हूं। अमेरिका में इलैक्ट्रोनिक मीटर और इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक मीटर दोनों लगाते हैं आज भी लग रहे हैं और पहले भी लगते रहे हैं। दुनिया के अन्य देशों में लगते रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) जहां एयर कंडीशनिंग होती है वहां लगाये जाते हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह क्या जवाब हुआ? किसको ब्रीफ कौन करता है, यह क्या जवाब हुआ इनका? क्या जवाब हुआ, मंत्रीजी?

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) आपका जवाब नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय दिलावरजी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :..... (व्यवधान) किसने ब्रीफ किया है, ये सारी चीजें आप जानकर आते हैं क्या? आपको

(मोहम्मद माहिर आजाद)

भी विद्युत कम्पनियों के मैनेजिंग डाइरेक्टरों ने जो लिख कर दे दिया वो ही आप पढ़ रहे हो। यह इस सदन के सदस्यों की जानकारी नहीं है क्या? तो यह कि हमको ब्रीफ करेगा कोई, हमको कोई पढ़ायेगा, हम पढ़ा दें, आपको पढ़ा दें, आपकी कम्पनियों को पढ़ा दें, यह क्या बात हुई, डाक्टर साहब? कौन किसको पढ़ायेगा, हमारा खुद का सबका जनता से सम्पर्क है......

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजादजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो ब्रीफ करने की बात कही है उसको एक्सपंज करिये। माननीय मंत्रीजी ने जो ब्रीफ करने की बात कही है उसे एक्सपंज करिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : और जनता जो दु:ख-तकलीफें हमको बताती है, जो परेशानी आ रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) :..... (व्यवधान) आपको सब चीजें आती हैं तो दो सो यूनिट का बिल बनाकर दे दीजिये, चन्द्रभानजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...(व्यवधान) ... उपाध्यक्ष महोदय, 1995 में इन्होंने ही विरोध किया था इलैक्ट्रोनिक मीटरों का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़। विराजिये प्लीज।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जब चेयरमैन पी. एन. भण्डारी साहब थे। तब इन्होंने ही इस रेट का विरोध किया था, इलैक्ट्रोनिक मीटरों का विरोध किया था। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : आपको इतनी नालेज है तो दो सो यूनिट का बिल तो बता दो। यह मदन दिलावरजी ने पूछा है 200 यूनिट के कितने रुपये आयेंगे, आप नैट यह तो बता दो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : टैरिफ का विरोध किया था और इन मीटरों का विरोध किया था।

श्री उपाध्यक्ष : ज्ञानदेवजी, विराजिये। आपको देंगे मौका। हां, आप प्रश्नकर्त्ता हैं, आपको अलाउ करेंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): माननीय उपाध्यक्ष्य महोदय, इन्होंने तो ऐसे-ऐसे मीटर लगाये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य एक समय में एक माननीय सदस्य पूछेंगे। आपको अलाउ करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह एक्सपंज करिये पहले।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): क्या असंसदीय है? क्या एक्सपंज कर दो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राजेन्द्र राठौड़।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे मीटर लगाये हैं..

श्री मदन दिलावर : ...(व्यवधान) मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं आया है। ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : एक सवाल रह गया है इनका। एक जवाब मैं दे रहा हूं उनका। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : पहले इनके प्रश्नों का जवाब तो आने दो।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं आया है...(व्यवधान) मेरे प्रश्नों का जवाब ...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। माननीय दिलावर साहब ने एक सवाल रेज किया है कि इस पर मौसम का भी असर पड़ता है क्या? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये इलैक्ट्रोनिक मीटर्स हैं, इनको स्टेटिक मीटर भी कहते हैं। इनमें कोई मूवेबल पार्ट नहीं होता है, इनकी एम्पीयर की रेंज होती है और इनके ऊपर चाहे धूल हो, चाहे बर्फ हो, चाहे गर्मी हो, मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है।

श्री मदन दिलावर : यह असत्य है। यह असत्य है। इलैक्ट्रोनिक मीटरों के पास आप टार्च लगा दीजिये...(व्यवधान) तो मीटर की रीडिंग तेज आने लग जायेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने खुद ने देखा है मेरे मीटर में...(व्यवधान)... लगाओ तो बन्द हो जाता है और मीटर के थपकी लगाओ तो चालू हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : पहले प्रश्नकर्त्ता पूछेंगे।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : ...(व्यवधान) मीटर तेज चलता है, दिलावरजी का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता इन मीटरों पर?

श्री नन्दलाल बंशीवाल: ...(व्यवधान) और बिना चालू किये मीटर चालू रहते हैं।

श्री मदन दिलावर : तेज हवा चलती है तो मीटर की रीडिंग ज्यादा आने लगती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी, विराजिये।

डा. रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि किसानों को जो पहले फ्लैट रेट कनेक्शन दिये हुये हैं.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. रतनाराम चौधरी : वह फ्लैट रेट ही रखी जाये, उनको इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाने के लिये मजबूर न करें। नहीं तो ये जो मीटर हैं, वास्तव में....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

डा. रतनाराम चौधरी : तेज चलने से किसान दु:खी हैं, इसमें किसानों की लूट होती है इसलिये कृपया जो फ्लैट रेट किसान चाहता है वह फ्लैट रेट ही रहनी चाहिये, यह हमारी मांग है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, राजेन्द्रजी। माननीय सदस्य, आपसे सबसे निवेदन है कि यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, सब माननीय सदस्य इस पर पूछना चाहेंगे। लेकिन आप यदि क्रमबद्ध पूछेंगे तो समय का भी बचाव होगा और सबको पूछने का भी मौका मिल जायेगा। प्रश्नकर्त्ता, राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपने दो बार टैरिफ रिवाइज किया है, एक बार आपने 1999 में किया, फिर 2001 में किया। मेरा प्रश्न आपसे यह है, क्या आप यह बतायेंगे कि जनवरी, 1999 के पहले 50 यूनिट और 50 यूनिट से ज्यादा जो डोमेस्टिक सप्लाई में जो पहले बिल आता था, उसमें कितनी वृद्धि हुई? नम्बर-2, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से जानना चाहूंगा आपने अपने प्रश्न के उत्तर में जो टैरिफ पर यूनिट बढ़ाया उसकी जानकारी तो हमें दे दी, परन्तु क्या यह सही है कि आपने जो वर्ल्ड बैंक से एग्रीमेंट किया उसके साथ एक फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान भी आपकी सरकार ने अनुमोदित किया है? क्या यह सही है कि उसके अन्दर आपने वर्ल्ड बैंक से लिखित में जो समझौता किया, करार किया उसके अनुसार आप प्रति वर्ष इस प्रकार टैरिफ बढ़ायेंगे? यह आप ही का कागज है, एग्रीकल्चर टैरिफ सन् 2000 में 70 पैसे थी, उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो वायदा किया है वह है, 2001 में इन्होंने 90 कर दी, अब 2002 में 1.10 रुपये करेंगे। 2003 में 1.40 रुपये करेंगे, 2004 में 1.75 रुपये करेंगे, 2005 में 2.14 करेंगे। इस प्रकार मंत्रीजी, आपने अदर दैन एग्रीकल्चर में 10% टैरिफ बढ़ाने का वायदा इस फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान में किया है? अगर हां, तो यह बतायें।

नम्बर-3, आपने अपने सवाल के जवाब में यह कहा है कि 2000-2001 में आपकी तीनों विद्युत कम्पनियों का घाटा 844 करोड़ था जो बढ़कर हो गया 1044 करोड़ रुपये। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब नवम्बर, 1999 में टैरिफ बढ़ाया तो सात सौ करोड़ रुपये का भार उपभोक्ताओं पर पड़ा, उसके बाद टैरिफ बढ़ाया तो 667 करोड़ रुपये

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का भार उपभोक्ताओं पर पड़ा, आपको जो 16% अधिक राजस्व आना चाहिये था वह राजस्व कितना कम आया और क्यों आया? आप एक तरफ उपभोक्ताओं पर टैरिफ बढ़ा कर उसकी जेब से पैसा वसूलते रहे, दूसरी तरफ लगातार आपकी विद्युत कम्पनियां घाटे में जाती रहीं, इसके क्या कारण रहे?

चौथा मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप यह भी बतायें कि आपने प्रति पोल की कीमत जो पहले 9 हजार रुपये थी उसको अब 12,500 रुपये कर दिया और आपने अपने उत्तर में यह कहा है कि हमने किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया। मेरे ये दो-तीन सवाल हैं, इनका आप जवाब दें। आपने जो रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के अन्दर जो वर्ल्ड बैंक से वायदा किया उसको आप पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, नम्बर-1 नम्बर-2, आपने जो टैरिफ बढ़ाया, 1999 में जहां किसान से 50 पैसे लिये जाते थे उसको बढ़ाकर 70 किया और 70 से 90 किया और अब 90 से 94 है, 4 पैसे इलैक्ट्रीसिटी ड्यूटी है। 74 किया, 94 किया और अब आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं तो कब तक आपको दूसरी किस्तु लेनी है? आप यह भी बता दें कि वर्ल्ड बैंक से जो आप 850 करोड़ रुपये ऋण ले रहे थे उसमें कितनी किस्त आपको मिली और उसका उपयोग किस-किस में हुआ?

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि 1999 जनवरी के बाद आपने दरें कितनी-कितनी बढ़ायीं। उपाध्यक्ष महोदय, हमने दो बार दरें बढ़ायी एक बार अक्टूबर, 1999 में और दूसरी बाद रैगुलेटरी कमीशन के द्वारा अप्रैल, 2001 में।

श्री देवीसिंह भाटी : फिर भी घाटे में हैं?

डा. चन्द्रभान : घाटा तो आप इतना दायरा छोड़ कर गये थे कि मैं बताऊंगा तो आप सुन नहीं पायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 18% टैरिफ इनक्रीज किया अक्टूबर, 1999 में और 17% इनक्रीज किया सन् 2001 में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने 35% कर दियां न कुल?

डा. चन्द्रभान : जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सीधे-सीधे कहिये न कि आपने शासन में आने के बाद 35% विद्युत दरों की बढ़ोतरी की है।

डा. चन्द्रभान : जी, मैं कह रहा हूं। तीन साल और चार महीने का वक्त हो गया और हमारी सरकार का और 35% टैरिफ इनक्रीज हुआ, लेकिन आपको यह जानकर खुशी होनी चाहिये कि हमने रेवेन्यू भी इनक्रीज किया है 50%. आपके

(डा. चन्द्रभान)

शासनकाल में 1995-96, 1997-98, 1998-99 में आपका रेवेन्यू आन एन एवरेज 3500 करोड़ रहा जिसको हम 4000 करोड़ फिर 450 करोड़ और अबकी बार 5000 करोड़ पर ले गये। अब आप यह कह रहे हो कि आपने टैरिफ को इनक्रीज नहीं किया, उपाध्यक्ष महोदय, आपके शासनकाल में कुल मिलाकर 26% टैरिफ इनक्रीज हुआ लेकिन उसका वह इम्पैक्ट नहीं आ पाया।

दूसरा सवाल जो आपने वर्ल्ड बैंक के बारे में किया है इसमें मैं कहना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक से हमने ऋण लिया है, आप भी लेना चाहते थे, पूरे देश में आपकी सरकार है वह भी ले रही है। लेकिन हमने उनसे बातचीत की है, हमने उनको यह वायदा जरूर किया है कि हम अपने राजस्व को बढ़ायेंगे। निश्चित रूप से आप भी किसी से लोन लेंगे तो वह अपने रिटर्न की चिंता करेगा। लेकिन हमने उनका.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, मैं आपको टोकना नहीं चाहता लेकिन क्षमा चाहूंगा, 21 मार्च, 2002 को जिस फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम को आपने अनुमोदित किया उसके पैरा 2:5:4 में आपने स्लैब दी है और इसके अंत में आपने लिखा है कि यह बाध्यकारी है, यह बाइंडिंग है। वर्ल्ड बैंक के साथ, आपकी कम्पनियों के साथ और गवर्नमेंट के साथ इसको आप पूरा कराओगे, वरना नैक्स्ट किस्त आपको नहीं मिलेगी। आप क्यों तथ्य छिपाना चाहते हो?

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, हमको किस्त भी मिल गई और इस सदन में मैं कह रहा हूं कि आगे किस्त भी मिल रही है। 31 मार्च भी आने वाला है, अभी तक बिजली की कम्पनियों ने टैरिफ रिवीजन के लिये कोई एप्लीकेशन नहीं दी है और न वर्ल्ड बैंक ने कोई पैसा देने से मना किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने यह वायदा किया है कि नहीं? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : वह आपकी राजनीतिक मजबूरी है कि निरन्तर चार उप चुनाव हारने के कारण आपने इस बार अभी इनक्रीज नहीं की है। अब आप अजमेर में जीत गये हैं, अक्टूबर तक देखते हैं। अक्टूबर, सितम्बर, जून, जुलाई तक आप निश्चित रूप से इनक्रीज करने वाले हैं।

डा. चन्द्रभान : यह आपका सवाल काल्पनिक है, इसका मैं जवाब नहीं दे पाउंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हमें अपना रेवेन्यू इनक्रीज करना होगा। इसके लिये हम अपने टी. एण्ड डी. लोसेज को घटायेंगे जो हमने करीब 5 परसेंट घटाकर

(डा. चन्द्रभान)

रेवेन्यू इनक्रीज किया है। माननीय सदस्य ने एग्रीकल्चर के लिये 50 पैसे से 70 पैसे, 70 से 90 और 90 से 1.10, 1.10 से 1.40 की बात कही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 10 परसेंट अदर दैन एग्रीकल्चर में बढ़ाने की बात भी आपने कह रखी है।

डा. चन्द्रभान : ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकारी को तो सवा तीन साल हो गये और हमने टैरिफ इनक्रीज की है, निश्चित रूप से एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक में की है। आज जो इन्डस्ट्रीज की स्थिति खराब है, इन्होंने इण्डस्ट्रीज में बहुत टैरिफ इनक्रीज की है, आज इण्डस्ट्रीज में कंजम्पशन बढ़ नहीं रहा है क्योंकि बिजली बहुत महंगी हो गई शुरू से। एग्रीकल्चर का जहां तक सवाल है 37 पैसे जो थे उसको 51 पैसा तो आपने ही किया था, निश्चित रूप से हमने 51 पैसे को 94 पैसा किया, इसके लिये तो मैं कोई मना नहीं करता। लेकिन आपसे एक बात मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में सरकार किनकी है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, क्यों हाउस को मिसफीड कर रहे हैं। 37 पैसे से 51 पैसे कितने वर्षों में बढ़ा, यह बता दो आप। आपने सवा तीन साल में 6 प्रतिशत बढ़ोतरी कर दी।

डा. चन्द्रभान : आपने जो टैरिफ इनक्रीज किया वह मैंने बता दिया। 26 परसेंट किया, 25 परसेंट किया लेकिन उसका इम्पैक्ट नहीं आया। (व्यवधान) आप पहले सुन लीजिये।

श्री सांवरलाल : कितने साल में कर दिया 25 परसेंट, हमारी भी सुन लो आप।

डा. चन्द्रभान : सुन लेंगे आपकी, आप दुबारा सवाल कर लेना। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी बिजली की लागत 3 रुपये 85 नये पैसे पर यूनिट है। इसमें टी. एण्ड डी. लोसेज भी शामिल हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं। पूरे देशभर में टी. एण्ड डी. लोसेज हैं। राजस्थान में इतने ज्यादा नहीं, राजस्थान तो रोक भी रहा है और छीजत को कम भी कर रहा है, घटा भी रहा है, अन्य राज्य नहीं कर पा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्रीजी ने मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कहा है कि देशभर में एक कंसेसन होना चाहिये कि लागत मूल्य का 50 परसेंट एग्रीकल्चर की टैरिफ होनी चाहिये। यदि आज उसको लागू किया जाये तो वह 1.92 रुपये होती है लेकिन हमने उसको नहीं माना। नजदीक के गुजरात ने माना, वैस्ट बंगाल ने माना, महाराष्ट्र में टैरिफ इनक्रीज हुआ। आप जो यह बात कहते हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ इस तरह का

(डा. चन्द्रभान)

कोई करार नहीं है कि हम 10 परसेंट बढ़ायेंगे। यह बात सही है कि टैरिफ बढ़ायेंगे तब रेवेन्यू बढ़ेगी। लेकिन हम टी. एण्ड डी. लोसेज घटायेंगे, एफिसिएंसी बढ़ायेंगे, उसके द्वारा भी हम इसको बढ़ा सकते हैं।

चौथा सवाल आपने पोल की बात की। यह बात सही है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, आप तो सीधा-सा कह दें कि आप टैरिफ नहीं बढ़ायेंगे क्या? उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल है, वर्ल्ड बैंक से इन्होंने जो करार किया है, जो फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान इन्होंने अनुमोदित किया उसके अनुसार टैरिफ बढ़ायेंगे या नहीं बढ़ायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, और भी प्रश्नकर्त्ता हैं, आप विराजिये प्लीज। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। माननीय सदस्य, और भी माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं, आप ऐसे करते रहोगे तो कैसे चलेगा?

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जैसा कहेंगे वैसे तो मैं नहीं बोल सकूंगा। माननीय सदस्य ने अभी कहा कि आपकी कम्पनी बनने के बाद आपका घाटा बढ़ गया। मुझे बहुत अफसोस है, पता नहीं आप रातभर धरना दे रहे थे या जाग रहे थे, आपने पढ़ा नहीं। मैंने स्पेसिफिकली यह बात यहां कही, सुमित्रा सिंहजी और दूसरे लोगों ने मुझे रोका भी, आपने भी कहा कि घाटा बढ़ गया, देवीसिंहजी ने भी कहा। उपाध्यक्ष महोदय, यह बता रहे हैं घाटा 840 करोड़, यह घाटा देखिये तो सही, 19 जुलाई, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक का 8 माह का घाटा है 840 करोड़ और कम्पनी बनने के बाद में यह 1000 करोड़ का घाटा है 12 महीने का। इसलिये मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारा घाटा कम हुआ है। 1990 में 100 करोड़ का घाटा था, और आपकी सरकार गई 1998-99 में तब वह घाटा 1700 करोड़ पर था, हम उस घाटे को 1045 करोड़ पर लेकर आ गये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह हाउस को टोटल मिसफीड कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप इसमें टैरिफ और जोड़ों। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह प्रश्नकर्त्ता है, पहले प्रश्नकर्त्ता आयेंगे उसके बाद उनका नम्बर आयेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा एक ही सवाल है, वर्ल्ड बैंक से जो करार किया उसके अनुसार आप टैरिफ बढ़ाओगे कि नहीं, हां-ना में जवाब दे दो।

श्री सांवरलाल : आपने सब कुछ कर लिया पर बिजली की मांग पर राजस्थान में मुख्य मंत्रीजी के ऊपर पत्थर पहली बार चले हैं, आपको जानकारी होनी चाहिये। आपने बिजली सुधार कार्यक्रम किये....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवरलालजी, विराजिये।

श्री सांवरलाल : भीलवाड़ा–मौलासर में मुख्य मंत्रीजी को भागना नहीं पड़ता अगर आपने इतने सुधार कर दिये होते। क्या बात कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंहजी। माननीय मंत्रीजी, बैठिये।

श्री सांवरलाल : आपके अधिकारी बूरे नहीं हैं। मुख्य मंत्रीजी ने खुद ने कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, रेट बढ़ाना करना सारा नियामक आयोग के हाथ में है। फिर काहें को यहां पर खड़े होकर सदन को गुमराह कर रहे हो? आप कुछ नहीं कर सकते, मंत्री महोदय, जब तक नियामक आयोग कार्यवाही नहीं करेगा।

डा. चन्द्रभान : आप सही कह रहे हो।

श्री सांवरलाल : फिर काहे को खड़े होकर जवाब दे रहे हो आप?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, फिर आप काहें को पूछ रहे हो?

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं टैरिफ रिवाइज करने का अधिकार रैगुलेटरी कमीशन को है, यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। जहां तक मुख्य मंत्रीजी का कहना है, मुख्य मंत्रीजी का मेड़ता में 400 गांवों में इतना शानदार स्वागत हुआ जो आज तक नागौर में किसी मुख्य मंत्री का नहीं हुआ। (व्यवधान)

श्री मांगीलाल डांगा : 25000 की आबादी वाले मेड़ता में 20,000 की जनता का विशाल कृषि सम्मेलन था जिसमें मुख्य मंत्रीजी का स्वागत हुआ। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना सवाल पूछूं उसके पहले सम्पूर्ण माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी माननीय सदस्य सवाल पूछता है वह तैयारी करके आता है और मेहनत करता है, उसका जवाब एक बार आ जाये। माननीय सदस्यों, मैं आपसे माफी मांगता हूं, सवाल पूछने की तैयारी नहीं है, सवाल की तैयारी करके आते नहीं है और बीच में इन्टरप्ट करते हैं और जो माननीय सदस्य तैयारी करके आते हैं उनका जवाब आता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा, मैं मानता हूं आप योग्य हैं। मेरा जो सवाल था वह यही था कि आपने जो वर्ल्ड बैंक से एग्रीमैंट किया.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिये कहा ही नहीं, आप ऐसा क्यों मान रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जवाब तो नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आ जायेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्य सवाल है उस सवाल से मंत्रीजी बचना क्यों चाहते हैं?

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, काल्पनिक प्रश्नों का कोई जवाब नहीं होता।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा जो प्रश्न पूछें आप उसी का जवाब दो। बीच में जो बोलते हैं उनका जवाब आप मत दो। माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उससे एक तरह से यह पता लगता है कि बिजली सुधार कार्यक्रम जिस उद्देश्य से किया गया था वह फेल हो रहा है। जो पांच कम्पनियां हमने बनाई हैं उसमें वितरण कम्पनियां खास मुद्दे पर हैं। उनको कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिये गये थे। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वितरण कम्पनियों को नियामक आयोग ने जो निर्देश दिये थे उनके विपरीत वे कार्य कर रही हैं। जैसे स्थाई सेवा शुल्क, नियामक आयोग ने इसको वसूल करने का अधिकार नहीं दिया था, टैरिफ में इनक्लूड कर लिया गया था। वैसे ही आपका मीटर किराया और बाक्स किराया, सब टैरिफ में सम्मिलित हैं। लेकिन आज भी किसान और कंजूमर को परेशान किया जा रहा है, कि आपकी गलती से मीटर खराब हो गया, उसकी वसूली हो रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहूंगा कि आप बिजली तो पूरी नहीं दे रहे, फिर मिनिमम चार्ज हमसे किस बात का ले रहे हो? स्थाई सेवा शुल्क आप हमसे किस बात का ले रहे हो? सेवा करने का काम आपका है, बिजली देने का काम आपका है और टैरिफ देने की जिम्मेदारी हमारी, तो यह स्थाई सेवा शुल्क है किस नाम से? नियामक आयोग ने आपको अधिकृत नहीं किया। इसके बाद यह जो आपने चित्र दर्शाया है इसमें आपने कहा कि हमको बिजली इतने में मिलती है। माननीय उपाध्यक्षजी, आपका ही जवाब दिया हुआ मैं कह रहा हूं, जयपुर विद्युत वितरण निगम,

(श्री शिवनाथ सिंह)

जोधपुर निगम, अजमेर इन्होंने दो रुपये 13 पैसे में बिजली खरीदी है यह मेरे पास चार्ट है। आपका दिया हुआ चार्ट है, 2 रुपये 13 पैसे में इन्होंने बिजली खरीदी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन्होंने जो बिलिंग किया है वह किस रेट से किया है? पहले यह था कि बिजली बोर्ड अपने काम में असफल हो रहा है, यह चोरी नहीं रोक पा रहा है, वसूली नहीं कर पा रहा है, ट्रांस्मिशन लोसेज को वह पूरा नहीं कर पा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जितने की बिलिंग की है उसका 3/4 भी आप वसूल नहीं कर पाये हैं, कौन आपके बीच में आ रहा है? आपने वसूली में कमी रखी उसमें कम्पनियों को घाटा हो रहा है। आपने कहा साल भर का घाटा है, आठ महीने का घाटा है, पुराने समय के मुकाबले में आपका घाटा कितना है? उससे घाटा बढ़ा है कि घटा है? इन कम्पनियों को जिस काम के लिये हमने किया था वे कम्पनियां अपना काम पूरा नहीं कर पाईं, इसलिये सरकार क्या इस बात को सोचेगी कि इनके कार्यकलापों की समीक्षा की जाये? कम्पनीज एक्ट के तहत कम्पनियां काम कर रही हैं, सरकार का उन पर कम्पनी एक्ट के प्रावधान के हिसाब से पूरा नियंत्रण है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन कम्पनीज को नियंत्रण में करें।

माननीय उपाध्यक्षजी, ये दुरुपयोग राशि हमसे वसूल कर रहे हैं, कोई हमको समझाये तो सही कि यह दुरुपयोग राशि किस बात की हमसे वसूल कर रहे हैं? स्थाई सेवा शुल्क आपने कर ही लिया। जगह-जगह लिखा रहता है 'बिजली बचाओ, पानी बचाओ और सबको पढ़ाओ' हम उसको मानें या माननीय मंत्री महोदय के आदेश को मानें कि बिजली ज्यादा खर्च करो ताकि पर-यूनिट आपका खर्चा कम आयेगा? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 25 यूनिट बिजली खर्च की गई और उसका आठ रुपये और कुछ पैसे पर यूनिट हमको चुकाना पड़ा, हम आपको मानें या उनको मानें?

इसी तरीके से रिवीजन, आपने कहा कि प्रस्तावित नहीं है, ठीक है। रिवीजन आपको मजबूरी में करना पड़ें, आप करेंगे। आज हमको टैरिफिक के लिये कोई एतराज नहीं है, क्योंकि यह केन्द्र सरकार की नीति थी, सब जगह सुधार हो रहा है। लेकिन टैरिफ बढ़ने के बाद जो सुधार कार्यक्रम आपको करना था वह नहीं किया, इसलिये आप उसके लिये इन कम्पनियों के ऊपर क्या नियंत्रण करना चाहते हैं?

मैं एक-दो बिन्दु पढ़कर सुनाना चाहता हूं। यह नियामक आयोग की चिट्ठी है। मैंने पूछा था कि दुरुपयोग राशि की वसूली क्यों कर रहे हो, इनका जवाब है, इस बारे में नियामक आयोग

(श्री शिवनाथ सिंह)

ने बताया है कि यह राशि विद्युत आपूर्ति की सामान्य शर्त के प्रावधान के अनुसार की जा रही है। सामान्य शर्त तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन बाद में यह कह दिया कि आयोग का इस बारे में विचार है कि विद्युत आपूर्ति की सामान्य शर्तें तथा प्रारूप आयोग के पास विचाराधीन हैं व शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा। इसका मतलब आयोग ने अभी तक इस मामले में भी कोई निर्णय नहीं दिया है, लेकिन वह वसूल कर रहे हैं।

इसी तरह से, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि नर्सरी कनेक्शन में दो साल के बाद उसकी रेट सामान्य हो जायेगी और जो उससे वसूल किया गया है वह उसके बिलों में भुगता जायेगा। (व्यवधान) नहीं दे रहे हैं। नियामक आयोग ने कहा है कि आयोग का इस बारे में विचार है कि नि:संदेह नियमों द्वारा विद्युत सम्बन्ध जारी करते समय आश्वासन के अनुरूप राशि वसूली की जानी चाहिये, वह नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की अराजकता विद्युत वितरण कम्पनियों ने कर रखी है। इसके होते हुये कंजूमर की जेब काटकर उनको पीड़ा पहुंचाई जा रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन सब बातों को देखते हुये आप इन विद्युत वितरण कम्पनियों पर नियंत्रण करने के लिये और कोई विचार रखते हैं या नहीं रखते हैं?

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना तो मुझे सही नहीं लग रहा है कि पावर सैक्टर रिफोर्म्स फेल हो गये हैं। देश भर में यह मानकर चला जा रहा है कि राजस्थान में पावर सैक्टर रिफोर्म्स सफल हो रहे हैं। माननीय सदस्य ने यह कहा है कि स्थाई शुल्क मीटर, रेन्ट और फ्यूल सरचार्ज इन सबको नई टैरिफ में शामिल कर दिया गया, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया अब टू पार्ट टैरिफ है, एक एनर्जी चार्ज, एक फिक्स चार्ज। हां, यह बात सही है कि फ्यूल सरचार्ज को नई टैरिफ के अन्दर मर्ज कर दिया गया है। जहां तक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि स्थाई सेवा शुल्क, मीटर रेन्ट सरचार्ज इनकी क्या जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था राजस्थान में कोई अकेली तो है नहीं, देश भर में है। मैं माननीय सदस्य को एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा, कि इतना बड़ा सिस्टम खड़ा होता है....(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : स्थाई प्रभार लगाने की इजाजत आपको नियामक आयोग ने दी है....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : जी, जी, जी। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उसका पैरा पढ़िये। नियामक आयोग का पैरा पढ़ दीजिये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : ऐसा है, आप बहस करना चाहते हैं तो नियामक आयोग का टैरिफ, रिवाइज का जो फैसला है वह 38 पेज का है, उस पर बहस नहीं है। यहां पर स्पेसिफिक सवाल है मीटर का और सवाल है कि दरें बढ़ाई क्या? उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, इस सदन में वह मंगा लीजिये, टैरिफ रिवीजन का डिसीजन है उसमें बाकायदा स्थाई शुल्क वसूल करने की कम्पनियों को इजाजत है। (व्यवधान) आप बैठ जाइये, बीच में क्यों खड़े होते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, यह जानने का हमको अधिकार है कि किस कारण से.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : किस वजह से लगाया जाता है, किस कारण से लगाया जाता है। मंत्रीजी यहां पर खड़े होकर कह रहे हैं स्थाई चार्ज....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय सदस्य, मैं उसी पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : केवल लूटने के लिये आप कह रहे हैं लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : प्रोफेसर साहब, मैं उसी पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : जितनी यूनिट जलती है, उतना पैसा दिया जाता है कंजूमर के द्वारा, फिर यह स्थाई सेवा शुल्क क्या है? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : प्रोफेसर साहब, मैं उसी पर आ रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : हां समझाओ। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मैं उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं, कि हम सब लोगों के घरों पर टेलीफोन का कनेक्शन है, टेलीफोन के कनेक्शन में जितने काल करते हैं उनका एक अलग से चार्ज आता है। लेकिन इसके साथ में यदि नहीं भी करते हैं तो आपको दो महीने का 500 रुपये का बिल चुकाना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा सिस्टम खड़ा होता है, ट्रांसफार्मर हैं, कैपेसीटर हैं, लाइनें हैं, पोल हैं, सेवाएं हैं, सिस्टम है इनके लिये 50 रुपये महीने का लेना.....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेलीफोन सुनने के काम तो आता है, (व्यवधान) हम अगर फोन करें नहीं तो सुनने के काम तो आता है, इसलिये वह तो उसका किराया है। आप यह क्या उदाहरण दे रहे हो? (व्यवधान) यह तो बहुत ही इररेलवेंट....(व्यवधान)

श्री सांवरलाल : इसके जस्टिफाई कैसे कर रहे हो? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कनेक्शन नहीं चलाएंगे तो बिजली क्या काम आयेगी? टेलीफोन नहीं करेंगे तो सुनने के काम आता है, तो वह तो उसका किराया है। इसलिये, डा. साहब, आपका यह उदाहरण जस्टिफाइड नहीं है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : 150 काल फ्री हैं। उसके बाद में कम काल करते हुये चार्ज 80 पैसे हैं, फिर उसके बाद एक रुपया है, फिर एक रुपया बीस पैसा है। जिसकी जगह आप मिनिमम चार्ज जो दे रहे हैं.... (व्यवधान) आप किसी की सुनते तो नहीं हैं, आप तो खुद बादशाह बने हुये हैं। (व्यवधान) आपको किसी की बात समझ में नहीं आती। आप सब उलटे-उलटे काम करते जा रहे हैं। (व्यवधान) सबको मरवा रहे हो। (व्यवधान) टेलीफोन की बात करते हैं, टेलीफोन का मालूम है, 250 काल के तो 80 पैसे लगते हैं, उसके बाद एक रुपया लगता है, जिसकी जगह आप मिनिमम चार्ज ले रहे हो। (व्यवधान) आपके पास बिजली देने को नहीं है, फिर भी आप मिनिमम चार्ज ठोक रहे हो। ये क्या कह रहे हैं.....(व्यवधान) आठ रुपये कैसे पड़ रही है, बिजली हमने बिलकुल नहीं जलाई तो भी हमको पैदा देना पड़ रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : यह बिजली बचत करने का तरीका है? बिजली बचत कैसे होगी, बिजली बचत ऐसे होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। विराजिये, विराजिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : बिजली बचत इसलिये होगी कि आप कम बिजली जलाओगे तो आपको कम चार्ज देना पड़ेगा, आपकी टैरिफ कम रहेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। विराजिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : आप ज्यादा बिजली जलाओगे तो आपकी टैरिफ हाई लगेगी, यह होता है बिजली बचत करने का तरीका। आप तो उलटे-उलटे ही चल रहे हो, सब काम उलटे कर रहे हो। (व्यवधान) आपकी कोई बात ही समझ में नहीं आती है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : बात कड़वी लगी क्या?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये। एक मिनट, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : ये सबको मरवायेंगे। (व्यवधान) माननीय सदस्य सही कह रहे हैं....(व्यवधान) अब हमको मरवायेंगे....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, माननीय सदस्य। एक मिनट, आप विराजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अन्तरात्मा बोल रही है। (व्यवधान) अन्तरात्मा बोल रही है, अब चुप नहीं रहेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी : क्या तुक है टेलीफोन का उदाहरण देने का? (व्यवधान) आपने सुना क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट, आप विराजिये।

श्री हेमाराम चौधरी : वह तो सुनने के भी काम आता है, यूं ही नहीं। और डेढ़ सौ काल फ्री हैं, मालूम है आपको? आप कितने यूनिट फ्री देते हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : मंत्री महोदय पूरे हाउस को मिसगाइड कर रहे हैं। आप तथ्यों को तोड़-मोड़ कर पेश कर रहे हैं। (व्यवधान) इन्हें तो कुछ मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, राजस्थान के अन्दर। (व्यवधान) आज राजस्थान की जनता अगर पीड़ित है तो विद्युत से पीड़ित है। (व्यवधान) इसके ऊपर पूरी बहस करा ली जाये। (व्यवधान) क्यों ये तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

श्री हेमाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब अपनी-अपनी जब गा रहे हैं। (व्यवधान) अभी कहा मीटर मत लगाओ...(व्यवधान) कौन सुनता है, रतनारामजी, आपकी बात? आपकी बात कोई सुनने को तैयार है क्या? (व्यवधान) फिर डेढ़ साल बाद में देखना क्या होता है। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सुनने की और सहन करने की एक सीमा होती है। He is misguiding the House. पूरी तरह से तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। इनसे कन्ट्रोल कुछ होता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, प्लीज विराजिये। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : विद्युत के ऊपर पूरी बहस करा ली जाये। (व्यवधान) यहां पूरे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। He has got no control over the department. He is misleading the House.

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, प्लीज। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप विराजिये प्लीज, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : आज किसान को बिजली नहीं मिल रही है। साथ-साथ बच्चों को पढ़ाने के लिये नहीं है......

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : विद्युत नियामक आयोग बनाने से सुधार नहीं हो गया है। (व्यवधान) विद्युत नियामक आयोग बनाने से सुधार नहीं हो गया है। (व्यवधान) आप प्रशासनिक इनकम्पीटेंस से नहीं कर सकते हैं।

श्री बाबूलाल नागर : गांव में क्या हाल हो रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : बिजली की रेट बढ़ाने से कुछ नहीं होता है। गांवों के अन्दर बिजली दे नहीं पाते, शहरों के अन्दर बिजली दे रहे हैं। गांव के अन्दर क्या हाल हो रहा है....(व्यवधान) क्यों नहीं गांव के अन्दर बिजली दे पाते हैं रात को? (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : मैं आपको बताना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, अभी तय किया है कि जो ज्यादा वसूली करेगा, जो ज्यादा लोगों से वसूल करके जायेगा उनको इन्सेंटिव देंगे। जैसा परिवार नियोजन के अन्दर हुआ था कि जो ज्यादा आपरेशन करायेगा उसको तोहफा मिलेगा। ये तोहफे के चक्कर में सब लोगों के मुकदमे झूठे-झूठे बनाकर वसूली कर रहे हैं। लोग परेशान हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : क्यों गांव के अन्दर बिजली नहीं दे रहे हैं? (व्यवधान) इसलिये एक पूरे दिन की बहस करायी जाये और अभी कोई और प्रश्न ले लीजिये। ये पूरी तरह से डिस्टोर्टेड तथ्य सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, आप विराजिये। (व्यवधान) विराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इस प्रश्न को स्थगित करके कृपा करके पूरे दिन की बहस करायी जाये। इसके अन्दर कोई सार नहीं है, दूसरे और प्रश्न ले लीजिये। गलत पर गलत तथ्य दिये जा रहे हैं यहां पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज विराजिये ना आप। (व्यवधान) एक मिनट।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को कोई गलत तथ्य नहीं दे रहा हूं। आप प्रिविलेज ला सकते हैं मेरे खिलाफ यदि मैं कोई गलत तथ्य दे रहा होऊं तो। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : सदन की भावना को आप नकार नहीं सकते हैं। (व्यवधान) सदन की भावना है.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : पता है आपने जो सदन को मिसलीड किया है। पहले कभी....(व्यवधान) You are misleading the House. शर्म आनी चाहिये आपको, शर्म आनी चाहिये। क्यों मिसलीड कर रहे हो आप? गलत तथ्य दे रहे हो आप। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मैं यहां पर जो भी रिप्लाई दे रहा हूं सब जिम्मेदारी से दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : सब गलत बता रहे हो यहां पर। राजस्थान की सही पिक्चर मालूम नहीं है आपको, पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में क्या हालत हो रही है। सही पिक्चर तो देते नहीं हो, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हो। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश कर रहे हो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपसे डरते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य लक्ष्मण सिंहजी, विराजिये। विराजिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : हमने यह कर दिया, हमने वह कर दिया, भट्टा बैठा दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं बार-बार यह निवेदन कर रहा हूं कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। (व्यवधान) नहीं तो दूसरा क्वेश्चन बुलवा दूंगा।

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): टेलीफोन वाली मिसाल तो गलत दे दी मंत्री महोदय ने। टेलीफोन वालों ने कहा जितनी काल करना चाहें करें। जब मिनिमम चार्ज लेते हैं, आप टेलीफोन नहीं करेंगे तो मिनिमम चार्ज लेंगे....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह टेलीफोन डिपार्टमेंट का बिल है, अगर ज्यादा कंजमप्शन होता है तो....(व्यवधान) और आप क्या कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रोनिक मीटर का इन्होंने ही विरोध किया था। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिवनाथ सिंहजी के सवाल का जवाब दे रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : आप दे देना जवाब। एक मिनट आप विराजें।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पत्र दिया है चन्द्रभानजी ने। अभी कहा है कि झूठे आंकड़ें हों तो...(व्यवधान) मैं झूठे आंकड़ें बता रहा हूं, इनके झूठे आंकड़े तो सुन लो। यह लैटर है इनका। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रतनाराम चौधरी : आपकी मजबूरी है, आपको कोई दोष नहीं देता है। आपके काम में कमी बिलकुल.... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी पहली सरकार है जो गांव में कम बिजली आती है तो गांव की बिजली की दर में 10% की रिबेट दी है हमारी सरकार ने। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : गांव में बिजली दे नहीं रहे हो। (व्यवधान) गांव में बिजली दे नहीं रहे हो और +++ करते हो +++ करने से काम नहीं चलेगा। (व्यवधान) गांव में बिजली दे नहीं रहे हो। क्यों नहीं देते गांव के अन्दर बिजली? गांव में क्यो कटौती करते हो? (व्यवधान) गांव में क्यों सिंगल फेस बिजली देते हो, क्यों कटौती कर रहे हो गांव के अन्दर? (व्यवधान) +++

श्री हेमाराम चौधरी : गांव में गरीबों के घरों में सारा अंधकार करा दिया। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पहले हण्ड्रेड यूनिट के ऊपर एनर्जी चार्जेज कम हैं और जो कम किलोवाट के कनेक्शंस हैं उनका एनर्जी चार्ज कम है। दूसरी बात माननीय सदस्य ने कही, घाटे की बात तो हमने घाटे को कम किया है। सौ करोड़ रुपये का घाटा था 1990 में जो इनके कार्यकाल में 1700 करोड़ हो गया। (व्यवधान) अब हम उसको 1100 करोड़ पर ले आये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने रेट कितनी बढ़ाई, आपने दर कितनी बढ़ाई, यह भी बता दो। (व्यवधान) रेट कितनी बढ़ाई, आगे बढ़ाओगे कि नहीं? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : रेट कितनी बढ़ायी आपने, यह भी बता दो। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहिये, टी. एण्ड डी. लासेज कम हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। टैरिफ नहीं बढ़ायेंगे। आपने 1995 में इलैक्ट्रोनिक मीटर का विरोध किया था।

श्री देवीसिंह भाटी : धन्यवाद तो आप ट्रेजरी बेंचैज से ले लें, हम तो संतुष्ट हैं। आप पहले इनसे तो ले लो।

डा. चन्द्रभान : मुझे तो धन्यवाद राजस्थान की जनता दे रही है, कोई आन्दोलन नहीं हुआ। (व्यवधान) इस सत्र में कोई आन्दोलन नहीं हुआ, पूरे 6 महीने तक सारे किसानों को 7 घंटे बिजली दी गयी। शहरों में बिजली.... (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शहरों में कितनी बिजली दे रहे हो और ग्रामीण इलाकों में कितनी बिजली दे रहे हो? (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : यह बेकार का +++ कर रहे हो। (व्यवधान) गांव के अन्दर बिजली दो, गांव के अन्दर, श्रीमान्जी। गांव के अन्दर कटौती हो रही है। आपके खुद के विधान सभा क्षेत्र में कटौती हो रही है। (व्यवधान) कहीं और जाकर लड़ोगे अगली बार भी.... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : लगातार फसल के वक्त बिजली दी गयी। (व्यवधान) अब राजस्थान में 1200 मेगावाट का विद्युत का उत्पादन बढ़ रहा है। आप बात करते हैं। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : बात करते हैं, क्या बातें करते हैं? गांव के अन्दर बिजली दी है कभी? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंहजी, श्रीमती सुमित्रा सिंहजी। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी : गांव में डोमेस्टिक कनेक्शन वालों को बिना बिजली .....(व्यवधान) कोई बिजली रात को नहीं मिलती। सब बच्चे पढ़ने के लिये रो रहे हैं। रात को गांव में बिजली नहीं मिलती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये, विराजिये।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हाइडल की जनरेशन कम है इसलिये पीक अवर्स में थोड़ी-सी कमी रहती है। नहीं तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि गांव में शाम को सात बजे से लेकर ग्यारह बजे तक बिजली मिले। हमारी पूरी कोशिश रहती है और बिजली मिलती है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : पढ़ाई के लिये तो बिजली दिलवाइये। कम से कम। (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं मिलती है, नहीं मिलती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गांव में शाम को 7 बजे से कोई बिजली नहीं दे रहे हो आप। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। श्रीमती सुमित्रा सिंहजी।

श्री बाबूलाल नागर : गांव में घुसना मुश्किल हो रहा है। (व्यवधान) बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, शाम को बिजली नहीं दे रहे हैं आप। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। किसान को पूरी बिजली मिली। एक आदमी इनके साथ नहीं। ये विधान सभा में 5 आदमियों को इकट्ठा कर सके, 5 आदमियों को इकट्ठा नहीं कर सके। (व्यवधान) मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस सरकार के कार्यकाल में। राजस्थान ऊर्जा की दृष्टि से आत्मनिर्भर राज्य होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य ने कहा, बिजली के बिलों को तीन-चौथाई वसूल करते थे, हम जितने बिजली के बिल देते हैं उनमें से 98 प्रतिशत वसूल करते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : शाम को गांव में बिजली नहीं होती है, बच्चे पढ़ाई से वंचित हैं। आप बिजली नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंहजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : मंत्री महोदय, क्या यह बात सही है कि जो मीटर पहले ठीक तरीके से चल रहे थे, उनको हटा करके आपने इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाये? अब वे मीटर स्क्रैप के भाव जायेंगे? अच्छे भले मीटर थे, स्क्रैप के भाव जायेंगे। करोड़ो रुपये का स्क्रैप आपको लाखों में बेचना पड़ेगा, यह बात सही है क्या? (व्यवधान) तो क्या करोगे उन मीटरों का? उन मीटरों का क्या करोगे? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह बात सही नहीं है। (व्यवधान) मैं आपको बता रहा हूं, जब आप मीटर के बारे में पूछ रहे हैं तो पूरा एक फिगर आपके सामने रख देता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इलैक्ट्रोनिक मीटर कितने में खरीदे, कितना कमीशन लिया गया, यह भी बता दें। कितने रुपये में खरीदे? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रोनिक मीटर पहले एक हजार रुपये के खरीदे जाते थे और अब 825 रुपये में खरीदे जाते हैं। उसकी रेट कम है। मैं कहना चाहूंगा कि जहां....(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पूरे राजस्थान में कितने करोड़ के खरीदे हैं, यह बता दो।

डा. चन्द्रभान : सुमित्रा सिंहजी पहले ऊर्जा मंत्री रह चुकी हैं, मुझे बहुत अफसोस है.....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 1995 में जो मीटर खरीदे गये थे वे एक लाख मीटर सारे खराब हो गये। आपने पी.एन. भण्डारी साहब पर आरोप लगाया था। मंत्री महोदय, आपने उस समय इलैक्ट्रोनिक मीटर का विरोध किया था कि वे एक लाख मीटर खराब हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : ये पुराने मीटर जो हैं, 2 लाख 17 हजार को रिपेयर किया गया है।

श्री हीरालाल विश्नोई : 2 लाख 17 हजार को वापस क्यों नहीं लगा देते हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चायना और कोरिया के कम्पोनैंट हैं और वर्ल्ड में सबसे रद्दी हैं, इसलिये मीटर सस्ता मिल रहा है। आप इन मीटरों का जो कह रहे हैं, 825 में मिल रहे हैं, इसमें चायना और कोरिया का कम्पोनैंट है, वर्ल्ड में सबसे रद्दी है। इसकी जांच कराकर देख ली जाये। (व्यवधान) खराब हो गये, भण्डारी साहब के समय के, हमने आरोप लगाया है। (व्यवधान) भ्रष्टाचार है। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : नहीं, नहीं, कोई चायना का नहीं है। कोई चायना का मीटर नहीं है। झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या को मैं कहना चाहता हूं कि परचेज में यदि आप कोई चार्ज लगाना चाहते हैं तो आप चार्ज लगाइये, मैं उसकी जांच करवाउंगा। लेकिन आप पहले.....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं चार्ज लगा रहा हूं कि कम्पोनैंट उत्तर कोरिया और चायना के हैं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : लेकिन आप पहले वाले ऊर्जा मंत्री में और वर्तमान ऊर्जा मंत्री में अन्तर करके देखो, आप सबको एक समान मत देखो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप जो कह रहे हैं, ये चायना के हैं....(व्यवधान) इलैक्ट्रोनिक मीटर खराब हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

डा. चन्द्रभान : और मैं कहना चाहता हूं कि हमने बिजली मीटर की खरीद करने पर बचाने का काम किया है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने करोड़ों रुपये बरबाद किये हैं। आप जवाब नहीं दे रहे है, बौखला रहे हैं। अधिकारियों ने आपको मिसगाइड किया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। विराजिये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह बतायें कि जो रेट में वृद्धि हुई है, उसके क्या कारण हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

डा. चन्द्रभान : हमने तो 175 रुपया प्रति मीटर कम किया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तो बताओ, क्या करोगे इनका? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा है और मैं सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैंने एक भी सवाल नहीं पूछा है और मैं सवाल पूछूंगा।

एक माननीय सदस्य : एक आदमी पूछे एक सवाल। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : एक सवाल है।

डा. चन्द्रभान : ऐसा है कि आप अपने तक सीमित रहो और किसी भी मसले के अन्दर यदि आपको लगता है कि किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो आप चार्ज, लगाइये, आप जिससे कहेंगे उससे जांच कराने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। आप पहले विराजिये।

डा. चन्द्रभान : लेकिन आपको एप्रिशिएट करना चाहिये कि 1000 रुपये के मीटर को आज केवल 825 रुपये में खरीदा जा रहा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सब उन्होंने पूछ लिया। आप सबको मौका दे रहे हो, मुझे भी एक मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप कितनी देर से खड़े हो और पूछ रहे हो? बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक सवाल, आपने स्वयं ने कहा था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहता हूं कि आपने पहले कहा कि इलैक्ट्रोनिक मीटर खराब नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्सट क्वेश्चन, श्री मानसिंह।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरे खुद के सरकारी निवास के मकान पर 13000 रुपये का बिल आया।

डा. किरोड़ी लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : सुनना ही नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने आपको बिल दिया, आपने जांच कराई और उसकी रिपोर्ट आई कि इसके गर्म होने से यह ज्यादा तेज दौड़ गया और 13000 रुपये का बिल आया है। यह तो आपके सामने है, सर्वविदित है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जांच कराई और उसमें रिपोर्ट आई।

श्री उपाध्यक्ष : सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने बोल लिया, फिर यह बोलेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : खेतसिंहजी हमारा भत्ता बढ़ाते नहीं हैं। तीन हजार रुपये आप बिजली के देते हो और 13 हजार रुपये का बिल आयेगा तो बताइये कि हम कैसे चुकाएंगे? आपने कहा कि खराब होता नहीं है।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि कोई

(डा. चन्द्रभान)

भी मीटर खराब नहीं होता। हमने 1696 मीटर चैक कराये हैं, 1696 मीटर में से केवल 36 मीटर खराब पाये गयें। यह 0.1 परसेंट से भी कम है। इतना एरर होता तो हम उसको चेंज कर देते। ऐसे कहीं नहीं हो सकता कि एक लाख में से एक भी मीटर खराब नहीं हो, एक हजार में से एक भी नहीं 1696 में से केवल 36 खराब पाये गये। जिसमें आपने....(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हजारों रुपये का बिल आ रहा है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मीटर बदलने का पैसा क्यों लिया हमसे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माहिर आजाद, बैठिये आप।

डा. चन्द्रभान : उसको एडजस्ट करेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मीटर बदलने का पैसा क्यों लिया? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : नैक्स्ट बिल में एडजस्ट करेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : एडजस्ट करवाएंगे? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आज यदि किसी का मीटर खराब हो जाता है तो उसके रिप्लेसमैंट का कोई चार्ज नहीं लिया, नहीं लिया जायेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो फिर पैसा उपभोक्ता से क्यों लिया जाता है?

एक माननीय सदस्य : आठ हजार का बिल आ रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री हफीज मोहम्मद (माण्डल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 95 वाले मीटर कहां है? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हजारों रुपये के बिल आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री हफीज मोहम्मद : कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में राजस्थान की किसान और मजदूर जनता को यह विश्वास दिलाया था कि हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे और हम जितने हार्स पावर आप लेंगे उतने खम्भे फ्री देंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि उस घोषणा-पत्र पर अमल क्यों नहीं हो रहा है?

डा. किरोड़ी लाल : इसका जवाब दो। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : दूसरा मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा और मेवाड़ में आज कुओं में पानी नहीं है और आप ऐसी हालत में उनसे

(श्री हफीज मोहम्मद)

मिनिमम चार्ज ले रहे हैं। किसानों के रोज कनेक्शन कट रहे हैं, वे मिनिमम चार्ज देने की हैसियत में नहीं है। आप जब भीलवाड़ा आये थे, तब आपने अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग लेकर यह विश्वास दिलाया था कि मैं यहां पर जितनी बिजली जलेगी उतना पैसा लेने के आदेश भेज दूंगा। लेकिन अभी तक भी वे आदेश नहीं आये हैं।

दूसरा माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं आपने यह कहा था कि गये साल की तरह से जिन कुओं में पानी नहीं है उन काश्तकारों को कनेक्शन कटाने की छूट मिलेगी और जब पानी आयेगा तब लगाने की वापस इजाजत मिलेगी, इसका क्या हुआ? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : बहुत अच्छा सवाल है।

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के घोषणा-पत्र में यह कहीं नहीं लिखा है कि बिजली की दरें कभी नहीं बढ़ेंगी।

दूसरी बात जो आपने उठाई है खम्भों पर सब्सिडी की, यह बात सही है कि खम्भों पर सब्सिडी पहले मिलती थी और आज भी मिल रही है। हमारी सरकार आई तब तीन हजार रुपये पर पोल, यह आठ खम्भों पर थी। यह बात सही है कि हमने उस तीन हजार को तीन हजार पांच सौ किया है लेकिन 11000, आठ पोल के बाद ही लिया जाता है। जहां तक कुओं में पानी का सवाल है यदि कुओं में पानी सूख जाता है तो उसे हम इजाजत देते हैं और उस इजाजत को हम आगे भी जारी रखेंगे कि छह महीने तक किसान अपना कनेक्शन कटवा सकता है, उससे कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : यही हम आपसे चाहते हैं। यह हिदायत नहीं मिल रही है इसलिये कनेक्शन काट रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : .....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड, वह जो छह महीने की रियायत है, वह छह महीने की रियायत है, उस रियायत को हम जारी रखेंगे।

श्री केसाराम चौधरी : रियायत जारी नहीं है।

डा. चन्द्रभान : मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहिये, इलैक्ट्रिक पावर के कारण कांग्रेस की पोलिटिकल पावर कमजोर नहीं होगी बल्कि मजबूत होगी।

श्री श्रवण कुमार : इस बार लागू नहीं हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह देख लो आपका घोषणा–पत्र। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) श्री यशवंत सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : घोषणा–पत्र देख लो, घोषणा–पत्र पर पेज नम्बर 12. (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली चल रही थी गांवों में, वह सारी काट दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह रामू।

श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : मंत्री महोदय, आप जो छह महीने की रियायत दे रहे हैं....(व्यवधान) मैंनें एक पत्र देखा था, छह महीने की आप रियायत दे रहे हैं तो वापस जब वे अपना कनेक्शन कराते हैं तो विभाग वाले उनसे ...(व्यवधान) ले रहे हैं, वह बोझ ज्यादा लगता है। बहुत ज्यादा लगता है। आप यह भी उनको रियायत दीजिये। उन्होंने बिल बना बनाकर डिमाण्ड नोट भेज दिया, वे आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि नियामक आयोग ने जो आदेश दिया था, नियामक आयोग ने राज्य सरकारों को 1034 करोड़ रुपये विद्युत मण्डलों को देने का जो आदेश दिया था, आपकी रेट बढ़ाने के आदेश के साथ ही वे 1034 करोड़ रुपये आप विद्युत मण्डलों को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : मंत्री महोदय, आपने यह कभी भी नहीं कहा था कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आपने घोषणा पत्र में यह बात जरूर कही थी कि हम पुरानी रेट के ऊपर ही वापस व्यवस्था लागू करेंगे। अब क्या आपने पुरानी.....(व्यवधान) कांग्रेस सरकार की जो पुरानी व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था को हम कायम रखेंगे या नहीं, यह बताइये? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : नियामक आयोग के आदेश के अनुरूप 1034 करोड़ रुपये आप इनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, यह मेरा सवाल है? (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं.... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : हां, रैगुलेटरी कमीशन का आदेश था कि हम सब्सिडाइज पावर देते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी राजस्थान में इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई में 1600 करोड़ रुपये की सब्सिडी है। एग्रीकल्चर में भी है और डोमेस्टिक में भी है। माननीय सदस्य

(डा. चन्द्रभान)

जो लूणकरणसर से आते हैं इनका कहना कुछ हद तक सही है। रैगुलेटरी कमीशन ने ये निर्देश दिये थे कि इस साल जो घाटा रहेगा जो करीब 1045 या 1034 करोड़ है, उसकी भरपाई राज्य सरकार मदद के द्वारा करेगी। लेकिन उसके साथ में यह भी आप्शन दिया था कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति खराब हो तो वह सरकार 1045 करोड़ रुपये मार्केट से लोन लेने की इजाजत बिजली कम्पनियों को देगी उसका जो इंटरेस्ट है उसको राज्य सरकार को वहन करना चाहिये, करना पड़ेगा। यह जो रैगुलेटरी कमीशन का निर्देश था, आप जानते हो कि राज्य की जो वित्तीय स्थिति है उसमें अभी तक तो राज्य सरकार वह पैसा नहीं दे पाई है। लेकिन यह भी आप जानते हो कि इलैक्ट्रिसिटी कम्पनियां जो लोन ले रही हैं उसकी गारंटी तो राजस्थान सरकार ही दे रही है।

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं कि.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गला खराब है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान की जनता और यहां हाउस को सारे माननीय सदस्यों की एक-सी ही मन की पीड़ा हैं क्योंकि क्षेत्र में जनता बार बार आपकी टैरिफ बढ़ाने के बाद भी दु:खी है। टैरिफ के तरीके भी अजीब बनाये हैं कि गांव का आदमी यह समझ नहीं सकता कि उसके 72 यूनिट बिजली जले तो उसको पैसा देना कितना है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे 210 यूनिट जले, मेरे को एक बिल बनाकर आप अभी यहां हाउस में रख दो कि 210 यूनिट का बिल यह होता है तो मैं मान जाऊंगा कि आप वास्तव में विद्युत मंत्री हो।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी): आज किसान को बिजली देना अति आवश्यक है। इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, लोग-बाग यहां पर निवेश बढ़ाने के लिये आ रहे हैं। राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन केन्द्र सरकार के दबाव के कारण राज्य सरकार को टैरिफ बढ़ाने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका डिपार्टमेंट किस-किस तरह से चार्जेज लगाता है कि गांव का आदमी कुछ भी समझ नहीं पाता है। इतना टिपिकल आपने अपना बिल बना दिया, उसके कारण से पैसे बढ़ाये। आप कम से कम यह तो स्पष्ट करो कि आपने इतनी टैरिफ बढ़ाई, इस टैरिफ से आपको इतनी आमदनी में बढ़ोतरी हुई और इसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपको घाटा उसकी तुलना में कम हुआ। टैरिफ बढ़ाने के बाद भी यदि घाटा कम नहीं होता है तो इस घाटे के नाम से आप जनता को कब तक लूटेंगे और लोगों को कब तक तबाह करेंगे? गांव का आदमी और उसका बच्चा पढ़ने के लिये रोता है। हम जब क्षेत्रों में जाते हैं तो बच्चा चिल्लाता है। बोर्ड की परीक्षा है, बिजली इम्तिहान के समय में बन्द हो जाती है, बच्चा पढ़ना शुरू नहीं कर सकता। बिजली आती नहीं है। आप...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल सिंगारिया : केन्द्र सरकार का दबाव पड़ रहा है। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि समस्त राज्यों को बिजली की टैरिफ बढ़ानी चाहिये। विद्युत उत्पादन में काम आने वाली चीजों पर जब रेट बढ़ रहा है तो बिजली का रेट बढ़ाना अति आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा हो....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आखिर यह क्या है? मतलब मिनिमम चार्ज तो लेते हो लेकिन एक मिनट के लिये भी बिजली आप दे नहीं पाते हो। किसान को बिजली मिलती नहीं है। राजस्थान को आपने तबाह कर रखा है। मैं और मेरा दल इस बात का विरोध करते हुये वाक-आउट करते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय कटारियाजी, सुनिये।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

डा. चन्द्रभान : किसान को सात घंटे बिजली मिलती है। पूरी छह-सात घंटे बिजली किसानों को दी है। इस वर्ष में किसानों को पूरी बिजली दी गई है छह-सात घंटे। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले जब बिजली नहीं मिलती थी तब +++ करते थे। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : बिजली की अव्यवस्था के कारण हम जनता दल के सदस्य बहिर्गमन करते हैं। इस बिजली की आवश्यकता को लेकर। (व्यवधान)

(जनता दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारा लोक तांत्रिक मोर्चा भी बहिष्कार करता है।

(लोकतांत्रिक कांग्रेस विधायक दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री मोहन लाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बिल में गलती है तो.....(व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री हफीज मोहम्मद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके कम्पनी के अधिकारी मानते तो हैं क्या आपकी बात? छोटी-छोटी सी बात के लिये आाप जयपुर निगम लिमिटेड के चेयरमैन को चार-चार बार कह चुके, कोई मानता तो है नहीं आपकी बात और आप उनका सपोर्ट करते हो यहां पर। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल का सिम्लीफिकेशन कर दिया जायेगा और बिलों में कोई त्रुटि होगी तो कलक्टर की अध्यक्षता वाली विजिलैंस कमेटी, जिसमें विधायक, सांसद और जिला प्रमुख सभी सदस्य रहते हैं, उसमें रख देंगे। वह कमेटी जो भी फैसला करेगी वह इलैक्ट्रिसिटी कम्पनियों को मानना पड़ेगा।

(12.00 बजे)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) **:** माननीय मंत्रीजी ने बिजली सम्बन्धी जितनी भी बातें कहीं, राजस्थान में किसान रो रहे हैं। बहिष्कार करते हैं हम इसका।

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। प्लीज, माननीय हफीज साहब, प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

घाटे में संचालित उपक्रमों हेतु नीति

88. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी)**:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में कहां-कहां, कौन-कौन से राजकीय उपक्रम संचालित हैं? उक्त में से कौन-कौन से उद्योग लाभ में चल रहे हैं और कौन-कौन से हानि में हैं? हानि में चल रहे उद्योगों में पूंजी निवेश कितना-कितना था और अब तक कितनी-कितनी हानि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार हानि में चल रहे उद्योगों को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से?

(3) क्या हानि में चल रहे उपक्रमों में सुधार हेतु सरकार द्वारा कोई नीति तैयार की गई है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) राजकीय उपक्रम ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में आने वाले राज्य में स्थित विभिन्न राजकीय उपक्रमों की स्थिति परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है। लाभ-हानि में चलने वाले उपक्रमों की स्थिति परिशिष्ट ''ब'', ''स'' पर एवं उपक्रमों में पूंजी निवेश की स्थिति परिशिष्ट ''द'' पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

(2) व (3) राज्य सरकार द्वारा श्री राजसिंह निर्वाण सदस्य, आयोजना बोर्ड की अध्यक्षता में राजकीय उपक्रमों में अपविनियोजन, पुनः संरचना, सुदृढ़ीकरण एवं विकास के लिये सुझाव देने हेतु समिति गठित की गई थी, जिसने राजकीय उपक्रम ब्यूरो की परिधि में आने वाले 21 उपक्रमों का विस्तृत अध्ययन कर सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है जो अभी विचाराधीन है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय होने के बाद ही यह ज्ञात हो सकेगा कि क्या सरकार हानि में चल रहे उद्योगों को बन्द करने का विचार अथवा उनके सुधार हेतु कोई नीति तैयार करने का विचार रखती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

राज्य में स्थापित उद्योगों में निवेशित पूंजी

89. श्री अमराराम (धोद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विगत तीन वर्षों में राज्य में कितना पूंजी निवेश हुआ तथा कितने नये उद्योग मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के लगे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पूंजी निवेश में विदेशी एवं देश की पूंजी का क्या प्रतिशत है?

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों (वर्ष 1998-99 से 2000-2001 तक) में रुपये 78307.16 लाख का पूंजी निवेश लघु एवं कुटीर उद्योगों में हुआ तथा मध्यम एवं वृहद् श्रेणी की इकाइयों में 25127.42 लाख रुपये का निवेश हुआ तथा 28 मध्यम एवं वृहद् श्रेणी के उद्योग लगे। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "क")

(2) उपरोक्त पूंजी निवेश में विदेशी पूंजी का प्रतिशत "शून्य" है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

जयपुर शहर में संचालित डेयरियों का स्थानान्तरण

90. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में चलाई जा रही डेयरियों को शहर से बाहर स्थानान्तरित करने की योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक क्रियान्वित कर दिया जावेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि नगर निगम, जयपुर द्वारा शहर में संचालित डेयरियों का सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो कब एवं इनकी संख्या कितनी है?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(3) क्या बापू नगर में संचालित डेयरियों का सर्वे भी करवाया गया है? यदि हां, तो सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि पूर्व में उक्त डेयरियों को दिसम्बर माह में ही जयपुर नगर निगम सीमा के बाहर ले जाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कब? उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की जा चुकी है तथा क्या-क्या करना बाकी है जो कब तक की जा सकेगी?

(5) अब उक्त डेयरियों को कब तक शहरी क्षेत्र से हटाया जा सकेगा?

उत्तर

(1) जी हां। योजना तैयार कर ली गई है शीघ्र लाटरी द्वारा आबंटन की कार्यवाही की जाकर योजना क्रियान्वित की जावेगी।

(2) जी हां। नगर निगम जयपुर द्वारा पशुपालकों से प्राप्त आवेदन पत्रों का भौतिक सत्यापन माह अगस्त, 2001 में किया गया है, जिसके अनुसार 1848 डेयरियां संचालित हैं।

(3) जी हां। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी हां। पूर्व में सृजित योजना से अतिरिक्त आवेदनों के प्राप्त होने के कारण योजना का विस्तार कर अनुमोदन एवं लाटरी द्वारा आबंटन किया जाना है। भावी कार्यवाही का निस्तारण यथाशीघ्र निकायों द्वारा करवाया जावेगा।

(5) प्रश्न संख्या 4 की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् इन डेयरियों को हटाये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

नगरपालिका कुचामन सिटी की नजूल सम्पत्तियां

91. **श्री हरीशचन्द कुमावत** (नावां): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका (डिस्पोजल आफ अरबन लैंड रूल 1974) नियम 12–13 में उक्त कमेटी द्वारा रिजर्व प्राइज निर्धारित किया जाता है? क्या उक्त रूल 12 के 3 में दर्शाया गया है कि उक्त कमेटी बोर्ड द्वारा भेजे गये प्रस्तावों को स्वीकृत करती है अथवा उसमें कोई रद्दोबदल करने के सुझाव मण्डल को देती है और उक्त पर उक्त मण्डल के उनके सुझावानुसार नजूल कमेटी के समक्ष उक्त प्रस्तावों को रिसबमिट करता है तत्पश्चात् नजूल कमेटी उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है।

(2) नगरपालिका कुचामन सिटी में मार्च, 2001 में हुई नजूल कमेटी के

(श्री हरीशचन्द कुमावत)

समक्ष रूल 12 के 3 में दर्शायानुसार क्या कोई प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) स्वायत्त शासन विभाग द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन व 99 वर्षीय लीज पर विक्रय से सम्बन्धित अधिसूचनाओं में यदि नजूल कमेटी द्वारा जहां पर रिजर्व प्राइज तय नहीं होती है वहां के कार्यों में किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती? क्या नियमों में ऐसी स्थिति में राशि वसूल करने के अन्य मानदण्ड भी निर्धारित किये हुये हैं?

(4) क्या यह सही है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में दिनांक 31.12.1991 तक निर्माण किये गये अनधिकृत कब्जों के नियमन हेतु सरकार द्वारा निर्देशित किया है? क्या उक्त में ऐसे कब्जेधारी से उक्त क्षेत्र की रिजर्व प्राइज की आधी दरें वसूल की जाती है? क्या दिनांक 21.8.1971 से पूर्व के अनाधिकृत कब्जों एवं निर्माणों के विनियमन हेतु पहले अलग से दरें निर्धारित थी? क्या उक्त आदेश जारी होने के बाद दरें समाप्त हो गयी और उक्त कारण सभी लोगों पर यह नई दरें लागू हो गयी है?

(5) क्या नगरपालिका कुचामन सिटी में मार्च, 2001 की कथित नजूल कमेटी ने बगैर नगरपालिका प्रस्ताव के यह रिजर्व प्राइज बहुत अधिक निश्चित कर दी जिससे आधी दर पर ऐसे लोगों के अनाधिकृत कब्जों व निर्माण का विनियमन होना मुश्किल हो गया है? क्या उक्त प्रस्ताव नगरपालिका हित में नहीं है? क्या उक्त कारण कथित नजूल कमेटी द्वारा निर्धारित दरों को मान्य करना उचित नहीं है? क्या सरकार नगरपालिका को निर्देशित कर नजूल कमेटी की पुनः बैठक बुलाकर मण्डल प्रस्तावानुसार नगरपालिका के हित में रिजर्व प्राइज करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यदि मण्डल को समिति कोई सुझाव देती है तो मण्डल द्वारा पुनः प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर समिति विचार करते हुये नियमानुसार समिति दरें निर्धारित करती हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। जहां आरक्षित दर निर्धारित नहीं हो वहां आरक्षित अविलम्ब निर्धारित किये जाने हेतु जिला कलक्टरों को पत्र दिनांक 20.12.2001 के द्वारा निर्देश दिये गये थे। फिर भी यदि कहीं आरक्षित दर निर्धारित नहीं हो पायी है, तो सम्बन्धित भूमि के पास की योजना की आरक्षित दर के अनुसार भूमि नियमन की कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(4) जी हां। प्रशासन शहरों के संग अभियान को दृष्टिगत रखते हुए जन हित में नगरपालिकाओं की आबादी भूमि पर दिनांक 31.12.1991 तक निर्मित हुए अनाधिकृत कब्जों के नियमित किये जाने हेतु परिपत्र क्रमांक 2001/1 दिनांक 01.01.2002 जारी किया गया है। जिसके तहत 150 वर्गगज तक की उस आबादी भूमि पर जिस पर निर्माण हो चुका है, के कब्जों को आरक्षित दर की आधी दर पर नियमित किया जा सकता है। जी हां। नयी दरें निर्धारित कर देने के कारण पूर्व की दरें स्वत: प्रभाव शून्य मानी जायेगी।

(5) जी नहीं। नयी निर्धारित दर नगरपालिका और जन हित के प्रतिकूल नहीं है। नजूल समिति की बैठक 15 मार्च, 2001 को आयोजित की गई। जिसमें दरें सर्वसम्मति से निर्धारित की गई हैं। विभागीय पत्रांक प.7(घ) भूमि/डीएलबी/02/7852-83 के द्वारा जिन निकायों में रिजर्व प्राइस युक्ति संगत व तर्क संगत नहीं हो, वहां रिजर्व प्राइस के पुनर्निर्धारण की कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किये थे। इसी सन्दर्भ में नगरपालिका ने अपनी बैठक दिनांक 14.03.2002 को प्रस्ताव संख्या 5 के द्वारा आरक्षित दरों के पुनर्निर्धारण हेतु जिला कलक्टर, नागौर से निवेदन किया है। नगरपालिका को निर्देशित किया गया है कि वे जिला कलक्टर, नागौर से सम्पर्क स्थापित कर शीघ्र निस्तारण की कार्यवाही करवायें।

अग्रसेन नगर जयपुर की सफाई व्यवस्था

92. श्री नाथूराम (किशनगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर नगर निगम में वर्तमान में कितने सफाइकर्मी नियुक्त हैं एवं किस–किस वार्ड की सफाई का कार्य किस–किस ठेकेदार को किस दर से दिया हुआ है? वार्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वार्ड संख्या 15 में वर्तमान में सफाई की क्या व्यवस्था है? उक्त में कौन–कौन सफाइकर्मी कब से किस–किस पद पर कार्यरत हैं? क्या उक्त वार्ड की सफाई के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों ने कभी निरीक्षण किया है? यदि हां, तो किस स्तर के किस–किस अधिकारी द्वारा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त वार्ड की कालोनी अग्रसेन नगर में वर्तमान में सफाई को कोई अधिकृत व्यवस्था नहीं है? क्या सम्बन्धित सफाइकर्मी केवल भूतपूर्व पार्षद् के मकान के आसपास सफाई कर लेते हैं? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सुचारू रूप से सफाई करने हेतु कोई व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री नाथूराम)

(4) क्या यह भी सही है कि अग्रसेन नगर में रात्रि के समय प्रकाश की भी कोई व्यवस्था नहीं है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर निगम, जयपुर में वर्तमान में 6521 सफाइ कर्मचारी नियुक्त हैं। सफाई का कार्य वर्तमान में किसी भी वार्ड में ठेके पर नहीं दिया हुआ है।

(2) वार्ड सं. 15 में सफाई व्यवस्था हेतु एक सफाई निरीक्षक, एक सुपरवाइजर, एक चौकीदार, एक च. श्रे. कर्मचारी तथा 16 फावड़े वाले एवं 13 महिलाएं झाडूवाली कार्यरत हैं। समय-समय पर सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य सफाई निरीक्षक एवं सफाई निरीक्षक द्वारा वार्ड का निरीक्षण किया जाता रहा है।

(3) जी नहीं। यद्यपि अग्रसेन नगर में वर्तमान में सफाई के लिये स्थाई रूप से सफाइकर्मी नियुक्त नहीं हैं, परन्तु आवश्यकतानुसार एवं प्रत्येक 15 दिवस में शनिवार को गैंग लगा कर सफाई करवाई जाती है।

जी नहीं। सम्पूर्ण अग्रसेन नगर में सफाई करवाई जाती है। सफाई कर्मचारियों के अभाव के कारण फिलहाल स्थाई रूप से व्यवस्था करवाया जाना निगम के लिये संम्भव नहीं है।

(4) यह सही नहीं है कि अग्रसेन नगर में रात्रि के समय प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं है। वर्तमान समय में वहां 15 सोडियम लाइटें तथा 34 ट्यूब लाइटें लगी हुई हैं एवं सभी चालू हैं।

जयपुर के विश्वकर्मा नगर प्रथम क्षेत्र के पार्क के कम्पाउण्ड वाल

93. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में विश्वकर्मा नगर प्रथम, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर के पार्क की चारों तरफ की कम्पाउण्ड वाल बनवाने के सम्बन्ध में संयुक्त विकास समिति, विश्वकर्मा नगर प्रथम एवं द्वितीय की तरफ से गत पांच वर्षों में कई पत्र दिये गये हैं? यदि हां, तो अब तक कम्पाउण्ड वाल क्यों नहीं बनवाई गई?

(2) क्या सरकार अब उक्त कम्पाउण्ड वाल बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त पार्क की एक साइड में कतिपय व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो उक्त अतिक्रमण कब तक हटवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विश्वकर्मा नगर-I एवं

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

II की अनुमोदित योजना में दर्शाये गये सुविधा क्षेत्र एवं आयुवानसिंह नगर में दर्शाई सुविधा क्षेत्र में ओवरलेपिंग होने से सम्बन्धित पार्क में कुछ मकान बन गये हैं, इससे पार्क में एक और कम्पाउण्ड वाल नहीं बनाई जा सकी।

(2) जी हां। अनुमोदित सुविधा क्षेत्र में कम्पाउण्ड वाल निर्माण हेतु भूमि पर निर्मित मकानों के बारे में भवन मानचित्र समिति द्वितीय की बैठक विचार एवं निर्णय हेतु रखा जा रहा है, निर्णयानुसार भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण कराया जा सकेगा। भवन मानचित्र समिति के द्वारा निर्णयानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी हां। उक्त सुविधा क्षेत्र की एक साइड में विश्वकर्मा नगर प्रथम के भू-खण्डधारियों ने अपने मकान बना लिये हैं क्योंकि आयुवानसिंह नगर व विश्वकर्मा नगर प्रथम की योजनाओं में ओवरलेपिंग है। उक्त प्रकरण का निस्तारण भवन मानचित्र समिति द्वितीय की बैठक में किया जा रहा है, उक्त समिति के निर्णय के पश्चात् ही अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।

निगमों में ड्राफ्टमेंस की नियुक्ति

94. श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न नगर निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में पदस्थापित ड्राफ्टमैन की नियुक्ति व पदोन्नति सम्बन्धी नियम बने हुये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या नगर निगम में 20 वर्ष से कार्यरत ड्राफ्टमैन को पदोन्नति नहीं दी जाकर उक्त पदों को निगम द्वारा प्रतिनियुक्ति से अन्य विभागों से लिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(3) क्या सरकार नगर निगम में स्वीकृत सीनियर ड्राफ्टमैन नगर नियोजक सहायक, सहायक नगर नियोजक एवं उप नगर नियोजक पदों पर निगम में एक अर्से से कार्यरत ड्राफ्टमैन को पदोन्नति दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नियुक्ति का प्रावधान तो नियमों में हैं किन्तु पदोन्नति के चैनल का प्रावधान नियमों में शुरू से ही नहीं है। नियमों के शैड्यूल की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। ड्राफ्टसमैन का पद एकल पद है, इनकी पदोन्नति का प्रावधान नियमों में नहीं है। प्रतिनियुक्ति पर कोई ड्राफ्टसमैन निगमों में नहीं लिया गया है।

(3) जी नहीं। नियमों के परिप्रेक्ष्य में इसका अलग से विश्लेषण किया जावेगा।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

नगरपालिका आसीन्द (भीलवाड़ा) में विकास कार्य

95. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला भीलवाड़ा की नगरपालिका आसीन्द को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1990 से फरवरी, 2002 तक कितनी राशि कब-कब किस मद में दी है?

(2) क्या सरकार ने कभी सामुदायिक भवन, पार्क, बस स्टैण्ड या अन्य विकास कार्य करवाये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगरपालिका आसीन्द (भीलवाड़ा) को वर्ष 1990 से फरवरी, 2002 तक दी गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) नगरपालिका द्वारा इस सम्बन्ध में करवाये गये अन्य कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

प्रश्न संख्या-96
(स्थगित)

टांक धर्मशाला घी वालों का रास्ता जयपुर से विवाह समारोह में वसूली की गई राशि

97. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि शादी-विवाह स्थलों पर नगर निगम 1000/- रुपये प्रति समारोह चार्ज करता है? यदि हां, तो किस-किस समारोह पर उक्त चार्ज किया जाता है? उक्त राशि वसूलने की क्या प्रक्रिया है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि धर्मशालाएं विशेषत: जो कि आवास व्यवस्था हेतु है, उक्त में ठहरने वाले परिवारों से भी निगम 1000/- रुपये की राशि चार्ज करता है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) घाटगेट चौकड़ी में वर्तमान में ऐसी कितनी धर्मशालाएं हैं जिनमें विवाह समारोह होते हैं और किन-किन से उक्त राशि वसूली जाती है? मय नाम एवं वसूली गई राशि का गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त में आवासीय प्रयोजन से ठहरने वालों से भी उक्त राशि वसूल की जाती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि वसूली गई? गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि जौहरी बाजार स्थित घी वालों के रास्ते में टांक धर्मशाला जो कि पूर्ण रूप से आवास हेतु है और वहां कभी शादी समारोह नहीं

(श्री हेमन्त कुमार)

होते हैं, फिर भी उक्त से एक हजार रुपये नगर निगम द्वारा प्रत्येक कार्य के चार्ज किये जाते हैं? यदि हां, तो उक्त धर्मशाला से किन नियमों के तहत उक्त से गत तीन वर्ष में कब-कब, कितनी-कितनी राशि वसूली गई? विवरण मय कारणों के सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जौहरी बाजार स्थित घी वालों के रास्तें में जो टांक धर्मशाला है वह प्रति वर्ष गृह कर की निर्धारित राशि जमा कराता है? यदि हां, तो फिर उक्त तरह आवासीय प्रयोजन हेतु आरक्षित करवाने पर 1000/- रुपये का शुल्क नगर निगम द्वारा पृथक से क्यों वसूला जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या शादी-विवाह हेतु एक ही परिवार द्वारा पृथक-पृथक दो स्थानों यथा विवाह स्थल एवं आवास हेतु आरक्षित करवाये जाते हैं? यदि हां, तो क्या दो स्थानों पर ही नगर-निगम 1000/- रुपये की राशि चार्ज करता है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त विषय में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(7) क्या धर्मशालाओं में ठहरने पर यात्रियों से लिये जाने वाला उक्त चार्ज नियमानुसार गलत है? यदि हां, तो उसे रोकने के लिये सरकार शीघ्र आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। शादी-विवाह स्थलों से नगर निगम द्वारा 1000/- रुपये प्रति समारोह सफाई शुल्क के रूप में वसूल किया जाता है। यह राशि मौके पर निगम कर्मी सम्पर्क करके वसूल करते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के आदेश क्रमांक 2631 दिनांक 7.11.2000 के अनुसार राशि वसूली जाती है। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। यदि धर्मशालाओं में ऐसे समारोह आयोजित नहीं किये जाते हैं तो उनसे केवल ठहरने की स्थिति में कोई वसूली नहीं की जाती।

(3) घाटगेट चौकड़ी में ऐसी तीन धर्मशालाएं क्रमशः 1. टांक धर्मशाला, 2. श्योजीराम धर्मशाला तथा 3. वनजी ठोलिया की धर्मशाला है, जिनमें समारोह आयोजित होने पर वसूली की गई है। वसूली की राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) जी सही नहीं है। टांक धर्मशाला में जब कभी भी समारोह हुये हैं, तो प्रति समारोह 1000/- रुपये सफाई शुल्क वसूल किये गये हैं। यदि वहां समारोह नहीं हुए हैं तो ऐसी परिस्थिति

(स्वायत्त शासन मंत्री)

में राशि वसूल नहीं की गई है। वसूल की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) निगम द्वारा टांक धर्मशाला से नियमानुसार गृह कर लिया जाता है। विवाह समारोह आयोजित होने पर राशि वसूल की जाती है। वसूली राशि का विवरण प्रश्न संख्या 4 के सन्दर्भ से सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(6) एक ही परिवार द्वारा यदि आवास व विवाह स्थल पृथक-पृथक स्थान पर आरक्षित करवाया जाता है तो सिर्फ विवाह स्थल पर हुए समारोह के ही सफाई शुल्क के रूप में 1000/- रुपये वसूल किये जाते हैं। आवास हेतु कोई राशि नहीं ली जाती है। तद्नुसार किसी स्पष्ट दिशा-निर्देश की आवश्यकता प्रतिपादित नहीं होती है।

(7) धर्मशालाओं में ठहरने पर यात्रियों से कोई सफाई शुल्क निगम द्वारा वसूल नहीं किया जाता है। तद्नुसार सरकार की ओर से किसी आदेश की अलग से आवश्यकता नहीं है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

ट्रांसपोर्ट नगर विस्तार जयपुर में आबंटित भू-खण्ड

98. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा काटी गई आवासीय योजनाओं की सूची मय साइड प्लान एवं सदस्यता सूची जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा की गई है?

(2) क्या भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर ने अजमेर रोड, जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर, विस्तार नामक कोई आवासीय योजना बनाई है? यदि हां, तो ट्रांसपोर्ट नगर विस्तार योजना का समिति द्वारा प्रस्तुत नक्शा एवं सदस्यता सूची मय भू-खण्ड संख्या के सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है। विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा अपनी-अपनी आवासीय योजनाओं का रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर में दिनांक 22.10.1999 तक नियमानुसार प्रस्तुत किया गया था, उसे जेडीए द्वारा प्राप्त कर जमा किया गया है।

(2) भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जयपुर रजिस्ट्रेशन नम्बर 3122/एल ने अजमेर रोड़ जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर विस्तार नाम योजना (आवासीय) समिति द्वारा नक्शा, सदस्यों की सूची मय भू-खण्ड संख्या जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत नहीं की है।

सामान्य पंजीकरण योजना 1979 के शेष आबंटी

99. **श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन बोर्ड में सामान्य पंजीकरण योजना 1979 में श्री त्रिलोक चन्द शर्मा पुत्र श्री राम चन्द्र शर्मा, वरिष्ठ लिपिक, शासन सचिवालय ने पंजीकरण राशि 3000/– जमा कराकर एम.आई.जी.ए. आय वर्ग में जयपुर शहर में पंजीकरण कराया है? क्या उक्त का सीरियल नम्बर 1980 फार्म नं. 1406 एवं फाइल नं. 5081 है? यदि हां, तो अब तक आवास आबंटन नहीं करने के क्या कारण है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंजीकरण के बाद प्रार्थी ने अनेक बार आवासन मण्डल में व्यक्तिगत एवं लिखित में आवास आबंटन हेतु निवेदन किया है परन्तु फिर भी अभी तक उन्हें आवास आबंटित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त प्रकरण में आवासन मण्डल प्रार्थी को मकान आबंटित करने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या वर्तमान में भी आवासन बोर्ड द्वारा आवास आबंटन में कोई अवरोध पैदा हुआ है? यदि हां, तो क्यों और इसका कब तक निराकरण होने की सम्भावना है?

उत्तर

(1) जी हां। श्री त्रिलोक चन्द शर्मा के पंजीकरण वरीयता क्रमांक 2535 निर्धारित कर नियमानुसार पूर्वग्रहण राशि जमा करवाने हेतु उनके द्वारा प्रस्तुत पते पर आरक्षण पत्र क्रमांक 90 दिनांक 30.10.1993 व 485 दिनांक 22.1.1997 को जारी किया गया था। आवेदक द्वारा उक्त पत्र की पालना में राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण उन्हें आवास का आबंटन नहीं किया जा सका। तदुपरान्त वांछित राशि जमा न करवाने कारण बोर्ड के सामान्य निर्णय के परिप्रेक्ष्य में क्रमांक 71, दिनांक 19.4.2000 के तहत पंजीकरण नियमानुसार निरस्त करने व जमा राशि वापस लेने हेतु सूचित कर दिया गया था।

(2) जी नहीं। आवेदक द्वारा आवास आबंटन हेतु न तो व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया गया और उपलब्ध रिकार्डनुसार न ही कोई पत्राचार किया गया।

(3) जी नहीं। क्योंकि आवेदक द्वारा निर्धारित समयावधि में पूर्वाग्रहण राशि जमा नहीं कराने के कारण नियमानुसार पंजीकरण निरस्त किया जा चुका है।

(4) चूंकि उक्त आवेदक द्वारा निर्धारित समय में पूर्वग्रहण राशि जमा न करवाने के परिणामस्वरूप इनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, अतः निरस्त पंजीकरण पर मकान का आबंटन सम्भव नहीं है।

प्रश्न संख्या–100

(स्थगित)

डिग्गी बाजार अजमेर के पंजीकृत आवास

101. **श्री नाथूराम अहारी** (डूंगरपुर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अजमेर शहर के मोहल्ला उतार घसेटी, डिग्गी बाजार में वर्तमान में कुल कितने मकान हैं? मकान नम्बर, मालिक के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मोहल्ले के मकान संख्या 19/100 से 19/120 तक के मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है? उक्त मकानों की रजिस्ट्री की छाया प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर शहर मोहल्ला उत्तार घसेटी डिग्गी में कुल 489 मकान हैं। मकान नम्बर, मालिक के नाम सहित विवरण संलग्न है।

(2) नगर परिषद् अजमेर में मकान संख्या 19/100, 103, 105, 107, 108, 109, 111 एवं 116 की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं। जिनकी छाया प्रतियां संलग्न हैं। शेष की रजिस्ट्रियां नहीं हुई है।

(विवरण व प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

जगतपुरा (जयपुर) क्षेत्र की कालोनियों का नियमन

102. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने हवाई अड्डा क्षेत्र से फ्रोजन जोन को समाप्त कर दिया है? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) फ्रोजन जोन से अब कितनी आवासी कालोनियों का नियमन किया जायेगा? कालोनी का नाम मय सोसायटी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) हवाई अड्डा की सीमा से जवाहर सर्कल तक कितनी भूमि को रिहायशी इलाका घोषित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आवासीय कालोनी का कब कैम्प लगाकर विकास शुल्क लिया जावेगा? क्या विकास शुल्क वसूलने के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? मानदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जगतपुरा की जयलक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति की शिवराम कालोनी को भी नियमित करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक तथा विकास शुल्क कितना निर्धारित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामस्वरूप)

(6) क्या शिवराम कालोनी सरकार द्वारा घोषित नियमितीकरण के आधार पर योग्य है? यदि हां, तो इसमें कब तक कैम्प लगाया जावेगा तथा कितना शुल्क वसूला जावेगा और सरकार विकास शुल्क के बदले क्या-क्या सुविधाएं देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हवाई अड्डा क्षेत्र से फ्रोजन जोन को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 10(44) नवि दिनांक 8.12.2000, 14.12.2000 एवं 17.1.2001 द्वारा समाप्त कर दिया है आदेश की प्रति परिशिष्ट अ, ब, स पर संलग्न है।

(2) इस जोन में फ्रोजन जोन को समाप्त करने के बाद इस जोन में सहकारी समितियों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के रिकार्ड के आधार पर 19 कालोनियों के नियमन की कार्यवाही की जावेगी। कालोनियों के नाम मय सहकारी समितियों के नाम की सूची परिशिष्ट "द" संलग्न है।

(3) हवाई अड्डे की सीमा से जवाहर सर्कल तक लगभग 283 हैक्टेयर रिहायशी भूमि घोषित की गई है।

(4) उक्त आवासीय कालोनियों (परिशिष्ट "द" में वर्णित) में से अशोक वाटिका महेश नगर, बृज विहार (विस्तार), बंशीपुरी, राधाकृष्णा कालोनी, राधिकापुरम शिवराम कालोनी, विद्या नगर ए व बी, जगदीशपुरी गणेश कालोनी, पूनम विहार व अवध विहार के नियमन का शिविर (कैम्प) लगाया जा चुका है। नियमन शुल्क वसूलने का मापदण्ड यह है कि राज्य सरकार के द्वारा जोन सी-2 के लिये 200 वर्गगज तक के भू-खण्डों के लिये 55/- रुपये एवं 200 वर्ग गज से अधिक के भू-खण्डों के लिये 65/- रुपये प्र०व० ग० की दर से नियमन शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी अनुसार नियमन शुल्क वसूल किया जा रहा है। जिन आवासीय योजनाओं में राजकीय भूमि सम्मिलित हैं। उनमें राजकीय भूमि की कीमत उस क्षेत्र के लिये आरक्षित दर की 25 प्रतिशत की दर से ली जाकर समान रूप से समस्त आवासीय क्षेत्र पर बराबर बांटकर नियमन दर निर्धारित की जाती हैं।

(5) हां। यह सही है कि लक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिवराम कालोनी का नियमन शिविर दिनांक 8.3.2002 को सामुदायिक भवन "आनन्द विहार" जगतपुरा में आयोजित किया जा चुका है। इस कालोनी की नियमन दर 200 व०ग० तक के भू-खण्ड के लिये 55/- रुपये तथा 200 व०ग० से अधिक के भू-खण्ड के लिये 65/- रुपये प्रति वर्ग गज की दर से निर्धारित की गई है।

(6) हां। शिवराम कालोनी राज्य सरकार द्वारा घोषित नियमितीकरण के

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

आधार पर नियमन योग्य हैं? इसका कैम्प दिनांक 8.3.2000 को लगाया जा चुका है। नियमन शुल्क 200 व०ग० तक के भू-खण्डों के लिये 55/- रुपये तथा 200 व०ग० से अधिक के भू-खण्डों के लिये 65/- रुपये प्रति वर्ग गज निर्धारित कर वसूल किया गया है। विकास शुल्क जमा होने के पश्चात् सड़क नालियों एवं पार्कों का विकास का कार्य किया जाता है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

कृषि भूमि पर बसी आवासीय कालोनियों का नियमन

103. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार ने कृषि भूमि पर बसी आवासीय कालोनियों में सुविधा क्षेत्र एवं सड़क सीमा में 13 नवम्बर, 2001 से पूर्व बन चुके मकानों के पट्टे जारी करने के निर्देश अभी हाल में जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास एवं स्थानीय निकायों को जारी किये हैं? यदि हां, तो उक्त निर्देश/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पूर्व में भी कृषि भूमि पर बसी हुई आवासीय कालोनियों में सुविधा क्षेत्र में बने मकानों को नियमित किये जाने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण तथा राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देश/परिपत्र जारी हुए हैं? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक पं. 5(2) नविवि/3/99 दिनांक 16.2.02 द्वारा कृषि भूमि पर निर्माण मास्टर प्लान या सैक्टर प्लान की सड़क सीमा में बन गये हैं उसकी चौड़ाई यथा सम्भव रखते हुये बिल्डिंग लाइन का पुनः निर्धारित कर नियमन के आदेश दिये हैं। (प्रति संलग्न है)

(2) राज्य सरकार द्वारा कोई परिपत्र/निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

शहरी क्षेत्रों में निजी संस्थाओं द्वारा सड़कों की कटिंग

104. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में किस-किस शहर की सड़कों का रखरखाव स्थानीय नगर विकास न्यास द्वारा किया जाता है? किस न्यास द्वारा शहर में कितने किलोमीटर सड़क का रखरखाव किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभिन्न विभाग/निजी कम्पनी द्वारा रोड कटिंग की

(डा. किरोड़ी लाल)

अनुमति ली गई? यदि हां, तो 2001-2002 में किस-किस न्यास से किस-किस ने अनुमति ली व कितनी राशि जमा कराई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अन्य शहरों के साथ-साथ नगर विकास न्यास की सड़कों की कटिंग के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुमति दे दी गई? यदि हां, तो क्यों व किस दर पर?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास द्वारा सड़कों के रखरखाव का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जिन नगर सुधार न्यासों के रोड कटिंग की अनुमति ली गई है व राशि जमा कराई गई है का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। उक्त स्वीकृति सम्बन्धित नगर विकास न्यास के आकलन कराने के पश्चात् ही दी गई। राज्य सरकार के आदेश, एकल खिड़की प्रणाली के अन्तर्गत बैठक में अनुमोदन के पश्चात् ही स्वीकृति दी गई। तखमीने का आकलन सम्बन्धित विभाग/न्यास उनकी स्वयं की दरों पर करता है। एकल खिड़की प्रणाली के आदेश की प्रति परिशिष्ट ''स'' है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

जयपुर शहर में सूर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी के अपूर्ण ठेके

105. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) 1 जनवरी, 1999 से जनवरी, 2002 तक जयपुर विकास प्राधिकरण ने सूर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में कौन-कौनसी सड़कों के निर्माण की निविदा जारी की थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़कों का निर्माण निर्धारित अवधि में हो चुका है? यदि नहीं, तो कौन-कौनसी सड़कों का निर्माण निर्धारित अवधि में नहीं हो सका? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर शास्ति आरोपित की जाती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि कौन-कौनसी सड़कों के निर्माण पर आरोपित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या आरोपित शास्ति की वसूली हो चुकी है? यदि नहीं, तो कब तक शास्ति की वसूली कर ली जावेगी?

उत्तर

(1) जनवरी, 1999 से जनवरी, 2002 तक निविदाएं जारी कर मैसर्स सूर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी को उनकी अनुमोदित

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

दरों पर जविप्रा द्वारा निम्न कार्य आबंटित किये गये।

(अ) जोन बी–2 में सड़कों के नवीनीकरण का कार्य

(ब) सैक्टर 26 की मुख्य सड़क का पेवर द्वारा कार्य

(स) वैशाली मार्ग से सिरसी रोड को जोड़ने वाली 40 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य

(द) लोहा मण्डी योजना में अप्रोच सड़क व आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य

(य) सैक्टर 19 में 200 फुट चौड़ी सड़क के सुदृढ़ीकरण व नाली निर्माण कार्य

(र) जोन बी–3 क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण का कार्य

(ल) सांगानेर चौराहे पर सड़क व नाली निर्माण कार्य

(व) गोपालपुरा चौराहे पर सड़क व नाली निर्माण कार्य।

(2) जी हां। निम्न सड़कों का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हो चुका है।

(अ) वैशाली मार्ग से सिरसी रोड को जोड़ने वाली 40 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण कार्य।

(ब) जोन बी–3 क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण का कार्य।

जी नहीं। निम्न सड़कों का निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो सका।

(अ) जोन बी–2 क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण का कार्य।

(ब) सैक्टर 26 की मुख्य सड़क का पेवर द्वारा कार्य।

(स) लोहा मण्डी योजना में अप्रोच सड़क व आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य। (कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 2.8.2001)

(द) सैक्टर 19 में 200 फुट चौड़ी सड़क के सुदृढ़ीकरण व नाली निर्माण कार्य। (कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 7.3.2002)

(ल) सांगानेर चौराहे पर सड़क व नाली निर्माण कार्य। (कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 31.3.2001)

(व) गोपालपुरा चौराहे पर सड़क व नाली निर्माण कार्य। (कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 31.3.2001)

(3) जी हां। यदि विलम्ब संवेदक की कमी के कारण हुआ हो तो शास्ति आरोपित करने का प्रावधान है। कार्य पूर्ण होने पर अंतिम भुगतान से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा समीक्षा कर शास्ति आरोपित की जावेगी।

(4) जी नहीं। शास्ति आरोपित होने की स्थिति में कार्य के अंतिम भुगतान से पूर्व वसूली कर ली जावेगी।

खनन क्षेत्रों में आवासीय बस्ती से दूरी

106. **श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द):** क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

खनन कार्य हेतु वर्तमान में राज्य में आबादी क्षेत्र व स्कूल से कितनी दूरी पर खान आबंटित करने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

खनन कार्य हेतु वर्तमान में राज्य में आबादी क्षेत्र व स्कूल से कितनी दूरी से खान आबंटित की जाय, इस बारे में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1957, खनिज रियायत नियम 1960 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है, परन्तु खनन पट्टा आबंटित होने के पश्चात् पट्टाधारी को रेलवे लाइन रिजर्वायर, नहर या पब्लिक वर्क्स एवं भवन आदि से खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 27(1)(एच) के तहत 50 मीटर की परिधि एवं अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18(26) के तहत 45 मीटर की परिधि में खनन कार्य प्रतिबन्धित है।

जिला अजमेर में रायल्टी की चोरी

107. **श्री सांवरलाल (भिनाय):** क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जिला अजमेर में किसी प्रकार के खनिज पाये जाते हैं? यदि हां, तो किस-किस क्षेत्र में कौन-कौन से खनिज पाये जाते हैं?

(2) क्या उक्त खनिज दोहन हेतु राज्य सरकार ने लीज दे रखी है? यदि हां, तो किस-किस को?

(3) क्या उक्त लीज होल्डर रायल्टी की चोरी करते हैं? यदि नहीं तो रायल्टी का सही भुगतान हो इसके लिये सरकार की क्या व्यवस्था है?

(4) क्या उक्त जिले में अवैध खनन भी होता है?

उत्तर

(1) जी हां। क्षेत्रवार पाये जाने वाले खनिजों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। अजमेर जिले में खनिज दोहन हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई लीजों की सूची परिशिष्ट "ब-1" पर प्रधान खनिजों (क्रमांक 1 से 204 तक) व परिशिष्ट "ब-2" पर अप्रधान खनिजों (क्रमांक 1 से 199 तक) संलग्न हैं।

(3) जी नहीं। लीज होल्डर द्वारा रायल्टी की चोरी नहीं की जा सके इस बाबत खनिज रियायत नियम, 1960 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 में समुचित प्रावधान उपलब्ध करवाये गये हैं। इसके अलावा पट्टाधारियों का वार्षिक अधिशुल्क निर्धारण

(राज्य मंत्री, खनिज)

भी किया जाता है। अप्रधान खनिज की रायल्टी वसूली बाबत ठेके दिये गये हैं इसके साथ ही विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र में चैकिंग की जाती है जिससे सही भुगतान सुनिश्चित किया जाता है एवं चोरी को रोका जाता है।

(4) जी हां। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कहीं-कहीं पर अवैध खनन एवं निर्गमन किया जाता है जिसे चैकिंग एवं निरीक्षण के समय पता चलने पर बन्द करवाया जाता है एवं अनधिकृत खनन एवं निर्गमन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला पाली के आदतन अपराधी

108. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि आतंकवादी सरगना चन्द्रशेखर मेवाड़ा, निवासी-घाणेराव (पाली) के विरुद्ध हत्या सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं? उक्त सम्बन्धी प्रकरणों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अभियुक्त स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से अपराध कर भागने में सफल रहने हेतु दो जीपें बिना नम्बर प्लेट की रखता है? खरीद तारीख सहित जीपों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ऐसे सरगना के विरुद्ध हिस्ट्री सीट खोलने एवं गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही काफी समय से लम्बित है?

(4) क्या सरकार उक्त आतंकवादी के विरुद्ध हिस्ट्री सीट खोलने एवं गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) चन्द्र शेखर मेवाड़ा पुत्र श्री छगनलाल कलाल निवासी घाणेराव जिला पाली के विरुद्ध अब तक कुल 6 अभियोग पंजीबद्ध हुये हैं। जिनका विवरण निम्नप्रकार है:–

1. मु. नं. 53/96 धारा 341, 323 भादस थाना देसूरी पर दिनांक 22.6.1996 को दर्ज किया जाकर दिनांक 12.7.1996 को चालान किया गया।
2. मु. नं. 96/97 धारा 19/54 एक्साइज एक्ट में थाना देसूरी पर दिनांक 13.11.1997 को दर्ज किया जाकर चालान किया जा चुका है।
3. मु. नं. 11/98 धारा 379 गदस दिनांक 6.9.1998 को दर्ज किया गया। बाद अन्वेषण दिनांक 31.3.1998 को एफ.आर. अदमपता माल मुल० में दी गई।

(गृह मंत्री)

4. मु. नं. 26/98 धारा 302 भादस दिनांक 24.10.1998 की थाना फालना जिला-पाली पर दर्ज किया गया। अन्वेषण से चन्द्रशेखर को अभियुक्त नहीं पाया गया। अभियोग में अन्वेषण पश्चात् एफ.आर. अदमवूक तथ्य की भूल में दिनांक 16.3.2001 को दी जा चुकी है।
5. मु. नं. 35/99 धारा 353, 332, 34 भादस थाना देसूरी में दर्ज किया गया। वाद अन्वेषण चालान किया जा चुका है।
6. मु. नं. 116/2000 धारा 341, 323, 120 बी० भादस व 3(1)(5) एसी/एसटी एक्ट थाना देसूरी में दर्ज किया गया था जिसमें अन्वेषण पर चन्द्रशेखर मेवाड़ा को अभियुक्त नहीं पाया गया। एक आरोपी शेखराम का चालान किया गया है।

(2) यह सही नहीं है कि अभियुक्त चन्द्रशेखर मेवाड़ा की स्थानीय पुलिस से मिलीभगत है। चन्द्रशेखर मेवाड़ा के नाम से एक जीप महिन्द्रा रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 22 टी. 790 दिनांक 7.2.2002 से पंजीकृत है।

(3) चन्द्रशेखर मेवाड़ा की हिस्ट्री सीट खोलने एवं गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही ना तो विचाराधीन है और ना ही लम्बित है।

(4) चन्द्रशेखर मेवाड़ा के विरुद्ध हिस्ट्री सीट खोलने एवं गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही करने का विचार वर्तमान में नहीं है, क्योंकि वह अभी इस परिधि में नहीं आता है।

पुलिस थाना हनुमानगढ़ में दर्ज प्रकरण संख्या 493/2001

109. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कु. भागवन्ती उर्फ नीतू के साथ किये गये बलात्कार की रिपोर्ट उसके भाई ने दिनांक 18.10.2001 को पुलिस थाना हनुमानगढ़ में दर्ज कराई थी? यदि हां, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 493/2001 पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन के तहत नाबालिग दलित किशोरी का मेडिकल कराया था? यदि हां, तो मेडिकल रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मुकदमे में पीड़ित बालिका को न्याय प्रदान करते हुये दोषी नामजद मुल्जिमान के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों? उक्त सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) घटना की रिपोर्ट दिनांक 18.10.2001 को कु० भागवन्ती उर्फ नीतू ने स्वयं पुलिस अधीक्षक, जिला हनुमानगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे थानाधिकारी हनुमानगढ़ टाउन को निर्देशित करने पर कु० भागवन्ती उर्फ नीतू ने स्वयं थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर प्रथम सूचना संख्या 493/2001 धारा, 363, 376, 342, 323, 120 बी भा.द.सं. तथा धारा 3 एस.सी./एस.टी. एक्ट दिनांक 18.10.2001 थाना हनुमानगढ़ में दर्ज की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। मेडिकल रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) अन्वेषण के आधार पर अभियुक्त 1. रोहिताश, 2. कृष्ण गोदारा, 3. सुभाष चन्द, 4. विजय कुमार, 5. कृष्ण लाल सिहाग, 6. सहदेव, 7. श्रीमती बिमला, 8. दिनेश शर्मा, 9. मोहन लाल, 10. राजेश, 11. सुरेश कुमार, 12. विजय लाल, 13. संजय कुमार, 14. राजकुमार, 15. हरफूल को धारा 363, 342, 376, 323, 120 बी भा.दं.सं. तथा धारा 3 एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराधी पाये जाने पर, गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल कराया गया। उपरोक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध चार्जशीट नं. 1 दिनांक 14.1.2002 किताकर दिनांक 15.1.2002 को चालान न्यायालय में पेश किया गया। शेष मुल्जिमान के विरुद्ध 173(8) सी.आर.पी.सी. के तहत अन्वेषण जारी है। मुल्जिमान की तलाश के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पाक विस्थापितों को नागरिकता

110. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले में वर्ष 1965 के भारत-पाक संघर्ष के दौरान आये 233 व वर्ष 1971 के दौरान आये 39 पाक विस्थापितों को नागरिकता नहीं मिली है? क्या उक्त विस्थापितों ने आवेदन व समस्त प्रक्रिया पूरी कर ली है? यदि हां, तो नागरिकता देने में क्यों विलम्ब हो रहा है?

(2) अब उक्त लोगों को कब तक नागरिकता मिल जायेगी।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है। राज्य के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में भारत-पाक संघर्ष वर्ष 1965-71 में जो 272 पाक विस्थापित भारत आये उनमें से 39 विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है, शेष विस्थापितों से जिन्होंने अभी आवेदन ही प्रस्तुत नहीं किये हैं उनसे आवेदन प्राप्त किये जाकर जिला कलक्टर, बाड़मेर के स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। वांछित आवेदन

(गृह मंत्री)

आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होकर राज्य सरकार को प्राप्त होने पर उन्हें गृह मंत्रालय, भारत सरकार को विचारार्थ प्रेषित किया जा सकेगा। नागरिकता प्रदान करने की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जाती है।

(2) उपरोक्तानुसार शेष 233 पाक विस्थापितों के आवेदन पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं। अत: समयावधि बताना सम्भव नहीं है। प्रक्रिया के अनुसार पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता हेतु अपना आवेदन जिला कलक्टर को प्रस्तुत करना होता है, जिला कलक्टर द्वारा आवश्यक सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाते हैं, जिनको जांच कर राज्य सरकार द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन भारत सरकार को भेजे जाते हैं। तत्पश्चात् प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

पुलिस अधीक्षक जयपुर द्वारा अधिगृहीत निजी बसों को भुगतान

111. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कार्यालय परिवहन शाखा, पुलिस लाइन जयपुर शहर, जयपुर द्वारा दिनांक 28.2.2002 को राजस्थान बन्द के दौरान किन–किन मिनी बसों को अधिगृहीत किया गया एवं उक्त को कब कार्य मुक्त किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजस्थान बन्द के दौरान अधिगृहीत की गई मिनी बसों को उचित राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त भुगतान किस विभाग द्वारा किया जायेगा?

उत्तर

(1) दिनांक 28.2.2002 को राजस्थान बन्द के लिये 37 मिनी बसों, 19 जीपें अधिगृहीत किये गये थे उक्त सभी वाहनों को दिनांक 1.3.2002 को 9.30 बजे रात्रि पर कार्य मुक्त कर दिया गया। वाहन वार सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। शीघ्र भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(3) भुगतान पुलिस विभाग द्वारा किया जायेगा।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

मुख्य आरक्षी थाना महेश नगर (जयपुर) द्वारा अनियमितताएं

112. श्री अमीन खान (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विभाग में कार्यरत आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को भी अन्य कर्मचारियों की तरह प्रत्येक वर्ष में अपनी सम्पत्ति की घोषणा करनी आवश्यक है?

(श्री अमीन खान)

(2) क्या यह भी सही है कि श्री मंगलाराम ओला, मुख्य आरक्षी के पद पर पुलिस थाना महेश नगर, जयपुर में कार्यरत है? क्या श्री ओला ने वर्ष 2001 में अपनी सम्पत्ति की घोषणा की है? यदि हां, तो सम्पत्ति घोषणा प्रपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या श्री ओला की सम्पत्ति आय से अधिक है? क्या सरकार इसकी जांच भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक जांच करवा ली जायेगी और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त कर्मचारी ने अपनी सम्पत्ति की घोषणा नहीं की है? क्या उसके विरुद्ध सरकार के समक्ष कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार अपने स्तर पर भी सम्पत्ति की जांच करवाती है? यदि हां, तो श्री ओला की सम्पत्ति की जांच कब तक करवा ली जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। श्री मंगलाराम ओला, मुख्य आरक्षी, थाना महेश नगर, जयपुर शहर (दक्षिण) में दिनांक 6.8.2000 से पदस्थापित है। वर्ष 2001 में मुख्य आरक्षी श्री ओला ने अपनी सम्पत्ति की घोषणा की है। घोषणा पत्र की छाया प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) श्री मंगलाराम ओला की सम्पत्ति आय से अधिक नहीं है, अत: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जांच कराने का विचार नहीं है।

(4) उक्त कर्मचारी ने अपनी सम्पत्ति की घोषणा की है।

(5) श्री ओला की सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अत: जांच करवाने का प्रश्न ही नहीं है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

रणथम्भौर बाघ परियोजना के वन अधिकारियों का स्थानान्तरण

113. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के एक ही स्थान पर ठहराव की अधिकतम सीमा बाबत कोई प्रावधान है? यदि हां, तो कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रणथम्भौर बाघ परियोजना के निदेशक के विरुद्ध किसी कम्पनी को आवश्यक शर्तें पूरी किये बिना बाघ परियोजना की शूटिंग की इजाजत देने सहित अनियमितताओं की जांच विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? उक्त अधिकारी

(मोहम्मद माहिर आजाद)

को इसके बावजूद इतने लम्बे समय से एक ही स्थान पर क्यों पदस्थापित कर रखा है?

(3) क्या सवाईमाधोपुर से भारतीय वन सेवा के अधिकारियों श्री दायमा व श्री त्यागी को हाल में वहां से अन्यत्र स्थानान्तरण किया गया है? यदि हां, तो किस शिकायत पर और किस कारण? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) श्री रेडी के विरुद्ध ई.डी.सी. योजना में अनियमितता करने तथा एनीकट आदि के निर्माण में गड़बड़ी आदि की शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सवाई माधोपुर के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। श्री जी.वी. रेड्डी उप वन संरक्षक (कोर) बाघ परियोजना सवाई माधोपुर जिनके पास वर्तमान में क्षेत्र निदेशक का कार्यभार है, के विरुद्ध बी.बी.सी. लन्दन की शूटिंग पार्टी को नियम कानूनी को ताक में रखकर शूटिंग की इजाजत देने तथा शूटिंग पार्टी से सांठगांठ कर राज कोष को नुकसान पहुंचाने के आशय की शिकायत प्राप्त हुयी थी, जिसकी जांच विचाराधीन है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण किये गये हैं।

(4) प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'क' अनुसार सदन की मेज पर रख दिया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

हनुमानगढ़ वन क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई

114. श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) डी.एफ.ओ. स्टेट ट्रेडिंग सूरतगढ़ व उसके अधीन चार रेंज अधिकारी/कर्मचारियों की कुल कितनी शिकायतें राज्य सरकार या प्रधान प्रमुख वन संरक्षक को प्राप्त हुई हैं? उक्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या रावतसर एवं नोहर रेंज के रेंज अधिकारियों के विरुद्ध उनके क्षेत्रों में अवैध पेड़ों के कटान की शिकायतें विभाग को मिलती रही हैं? यदि हां, तो विभाग ने क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सी.एफ. श्री सिद्धनाथ सिंह उक्त शिकायतों से परेशानी महसूस करते रहे हैं? यदि नहीं, तो क्या राजस्थान फीडर की आर.डी. 618-619 के बीच राइट साइड में बनी

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

फलकशेर व अन्य लोगों की ढाणियों में उनके आगे हजारों क्विंटल इमारती शीशम की लकड़ी का अम्बार लगा हुआ था? क्या यह भी सही है कि उक्त ढेरों में कुछ लकड़ियों पर वन विभाग के बोगी नम्बर अंकित थे? उक्त पर नम्बर अंकित थे यह कितने क्विंटल लकड़ी थी?

(4) क्या यह भी सही है कि दिनांक 19.9.2001 को श्री सिद्धनाथ सिंह मय डी.एफ.ओ. श्री कल्याण सागर रेंजर रावतसर रेंजर सूरतगढ़ व रेंजर नोहर के हमराह किसी की शिकायत पर राजस्थान फीडर आर.डी. 618-619 के बीच लकड़ी के अवैध कटान से लगाये ढेरों का मौका निरीक्षण किया? यदि हां, तो कितनी लकड़ी मौके पर पकड़ी?

(5) क्या उक्त लकड़ी की चोरी का मुकदमा श्री सिद्धनाथ सिंह या उनके साथ गये अधिकारियों ने दर्ज करवाया? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या श्री सिद्धनाथ सिंह ने उक्त चोरी गई लकड़ी की विभागीय जांच करवाई? यदि हां, तो जांच में कोई विभाग का अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया गया? क्या जांच नहीं की है? यदि हां, तो क्यों?

(7) क्या श्री सिद्धनाथ सिंह स्वयं उक्त काण्ड को दबाने में लगे हैं? यदि नहीं, तो राजकोष की हो रही छीजत को रोकने की क्या व्यवस्था थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डी.एफ.ओ. स्टेट ट्रेडिंग सूरतगढ़ व उसके अधीन चार रेंज अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुई है। उक्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का शिकायतवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। रावतसर एवं नोहर रेंज के अधिकारियों के विरुद्ध उनके क्षेत्रों में अवैध कटान की शिकायतों पर की गई कार्यवाही का शिकायतवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। फलकशेर व अन्य लोगों की ढाणियों में उनके आगे शीशम, बबूल, सफेदा आदि की लकड़ी पड़ी हुई थी। पुलिस जब्ती के अनुसार मात्र 68.10 क्विंटल लकड़ी पाई गई। उन ढेरों में चार लकड़ी के टुकड़ों पर नम्बर अंकित थे। जिसमें से मात्र एक लकड़ी का टुकड़ा वृक्ष संख्या 9445 विभागीय कार्य मण्डल सूरतगढ़ के अधीन कटाई क्षेत्र का था।

(4) जी हां। दिनांक 19.9.2001 को स्थानीय विधायक महोदय की शिकायत पर उनके साथ मौका निरीक्षण कर मौका पर्चा बनाया गया। विधायक महोदय स्वयं द्वारा इन लकड़ियों के सम्बन्ध में एक एफ.आई.आर. पुलिस थाना टिब्बी में दर्ज कराई थी। थानाधिकारी टिब्बी द्वारा

(राज्य मंत्री, वन)

विभागीय अधिकारियों के साथ लकड़ी जप्ती का अनुरोध करने पर दिनांक 20.9.2001 को जप्ती की कार्यवाही में पुलिस द्वारा कुल 68.10 क्विंटल लकड़ी जप्त की गई।

(5) मौके का निरीक्षण करते समय विभागीय कार्य मण्डल सूरतगढ़ की लकड़ियों को पहचान करने में समय लगने के कारण, विधायक महोदय द्वारा इससे पूर्व ही एफ.आई.आर. पुलिस थाने टिब्बी में दर्ज करवाया गया। विभागीय अधिकारियों द्वारा थानाधिकारी टिब्बी से उसी दिन सम्पर्क कर दिनांक 20.9.2001 को पुलिस द्वारा मौके पर 68.10 क्विंटल लकड़ी जप्त की गई।

(6) उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल सूरतगढ़ को दिनांक 22.9.2001 को प्रकरण की जांच हेतु निर्देश दे दिये गये थे। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(7) जी नहीं। कार्य स्थलों पर बैक पोस्ट स्थापित कर विदोहित लकड़ी के आवागमन के समय जांच कराने की व्यवस्था कराई गई है। समय-समय पर वन विभाग के उड़न दस्ते से भी चैकिंग कराई जाने की व्यवस्था की गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के स्वीकृत अपूर्ण निर्माण कार्य

115. श्री भाणजी (दानपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में कितने पक्के कार्य स्वीकृत हुये हैं और उक्त में से कितने कार्य पूर्ण हुये, कितने अपूर्ण हैं? क्या सरकार अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कितने कार्य प्लांटेशन के स्वीकृत हुये हैं? उक्त में से कितने कार्य पूर्ण हुये हैं कितने कार्य अपूर्ण हैं और अपूर्ण कार्य कब तक पूरा कराने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में वर्ष 2001-02 में कुल 18 पक्के कार्य स्वीकृत हुये हैं। सभी 18 पक्के कार्य पूर्ण हो गये हैं। इन पक्के कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में वर्ष 2001-2002 में वृक्षारोपण के 7 कार्य स्वीकृत हुए हैं। वृक्षारोपण के सभी 7 कार्य पूर्ण हो गये हैं। इन वृक्षारोपण स्थलों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

कोलवा गूजर (डग) की स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट

116. **श्री मदन लाल वर्मा** (डग): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या केन्द्र सरकार की सहायता से राज्य में आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर. योजनाएं बनास, चम्बल, माही एवं दांतीवाड़ा विभाग के माध्यम से संचालित हैं।

(2) क्या उक्त योजनाओं के संचालन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा गाइड लाइन जारी है? क्या उक्त के तहत कार्य सम्पादन किया जाना अनिवार्य है?

(3) गत दो वर्षों में केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अतिरिक्त विभाग द्वारा ऐसे कितने आदेश जारी किये हैं जो योजना की गाइड लाइन से मेल नहीं खाते एवं जिससे योजनाओं के संचालन एवं डब्ल्यू. पी.आर. को केन्द्र सरकार से स्वीकृत करवाने में जटिलताएं बढ़ गई हैं?

(4) क्या उक्त कारणों से विधान सभा क्षेत्र डग के चम्बल ग्रहण क्षेत्र के कोलवा गूजर की रिपोर्ट केन्द्र सरकार से स्वीकृति में विलम्ब हुआ तथा लोटाफेरी में वर्ष 2001-2002 का प्लान आधे से भी कम किया गया?

(5) क्या यह सही है कि उक्त कारणों से कोलवा गूजर की प्रोजेक्ट रिपोर्ट केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाने पर भी अब तक कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका? उक्त विलम्ब किस स्तर पर हुआ? अब सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है?

(6) उक्त प्रक्रिया के पूर्ववत सरलीकरण के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) केन्द्र सरकार की आर.वी.पी. एवं एफ.पी.आर. योजनाओं के सम्बन्ध में गाइड लाइंस के अतिरिक्त पिछले दो वर्षों में विभाग द्वारा कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है जो योजना की गाइड लाइन से मेल ने खाता हो अथवा जिससे योजनाओं के संचालन एवं डब्ल्यू. पी.आर. को भारत सरकार से स्वीकृत करवाने में जटिलताएं बढ़ी हों। कार्यों में अधिक पारदर्शिता, मितव्ययता लाने तथा तकनीकी डिजाइनिंग में सुधार हेतु उचित दिशा-निर्देश अवश्य जारी किये गये हैं।

(4) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र डग के चम्बल जल ग्रहण क्षेत्र के कोलवा गूर्जर वाटर शैड की रिपोर्ट केन्द्र सरकार से स्वीकृत कराने में अनावश्यक विलम्ब नहीं हुआ है। उक्त डब्ल्यू.पी.आर. प्रारम्भ से ही 122.70 लाख रुपये की तैयार की गई थी, जिसमें 3 वर्ष की अवधि के लिये विभिन्न भू एवं जल संरक्षण कार्यों हेतु 73.70 लाख रुपये की राशि का

(राज्य मंत्री, वन)

प्रावधान निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया एवं स्वीकृत कराया गया:–

वर्ष	मूल प्रस्तावित राशि (लाख रु.)	संशोधित प्रस्तावित स्वीकृत राशि (लाख रु.)
2001-02	32.73	14.30
2002-03	40.34	40.34
2003-04	00.63	19.06
योग	73.70	73.70

वर्ष 2001-2002 की शेष अवधि में कार्य सम्पन्न होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मूल प्रस्तावित राशि 32.73 लाख के विरुद्ध 14.30 लाख के संशोधित प्रस्ताव भू-संरक्षण अधिकारी, बेगूं द्वारा प्रस्तावित किये गये तथा अवशेष राशि को उनके द्वारा 2003-04 में प्रस्तावित किया गया है। तदानुसार ही उक्त डब्ल्यू.पी.आर. को भारत सरकार से स्वीकृत कराया गया है। इस प्रकार कुल प्लान राशि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(5) कोलवा गूजर वाट शैड कार्य की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 6.2.2002 को प्रचलित की गई। वाटर शैड का कार्य क्षेत्र विभाग के वन मण्डल झालावाड़ के समीप होने से सुविधा की दृष्टि से भू-संरक्षण अधिकारी बेगूं के स्थान पर उक्त वन मण्डल के सुपरवीजन में कार्य सम्पादन के परीक्षण में कुछ समय लगा है। अन्तत: भारत सरकार ने वाटर शैड परियोजना रिपोर्ट तैयार करने वाले कार्यालय के माध्यम से ही कार्यों को क्रियान्वित कराने का सुझाव पत्र दिनांक 8.3.2002 से दिया है जिसके अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। इस परीक्षण में समय लगा है जिसमें किसी का दोष नहीं रहा है।

(6) क्योंकि जटिलताएं नहीं बढ़ी हैं। अत: सरलीकरण की आवश्यकता नहीं है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत सड़कें

117. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य को वर्ष 2000-2001 और 2001-2002 के मध्य कुल कितनी राशि केन्द्र से किन-किन सड़कों के लिये उपलब्ध कराई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य सरकार ने स्वीकृत सड़कों पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु कब स्वीकृति ज़ारी की तथा स्वीकृति जारी करने के बाद कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका तथा शेष अपूर्ण सड़कें कब तक पूर्ण करा दी जायेगी?

(3) क्या यह सही है कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के तहत 500 की आबादी तक के गांवों को सड़कों से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जोड़ने की समयावधि वर्ष 2007 तय की है? उक्त के तहत राज्य सरकार ने क्या अपनी पूर्ण प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार को भेज दी है? यदि नहीं तो क्यों?

(4) क्या 500 की आबादी तक के गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य वर्षवार निर्धारित कर दिया है? यदि हां, तो वर्ष 2002–2003 में कितने से गांव उक्त योजना के तहत जुड़ने हेतु प्रस्ताव बनाकर केन्द्र को भिजवाये गये हैं।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2000–2001 एवं 2001–2002 राज्य को मिलने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	राशि
2000–2001	140.09 करोड़
2001–2002	130.00 करोड़

स्वीकृत सड़कों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार को केन्द्र से जैसे-जैसे स्वीकृति प्राप्त होती गई तुरन्त नियमानुसार निविदाएं आमंत्रित कर कार्य आदेश देने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई। वर्तमान में इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2000–2001 में स्वीकृत कार्यों में से 156 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं दो कार्यों के लिये पुनः निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया जारी है एवं शेष कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2000–2001 के स्वीकृत कार्यों में से अधिकांश इस वर्ष माह जून तक तथा वर्ष 2001–2002 में स्वीकृत कार्य मार्च, 2003 तक पूर्ण होना सम्भावित है।

(3) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्देशानुसार 500 व अधिक आबादी वाले गांवों को वर्ष 2007 तक जोड़े जाने का लक्ष्य रखा है। अतः उसी क्रम में राज्य सरकार ने 2001 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर 1000 से अधिक आबादी वाले बिना सड़क से जुड़े गांवों को डामर सड़क से जोड़ने के लिये जिला ग्रामीण सड़क प्लान तैयार कर लिये हैं। केन्द्र सरकार को इनमें से प्राथमिकता के आधार पर रुपये 197.33 करोड़ के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा चुके हैं। 500 तक की आबादी के गांवों को जोड़ने हेतु योजना वर्ष 2001 जनगणना के प्रकाशित होने के पश्चात् ही बनाई जा सकेगी।

(4) जी नहीं। यह केन्द्र सरकार से इस बारे में संकेत मिलने तथा 2001 जन गणना के प्रकाशन होने पर एवं जिला ग्रामीण सड़क योजना बनने पर ही सम्भव हो सकेगा। वर्ष 2002–2003 के लिये प्रस्ताव अभी केन्द्र सरकार को भिजवाये जाने की प्रक्रिया में है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

चन्दनहोली व गोनोडा (सवाईमाधोपुर) के निर्माण में अनियमितता की जांच

118. डा. किरोड़ी लाल (वामनवास): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाईमाधोपुर के ग्राम चन्दनहोली एवं गोनोड को सड़क से जोड़े जाने हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृति हुई थी? यदि हां, तो कब एवं कितनी राशि का? स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों के टेंडर एवं कार्य आदेश कब जारी हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक उक्त सड़कों में कितनी–कितनी राशि व्यय हो चुकी है?

(4) क्या उक्त सड़कों का डामरीकरण हो चुका है? यदि नहीं तो अभी तक डामरीकरण नहीं होने का क्या कारण रहा है?

(5) क्या सरकार ने ऐसे लापरवाह ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है? यदि हां, तो क्या?

(6) क्या सरकार उक्त सड़कों के डामरीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो अब कब तक डामरीकरण कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। जिला सवाई माधोपुर के ग्राम चन्दनहोली एवं गोनोड को सड़क से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृति हुई थी। स्वीकृति पत्र की प्रति प्रपत्र ''अ'' में संलग्न है।

(2) उक्त सड़कों के टेंडर दिनांक 9.2.2001 को प्राप्त हुये एवं 17.3.2001 को कार्य आदेश जारी किये गये विवरण प्रपत्र ''ब'' में संलग्न है।

(3) माह फरवरी, 2002 तक सम्पर्क सड़क चन्दनहोली पर कोई भी व्यय नहीं हुआ है। सम्पर्क सड़क गोनोड पर 12.83 लाख की राशि व्यय हो चुकी है।

(4) जी नहीं। उक्त दोनों सड़कों का डामरीकरण का कार्य अभी तक नहीं हुआ है। संवेदक द्वारा किये गये विलम्ब के कारण अब तक इन सड़कों पर डामरीकरण नहीं हो पाया है।

(5) विभाग ने ठेकेदार को समय–समय पर कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु नोटिस दिये तथा उसके विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 के तहत 10% (प्रतिशत) क्षतिपूर्ति आरोपित कर शेष बचे कार्य को ठेकेदार के जोखिम व लागत पर अन्य संवेदक से कार्य सम्पादित करवाने के आदेश अतिरिक्त मुख्य अभियंता जोन कोटा ने कर दिये हैं।

(6) जी हां। उक्त सड़कों का डामरीकरण वर्ष 2002–2003 में करवा दिया जावेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर में सड़क निर्माण पर व्यय राशि

119. **श्री भाणजी** (दानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) गत वर्ष में विधान सभा क्षेत्र दानपुर में एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत सड़क सीमा सम्पर्क सड़क आयोजना मद तथा गैर आयोजना मद में किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी सड़कों का निर्माण कराया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों पर कितनी-कितनी राशि स्वीकृत थी तथा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई और वर्तमान में कार्य की भौतिक स्थिति क्या है?

(3) क्या सरकार अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत वर्ष 2000-2001 में दानपुर विधानसभा क्षेत्र के एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत सड़क सीमा सम्पर्क को सड़क से जोड़ने हेतु कोई स्वीकृति आयोजना मद तथा गैर आयोजना मद में जारी नहीं हुई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला बांसवाड़ा की मेटल सड़कों का डामरीकरण

120. **श्री फतेह सिंह** (कुशलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला बांसवाड़ा में कितनी सड़कें लम्बे समय से मेटल रोड बनी हुई है तथा उनकी देख-रेख के अभाव में उखड़ चुकी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ क्षेत्र में डूंगरा से झेर वाया जालिमपुरा-हैजामाल मेटल रोड बने हुये हैं?

(3) क्या सरकार उक्त सड़कों का पुन: निर्माण कराकर पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ के ग्राम हिम्मतगढ़ में सिंचाई डैम बन जाने से डूंगरा से सातसैरा सड़क पर बरसाती नाला पर रपट बनी हुई है तथा उक्त रपट पर बरसात का पानी चलता है और रास्ता रुक जाता है?

(5) क्या सरकार उक्त रपट के स्थान पर हिम्मतगढ़ में पुलिया बनाकर आवागमन को चालू रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में कुल 44 सड़कें मेटल रोड बनी हुई है। सूची परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) संसाधनों की कमी के कारण सम्भव नहीं है।

(4) जी हां। डूंगरा से सातसैरा सड़क पर बरसाती नाले पर वेन्टेड काजवे बना हुआ है। वर्षा के मौसम में अतिवृष्टि होने पर पानी चलता है एवं कुछ समय के लिये रास्ता रुक जाता है।

(5) संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

सूर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी से शास्ति की वसूली

121. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 1 जनवरी, 1999 से जनवरी 2002 तक चन्द्रा एवं सूर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में कौन–कौन सी सड़कों की निविदा जारी की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सड़कों का निर्माण निर्धारित अवधि में हो चुका है? यदि नहीं, तो कौन–कौन सी सड़कों का निर्माण निर्धारित अवधि में नहीं हो सका? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर शास्ति आरोपित की जाती है? यदि हां, तो उक्त पर कितनी–कितनी राशि कौन–कौन सी सड़कों के निर्माण पर आरोपित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या आरोपित शास्ति की वसूली हो चुकी है? यदि नहीं, तो कब तक शास्ति की वसूली की जावेगी?

उत्तर

(1) जनवरी, 1999 से जनवरी, 2002 तक चन्द्रा एवं सूर्या कंस्ट्रक्शन कम्पनी के पक्ष में विभिन्न सड़कों पर जारी की गई कार्यादेशों का विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) निर्माण अवधि में पूर्ण–अपूर्ण सड़कों का विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(3) जी हां। निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं होने पर गुण–दोष के आधार पर क्षतिपूर्ति अध्यारोपित की जाती है। विभिन्न सड़कों पर अध्यारोपित क्षतिपूर्ति का विवरण परिशिष्ट 'ब' में संलग्न है।

(4) जी हां। अध्यारोपित क्षतिपूर्ति की वसूली की जा चुकी है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान न्यायिक सेवा में अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों का चयन

122. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राजस्थान न्यायिक सेवा में वर्ष 1997–98 से 2001–2002 तक अन्य पिछड़ा वर्ग में किस-किस व्यक्ति का चयन हुआ? चयनित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, स्थाई पता, जाति की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान लोक सेवा आयोग से राजस्थान न्यायिक सेवा में चयनित उम्मीदवारों की सूची प्राप्त हुई उनमें 1997–98 से 2001–2002 तक जिन चयनित व्यक्तियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में दर्शाया गया है उनकी सूचियां संलग्न 'अ' व संलग्न 'ब' प्रस्तुत है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

लोसल कस्बे (सीकर) में मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना

123. श्री अमराराम (धोद): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि लोसल कस्बे (सीकर) में मुन्सिफ न्यायालय नहीं खुलने से जनता को धन हानि हो रही है? क्या सरकार उक्त कस्बे में उक्त न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

लोसल कस्बे से सीकर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है अतः लोसल कस्बे से सीकर आने-जाने में जनता को अधिक धन हानि नहीं हो रही है। किसी स्थान पर, नवीन मुन्सिफ न्यायालय की स्थापना, उस क्षेत्र के 1700-2000 प्रकरण लम्बित होने एवं न्यायालय स्थापना हेतु मूलभूत सुविधाएं जैसे न्यायालय भवन, पीठासीन अधिकारी हेतु आवासीय भवन को उपलब्धता पर, माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/स्वीकृति प्राप्त होने पर ही की जा सकती है।

विद्युत मीटरों की खरीद

124. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विद्युत वितरण कम्पनी ने अपने निर्माण से दिसम्बर 2001 तक कुल कितने मीटर खरीदे उक्त में सिंगल फेस व थ्री फेस की वर्गीकृत संख्या कितनी है?

(2) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी में कुल कितने उपभोक्ताओं के मीटर खराब हैं और उक्त में से कितने उपभोक्ताओं से औसत आधार पर बिल वसूल किये जा रहे हैं?

(3) उक्त खराब मीटरों को कब तक बदलने का विचार है?

उत्तर

(1) विद्युत वितरण निगमों द्वारा अपने स्थापना काल 20 जुलाई, 2000 से 31 दिसम्बर, 2001 तक सिंगल फेज व थ्री फेज के मीटरों हेतु दिये गये क्रय आदेश का विवरण निम्नप्रकार है:–

क्र. सं.	विद्युत वितरण निगम का नाम	क्रय आदेश दिये गये मीटरों की संख्या	
		सिंगल फेज	थ्री फेज
1.	जयपुर	5,25,000	---
2.	अजमेर	3,20,000	4,22,500
3.	जोधपुर	3,39,000	90,000

उपरोक्त क्रय आदेशों के अतिरिक्त जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा 10,00,000 सिंगल फेज मीटरों एवं 2,00,000 थ्री फेज के मीटरों के क्रय आदेश तीनों निगमों हेतु दिये गये हैं।

(2) अजमेर, जयपुर व जोधपुर विद्युत वितरण निगमों में फरवरी 2002 तक खराब पड़े मीटरों की संख्या निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	विद्युत वितरण निगम का नाम	खराब पड़े मीटरों की संख्या फरवरी 2002 तक	
		सिंगल फेज	थ्री फेज
1.	अजमेर	43748	9001
2.	जयपुर	105579	13565
3.	जोधपुर	45783	2785

जिन उपभोक्ताओं के मीटर खराब हैं, उनसे औसत खपत के आधार पर राशि वसूल की जा रही है।

(3) मीटरों की उपलब्धतानुसार खराब मीटरों को बदलने की कार्यवाही प्राथमिकता से की जा रही है। खराब मीटर लगातार बदले जाते रहते हैं तथा उसी अवधि में और मीटर खराब हो जाते हैं अतः यह हमेशा चलते रहने वाली प्रक्रिया है। मीटर उपलब्धता में कमी के कारण ही देरी हो जाती है।

बानसूर में स्वीकृत 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन

125. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बानसूर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कब से प्रस्तावित था? उक्त हेतु तकनीकी व आर्थिक स्वीकृति किस तारीख व किस वर्ष में प्राप्त हुई और इसे बनने में कितना समय लगा तथा उक्त पर कितनी राशि व्यय हुई?

(2) चतरपुरा (बानसूर) में 33/11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कब प्रस्तावित किया और उसे तकनीकी व आर्थिक स्वीकृति किस तारीख व वर्ष में प्राप्त हुई? उक्त के निर्माण में कितना समय लगा तथा कितनी राशि उस पर व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बानसूर में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन तत्कालीन राज्य विद्युत मण्डल द्वारा दिनांक 23.1.1993 को स्वीकृत किया गया था तथा इसे दिनांक 30.3.1995 को चालू किया जा चुका है। इसके निर्माण पर करीब 353.8 लाख रुपये व्यय हुये हैं।

(2) अलवर वृत के चतरपुरा (बानसूर) में 33 के.वी. सब-स्टेशन निर्माण हेतु प्रस्ताव आर्थिक व तकनीकी स्वीकृति हेतु दिनांक 12.02.1993 को प्रेषित किये थे। प्रस्ताव में पाई गई कमियों व अतिरिक्त सूचना उपलब्ध करवाने पर दिनांक 27.06.1995 को स्वीकृति जारी की गई। इस सब स्टेशन को 3.15 एम.वी.ए. क्षमता का ट्रांसफार्मर लगा कर दिनांक 14.02.1996 को चालू किया जा चुका है। सब-स्टेशन की अनुमानित लागत 26.60 लाख रुपये थी।

पंचायत समिति पीसांगन के लम्बित कृषि कनेक्शन

126. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटड़ा, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, बी. के. कौल नगर के नागरिकों को विद्युत बिल जमा कराने हेतु अजमेर आना पड़ता है जिससे इनको आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिये इनकी कालोनी में बिल संग्रहण केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पिचौलिया पंचायत समिति पीसांगन व अन्य ग्रामों के कृषकों द्वारा चारा योजना में कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन कर उनकी डिमाण्ड राशि जमा करा दिये जाने के उपरान्त भी दो-तीन वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी उन्हें कृषि कनेक्शन नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक इन्हें चारा योजना के तहत कनेक्शन दे दिया जायेगा?

उत्तर

(1) कोटड़ा, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, बी. के. कौल नगर, अजमेर नगर की कालोनियां हैं। इस क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के बिल वैशालीनगर व सावित्री कालेज चौराहा पर जमा करने का प्रबन्ध किया हुआ है। यह कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है। उसको दिये गये कान्ट्रेक्ट में उपरोक्त स्थानों के अलावा अन्य जगह बिल संग्रहण करने का पृथक से कोई आदेश नहीं है। अत: अभी नये बिल संग्रह केन्द्र खोलना सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं। ग्राम पिचौलिया व पंचायत समिति पीसांगन व अन्य ग्रामों में चारा योजना के अन्तर्गत कृषि कनेक्शन हेतु ऐसा कोई मामला नहीं है जिसके मांग पत्र की राशि दो तीन वर्षों से जमा होने पर भी कनेक्शन नहीं दिया गया हो। सितम्बर, 2001 तक मांग पत्र की राशि जमा करवाने वाले आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

जिला धौलपुर में विधवा महिलाओं को सहायता

127. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महिला सशक्तिकरण वर्ष के उपलक्ष में उन विधवा महिलाओं के परिवार में कोई वयस्क कमाने वाला नहीं उनकी पुत्रियों के विवाह के लिये पांच हजार रुपये की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो धौलपुर जिले में कितनी विधवा महिलाओं को सहायता दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अलावा और कौन-कौन सी ऐसी योजना है जो गरीब व असहाय महिलाओं के उत्थान के लिये चल रही हैं? धौलपुर जिले में वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक कितनी महिलाओं को लाभान्वित किया गया है? नाम मय पते की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। महिला सशक्तिकरण वर्ष से नहीं बल्कि 1997-98 से विधवा महिलाओं जिनके परिवार में कोई व्यस्क कमाने वाला नहीं हो, उनकी पुत्रियों की शादी हेतु प्रति पुत्री 5000/- रुपये अधिकतम दो पुत्रियों की शादी तक राशि दिये जाने का प्रावधान है। धौलपुर जिले में वर्ष 2001-2002 में 6 विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु सहायता दी गयी। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना के अलावा गरीब, असहाय, विधवा एवं वृद्ध व अशक्त महिलाओं के लिये पेंशन योजना संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत व वर्ष 1999 से फरवरी 2002 तक 2501 महिलाओं को लाभान्वित किया गया सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति रायपुर व सोजत (पाली) में स्वीकृत पेंशन

128. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रशासन गांवों के संग कार्यक्रम में पंचायत समिति रायपुर व सोजत (पाली) की किन-किन ग्राम पंचायतों में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, अन्नपूर्णा योजना, पारिवारिक सहायता स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा 55 वर्ष की महिला व 58 वर्ष के पुरुष की पेंशन उक्त दोनों तहसीलों में कितनों की स्वीकृति की गई? विवरण मय ग्राम पंचायत सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रशासन गांवों के संग कार्यक्रम में पंचायत समिति रायपुर व सोजत (पाली) में स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, अन्नपूर्णा योजना व पारिवारिक सहायता की संख्या निम्नानुसार है:--

(समाज कल्याण मंत्री)

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	नाम योजना एवं स्वीकृत प्रकरणों की संख्या				
		वृद्धावस्था पेंशन	विकलांग पेंशन	विधवा पेंशन	अन्नपूर्णा योजना	पारिवारिक सहायता
1.	रायपुर	43	1	155	शून्य	11
2.	सोजत	82	26	93	96	20

ग्राम पंचायतवार स्वीकृत प्रकरणों की सूची परिशिष्ट–1 व 2 पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा 55 वर्ष की महिला एवं 58 वर्ष के पुरुष का दोनों तहसीलों में निम्नप्रकार पेंशन स्वीकृत की गई:–

पंचायत समिति, रायपुर	6
पंचायत समिति, सोजत	60
योग	66

ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट–3 (अ, ब) पर संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-19 देखें)

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के छात्रावासों का संचालन

129. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राजकीय छात्रावास संचालन नियम, 1982 के तहत क्षेत्रीय विधायक की अध्यक्षता में प्रवेश एवं प्रबंध सलाहकार समिति का गठन किया गया है?

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में संचालित छात्रावासों में उक्त समिति की बैठक अध्यक्ष की अनुमति अनुसार आयोजित की गई? उक्त में समिति के किन-किन सदस्यों ने भाग लिया व छात्रावास व्यवस्था के सुधार में क्या-क्या निर्णय लिये गये? उक्त क्षेत्र में बिना अध्यक्ष की अनुमति से आयोजित बैठकों की सूचना व पारित निर्णयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त छात्रावासों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को वर्तमान में भोजन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था लागू है? उपलब्ध करवाये जाने वाले भोजन का मीनू तथा प्रति छात्र आबंटित बजट की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा राजकीय छात्रावास संचालन नियम, 1982 के तहत क्षेत्रीय विधायक की अध्यक्षता में प्रवेश एवं प्रबन्ध निर्देशन समिति का पुनर्गठन दिनांक 03.01.2000 को किया गया है।

(समाज कल्याण मंत्री)

(2) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.7 (2)रा.छा./सकवि/98/27363-98 दिनांक 21.07.2000 के अनुसार अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में किसी भी वरिष्ठ सदस्य की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जा सकती है। पूर्व अनुमति अनिवार्य नहीं है। विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में राजकीय छात्रावास (अनु. जाति) बालक, राजकीय अनु. जाति कन्या छात्रावास व राजकीय स्वच्छकार छात्रावास संचालित हैं। जिनमें बैठकों में उपस्थित सदस्यों की सूची व पारित निर्णय एवं कार्यवाही विवरण की छाया प्रतियां संलग्न हैं।

(3) जी हां। भोजन का मीनू, प्रात: दूध/चाय, नाश्ते हेतु बिस्कुट/ब्रेड, दोपहर के भोजन में दाल व चपाती, सायंकाल–हरी सब्जी व चपाती एवं माह में एक बार तथा राष्ट्रीय पर्वों पर विशेष भोजन दिया जाता है। इस हेतु प्रति छात्र 525/- रुपये प्रतिमाह का बजट निर्धारित है। कुल मिलाकर प्रति छात्र प्रतिमाह 675/- रुपये व्यय किया जाता है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र बानसूर के छात्रावास

130. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कितने छात्रावास हैं? उक्त में गत 8 वर्षों से प्रतिवर्ष कितनी राशि व्यय की जा रही है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों के भवन के लिये उक्त क्षेत्र में क्या सरकार ने कोई राशि स्वीकृत की है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में एक ही राजकीय अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, बानसूर में संचालित है, जिसकी स्वीकृत छात्र संख्या 35 की है। उक्त छात्रावास वर्ष 1994-95 को स्वीकृत किया गया है। छात्रावास स्वीकृत वर्ष से प्रतिवर्ष राशि का विवरण निम्न प्रकार से है–

वर्ष	व्यय राशि
1994-95	29612.00
1995-96	46033.00
1996-97	72768.00
1997-98	75072.00
1998-99	73540.00
1999-2000	88647.00
2000-2001	72364.00

(2) जी नहीं। वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने से राशि स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं है।

ग्राम फलसूंड एवं नोख (जैसलमेर) के स्वीकृत छात्रावास

131. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1998-99 में जिला जैसलमेर के फलसूंड व नोख गांव में छात्रावास स्वीकृत किये थे तथा एक-एक लाख रुपये की राशि का सामान भी क्रय किया गया था?

(2) क्या यह भी सही है कि वित्तीय उपलब्धता न होने से उक्त दोनों छात्रावास तीन वर्षों में भी प्रारम्भ नहीं किये गये हैं।

(3) क्या सरकार ने उक्त दोनों छात्रावासों को प्रारम्भ नहीं किया और अन्य जिलों में तीन वर्षों में नये छात्रावास प्रारम्भ किये हैं? गत तीन वर्षों में राज्य में नये छात्रावासों की स्वीकृति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्र जैसलमेर की 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या को ध्यान में रखते पूर्व स्वीकृत छात्रावासों को प्रारम्भ कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1998-99 में जिला जैसलमेर के फलसूंड व नोख में छात्रावास स्वीकृत किये गये थे तथा प्रत्येक छात्रावास हेतु एक-एक लाख रुपये की राशि अनावर्तक सामान क्रय हेतु आबंटित की गयी थी, जिसका दोनों छात्रावासों हेतु अनावर्तक सामान क्रय कर लिया गया था।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.7 (2)रा.छा./सकवि/99/49232-57 दिनांक 26.09.1999 के द्वारा उक्त दोनों छात्रावासों क्रमश: फलसूंड एवं नोख को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया था तथा दोनों छात्रावासों हेतु क्रय किया गया अनावर्तक सामान सांकड़ा छात्रावास (जैसलमेर) व जसरासर छात्रावास (बीकानेर) को छात्रावास के उपयोग हेतु स्थानान्तरित कर दिया गया।

(3) उपरोक्तानुसार। गत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा राज्य में खोले गये नये छात्रावासों की स्वीकृति विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। वित्तीय साधनों के अभाव के कारण अभी इन पूर्व में स्वीकृत तथा अन्यत्र स्थानान्तरित छात्रावासों को प्रारम्भ करने का विचार नहीं रखती।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-20 देखें)

केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड धोद के ऋण पर्यवेक्षक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

132. श्री सांवरलाल (भिनाय): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या तत्कालीन ऋण पर्यवेक्षक केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड धोद के

(श्री सांवरलाल)

विरुद्ध माननीय मुख्य मंत्री के आदेश पर संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा जांच की गई? क्या जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण होगी?

(2) उक्त कार्यवाही को लम्बित करने के लिये कौन दोषी हैं? क्या कार्यवाही में किसी प्रकार की वसूली की गई? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या काजला ने अपने पद का दुरुपयोग कर सरकार को नुकसान पहुंचाया है?

(4) क्या उक्त सम्बन्ध में वसूली की कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जी हां, जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विभाग द्वारा दिनांक 13.11.2001 को जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रबंध संचालक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., सीकर को निर्देशित किये जाने पर निम्न कार्यवाही की गई:–

1. श्री रणजीत सिंह काजला को बैंक द्वारा दिनांक 7.2.2002 को मूल (लिपिक) पदस्थापित कर दिया गया है।
2. श्री रणजीत सिंह काजला को राजस्थान असैन्य सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र एवं आरोप विवरण पत्र जारी कर दिया गया।
3. श्री रणजीत सिंह काजला द्वारा स्वयं की व्यक्तिगत पत्रावली एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की पत्रावलियों में से पत्रों को हटाकर बदलने की जांच हेतु श्री लक्ष्मीनारायण चेजारा को दिनांक 21.2.2002 को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच रिपोर्ट 30 दिवस में चाही गई है।

(2) श्री रणजीत सिंह काजला के विरुद्ध उक्त कार्यवाही को जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही प्रारम्भ किये जाने के कारण कार्यवाही लम्बित करने के लिये कोई दोषी नहीं है। श्री रणजीत सिंह काजला के विरुद्ध कराई गई जांच अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही न होकर एक प्रशासनिक जांच है, जिसमें वसूली के लिये कोई राशि निर्धारित नहीं हुई है। अतः वसूली किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(3) जांच प्रतिवेदन में श्री रणजीत सिंह काजला द्वारा पद का दुरुपयोग कर सरकार को नुकसान पहुंचाने का कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है।

(4) श्री रणजीत सिंह काजला के विरुद्ध कराई गई जांच अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही न होकर एक प्रशासनिक जांच है, जिसमें वसूली के लिये कोई राशि निर्धारित नहीं हुई है। वसूली किया जाना अपेक्षित नहीं है।

राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ जयपुर में गैस सिलेण्डरों की जांच

133. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान क्रय विक्रय सहकारी संघ जयपुर में गैस सिलेण्डरों की राशि के गबन प्रकरण की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी से। जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर नीचे के स्तर के कर्मचारियों के विरुद्ध ही कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गैस सिलेण्डरों की राशि के गबन प्रकरण की जांच करवाई गई है। जांच श्री गोविन्द नारायण व्यास, सेवानिवृत्त आर.ए.एस. अधिकारी से कराई गई है। जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

(2) जी नहीं। जांच रिपोर्ट के आधार पर सभी सम्बन्धित दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति लूणकरणसर में स्वीकृत राहत कार्य

134. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पंचायत समिति लूणकरणसर क्षेत्र की कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में कौन-कौन से कार्य अकाल राहत कार्यों के तहत सम्वत् 2057 में कब-कब स्वीकृत किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समस्त ग्राम पंचायतों में कार्य कब-कब से प्रारम्भ हुये? उक्त समस्त कार्यों पर कब-कब श्रमिक बढ़ाये गये एवं उक्त समस्त कार्यों पर पाक्षिक भुगतान कितना-कितना प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा किया गया? कार्य विवरणानुसार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये अलग-अलग कार्यों पर श्रमिकों की पाक्षिक मजदूरी क्या रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) ग्रेवल सड़कों तथा तालाब खुदाई पर कार्यरत श्रमिकों के भुगतान रेट में अन्तर का क्या कारण रहा?

(5) प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा कौन-कौन सी ग्रेवल सड़क पर कितना-कितना भुगतान श्रम व सामग्री पर किया गया?

(6) अकाल राहत कार्यों के तहत कौन-कौन से कार्यों का श्रम व सामग्री का भुगतान बकाया रहा है?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(7) अकाल राहत कार्यों के तहत कौन–कौन से कार्य अधूरे रह गये? ग्राम पंचायत लूणकरणसर व ग्राम पंचायत रांवासर द्वारा किये गये अकाल राहत कार्य की मेजर बुक की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति लूणकरणसर में सम्वत् 2057 में 143 कार्य स्वीकृत किये गये। स्वीकृत कार्यों की ग्राम पंचायतवार/कार्यवार सूची नं. 1 संलग्न है।

(2) स्वीकृत कार्य कब–कब प्रारम्भ हुये, संलग्न सूची नं. 1 के कालम संख्या 5 पर अंकित है। कार्यानुसार बढ़ाये गये श्रमिकों का विवरण सूची नं. 1 के कालम संख्या 6 से 11 तक अंकित है। उक्त समस्त कार्यों पर पाक्षिक भुगतान के सम्बन्ध में सूची नं. 2 संलग्न है।

(3) ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये कार्यों पर औसत मजदूरी 60/– रुपये थी।

(4) स्वीकृति अनुसार दर टास्क बेसिस कार्यानुसार निर्धारित की गई थी लेकिन तकनीकी अनुसार तालाब (जोहड़) खुदाई में मिट्टी हार्ड होती है तथा उसे कार्य स्थल से दूर गिराना पड़ता है जबकि ग्रेवल सड़क पर अर्थ वर्क में मिट्टी हटाने का कार्य नजदीक होता है तथा मिट्टी नरम होने के कारण कार्य आसानी से होता है जिसके कारण तालाब खुदाई व ग्रेवल सड़क कार्यों की श्रमिक भुगतान रेट में अन्तर रहा है।

(5) ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पादित कार्यों पर तकनीकी प्रमाण–पत्रों के आधार पर श्रम सामग्री का भुगतान संलग्न सूची नं. 3 के अनुसार किया गया है जो कार्यानुसार है।

(6) पंचायत समिति लूणकरणसर द्वारा सम्पादित राहत कार्यों के बकाया भुगतान का विवरण संलग्न सूची नं. 3 के कालम संख्या 7, 8, 9 द्वारा दर्शाया गया है।

(7) अकाल राहत कार्यों के तहत अधूरे रहे कार्यों की स्थिति का विवरण संलग्न सूची नं. 3 के कालम संख्या 10 कार्य की भौतिक स्थिति के तहत दर्शाया गया है।

ग्राम पंचायत लूणकरणसर व रांवासर में सम्पादित अकाल राहत कार्यों की माप पुस्तिका (मेजरमेंट बुक) की प्रतियां अनुलंग्नक संख्या 1 एवं अनुलंग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न है।

(सूचियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विधान सभा क्षेत्र डग के कृषकों को मुआवजा

135. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री मदन लाल वर्मा)

(1) विधान सभा क्षेत्र डग की तहसील पचपहाड़ एवं गंगधार में दिनांक 10 फरवरी, 2002 को हुई ओलावृष्टि से कितने गांवों की फसले नष्ट हुई?

(2) क्या सरकार उक्त नष्ट हुई फसलों का मुआवजा देने का विचार रखती है? क्या किसानों को किसी भी प्रकार की राहत/वसूली रोकने का विचार है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग की तहसील पचपहाड़ के 8 ग्राम एवं तहसील गंगधार के 11 ग्रामों में दिनांक 10.2.2002 को हुई ओलावृष्टि से फसलों में आंशिक नुकसान हुआ है।

(2) जी हां। केवल लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसलों में 50 प्रतिशत एवं इससे अधिक नुकसान होने पर ही सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। किसानों की वसूली सम्बन्धित क्षेत्र के अभावग्रस्त घोषित होने पर स्थगित की जाती है।

प्रश्न संख्या–136
(स्थगित)

पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद में संचालित बाल विकास परियोजना

137. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि कुपोषण, अशिक्षा, मृत्यु दर में कमी लाने एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से जागृत करने के लिये बाल विकास परियोजना संचालित की जा रही है? यदि हां, तो पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद के अन्तर्गत उक्त परियोजना के अधीन कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां चलाये जा रहे हैं? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बाल विकास परियोजना के उद्देश्य के अनुसार वर्ष 2001-2002 में प्रश्न के भाग एक में वर्णित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उक्त पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में क्या-क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति प्रतापगढ़ के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना में 209 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा अरनोद के अन्तर्गत 126 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। पंचायत समितिवार सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) बाल विकास परियोजना के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परियोजना प्रतापगढ़ व अरनोद परियोजना में वर्ष 2001-2002 में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। 3-6 वर्ष के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जा रही

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

है। बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं को पूरक पोषाहार दिया जा रहा है। 0–3 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत विटामिन तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त पोषाहार (बेबी मिक्स) दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मेडिकल किट में आवश्यक दवाएं दी जा रही हैं। किशोरियों तथा महिलाओं को पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है।

इन उपायों से अर्जित उपलब्धियों का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के आंगनबाड़ी केन्द्र

138. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान में कितनी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने कार्यरत हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक वर्ष में कितना पोषाहार उपलब्ध करवाया गया? विवरण केन्द्रवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विभाग के अधीन समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी 32 जिलों में 257 बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

महिला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है:–

(अ) राज्य योजना मद

1. स्वयं सहायता समूह
2. सामूहिक विवाह हेतु अनुदान
3. जिला महिला सहायता समिति

(ब) भारत सरकार की योजनाएं

1. बालिका समृद्धि योजना
2. मातृत्व लाभ योजना
3. एकीकृत महिला सुदृढ़ीकरण योजना (स्वयंसिद्धा) केवल 27 पंचायत समितियों में।
4. महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) एन.जी.ओ. के माध्यम से।
5. महिलाओं की आय वृद्धि एवं रोजगार की योजना (नोराड) एन.जी.ओ. के माध्यम से।
6. किशोरी शक्ति योजना एवं किशोरी बालिका योजना, राज्य के 231 ब्लाक्स में।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

7. अल्पावास गृह योजना, एन.जी.ओ. के माध्यम से।
8. कामकाजी महिला होस्टल निर्माण एन.जी.ओ. के माध्यम से।

(2) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर के अन्तर्गत बाल विकास परियोजना श्रीगंगानगर (ग्रामीण), श्रीगंगानगर (शहरी) एवं सार्दुलशहर के अन्तर्गत कुल 192 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनके विरुद्ध वर्तमान में 182 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाओं एवं शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा चयन समिति द्वारा चयनित महिला के चयन आदेश सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रसारित किये गये हैं।

(4) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान कुल 580.50 क्विंटल बेबी मिक्स पोषाहार 226.50 क्विंटल राजस्थान मिक्स पोषाहार तथा 618.75 क्विंटल पंजीरी पोषाहार उपलब्ध करवाया गया है। केन्द्रवार सूची परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खातीपुरा से अजमेरी गेट (जयपुर) वाया वैशाली नगर बस संचालन

139. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जयपुर में पांच्यावाला से चार दरवाजा तक निजी बसों को परमिट दे रखा है?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर में खातीपुरा से अजमेरी गेट तक और अजमेरी गेट से खातीपुरा तक (वाया वैशाली नगर) प्रात: और सायं मात्र एक-एक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की चलती है जिससे यात्रियों को बहुत अधिक कठिनाई होती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अन्य मार्गों की तरह बस चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। उक्त मार्ग पर वर्तमान में संचालित बस सेवा को उपलब्ध हो रहे यात्री भार एवं आय प्रति किमी. को देखते हुये और सेवाओं की वृद्धि का कोई विचार नहीं है।

भांकरोटा से आमेर मार्ग पर बस संचालन

140. श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने जयपुर में मार्ग संख्या 29 पर भांकरोटा से आमेर तक और आमेर से भांकरोटा तक निजी बसों को परमिट दे रखा है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की एक भी बस नहीं चलती है?

(3) क्या सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुये भांकरोटा से आमेर और आमेर से भांकरोटा तक पथ परिवहन निगम की बसें चलाने का विचार (वाया- हाइकोर्ट, रामबाग आदि) रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। संचालन अलाभकारी होने एवं निगम की वित्तीय स्थिति एवं उपलब्ध संसाधनों के कारण इस मार्ग पर बस संचालन प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

जयपुर शहर में मिनी बसों के संचालन के मानदण्ड

141. श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जयपुर शहर में वर्तमान में कुल कितने मार्ग मिनी बसों को परमिट देने के लिये स्वीकृत हैं तथा उक्त सम्बन्ध में क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में जयपुर शहर में किस-किस मार्ग पर कितनी-कितनी बसों को परमिट दिये गये हैं? मार्गवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में किसी मार्ग पर तो अन्य मार्गों की अपेक्षा अधिक बसें संचालित हैं तथा किसी मार्ग पर मिनी बसों की संख्या नगण्य है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि सिटी मार्ग संख्या 11, 31, 15 व 29 पर आवश्यकता से अधिक मिनी बसों को उनके मालिकों के चाहे अनुसार परमिट जारी किये हुये हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त मार्गों पर परमिट जारी करने हेतु मानदण्ड एवं निश्चित सीमा निर्धारित है? यदि हां, तो क्या?

(5) क्या सरकार मार्ग संख्या 11 व 31 पर बसों की अधिकता को देखते हुये भविष्य में परमिट जारी नहीं करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) जयपुर शहर के मार्ग संख्या 11, 31 एवं 32 पर वर्तमान में कितनी-कितनी बसें संचालित हैं? उक्त वाहनों की वाहन संख्या, मालिक का नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल सहरिया)

(7) क्या यह सही है कि मार्ग संख्या 11 व 31 पर वर्तमान में कई मिनी बसें अवैध रूप से संचालित हैं? क्या सरकार उक्त अवैध मिनी बसों की रोकथाम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार एवं कब तक रोकथाम करेगी और नहीं, तो क्यों?

(8) क्या सरकार मार्ग संख्या 11 को ग्राम खोरा सरना से महात्मा गांधी अस्पताल, टोंक, रोड तक संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(9) क्या सरकार मार्ग संख्या 01 की बस को बाइस गोदाम नन्दपुरी तिराहे से सिवरेज फार्म, भगवान फार्म व न्यू सांगानेर रोड होती हुई मिनी बस का रूट परिवर्तित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(10) मार्ग संख्या 34 का परमिट कहां से कहां तक का कितनी बसों को दिया गया है?

(11) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग की स्वीकृति गायत्री पब्लिक स्कूल तक ही है जबकि वर्तमान में उक्त मिनी बसें वैधजी के चौराहे तक जा रही हैं? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में वर्तमान में 41 मार्ग मिनी बसों को परमिट दिये जाने हेतु स्वीकृत हैं। यह परमिट केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 70(1) (2) एवं राजस्थान मोटरयान नियम 1990 के नियम 5.5 के अन्तर्गत प्रदान किये जाते हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है।

(2) वर्तमान में जयपुर शहर में जिन मार्गों पर बसों को परमिट दिये गये हैं उनकी सूची परिशिष्ट ''ख'' पर उपलब्ध है। सूची में संचालित बसों की संख्या व इस हेतु निर्धारित स्कोप का भी उल्लेख किया गया है।

(3) जी हां। यह सही है। मार्ग विशेष पर आवेदक मार्ग पर यात्रियों की उपलब्धता एवं उसकी आर्थिक उपादेयता के आधार पर परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन करते हैं। इस कारण विभिन्न मार्गों पर परमिटों की संख्या अलग-अलग है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि शहर की सिटी बसों के सभी मार्गों पर परमिटों का स्कोप निर्धारित है। निर्धारित स्कोप से अधिक संख्या में परमिट स्वीकृत नहीं किये जाते हैं।

(4) मार्ग विशेष पर राजस्थान मोटरयान नियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में वाहन स्वामी द्वारा आवेदन करने पर निर्धारित स्कोप के अनुसार स्कोप रिक्त

(यातायात मंत्री)

होने एवं निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने पर परमिट स्वीकृत किये जाते हैं। मार्ग संख्या 11, 31, 15 व 29 के लिये निर्धारित स्कोप एवं इन मार्गों पर संचालित बसों की संख्या का विवरण परिशिष्ट ''ख'' में उपलब्ध है।

(5) वर्तमान में इन मार्गों पर परमिट जारी नहीं किये जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इन मार्गों पर निर्धारित स्कोप से कम संख्या में बसों का संचालन है। अत: यदि कोई आवेदक नियमानुसार आवेदन करेगा तो उसे परमिट जारी करने बाबत विचार किया जायेगा।

(6) मार्ग संख्या 11, 31, 32 पर स्कोप अनुसार संचालित वाहनों की संख्या निम्नानुसार है:–

मार्ग संख्या	निर्धारित स्कोप	संचालित वाहनें
11	180	107
31	150	91
32	80	60

मार्ग के परमिटधारियों के नाम व पते, वाहन संख्या का उल्लेख संलग्न परिशिष्ट ''ग'' में किया गया है।

(7) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(8) मार्ग संख्या 11 को ग्राम खोरा सरना से महात्मा गांधी अस्पताल टोंक रोड तक संचालित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(9) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(10) यह मार्ग वैधजी का चौराहा से हरनाथपुरा तक वाया गायत्री पब्लिक स्कूल, आर्यनगर, प्रतापनगर, विद्याधर नगर, अम्बावाड़ी रोड, पीतल फैक्ट्री, पारीक कालेज रोड, चांदपोल, रेलवे स्टेशन, एनबीसी हटवाड़ा, फुलेरा रेलवे फाटक पंखा, शालीमार फैक्ट्री चौराहा, निवारू बाइपास चौराहा है। इस मार्ग पर 33 बसें संचालित हैं।

(11) जी नहीं। यह सही नहीं है। इस मार्ग को गायत्री पब्लिक स्कूल से वैधजी का चौराहा तक दिनांक 29.12.2001 के आदेश द्वारा वृद्धिकृत किया जा चुका है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मियों के विरुद्ध लम्बित मुकदमे

142. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के और कर्मचारियों के बीच विभिन्न न्यायालयों

(श्री हरजीराम बुरड़क)

में मुकदमे चल रहे हैं? यदि हां, तो कितने मुकदमे विचाराधीन हैं और वे किस-किस वर्ष से चल रहे हैं? मुकदमों की संख्या का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मुकदमों को किसी प्रकार के समझौते करके कम किये जाने के भी प्रयास किये गये? यदि हां, तो क्या प्रयास किस प्रकार से कब किये गये तथा उसका परिणाम क्या रहा?

(3) भविष्य में मुकदमे कम से कम हों इसके लिये क्या प्रयास किये जाने की क्या योजना है?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम और कर्मचारियों के मध्य विभिन्न न्यायालयों में वर्ष 1985 से वर्ष 2002 तक की अवधि में 6825 वाद विचाराधीन है। विचाराधीन वादों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार वादों में नियमानुसार समझौता किया जाता है, जिससे वादों में कमी हुई है। गत पांच वर्षों में समझौतों के आधार पर 340 वादों का निपटारा किया गया है।

(3) भविष्य में दायर होने वाले सम्भावित मुकदमों की संख्या में कमी करने के लिये कर्मचारियों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर निर्णय लिया जा रहा है। आगार स्तर पर प्रशासनिक कमेटी गठित करके विभागीय जांचों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण किया जा रहा है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-21 देखें)

उदयपुर से आसीन्द तक निगम बस सेवा

143. **श्री रामलाल गुर्जर** (आसीन्द): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर से आसीन्द होकर गुलाबपुरा से जयपुर हेतु संचालित बसों को घाटे के कारण बन्द होना बताई गई?

(2) क्या सरकार उक्त बस को उदयपुर से गंगापुर आसीन्द, ब्यावर, अजमेर से जयपुर चलाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) वर्तमान में निगम की कितनी बसें किस-किस रोड (रूट) पर घाटे में चल रही हैं? क्या घाटे में चलने वाली बसों को बन्द करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। क्योंकि इस मार्ग के मध्य गंगापुर से गुलाबपुरा वाया आसीन्द तक 125 किमी. तक का भाग अराष्ट्रीयकृत

(यातायात मंत्री)

है तथा निजी वाहनों की प्रतिस्पर्धा में निगम वाहनों को पर्याप्त मात्रा में यात्रीभार मिलने की सम्भावना नहीं है।

(3) वर्तमान में निगम द्वारा बस वार घाटे की गणना नहीं की जाती है अपितु सम्पूर्ण आगार वार लाभ-हानि का आकलन किया जाता है।

घाटे में चलने वाली बसों (रूटों) को बन्द करने के सम्बन्ध में निगम के आगार स्तर पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है। जिसे अब राज्य सरकार से सहमति लिये जाने के पश्चात् ही निर्णय माना जायेगा।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बस स्टेण्ड पर यात्री सुविधायें

144. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा यात्रियों की सुविधाओं यथा सफाई, पानी, शौचालय, छाया स्थल आदि हेतु अलग से बजट का प्रावधान है? यदि हां, तो जिला मुख्यालयों पर किये जाने वाले वार्षिक व्यय राशि का विवरण मय सुविधाओं के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या निगम द्वारा बस स्टेण्ड देवगढ़ व भीम (राजसमन्द), दूदू, जयपुर, बर, रायपुर, सोजत तथा जैतारण (पाली) तथा बिलाड़ा व रोहिट (जोधपुर) में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या निगम यात्री सुविधाओं पर रेलवे स्टेशन की भांति सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में यात्री सुविधाओं के मद में अलग से एकमुस्त बजट प्रावधान है। निगम में बजट प्रावधान जिलेवार न रखा जाकर आगारवार रखा जाता है। वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 में उन आगारों हेतु प्रस्तावित बजट का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न किया जा रहा है जिनमें यात्री सुविधा मद के अन्तर्गत व्यय हेतु बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

(2) जी हां। उपलब्ध यात्रीभार एवं निगम सेवाओं के ठहराव के अनुरूप उक्त बस स्टेण्डों पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(3) जी हां। निगम बस स्टेण्डों पर उपलब्ध यात्री भार एवं बसों के ठहराव के अनुरूप, निगम के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार आवश्यक यात्री सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। उक्त मद में निगम की वित्तीय स्थिति के अनुरूप आवश्यक प्रावधानों के मध्य नजर व्यय किया जाता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-22 देखें)

डूंगरपुर के छात्रावासों एवं आवासीय क्वार्टरों की चारदीवारी निर्माण

145. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर के जनजाति छात्रावासों तथा टीएडी आवासीय क्वार्टरों के चारदीवारी बनाने का कार्य शेष है?

(2) क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। वांछित कार्यों का आकलन किया जा रहा है। इस हेतु आवश्यक धनराशि तथा धनराशि के उपलब्धता के आधार पर निर्माण कार्यों के लिये राशि स्वीकृत की जा सकेगी।

कृषि विपणन में सतर्कता इकाई का गठन

146. **श्री उदय सिंह राठौड़** (बनीपार्क): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या निदेशालय में सर्वे एवं सतर्कता इकाइयों का गठन प्रभावी है? यदि हां, तो कितनी इकाइयां गठित हैं?

(2) उक्त इकाइयों का क्या-क्या कार्य एवं दायित्व है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सर्वे सतर्कता दलों द्वारा विभिन्न मण्डी शुल्क अपवंचन प्रकरणों में वसूली बकाया है? उक्त का विवरण प्रकरणवार सदन की मेज पर रखें। उक्त वसूली नहीं होने के क्या कारण हैं और अब वसूली कब तक कर ली जावेगी एवं अपवंचनकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही कब तक कर ली जावेगी? क्या सरकार वसूली में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। दो इकाइयां गठित हैं।

(2) इन इकाइयों का कार्य एवं दायित्व राज्य की मण्डी समितियों के मण्डी शुल्क अपवंचन की रोकथाम हेतु सर्वेक्षण व सतर्कता एवं नियंत्रण का है।

(3) जी हां। कुल 173 प्रकरणों में वसूली की कार्यवाही जारी है। जिनमें से 93 प्रकरण न्यायालय में, 11 प्रकरण भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली में एवं 69 प्रकरण मण्डी समितियों के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार है।

जो प्रकरण मण्डी समितियों के स्तर पर प्रक्रियाधीन हैं उनमें तकनीकी, कानूनी एवं सम्बन्धित फर्मों के द्वारा प्रस्तुत पक्ष

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

आदि औपचारिकताएं पूर्ण की जाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। वसूली में शिथिलता हेतु कोई उत्तरदायी पाया गया तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-23 देखें)

सचिव कृषि उपज मण्डी, रावला के विरुद्ध शिकायतें

147. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री बी.एल. मीणा सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, रावला के विरुद्ध विभिन्न शिकायतें प्राप्त हुई थी? यदि हां, तो कब-कब? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्राप्त शिकायतों की जांच करवाई गई? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या श्री मीणा के विरुद्ध जांच प्रतिवेदन में गम्भीर आरोप प्रमाणित पाये गये थे, परन्तु उनको सी.सी.ए. नियम 17 के तहत ही आरोप-पत्र जारी किया गया? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी हैं और उनके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या श्री मीणा के विरुद्ध लगे गम्भीर आरोपों के आधार पर सरकार 16 सी.सी.ए. में आरोप-पत्र दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्री बी.एल. मीणा, सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, रावला के विरुद्ध निम्न दिनांकों को शिकायतें प्राप्त हुई, जिनकी प्रतियां संलग्न है:–

क्र.सं.	दिनांक
1.	28.11.2000
2.	23.12.2001
3.	01.01.2001
4.	23.12.2001
5.	06.01.2001
6.	25.04.2001
7.	25.04.2001
8.	25.04.2001
9.	16.06.2001

(2) जी हां। जांच प्रतिवेदन की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। निदेशक द्वारा जारी आरोप पत्र के आधार पर मण्डी प्रांगण में क्रय-विक्रय में अनियमितता करने, समुचित पर्यवेक्षण नहीं करने एवं बिक्री कर की चोरी को प्रोत्साहन देने, अनधिकृत लाभ प्राप्त करने, रिकार्ड की कूट रचना करने एवं फर्जी बिल बनाने व भुगतान

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

करने का दोषी माना गया है अतः आरोप तो गम्भीर है। किन्तु निदेशक ने सी.सी.ए. नियम 17 के अन्तर्गत ही कागजी कार्यवाही करना उचित समझा है।

(4) जी हां। 16 सी.सी.ए. के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कृषि उपज मण्डी में मृत आश्रितों की नियुक्ति

148. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समितियों में मण्डी कर्मचारी के सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर मृतक आश्रित को नियुक्ति दिये जाने की व्यवस्था है? यदि हां, तो कब से?

(2) अब तक उक्त प्रावधान के तहत कितने लोगों को नियुक्ति दी गई है एवं कितने प्रकरण विचाराधीन हैं, इन्हें नियुक्ति कब तक दे दी जावेगी और अब तक क्यों नहीं दी गई?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 5.2.1976 से प्रभावी हैं।

(2) संदर्भित प्रावधान के तहत अब तक 181 मृतक आश्रितों को नियुक्तियां दी गई हैं तथा विचाराधीन 9 प्रकरण अपूर्ण प्राप्त हुये हैं उन्हें पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। पूर्ति होने पर नियमानुसार नियुक्ति हेतु कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

कृषि मण्डी में कोल्ड स्टोरेज हेतु भूमि आबंटन

149. **श्री कालूलाल खोईवाल** (गंगरार): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोल्ड स्टोरेज हेतु भू-खण्ड आबंटन किये जाने का क्या मानदण्ड है?

(2) राज्य के किन-किन मण्डी प्रांगणों में कोल्ड स्टोरेज हेतु भू-खण्ड चिन्हित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) कोल्ड स्टोरेज हेतु भू-खण्ड कब चिन्हित किये गये थे एवं अब तक कितने भू-खण्ड कब-कब आबंटन किये गये और बकाया चिन्हित भू-खण्ड कब तक आबंटित कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) कोल्ड स्टोरेज हेतु भू-खण्ड आबंटन किये जाने के मानदण्ड संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) राज्य के मण्डी प्रांगणों में कोल्ड स्टोरेज हेतु चिन्हित भू-खण्डों की स्थिति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(3) भू-खण्डों के चिन्हीकरण की दिनांक एवं आबंटित भू-खण्डों का विवरण परिशिष्ट ''ब'' के कालम संख्या 4 एवं 5 के अनुसार है। आबंटन से शेष रहे भू-खण्डों का आवंटन मांग प्राप्त होने पर नियमानुसार कराया जाना प्रस्तावित है।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-24 देखें)

कृषि विपणन बोर्ड में सचिव का पदस्थापन

150. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड में सचिव का पद लम्बे समय से रिक्त है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त पद का कार्यभार किसे सौंप रखा है? क्या उक्त पद पर नियमानुसार उपयुक्त अधिकारी को लगाने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि विपणन बोर्ड से विपणन सेवा के धीरे-धीरे सभी पद समाप्त किये जा रहे हैं और इसे निर्माण कम्पनी का रूप दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार का इसे रोकने का विचार है?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में सचिव का पद दिनांक 01.11.2000 से रिक्त चल रहा है।

(2) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सचिव के पद का कार्यभार बोर्ड के महाप्रबंधक (प्रशासन) को सौंप रखा है। अधिकारियों की कमी के कारण सचिव के पद का अतिरिक्त कार्यभार दे रखा है। अधिकारी उपलब्ध होने पर पदस्थापन पर विचार किया जायेगा।

(3) जी नहीं।

कृषि उपज मण्डी में फसलोत्तर प्रबन्ध योजना

151. श्री मानसिंह चौहान (पिड़ावा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या फसलोत्तर प्रबन्धन योजना का कार्य राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड का है? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत क्या-क्या गतिविधियां चलायी जा रही हैं?

(2) उक्त चलायी जा रही गतिविधियों से कृषकों को क्या-क्या लाभ मिले हैं?

(3) वर्तमान में कृषकों को लाभकारी योजनाएं और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सरकार की क्या योजना है?

उत्तर

(1) जी हां। फसलोत्तर प्रबन्धन का कार्य राजस्थान राज्य कृषि विपणन-बोर्ड आंशिक रूप से करता है।

उक्त योजना के तहत प्रमुख रूप से निम्न गतिविधियां बोर्ड द्वारा चलाई जा रही हैं:-

1. मसाला प्रोत्साहन योजना।
2. कृषक संवादों का आयोजन।
3. राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों के प्रतिदिन कृषि जिन्सों के भाव इंटरनेट पर प्रदर्शन।
4. दूरदर्शन के माध्यम से फसलों की पैदावार के बाद मण्डी में बेचने तक के बीच की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की जानकारी आदि कृषक जागरूकता कार्यक्रम।

(2) इन कार्यक्रमों/गतिविधियों से कृषकों को निम्न लाभ मिले हैं:-

1. कृषकों को अपनी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक एवं उचित मूल्य की प्राप्ति में मदद।
2. इंटरनेट के माध्यम से काश्तकारों को आसपास की मण्डियों में आने वाली जिन्सों के भावों की जानकारी।

(3) राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में कृषि उत्पादों के क्लीनिंग ग्रेडिंग प्लांट लगाये जाने का विचार है, जिससे कृषकों को उपज का अधिक मूल्य प्राप्त हो, ऐसे उपकरण उपलब्ध कराने, जिससे फसलों की कटाई एवं कटाई के बाद सुरक्षा से गुणवत्ता में बढ़ोतरी हो तथा कृषि उपज मण्डी प्रांगणों में सूचना एवं तकनीकी विकास के लिये योजनाएं विचाराधीन है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से भेड़ एवं ऊन विभाग से पशुपालन विभाग में समायोजित किये गये अधिकारी/कर्मचारियों के साथ कथित भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में।
2. श्री सांवरलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भिनाय के गांवों में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।
3. श्री ज्ञानचन्द पारख एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से पाली शहर की कच्ची बस्तियों के कब्जाधारियों को पट्टे देने के सम्बन्ध में।
4. श्री किरोड़ी लाल एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल की विभिन्न योजनाओं में बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव भू-माफियाओं को बेचे जाने के सम्बन्ध में।
5. श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 13 अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर के पीपाड़ शहर के 31 सम्भ्रान्त एवं शांतिप्रिय

(श्री उपाध्यक्ष)

नागरिकों के साथ पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित बर्बर एवं अमानवीय व्यवहार किये जाने से जनता में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा। (व्यवधान) एक मिनट बैठो तो सही आप।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : मेरा परसों का दिया हुआ है। नवज्योति के कार्यालय में आग लगाने के लिए मेरा स्थगन प्रस्ताव परसों का दिया हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। वह तो हो गया। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : हो कहां गया? कब, क्या हो गया?

श्री उपाध्यक्ष : वह तो रिजैक्ट हो गया। कल ही हो गया वह तो।

श्री देवीसिंह भाटी : रिजैक्ट हो गया तो उसके ऊपर चर्चा करवाइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या हो गया?

श्री उपाध्यक्ष : उसको भेजा है गवर्नमेंट को। आयेगा जब वापस...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या हो गया वह तो बताओ।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : राज्य सरकार को भेजने के लिये कहा था कि राज्य सरकार.....(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अगर रिजैक्ट किया तो मुझे बोलने के लिये अवसर दें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, कल आपने राज्य सरकार को भिजवाया था।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया गवर्नमेंट को जानकारी लेने के लिये.....(व्यवधान) एक मिनट बिराजिये। आप बिराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : कल तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने राज्य सरकार को भिजवाया था तो रिजैक्ट कब हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। जानकारी आयेगी तो बता देंगे आपको। जहां तक माननीय सदस्य..... प्लीज। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (खारची): उपाध्यक्ष महोदय, इन जमादारों ने चप्पल पहनी हुई है, जूते तो दिलवा दो..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें एक मिनट। जहां तक पीपाड़ का सवाल है...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : नवज्योति कार्यालय का मेरा स्थगन प्रस्ताव परसों दिया हुआ है, अगर रिजैक्ट किया है तो मुझे बोलने का अवसर दें।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी आयेगी उसके बाद करेंगे। सारी। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : जानकारी, होम मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : इन्होंने परसों ही सारी सूचना मंगा ली, इनके पास वह सूचना उपलब्ध है।

श्री उपाध्यक्ष : होगी तो उनसे दिलवा देंगे स्टेटमेंट।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जवाब देने के लिये तैयार हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं तो इसके ऊपर चर्चा करवाओ। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : रोज-रोज राजस्थान के अन्दर मारपीट....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह कहा गया था कि किशनगढ़ के नवज्योति और भरतपुर के राजस्थान पत्रिका के सम्वाददाता के मामले में गृह मंत्रीजी सदन में बयान देंगे। यह बात कल कही गयी थी तो हम तो यह जानना चाहते हैं कि नवज्योति किशनगढ़ और राजस्थान पत्रिका के सम्वाददाता संजय जगरिया के मामले में गृह मंत्रीजी सदन में कब बयान देंगे, यह तो आप बतायें? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : थाने में ले जाकर मारपीट की जा रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : पीपाड़, पीपाड़।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बैठिये। पीपाड़ की बात.... (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : लोग वहां तम्बू लगाकर बैठे हैं।

श्री मदन दिलावर : पीपाड़ में पुलिस ने उनके ऊपर अत्याचार किये हैं और पीपाड़ पर बोलना नहीं चाहते, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पीपाड़ का जवाब तो आज दीजिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पीपाड़ में अत्याचार.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धरना लगाकर बैठे हैं लोग। धरना लगाकर बैठे हैं, उपाध्यक्ष महोदय..... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं सुनेंगे नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक हफ्ते से स्टेच्यू सर्कल पर धरना लगाकर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पीपाड़ के लोगों को मारा जा रहा है चुन-चुनकर। पीपाड़ में जो हुआ....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तानाशाह हो गयी है यह सरकार। यह पुलिस तानाशाह हो गयी है।

श्री उपाध्यक्ष : मामला बहुत गम्भीर है इसलिये कह रहा हूं न यह। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : शांति समिति की मीटिंग के नाम पर....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनो तो सही। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, शांति समिति की मीटिंग के नाम पर लोगों को बुलाकर मारा गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप पीपाड़ के लोगों को बुलाकर बात करिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हो? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, शांति समिति की मीटिंग की कह कर थाने में ले गये, वहां पर मारपीट की। हिन्दू और मुसलमान दोनों के साथ की। अगर ये हरकतें चलती रहेंगी, उपाध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देश नहीं देंगे तो.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह पुलिस +++ हो गयी है। यह राज +++ हो गया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू-मुस्लिम समन्वय समिति के लोग स्टेच्यू सर्कल पर धरने पर बैठे हैं। हिन्दू और मुस्लिम दोनों सम्प्रदाय के। (व्यवधान) हिन्दू ने मुसलमान के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई, मुसलमान ने हिन्दू के खिलाफ लिखाई। दोनों सम्प्रदाय के लोगों को पुलिस ने शांति समिति के नाम पर बुलाकर....(व्यवधान) दोनों सम्प्रदाय के लोगों को वहां पर बुलाया है। मंत्रीजी वस्तुस्थिति से अवगत कराये कि स्थिति क्या है? दोनों मुद्दों पर माननीय गृह मंत्रीजी को सदन में अवगत कराना चाहिये। कल से दोनों समुदायों के लोग स्टेच्यू सर्कल पर धरने पर बैठे हैं भूखे और प्यासे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी.... (व्यवधान) प्रयास किया और... (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुख्य मंत्रीजी का जिला है और वहां मार रहे हैं। गुण्डा गर्दी कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी का जिला है।

श्री उपाध्यक्ष : पीपाड़ का जहां तक सवाल है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं आप सुनना ही नहीं चाहो.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हां, सुनाइये, सुनाइये।

श्री उपाध्यक्ष : पीपाड़ का जहां तक प्रश्न है....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप सुनिये इसे, क्योंकि हमने यहां पुलिस प्रशासन को ऐसा खुल्ला एक तरह से सर्टिफिकेट दे दिया कि हमारा पुलिस प्रशासन जो भी कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसी की परिणति पीपाड़ में फिर हुई। उसी की परिणति हुई क्योंकि उन्हें लगा कि राज्य सरकार तो हमें कुछ कहने वाली है ही नहीं, इसलिये चाहे जिसको मारो, चाहे जिसके साथ जिस प्रकार का सलूक करना चाहे, इज्जतदार आदमी की वैसे उसकी इज्जत मिट्टी में मिला डालो। यह उसी का परिणाम है। इस सदन से बार-बार यह बात कही जा रही है कि हम पुलिस प्रशासन की गलतियों पर पर्दा डालकर पुलिस को उच्छृंखल करने का रास्ता क्लीयर कर रहे हैं और यह पीपाड़ की घटना उसका एक जीता-जागता सबूत है। वहां शांति समिति के नाम से तो आपने लोगों को रात को घरों से 12 बजे उठाकर बुलाया कि मीटिंग में एस.पी. साहब आ रहे हैं, आप आइये ऐसा करके सारे लोगों को सवेरे चार बजे तक तो इकट्ठा किया। उसमें सब जाति और बिरादरी के लोग हैं, कोई उसमें बचा नहीं। उसमें हिन्दू भी हैं, उसमें मुसलमान भी है। यह कहकर बुलाया कि शांति समिति की बैठक एस.पी. साहब आये हैं वह लेना चाहते हैं। इसके कारण रात को लोग सोते हुए, जैसे भी थे वैसे उठकर गये। उसके बाद उनको दोनों लाइनों में खड़ाकर एस.पी. स्वयं मारे और यह कहे, जैसी किशनगढ़ में दुर्गति की वैसी ही मैं तुम्हारी दुर्गति करूंगा। यह उसका सबूत है। आपको और हमको शर्म आती है, अगर एक इज्जतदार आदमी को शांति समिति की बैठक के नाम से बुला ले जायें और ले जाने के बाद उनके साथ इस प्रकार से पिटाई करें। यह पीपाड़ की घटना, कपड़े उतारकर मारा। यह पीपाड़ की घटना, उस पर पर्दा डालने का जो यह सरकार प्रयास कर रही है इससे राजस्थान के सारे पुलिस कर्मियों को +++ करने की खुली छूट मिल रही है। इसके कारण राजस्थान में ऐसी स्थिति

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आ रही है, लेकिन आप उनको सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट दिये जा रहे हैं। इसलिये लोगों का गुस्सा है और हम लोग उस गुस्से को आपके सामने यहां रखना चाहते हैं तो आपकी सुनने की मंशा नहीं है क्योंकि एक क्लिन चिट दे दी मुख्य मंत्रीजी ने कि हमारा पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काला धब्बा लगाते हैं। दोनों का अन्तर करके जिसने गलती की है उसे दण्ड देने का काम करिये। कम से कम न्याय के तराजू पर अगर दोषी आता है उसको बचाने की कोशिश मत करो। अगर बचाने की कोशिश करोगे तो आपके ये डण्डे आपको उतने ही महंगे पड़ेंगे। अभी आप +++ में चल रहे हो। लेकिन जब निर्दोष आदमी पीटा जाता है, वह पीपाड़ से आकर यहां स्टेच्यू सर्कल पर धरना देकर बैठे और उसके बाद इंसानियत नहीं जगती हम लोगों की, हमको इस बात का पता नहीं लगता, इससे ज्यादा अफसोस क्या होगा? इसलिये आप यह क्लीन चिट मत दिलवाइये पुलिस को कि हमारी पुलिस जो कर रही है वह अच्छा कर रही है। इसके कारण कभी कुशलगढ़ वाला पिटेगा, कभी डूंगरपुर वाला आदमी पिटेगा। इस प्रकार की खुली छूट आप दे रहे हो, उसके कारण लोगों के मन में क्रोध है।

श्री उपाध्यक्ष : पीपाड़ के प्रश्न पर सरकार से चाहूंगा कि आपका स्टैटमेंट आये आज इस पर, उसके बाद इसका स्टेटमेंट आयेगा सरकार से।

श्री मानिक चन्द सुराना : सरकार का स्टेटमेंट आ जायेगा। मैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं नहीं बिराजूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इसके बाद बोलेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं अर्ज करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट के बाद बोलना।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं स्टेटमेंट से पहले बोलूंगा। (व्यवधान) इन 31 आदमियों को 12 बजे से 6 बजे तक 15 मार्च को....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट के बाद बोल लेना।

श्री मानिक चन्द सुराना : 31 आदमियों को गृह मंत्रीजी 15 मार्च को रात को 12 बजे से पांच बजे सुबह तक बुलाया गया, 31 आदमियों को, जिसमें 14 माली, 9 मुसलमान और एस.सी., एस.टी. के लोग थे। 31 आदमियों को शांति समिति

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

की बैठक के बहाने बुलाया गया। 31 आदमियों के चोटें लगी हैं। इन 31 आदमियों के मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट हैं। मैं हाउस की टेबल पर आपको नजर कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव में इन्होंने जिन बातों का उल्लेख किया है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि उनका स्टेटमेंट आ जाने दीजिये, फिर आपको बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उनका स्टेटमेंट....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं लोग कल से धरने पर बैठे हैं। दोनों समुदायों के लोग धरने पर बैठे हैं। (व्यवधान) अब्दुल हफीज और इदरिस....(व्यवधान) उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। इतनी बुरी तरह से मारपीट की है। न हिन्दू, मुसलमान से लड़ा है वहां, न मुसलमान, हिन्दू से लड़ा है। दोनों समुदाय के लोगों को शांति समिति के बहाने बुलाकर बर्बरता से पीटा है। उनके गम्भीर चोटे आयी हैं। सरकार कब बयान देगी, सरकार यह बताये? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस तरह से पीटा जाता है लोगों को?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यहां मजाक हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य.... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, किसी की शिकायत नहीं है, किसी की तरफ से प्रथम सूचना नहीं है। खुद पुलिस ने ही प्रथम सूचना लिख कर मुकदमा दर्ज कर उनको पीटा है। 151 में बन्द कर सकते हैं, आप एहतियाती कदम उठा सकते हैं लेकिन 151 के अन्दर बिना मुजरिम करार दिये इतनी बुरी तरह से, बर्बरता से पीटा। यह कोई बात थोड़े ही हुई?

श्री मानिक चन्द सुराना : 15 मार्च को पूर्ण शांति थी। एक मार्च को सारा राजस्थान बन्द था। पीपाड़ में अद्वितीय बन्द हुआ था और पीपाड़ में पूर्ण शांति थी। एक मार्च से 15 मार्च के बीच में पूर्ण शांति रही। मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से और माननीय गृह मंत्रीजी से कि जहां कोई साम्प्रदायिक वैमनस्य पैदा नहीं हुआ वहां आपने सबको बुला कर पीट दिया। आज आपकी सरकार की मान्यता है कि साम्प्रदायिक तनाव होना

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ही चाहिये। यदि कहीं साम्प्रदायिक सद्भाव बन गया तो दोनों सम्प्रदायों को बुलाया। मुसलमानों को कह रहे हो हिन्दुओं के नाम बताओ। हिन्दुओं को कह रहे हैं मुसलमानों के नाम बताओ। (व्यवधान) आपको हिन्दू और मुसलमान का स्नेह, साम्प्रदायिक सद्भाव बरदाश्त नहीं है। मैं मांग करना चाहूंगा कि गोविन्द नारायण शर्मा जो एस.पी. हैं, यह कार्य उसकी देखरेख में हुआ है। डी.वाई.एस.पी. की देखरेख में हुआ है। सी.आई. राजेन्द्र, जो भी नाम है, उसकी देखरेख में हुआ है, 100 आदमी थाने के चारों तरफ खड़े कर दिये गये, छतों पर पुलिस बैठा दी गई और उन 31 आदमियों के साथ पांच बजे से साते बजे तक बेरहमी से, नृशंसता से, बर्बरतापूर्वक बर्ताव किया गया। उनके चोटें आयी हैं, यह मेडिकल सर्टिफिकेट है, यह मैं माननीय गृह मंत्रीजी को दे देता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं, क्या जरूरत है उनको देने की, उनके पास तो है ही (व्यवधान) नहीं, नहीं। क्या जरूरत है? नहीं देना चाहते। (व्यवधान) आप कारण बता दो, ऐसा कौनसा उपद्रव वहां पर हुआ था जिसके कारण दोनों सम्प्रदाय के लोगों को सुबह से शाम तक मारा... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : एस.पी. को बरखास्त करिये....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कौनसी ऐसी घटना हुई? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, कौनसा उपद्रव हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, 31 निर्दोष आदमियों को शांति समिति के नाम पर पुलिस के एस.पी. के बुलावे पर वहां बुलाया....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बतायें कि उनका दोष क्या है? (व्यवधान) सरकार यह बताये। (व्यवधान) निर्दोष लोग, कोई खिलाफ कम्पलैंट नहीं....

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव पढ़े हुए मान लिये जाएं।

(पढ़े हुये माने गये प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट-25 देखें)

श्री मानिक चन्द सुराना : स्टेच्यू सर्कल पर धरना दे रहे हैं हिन्दू और मुसलमान दोनों।

मोहम्मद माहिर आजाद : उनको इस तरह से किया जा रहा है.....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दोनों समुदाय के लोगों को कह रहे हैं कि एक-दूसरे के खिलाफ एफ.आई.आर. कराइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्न सिंहजी। (व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

वित्त विभाग

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2000-12 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(1)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-279 दिनांक 30.3.2000 को अतिष्ठित किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2000-13 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं को कर से छूट दी गई है।

3. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-14 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा कतिपय वस्तुओं के विक्रय वस्तुओं के विक्रय या क्रय को कर से छूट प्रदान की गई है।

4. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-15 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(1)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-289 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-16 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(1)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-290 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-17 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(1)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-291 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

7. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-18 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(1)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-292 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

8. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-19 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा रंग और रंगने का मसाला, इमली व इमली के बीज का पाउडर तथा टैक्सटाइल सहायकों के विक्रय को कतिपय शर्तों के अधीन कर से छूट दी गई है।

9. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-20 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा डाइमिथाइल ट्रिफलेट और मोनो एथीलीन ग्लाइकोल के विक्रय को कतिपय शर्तों के अधीन कर से छूट दी गई है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

10. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-21 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा पोलिस्टर स्टेपल फाइबर के विक्रय को कतिपय शर्तों के अन्तर्गत कर से छूट दी गई है।

11. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-22 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा मार्बल्स ब्लाक्स के विक्रय को कतिपय शर्तों के अधीन कर से छूट दी गई है।

12. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-23 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा 29.3.2001 तक किये गये तिलहन के क्रय को भूतलक्षी प्रभाव से कर में छूट दी गई है।

13. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-24 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(25)एफ.डी./ग्रुप-IV/-92 पार्ट-II-22 दिनांक 28.9.1995 में संशोधन किया गया है।

14. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-25 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा कतिपय प्रगणित संकर्म संविदा को कतिपय शर्तों के अधीन कर में छूट दी गई है।

15. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-26 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ.डी./टैक्स-डिवी/99-148 दिनांक 26.3.1999 में संशोधन किया गया है।

16. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-27 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ.डी./टैक्स-डिवी/99-148 दिनांक 26.3.1999 में संशोधन किया गया है।

17. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-28 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा विभिन्न राज्यों के राज्य पथ परिवहन निगमों को किये गये मोटरयानों के सभी प्रकार के टायर व ट्यूब के विक्रय के सम्बन्ध में कतिपय शर्तों पर 31.3.2002 तक 4 प्रतिशत की दर से कर संगणित किया जायेगा।

18. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-29 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के अधीन किसी प्रतिदेय रकम पर ब्याज 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से देय होगा।

19. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ. डी./टैक्स-डिवी/2001-30 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1995 के अधीन उद्ग्रहणीय ब्याज की दर दो प्रतिशत प्रति मास की गई है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

20. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-31 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(11)एफ.डी./टैक्स-ग्रुप/प.अ./1995-50 दिनांक 27.3.1995 में संशोधन किया गया है।

21. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-32 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(8)एफ.डी./ग्रुप-प्ट/1994-49 दिनांक 7.3.1994 में संशोधन किया गया है।

22. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-33 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(7)एफ.डी./ग्रुप-प्ट/1992-71 दिनांक 4.3.1992 में संशोधन किया गया है।

23. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-34 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(69) एफ.डी./टैक्स-डिवी/1995-33 दिनांक 15.3.1996 में संशोधन किया गया है।

24. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-35 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ.डी./टैक्स-डिवी/1999-127 दिनांक 26.3.1999 में संशोधन किया गया है।

25. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-36 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(79) एफ.डी./टैक्स-डिवी/1995-398 दिनांक 29.9.2000 में संशोधन किया गया है।

26. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-37 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(74) एफ.डी./टैक्स-डिवी/1996-380 दिनांक 16.8.2000 में संशोधन किया गया है।

27. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-38 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(49) एफ.डी./टैक्स-डिवी/1997-253 दिनांक 29.11.1999, अधिसूचना संख्या एफ.4(1) एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-293 दिनांक 30.3.2000 एवं अधिसूचना संख्या एफ.4(1) एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-361 दिनांक 19.6.2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) को विखण्डित किया गया है।

28. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-39 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(69) एफ.डी./टैक्स-डिवी/1995-49 दिनांक 15.3.1996 में संशोधन किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

29. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-40 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ.डी./टैक्स-डिवी/1987 दिनांक 13.11.1999 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन किया गया है।

30. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-41 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ.डी./टैक्स-डिवी/1999-220 दिनांक 30.4.1999 में संशोधन किया गया है।

31. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-42 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा श्याम और श्वेत पिक्चर ट्यूब विनिर्माताओं के लिये प्रशमित उद्ग्रहण स्कीम अधिसूचित की गई है।

32. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-43 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी द्वारा आयातित गुटखा और चूरी को सम्मिलित करते हुये जर्दा मिश्रित मसाला के बारे में संदेय कर से कतिपय शर्तों के अधीन छूट दी गई है।

33. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-44 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यवहारी को कतिपय शर्तों के साथ सम्यक् रूप से प्राधिकृत अधिकारी के लिये जाने वाले प्रमाण पत्र अधिसूचित करते हुये कर में छूट दी गई है।

34. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-45 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(50)एफ.डी./टैक्स-डिवी/1999-385 दिनांक 22.8.2000 में संशोधन किया गया है।

35. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-46 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(1)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-320 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

36. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-47 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.10(31)एफ.डी./टैक्स-डिवी/1987 दिनांक 22.5.1999 (समय-समय पर यथासंशोधित) में संशोधन किया गया है।

37. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-48 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथा संशोधित) अधिसूचना संख्या एफ.4(1) एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-302 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

38. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-49 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर नियम, 1995 में संशोधन किया गया है।

39. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-50 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा पेट्रोल और डीजल के व्यवहारियों को पण्यावर्त करके संदाय से सशर्त छूट दी गई है।

40. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-51 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ.डी./टैक्स-डिवी/1999-169 दिनांक 26.3.1999 में संशोधन किया गया है।

41. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-52 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या एफ.4(1) एफ.डी./टैक्स-डिवी/2000-324 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

42. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-53 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन कर के निर्धारिती के गत वर्षों के कर दायित्व के सम्बन्ध में शास्ति और ब्याज से कतिपय शर्तों पर 31 मार्च, 2001 तक छूट दी गई है।

43. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-54 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(50) एफ.डी./टैक्स-डिवी/1999-405 दिनांक 25.10.2000 में संशोधन किया गया है।

44. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-55 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भूमि एवं भवन कर नियम, 1965 में संशोधन किया गया है।

45. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-56 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ.डी./टैक्स-डिवी/1999-261 दिनांक 15.1.2000 में संशोधन किया गया है।

46. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-57 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा (समय-समय पर यथासंशोधित) अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ.डी./टैक्स-डिवी/1999-265 दिनांक 20.1.2000 में संशोधन किया गया है।

47. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-58 दिनांक

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(4)एफ.डी./टैक्स-डिवी/1999-221 दिनांक 30.4.1999 में संशोधन किया गया है।

48. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-59 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(25) एफ.डी./टैक्स-डिवी/1994-334 दिनांक 3.4.2000 में संशोधन किया गया है।

49. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-60 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.2(6)वित्त/ग्रुप-4/86 दिनांक 31.8.1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

50. अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफ.डी./टैक्स-डिवी/2001-61 दिनांक 29.3.2001 जिसके द्वारा निष्पादित नई लीज क्वरी लाइसेंस के तथा खनन लीज नवीनीकरण एवं लाइसेंस के हस्तांतरण के विलेख की दर निर्धारित की गई है। (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : पीपाड़ की घटना पर, गृह मंत्रीजी, बयान दो। बयान दो।

श्री उपाध्यक्ष : डा. (श्रीमती) कमला।

राजस्व विभाग

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या एफ-6(44)रा-6/2001/73 दिनांक 28.12.2001 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आबंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जब से सदन आहूत हुआ है तब से लेकर आज तक हमने एक-एक करके पुलिस की बर्बरता की घटनाओं को इस सदन में रखा है जिन घटनाओं से यह सिद्ध हो गया कि राजस्थान में कानून का राज नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया।

परिवहन विभाग

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या एफ.7(3)परि/नियम/मु/पार्ट-III/95 दिनांक 22.2.2002 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। यह अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुमित्रा सिंह।

समिति का प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति (प्रतिवेदन संख्या-4)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (श्री सभापति महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 2001-2002 के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करती हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण सिंहजी।

याचिका समिति (प्रतिवेदन संख्या-5 व 6)

श्री नारायण सिंह (श्री सभापति याचिका समिति) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति 2001-2002 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

1. कृषि विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जन उपयोगिता विभाग, स्वायत्त शासन विभाग एवं गृह विभाग से सम्बन्धित समिति को प्राप्त याचिकाओं के सम्बन्ध में समिति का पांचवां प्रतिवेदन।
2. समाज कल्याण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शिक्षा विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग एवं सिंचाई विभाग से सम्बन्धित समिति को प्राप्त याचिकाओं के सम्बन्ध में समिति का छठा प्रतिवेदन।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सुनना ही नहीं चाहते तो क्या करूं? श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : स्टेटमेंट का समय क्या है, बताइये न।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट आप सुनना ही नहीं चाह रहे हो तो मैं क्या करूं?

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कब आयेगा, समय तो बताइये। स्टेटमैंट देने का कोई समय तो बताइये। अभी दे रहे हैं कि दो बजे देंगे कि चार बजे देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, तो आप सुनो तब बताऊं न। आप सुनना ही नहीं चाह रहे तो मैं क्या करूं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम तो सुनना....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह तो मैं कह ही रहा हूं स्टेटमैंट दिलाऊंगा, आप बिराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हम आसन का सहयोग करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कहां कर रहे हैं सहयोग?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गृह मंत्रीजी वक्तव्य देना चाहते हैं तो अभी दें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ राजस्थान पुलिस तो +++ हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : अभी दें कि कब दें, यह बात छोड़ो लेकिन अभी दिलाऊंगा, आप बिराजिये।

(नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, दो बातें स्पष्ट करायें। एक तो यह कि अभी स्टेटमैंट दे रहे हैं क्या? या अभी नहीं दे रहे हैं तो कौनसे समय दे रहे हैं? दूसरा यह है कि जिस बात को लेकर हम कल से धरने पर बैठे हैं उसके बारे में भी आपको कुछ कहना है कि नहीं? नहीं कहना है तो हमारा धरना जैसे चल रहा था वह चलेगा। अभी अगर आप स्टेटमैंट देना चाहते हैं तो समय बताइये, कौनसा स्टेटमैंट किस समय दे रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, तीन घटनाएं हैं। किशनगढ़ की...(व्यवधान) विरुद्ध की गयी कार्यवाही, नवज्योति के कार्यालय को जलाया गया और यह। चारों घटनाओं पर हमें चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोई सुनना ही नहीं चाहते हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री देवीसिंह भाटी : आप तो पुलिस की पैरवी करोगे, हमको पता है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मत मांगो तो फिर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जब आपने पढ़ ही लिया तो फिर काहे को मांग कर रहे हैं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो एक +++

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जब बात ही सुनना नहीं चाहते हो तो मतलब ही क्या निकला? आप अपनी बात कहते रहते हो और दूसरों को सुनते ही नहीं हो।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आप कितनी बजे स्टेटमेंट देना चाहते हैं पीपाड़ पर?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन कर रहा हूं कि किशनगढ़ के सम्बन्ध में मैंने माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता गुलाब चन्दजी कटारिया से और हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन किया था कि किशनगढ़ की घटना के सम्बन्ध में मैं स्टेटमेंट देना चाहता हूं। इन्होंने मना कर दिया कि हमारे तो पहली शर्त यह है कि जब तक आप जुडीशियल इंक्वायरी नहीं बैठायेंगे सस्पैंड नहीं करेंगे और हमारे व्यक्ति ने जो मुकदमे दिये हैं उसकी जांच नहीं करायेंगे तब तक हम कोई स्टेटमेंट नहीं सुनना चाहते।

मैंने उनसे कहा और अनुरोध किया कि आप मेरे स्टेटमेंट के बाद अपनी मांग रखें। उसको देखें और उसमें जो बिन्दु उभर कर सामने आयेंगे उसके सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे। फिर भी वे किशनगढ़ के सम्बन्ध में स्टेटमेंट चाहते हैं तो मैं... (व्यवधान) आ रहा हूं, आ रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अभी तो पीपाड़ की बात करो आप। (व्यवधान) हम बाद में कर लेंगे। हम कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आ रहा हूं, आ रहा हूं। आप पूरी बात तो सुन लीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : या हम कोई आपकी दया की भीख के ऊपर नहीं जिन्दे हैं। हम जनता की समस्याओं को उठाने के लिये आये हैं और वह हमारा अधिकार है, हम उठायेंगे।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं मना नहीं कर रहा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप अगर इसे हल करो तो बहुत अच्छा, नहीं करो तो बहुत अच्छा। हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है। सवाल इस समय जो खड़ा हुआ है चेयर से वह यह है कि पीपाड़ के बारे में आप स्टेटमेंट अभी देना चाहते हैं कि नहीं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं उसी पर आ रहा हूं, सुनो तो सही आप। नियम 50 के अन्तर्गत इन्होंने आज आपको नोटिस भेजा, उपाध्यक्ष महोदय। आपने उसको रिजैक्ट करके मुझे आदेश दिया कि इसका स्टेटमेंट दीजिये। मुझे वक्त दीजिये, मैं स्टेटमेंट तैयार करके सामने आ जाता हूं।

एक माननीय सदस्य : दो दिन से बैठे हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अभी दिया है आपने। आपने जो तथ्य लिखे हैं उनके बारे में मुझे जानकारी तो प्राप्त करनी पड़ेगी। मेरे पास जो तथ्य हैं और आपने जो तथ्य दिये हैं, उसमें जो अन्तर है मैं उसकी पूरी जानकारी करके ही तो उत्तर दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप क्या करते हो? उपाध्यक्ष महोदय, 15 तारीख की कोई घटना होती है और अगर आपके पास उसकी सारी चीज की जानकारी नहीं आती, इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान... (व्यवधान) के लिये क्या हो सकता है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे पास पूरी जानकारी है लेकिन जो बात नियम 50 के तहत....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारे लिये नहीं, आपके लिये दुर्भाग्य है। 15 तारीख को निर्दोष की पिटाई हो जाये और राजस्थान के गृह मंत्री को उसका डिपार्टमैंट और पुलिस प्रशासन जानकारी नहीं दे और आप जानकारी नहीं ला सकते हो तो आप काहे के गृह मंत्री हो?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह गलत बयानी मत कीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप हमारे सामने पहले आकर 19 तारीख को पीपाड़ की घटना के बारे में, बाकी घटना के बारे में चलाकर स्टेटमैंट देते।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने यह कहा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जनता का जनबल अब उसके विरोध में खड़ा हो रहा है तो आपका यह नैतिक दायित्व बनता है, बिना मांगे ही आपको आकर अपना स्टेटमैंट देना चाहिये था तो चर्चा वहीं से शुरू हो जाती।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने यह कहा है। सुनिये, मैंने यह कहा है। ध्यान से सुनिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब आपने स्टेटमैंट देना उचित ही नहीं समझा, आपने नहीं लिखा, सरकार के पास जो तथ्य हैं, जो विषय जनता के बीच में आ चुका, आपको चलाकर यहां स्टेटमैंट देना चाहिये था। अगर उससे कोई सवाल खड़ा होता तो उसके बाद...(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह मेरी तैयारी है। आप सुनो तो सही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 15 तारीख की घटना की 21 तारीख तक भी अगर सरकार के पास जानकारी नहीं है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा इस सरकार का?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सुनो तो सही। आप सुन लीजिये मेहरबानी करके। (व्यवधान) खाली अपनी बात कह-कह कर जाना चाहते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब तक हम नहीं उठायें तब तक आप कुछ कहना नहीं चाहते हो। चाहे कोई मर जाये, कुछ भी हो जाये। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पीपाड़ की घटना के सम्बन्ध में.....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम उठायेंगे तो आपके पास नोटिस आयेगा, नोटिस आयेगा तो फिर ये जानकारी मंगवायेंगे। यह कौनसी सरकार है? यह कैसी व्यवस्था चल रही है? अगर आप चाहते तो चलाकर आप देते। हमको कुछ सवाल खड़ा करना था हम आपके सामने अपने आप खड़ा करते।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पीपाड़ की घटना में आज शाम को स्टेटमैंट दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जब तक हम नहीं उठायें तब तक आप जानकारी नहीं देंगे राजस्थान के लोगों को? इस गलत परिपाटी के कारण यह अशांति फैलती है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मेरे पास पूरी जानकारी है, लेकिन आपने जो 50 का नोटिस दिया है, उसमें जो तथ्य बताये हैं....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर हमारे पास कोई होगा...(व्यवधान) अगर आप एडवांस में स्टेटमैंट दे देते तो आपका क्या बिगड़ जाता?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं आज ही स्टेटमैंट दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राजस्थान की जनता तो यही चाहती है न कि उसकी वस्तुस्थिति की जानकारी मिल जाये हमारे पास दो तथ्य ज्यादा होते तो हम आपको दो तथ्य और बता देते।

एक माननीय सदस्य : आप हत्याएं करवा रहे हैं। गोविन्दगढ़, अलवर में डायरेक्टर की हत्या करवा दी आपने।

श्री हीरालाल विश्नोई : आप सुनना ही नहीं चाहते। मंत्रीजी फरमा रहे हैं, आप सुनने ही नहीं देते हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक तारीख, तीन तारीख....(व्यवधान) इन्तजार करते हैं। चलाकर आपको देना चाहिये था। आपकी तो मंशा ही नहीं है। (व्यवधान) आपका एस.पी. मारता है, उसको आप बचाने में लगे हुये हो।

(सदन कूप में नारेबाजी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हमारा कल भी था, परसों भी इसी प्रकार का था। यह क्या है?

श्री हीरालाल विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सुनना नहीं चाहते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप आसन पर बिराजमान हैं, अगर इन विषयों पर जो कल संवेदनशील विषय थे, सरकार अपनी तरफ से चलाकर स्टेटमेंट लेकर आ जाती और हम अपनी बात रखना चाहते तो जोड़ देते, उस पर विचार हो जाता। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आप रखना चाहते हो तो लगाने का....(व्यवधान) आग किसने लगायी?

श्री हीरालाल विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। (व्यवधान) अगर सुनना ही नहीं चाहते तो काहे का जवाब दें?

(सदन कूप में नारेबाजी)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही मैंने आपसे निवेदन किया था कि पीपाड़ की घटना के सम्बन्ध में मैं आज स्टेटमेंट देना चाहता हूं। मैंने चलाकर यह बात कही है। इन्होंने जो कुछ तथ्य इसमें लिखे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके आज ही मैं अपना स्टेटमेंट दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रोफेसर।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि खुले दिमाग से सरकार कोई बात करना चाहती है क्या? गृह मंत्रीजी क्या स्टेटमेंट देंगे? गृह मंत्रीजी वह स्टेटमेंट देंगे जिसे जोधपुर के एस.पी. इनको ब्रीफ करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर का जो एस.पी. है वह सबसे बड़ा मुल्जिम है। (व्यवधान) आप बैठिये एक मिनट।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गंगावतजी, आपके सिर के ऊपर से निकल जाती है बात। (व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत (थानागाजी): मैं तो कहता हूं कि आप पुलिस को धन्यवाद दो कि उन्होंने गुण्डों को ठीक किया। ये सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : खुले मन से क्या सुनेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बिलकुल सुनना चाहते हैं। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : हम लोग तैयारी करके आते हैं अपने क्षेत्र की समस्याएं बताने के लिये, यहां कोई सुनने के लिये तैयार ही नहीं होता है। एक के साथ सभी खड़े हो जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको कोई न कोई निर्णय करना पड़ेगा।

डा. के. सी. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, रोजाना हल्ला करके सदन का कीमती समय बरबाद करते हैं। रोजाना एक ही बात है। (व्यवधान)

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : खुद आप जनाधार की बात करते हैं, आपने देख लिया क्या हाल हुआ आपका और आगे देख लेना। दुबारा सरकार कांग्रेस की बनेगी।

(सदन कूप में नारेबाजी)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक अजीब प्रकार की नयी व्यवस्था कायम हुई है कि विधान सभा भवन तक तो कोई जुलूस और धरने वालों को आने ही नहीं देते हैं। स्टेच्यू सर्कल पर पीपाड़ शहर के हिन्दू और मुसलमान बैठे हुये हैं। गृह मंत्रीजी, आपके जोधपुर शहर का...(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : गुजरात में कई निर्दोष लोग मारे गये और हमारे यहां अमन-चैन है। कानून और व्यवस्था ठीक तरह से राजस्थान में बहाल की इसलिये आप तो धन्यवाद दो इस सरकार को। (व्यवधान) गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दो कि इन्होंने कानून और व्यवस्था को ठीक तरह से सम्भाला।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, पीपाड़ के हिन्दू और मुसलमान धरने पर बैठे हुये हैं। आप उनसे मिलिये पहले, उनका वर्शन लीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा, हालांकि उनका सीधा होम मिनिस्टर से ताल्लुक है लेकिन आप भी उनको बुलाकर बात कीजिये। यानी एक अजीब स्थिति है कि जब वे ज्ञापन देने गये, शिकायत करने गये कि उन्होंने उनके साथ मार-पिटाई की, तो उन्होंने कहा, कि उन्होंने मार-पिटाई नहीं की, मार-पिटाई तो मैंने की है, जाओ तुम्हारी मर्जी आये सो कर लो। एक मुसलमान आदमी के यहां आग लगी तो उन्होंने कहा कि तुम यहां आर.एस.एस. और बी.जे.पी. वालों के नाम लिखाओ। नहीं लिखाते हो तो ये 13 मुसलमान बन्द कर दिये, तुमको भी बन्द कर देंगे। आखिर चाहते क्या हैं आप?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये सब बातें रिपीट हो गयीं आपका जो वर्शन है, इनकी भी तो सुनो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कहीं भी अगर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, मैं सुनना चाहता हूं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर खुले दिमाग से कोई बात करना चाहें....(व्यवधान) एक एस.पी. के वर्डिंग से...(व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : ये बोल रहे हैं इनको सुनिये। गृह मंत्रीजी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप सुनिये इनको। आप बोलने दो, वह बोल रहे हैं। (व्यवधान) आप बोलने दीजिये। सुनना ही नहीं चाहते हैं।

श्री कृष्णमुरारी गंगावत : आप उनकी सुनिये फिर आप अपना जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुनने का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : गृह मंत्री महोदय बोल रहे हैं, आप इनको सुनिये। आप बैठ जाइये। फिर आपको जो जवाब देना है, दे देना।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह एस.पी. वही है गोविन्द नारायण शर्मा, वही ब्रीफ करेगा और वही आप स्टेटमैंट देंगे। (व्यवधान) कई मुकदमे बनाये।

श्री हीरालाल विश्नोई : अधिकारियों से ब्रीफ नहीं होंगे तो आपसे होंगे क्या? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक सम्प्रदाय के आदमी ने दूसरे सम्प्रदाय के विरुद्ध कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करायी। (व्यवधान) किसने यह एफ.आई.आर. दर्ज करायी है?

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक 1.30 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.29 बजे, 13.30 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(13.30 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंहजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां जिस प्रेस की बात कर रहे हैं और जिस अजमेर पुलिस की घटना की बात कर रहे हैं, अब यह इण्डियन एक्सप्रेस में अजमेर के एस.पी. के बारे में क्या लिखा है, सुनिये। Those who lost some faith in Khaki Colour after the bloodletting and arson in Gujarat, can take a bit of hope from neighbouring Rajasthan.

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या बोल रहे हो? खुशामद कर रहे हो एस.पी. की। (व्यवधान) एस.पी. के खुशामदी हो क्या +++ एस.पी. की।

श्री संयम लोढ़ा : क्या लिखा है, पढ़ो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंहजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट निवेदन करने दीजिये। (व्यवधान) अभी माननीय गृह मंत्रीजी ने मेरे नाम से और माननीय गुलाब चन्दजी के नाम से एक वक्तव्य दिया है, एक टिप्पणी की है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, जगत सिंहजी, बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा : इण्डियन एक्सप्रेस में लिखा अजमेर पुलिस के बारे में।

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय, इसके बाद उठा लेना। हम तो छह महीने में पहली बार बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खूब बुला देंगे आपको। जो टिप्पणी आयी है....

श्री संयम लोढ़ा : आप एक पैरा और सुन लें। But the locals in Kishangarh look at the events of March 1 quite differently. Had the police not taken stern action some of them said the consequences could have been disastrous.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरे लिये और माननीय गुलाब चन्दजी के लिये, उस पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय संयम लोढ़ाजी, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : अजमेर के बारे में बता रहा हूं। यह कह रही है प्रेस, इण्डियन एक्सप्रेस में क्या लिखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय गृह मंत्रीजी ने अभी अपने वक्तव्य में मेरे लिये और माननीय गुलाब चन्दजी के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक टिप्पणी की थी, इसलिये मैं दो मिनट कहना चाहता हूं। माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा था कि किशनगढ़ के मामले में वह वक्तव्य देना चाहते थे और हमसे उन्होंने परामर्श किया, बातचीत की कि मैं अपना स्टेटमेंट देता हूं तो हमने यह कह कर मना कर दिया कि आपका स्टेटमेंट हम नहीं कराना चाहते। आप न्यायिक जांच कराइये अधिकारियों से, निर्दोष लोगों के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको वापस करिये। (व्यवधान) ये बातें अगर नहीं होगी तो स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है। ऐसी उन्होंने टिप्पणी की थी।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं कि स्थिति ऐसी है कि दो दिन पहले अखबार में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो कहा कि किशनगढ़ में कुछ हुआ ही नहीं, जांच काहे की होगी....

श्री संयम लोढ़ा : सही कहा, बिलकुल सही कहा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जब मुख्य मंत्रीजी ने यह कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं, काहे की जांच होगी तो.... (व्यवधान) गृह मंत्रीजी या तो यह कहें कि जो मुख्य मंत्रीजी ने कहा है वह गलत कहा है और हम जांच करायेंगे, जांच करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनोगे जब ही तो कहेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या इस पोजीशन में हैं वह?

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको बाध्य थोड़े ही कर सकते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या इस पोजीशन में हैं वह?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप सुनोगे जब पता पड़ेगा कि क्या पोजीशन में हैं वह।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पहले एक दफा उनका खुद का स्टेटमैंट है, किशनगढ़ मामले की न्यायिक जांच की जरूरत ही नहीं है। गृह मंत्री गुलाब सिंह शक्तावत ने कहा कि किशनगढ़ प्रकरण में न्यायिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। भाजपा ने इस प्रकरण को लेकर....

श्री संयम लोढ़ा : आप तो इण्डियन एक्सप्रेस पढ़ो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बेवजह बवाल मचा रखा है।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय, इससे बड़ा सवाल एक और है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आज विधान सभा में अपने कक्ष में... (व्यवधान) कहा कि किशनगढ़ में दंगों को रोकने के लिये पुलिस ने जो काम किया। (व्यवधान) वह ठीक था, वरना दंगा खड़ा हो सकता था। जब पहले आप स्टेटमैंट दे रहे हैं और सारा निर्णय ही आपने कर लिया तो आपका स्टेटमैंट क्या सुनेंगे हम? आपने तय ही कर दिया कि वहां कुछ हुआ ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आप गवर्नमैंट को स्टेटमैंट देने से रोक सकते हो क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मतलब क्या हुआ इसका?

श्री उपाध्यक्ष : मतलब तो आप सुनोगे जब पता पड़ेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप अखबारों में यह बात कर रहे हो... (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : स्टेटमेंट क्या देंगे, आप सुनो जब है ना। आप सुनने को तैयार कहां हो। आप सुनो, स्टेटमेंट देंगे। (व्यवधान) स्टेटमेंट देना चाहते हैं।

श्री सांवरलाल (भिनाय) : आप यह कहना चाहते हैं कि अखबारों में और बात कही...(व्यवधान) अखबारों में और बात कहते हो और विधान सभा में दूसरी बात कहोगे...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने पहले ही जजमेंट कर दिया, मुख्य मंत्रीजी ने बोल दिया कि किशनगढ़ में कुछ हुआ ही नहीं, गृह मंत्रीजी ने बोल दिया तो अब सदन से बाहर जाकर वक्तव्य दे दिया....(व्यवधान) अब आपको क्या सुनें?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अखबार में आ गया, इसके बाद गृह मंत्रीजी ने स्वयं ने यहां हाउस में यह कहा है कि मैं स्टेटमेंट देने के लिये तैयार हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : स्टेटमेंट इसके अलावा क्या देंगे? (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : स्टेटमेंट इसके अलावा देना चाहते हैं क्या? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना): जब कुछ हुआ ही नहीं तो आप स्टेटमेंट क्या सुनेंगे? (व्यवधान) आप खुद मानते हैं कि कुछ नहीं हुआ है....(व्यवधान) लूट ले गये, लुटेरों को तो पुलिस पकड़ेगी, माल बरामद करेगी। (व्यवधान) वह माल जयपुर तक आ गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मुख्य मंत्रीजी कहते हैं कुछ नहीं हुआ, गृह मंत्रीजी कहते हैं कुछ नहीं हुआ...(व्यवधान) फिर वक्तव्य किस बात का दे रहे हैं आप? (व्यवधान) उसके बाद इस प्रकार की टिप्पणी का क्या अर्थ है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन चल रहा है, विधान सभा अधिवेशन चल रहा है तब गृह मंत्रीजी को... (व्यवधान) सदन के बाहर बोलें, यह गलत परम्परा है।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर किशनगढ़ और पीपाड़ पर चर्चा हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी, बहुत हो गयी सदन में....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोई बात उठायी जाये उसके बाद सदन के बाहर गृह मंत्रीजी वक्तव्य देते हैं कि कोई जांच की आवश्यकता नहीं, पुलिस ने सही कार्यवाही की। उसी तरह मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा रही है, सदन के अन्दर कोई मामला उठे, सदन के अन्दर कोई जवाब आता, यहां सरकार यह कहती कि हम किशनगढ़ के मामले के अन्दर वक्तव्य देना चाहते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आप चाहते क्या हो, वह बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किशनगढ़ के मामले में आज तीसरा दिन है, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि हम वक्तव्य देना चाहते हैं और सारे समाचार पत्रों में इन्होंने बयान दे दिये कि किशनगढ़ के अन्दर पुलिस ने जो कुछ किया वह वाजिब किया, कोई न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह तो अनेक जगह कहा गया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी का यह रवैया गैर जिम्मेदाराना रवैया, गृह मंत्रीजी का यह रवैया गैर जिम्मेदाराना रवैया है। (व्यवधान) यह संसदीय परम्पराओं के विपरीत किया है। सदन के अन्दर मामला आ गया...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस शासन में हत्याएं हो रही हैं....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इससे बड़ा... (व्यवधान)... क्या हो सकता है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब, प्लीज। यह तो बहुत दफा हो चुकी बात, इसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। अगर आप स्टेटमेंट सुनना चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर में पंचायत समिति सदस्य रोशन लाल शर्मा की हत्या हो गयी और कांग्रेस के लोगों ने कर दी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कहो जो मंत्री कहें, यह तो कभी सम्भव नहीं है। अब वह क्या कहेंगे उसका यदि आप कयास कर रहे हो कि यह कह देंगे, उसका क्या इलाज है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन के बाहर मुख्य मंत्रीजी वक्तव्य दे दें, सदन में गृह मंत्रीजी क्या उस वक्तव्य को नकार सकते हैं? (व्यवधान) क्या अर्थ रहा उनके वक्तव्य का? अखबारों में छपा है सदन के बाहर गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे रहे हैं। सदन में कहते।

श्री सांवरलाल : आप अखबार में अलग बात कहते हो, यहां पर अलग बात कहोगे क्या? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुख्य मंत्रीजी के जिले में पीपाड़ है और एस.पी. जोधपुर ने मारा है लोगों को। मुख्य मंत्रीजी का सीधा आदेश है...(व्यवधान) एस.पी. साहब से पिटवाया है....(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : अगर हम खड़े हो जायेंगे फिर क्या रहेगा, बताओ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यहां सदन में अगर गृह मंत्रीजी इस बात को रिपीट नहीं करते तो हम आपसे इस बारे में कुछ पूछना भी नहीं चाहते थे। लेकिन चूंकि सवेरे गृह मंत्रीजी ने अपनी यह इच्छा जाहिर की, मैं तो किशनगढ़ के बारे में स्टेटमैंट देना चाहता हूं। यह सवेरे आज उन्होंने कहा। हमारा यह कहना है कि जब एक तरफ मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि वहां कुछ हुआ ही नहीं, गृह मंत्रीजी स्वयं कहते हैं कि वहां ऐसा कुछ है ही नहीं, वहां कोई जांच की जरूरत ही नहीं। जब यह बात वह हाउस के बाहर कहते हैं तो फिर यहां आकर यह कहने की जरूरत क्या है कि मैं स्टेटमैंट देना चाहता हूं? क्या स्टेटमैंट देना चाहते हैं?

एक माननीय सदस्य : वही जो अखबार में कहा उसी को रिपीट कर देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फिर तो यह कहो। मतलब क्या है उसका? फिर उसका कोई अर्थ ही नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : Ajmer man in khaki dress braves saffrom mobs.

श्री जुगल काबरा : किशनगढ़ में आप लोग +++ जो कह रहे हो....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने स्टेटमैंट दे दिया बाहर और आपने उस बात को कह दिया....

श्री मोहन लाल मोदी : स्टेटमैंट में इस +++ का पर्दाफाश करना चाहते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाओ, +++ बैठ जाओ....

श्री मोहन लाल मोदी : +++

श्री गुलाब चन्द कटारिया : (व्यवधान) न्यायिक जांच हो इस चीज की।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ बैठ जाओ....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और जो निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे बने हैं उनकी जांच हो। हमने जिन अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवायी, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हो उनको हटाया जाये। यही तो हमारी तीन मांगें हैं जो हम आपको शुरू से रख रहे हैं। (व्यवधान) फिर वह इस बात पर रोज डिनाई कर रहे हैं। मैं स्टेटमैंट देना चाहता हूं...(व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मोहन लाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में तो पुलिस ने इतना अच्छा काम किया कि राजस्थान को जलने से बचा दिया। इन लोगों ने तो आग लगाने में कमी नहीं....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवेरे जब इन्होंने नयी स्थिति पैदा की, आकर बोलने के लिये इन्होंने कहा। बाकी तो हमारी बात कहकर हम धरने पर बैठ गये। (व्यवधान)

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : भाषण देकर यहां आग लगाने आये हो... किशनगढ़ की जनता की कोई...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राजस्थान के विषय का था और विशेषकर बिजली से सम्बन्धित था इसलिये हम यहां आये हैं। इसलिये हमें आपसे कुछ नहीं है। अगर सवेरे वह यह नहीं बोलते कि मैं तो देना चाहता हूं, वह स्टेटमैंट सुनना नहीं चाहते हैं...(व्यवधान) मंशा होती तो आप इस तरह से...(व्यवधान) इसलिये हम लोगों ने अपनी इसी बात के आधार पर लाबी में धरना दे रखा है। हमारा धरना चल रहा है, हम उसी धरने पर हैं। हम तो केवल आपकी बात कहने के लिये आये हैं, हम धरने पर हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन के बाहर वक्तव्य देकर संसदीय परम्पराओं को तोड़ा है।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): हम आपका स्वागत करते हैं।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : जब किसानों को लूटा था, जब किसानों ने धरना दिया था, आपने पूछा तक नहीं उनको और आज हल्ला करने के लिये इकट्ठे हो रहे हो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...(व्यवधान) 32 के 32 जिलों में हत्याएं हो रहीं हैं। अलवर के गोविन्दगढ़ में पंचायत समिति सदस्य रोशन लाल शर्मा की हत्या हो गयी। कांग्रेस के लोगों ने हत्या करवायी है। 32 के 32 जिलों में हत्याएं हो रही हैं। गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक, अलवर, भरतपुर से लेकर जैसलमेर-बाड़मेर तक सब जगह हत्याएं हो रही हैं।

श्री जीतमल खांट (बागीदोरा) : गवर्नमैंट की अव्यवस्था खुल रही है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस बात को लेकर जनता दल की ओर से भी.... (व्यवधान) यह सरकार कानून और व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है, अव्यवस्था फैल रही है, इस बात को लेकर जनता दल की ओर से भी.... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ...(व्यवधान) सत्ता है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह अंकित नहीं हो।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रतनाराम चौधरी : ×××

श्री हेमन्त कुमार : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजो। बिराजिये। माननीय श्री जगत सिंहजी।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के महामहिम राज्यपालजी के अभिभाषण पर मैं चर्चा करने के लिये यहां खड़ा हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो लोकतंत्र में कल्याणकारी राज के लिये काम किया जाता है, सोच पैदा की जाती है। हर सरकार यह सोचती है और ऐसा कार्य करती है ताकि पब्लिक को उसका लाभ मिल सके। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का यह पूरा अभिभाषण इस बात को दर्शा रहा है कि हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं लोक कल्याणकारी राज में लोगों के विकास के लिये। व्यक्ति चाहे वह किसी भी वर्ग के हों, उनको किसी तरह से विकास का लाभ मिले। इसके लिये पूरी तत्परता से वह कार्य कर रहे हैं। मैं मानता हूं इस बात के लिये क्योंकि जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो बजट वर्ष 1997-98 में मात्र 22.97 करोड़ था, वह 2001-2002 में उन्होंने बढ़ा करके 196 करोड़ किया। मैं उनको इस बात के लिये भी दाद देता हूं कि गरीबी की रेखा से नीचे इलाज कराने के लिये मुख्य मंत्रीजी ने जीवन रक्षा कोष का गठन किया है। गरीबी की रेखा से नीचे वाले लोगों को भयंकर बीमारियों से निजात दिलाने के लिये उन्होंने शत-प्रतिशत जो मदद की है, वह भी सराहनीय है। यही नहीं, पिछले वर्ष तो उन्होंने 23 लाख कार्ड भी चिकित्सा मदद के लिये उपलब्ध कराये, बांटे।

यही नहीं, मैं यह भी ध्यान में लाना चाहता हूं कि उन्होंने दलित समाज के एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के लिये नौकरियों में तो आरक्षण किया ही, परन्तु शिक्षा संस्थाओं में भी उन्होंने 16. 12 और 21 का रेशो कायम किया है। उसके लिये भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जगत सिंह दायमा)

यही नहीं, उनका ध्यान छोटी-छोटी बातों की तरफ भी गया। कोई दहेज पीड़ित महिला, अगर किसी का अंग-भंग हो गया, उस पर ज्यादा ज्यादती हुई तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसकी नौकरी की भी व्यवस्था की।

(13.45 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी का यहां राज था, कुछ दिन मैं भी उसमें शरीक रहा। अल्पसंख्यकों पर जिस तरीके से टाडा एक्ट के अनुसार जुल्म हुआ, आपने आते के साथ ही चालीस मुकदमे वापस लिये। मैं उनको इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उनको भी बराबरी का हक प्रदान किया। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारा अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय यह सोचने लग गया था कि हमारा इस देश में दो नम्बर का दर्जा है। आपने आ करके बहुत सराहनीय काम किया और टाडा एक्ट में बन्द मुसलमान भाइयों पर से केस वापस लिये।

मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग का आपने गठन किया।

यही नहीं ढाणी-ढाणी में जो हमारे बच्चे गांव में जाकर नहीं पढ़ सकते थे, वहां पर राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोल करके आपने एक मिसाल कायम की। पिछले साल तक उन्नीस-बीस हजार, शायद इससे ज्यादा ही होंगे, आपने छोटी-छोटी ढाणियों में ऐसे स्कूल खोले।

सभापति महोदय, यही नहीं, आपने एक बहुत बड़ा अधिकार उन बेबस लोगों को दिया जिस अधिकार से वे 55 साल से वंचित थे-सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार आने के बाद में भ्रष्टाचार के ऊपर काफी लगाम लगी है। इस अधिकार से जो भ्रष्ट अधिकारी थे, जो तथ्य छिपा करके मनमानी करते थे, उनके ऊपर लगाम लगाने का काम भी माननीय मुख्य मंत्रीजी और आपकी सरकार ने किया।

माननीय सभापति महोदय, यूं तो मैं इसको पूरा पढ़ूं तो ऐसा लगता है कि काम तो बहुत हुआ है परन्तु बहुत-सी ऐसी समस्याएं भी हैं जो इससे बाहर हैं। मैंने आपका ध्यान इधर भी दिलाया है तो मैं उधर भी आपका ध्यान इसलिये दिलाना चाहता हूं कि कोई ऐसी बात रह नहीं जाये कि आपका ध्यान नहीं हो और लोग बाट देखते रहें। लोग बिलखते रहें। वैसे तो आपने बड़ी वाहवाही ली है कि प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया। आप

(श्री जगत सिंह दायमा)

कहते हैं कि गांवों के संग में 66 लाख लोगों को हमने उनके कार्य करके राहत पहुंचायी और शहरों में 16-17 लाख लोगों को हमने उनके कार्य करके राहत पहुंचायी। परन्तु मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है....(व्यवधान) उपाध्यक्ष, नहीं, नहीं, यह तो अध्यक्ष के बराबर है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो आपको बहुत कुछ बनाना चाहता हूं लेकिन....

श्री सभापति : मैं उपाध्यक्ष रहा हूं। मैं उपाध्यक्ष रह चुका हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : अब तो अध्यक्ष के लिये करें।

श्री सभापति : मैं तो जो हूं, ठीक हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान में आपने उम्र के सर्टिफिकेट जारी किये वैसे इस प्रक्रिया में हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है, पर आपने 10 मिनट के अन्दर-अन्दर उम्र का सर्टिफिकेट बनाया। आपने जाति प्रमाण पत्र बनाये, आपने अपंग प्रमाण पत्र बनाये। आपने राशन कार्ड बनाये। सभापति महोदय, देखने में तो यह बहुत अच्छा लगता है, परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतना फर्जीवाड़ा इसमें हुआ है, अब मैं चाहता हूं भगवान से कि यह फर्जीवाड़ा नहीं हो यह बड़ी जटिल प्रक्रिया थी, आपने उसको सामने बैठाकर 10 मिनट में पूरा कर दिया। आपने ये सर्टिफिकेट दिये लेकिन जो आशंका है वह यह है कि बड़े लोगों ने गलत सर्टिफिकेट बनवाये हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा अभियान भी चलायें कि जो सर्टिफिकेट, जो राशन कार्ड, आपने बना दिये, वह मान लीजिये किसी ऐसे व्यक्ति का बना दिया जो विदेश से हो, जो यहां आकर रहने लग गया हो, क्या होगा आपका? क्या होगा उम्र के सर्टिफिकेट का? इसलिये मैं यह चाहता हूं कि एक अभियान आप ऐसा भी चलायें कि जो कार्य इन दिनों में आपने किये हैं उसकी दुबारा से आप मानिटरिंग करें। उसको देखें दुबारा से कि कहीं कोई काम गलत तो नहीं हो गया है। एक मांग तो आपसे यह करना चाहता हूं। कल कहीं ऐसा नहीं हो कि उम्र का सर्टिफिकेट छोटी उम्र का बना लिया, तो जो सही पात्र हैं वे तो रह जायें और दूसरे लोग नौकरी प्राप्त कर लें। सभापति महोदय, आवाज आ रही थी मेरे इधर-उधर से कि ऐसा कोई काम गलत नहीं हुआ है। ऐसे गलत काम हुये हैं, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे माननीय राज्य मंत्री राजेन्द्रजी चौधरी का मृत्यु प्रमाण पत्र ही बना दिया।

(श्री जगत सिंह दायमा)

यह कार्य हुआ मुख्य मंत्रीजी के जिले में। इस बात से आशंका हो गयी है कि जो जीवित हैं, जैसे हमारे मंत्रीजी, उनकी मृत्यु का प्रमाण पत्र बना दिया तो कितनी गलतियां उस वक्त हुई होंगी। यह आप अंदाजा लगा सकते हैं।

सभापति महोदय, आप सुनिये, मैं कोई अच्छी बात कहना चाहता हूं। जो आपने एक तरफ देखा है उसके दूसरी तरफ आप नहीं देखेंगे तो गलतियां हो सकती हैं। आप देखिये दूसरी तरफ। अगर मेरे विचार ठीक लगते हैं तो इस पर विचार कर लेना, नहीं लगते हैं तो मैं कोई जोर-जबरदस्ती तो नहीं कर रहा हूं, मैं बोल ही रहा हूं। सारे साल काम चलते हैं लोगों के लिये, चाहे प्रमाण पत्र के काम हों, चाहे म्युटेशन का कार्य हो, नामांतरण हो, अलाटमैंट का कार्य हो, ये सारे वर्ष चलने चाहिये। परिपाटी यह पड़ गयी कि अधिकारी पहले ठाले-निठुल्ले घूमेंगे और कोई काम ये करने वाले नहीं हैं। इनको पता है कि एक साल बाद एक अभियान आयेगा महीने डेढ महीने के लिये और उस दौरान आप सारे काम हल्ले-गुल्ले में करा लेना। तो मुझे इस बात की आशंका है कि आखिर आप इतने दिन उन अधिकारियों से क्या कराएंगे? ये काम करने वाले नहीं है क्योंकि इनको मालूम पड़ गया कि अब जमीन का अलाटमैंट सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब प्रशासन गांवों के संग हो, जब प्रशासन शहरों के संग हो। सभापति महोदय, मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आपने इस दौरान किस-किसको कितनी जमीन अलाट की और बाकी कितनी रह गयी? अगर बाकी रह गयी तो उसका अलाटमैंट क्यों नहीं हुआ? कल आप कह रहे थे कि जो योग्य पात्र हैं उनके लिये अलाटमैंट हुआ है और जो योग्य नहीं है उनके लिये नहीं हुआ है। सभापति महोदय, दलित वर्ग के लोग जो भारत में 37 परसेंट हैं उनको 55 साल के अन्दर रोजी-रोटी नहीं मुहैया करायी गयी, उनकी रोजी-रोटी का काम राजस्थान में भी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि सारी पड़ी हुई जमीन दलित वर्ग को अलाट करें। इसके लिये कोई अभियान चलाने की जरूरत नहीं है। आप इस जमीन को जो दलित वर्ग के गरीब लोग हैं, उनके लिये अलाट करें। यूं तो चलते रहेंगे और लोग अपना-अपना देते रहेंगे, करते रहेंगे।

सभापति महोदय, आपने अजमेर का इलेक्शन जीता है उस दिन से आप फूले नहीं समा रहे हैं। इस बात को हर जगह कहीं न कहीं से लाकर जरूर रखते हैं कि अजमेर का यह इलेक्शन हो गया है। ठीक है, परन्तु इससे आप एक बात

(श्री जगत सिंह दायमा)

जनता के अन्दर नहीं कहें कि अजमेर का इलेक्शन जिता कर उसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आपके राज में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार बराबर हो रहा है। जिस तरीके से बी.जे.पी. के राज में था, उसी तरीके से आज कांग्रेस के राज में भी हो रहा है। बल्कि उससे ज्यादा हो रहा है। मैं यह नहीं कहता कि कौनसा मंत्री ईमानदार है और कौनसा मंत्री ईमानदार नहीं है, परन्तु इस बात को इलेक्शन जीतने पर आपने कह दिया। मैं यह नहीं कहता कि जो आदमी पैसा लेता है, हाथ से लिया और हाथ से दिया, वही भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार तो वह भी है जो अपनी ड्यूटी का पालन नहीं कर पा रहा है। जिसके महकमे में भ्रष्टाचार चल रहा है, आखिर उस मंत्री की जिम्मेदारी क्या है? इसलिये आप इनको खुली छूट नहीं दें। माननीय अशोकजी गहलोत को कहना चाहता हूं कि मंत्रियों को यह बात कह कर खुली छूट नहीं दें कि अजमेर का इलेक्शन जीत लिया इसलिये आप सब बहुत अच्छे मंत्री हो। इनकी लगाम कसें, काम नहीं हो रहा है। आज भी मारा-मारा चाहे ग्रामीण हो, चाहे दूसरा हो, वह क्षेत्र में घूम रहा है। चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे कोई दूसरी समस्या हो, आज भी वह बेहाल है। 55 साल की आजादी के बाद भी।

(14.00 बजे)

सभापति महोदय, मैं थोड़ा सा ध्यान उधर भी दिलाना चाहता हूं, इसके बाद दूसरे पक्ष पर आऊंगा। सभापति महोदय, 154-155 सीटें आपने जीती हैं, दलित वर्ग ने आपकी मदद की है, बहुत मदद की है। सभापति महोदय, 99 प्रतिशत वोट आपको इस बार दलित वर्ग ने दिये, पिछड़े वर्ग ने दिये, मुसलमान वर्ग ने दिये। मैं पूछना चाहता हूं कि पहले बी.जे.पी. का राज था और अब आपका राज है, पर दलित वर्ग के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं क्या उसमें कोई अन्तर आया है? या बढ़ोतरी हुई है? आपको इस पर ध्यान देना चाहिये, सरकार को ध्यान देना चाहिये। मुझे शर्म आती है इस बात को लेकर कि आज भी दूसरे प्रदेशों के मुकाबले देश में राजस्थान दूसरे नम्बर पर है। 2001 के आंकड़ें तो मेरे हाथ आये नहीं, मर्डर हुये उत्तर प्रदेश में एस.सी. के 302, एस.टी. के 22, राजस्थान में 48, मध्य प्रदेश में 55, रेप केस हुये उत्तर प्रदेश में 346, राजस्थान में 128, मध्य प्रदेश में 289, ऐसे ही किडनैप के केस हैं, आपका जो ध्यान जाना चाहिये एस.सी. पर, वह कहां है? आज भी दलित दूल्हे को घोड़ी पर से उतारा जा रहा है, आज भी बारात को पीटा जा रहा है, नंगा किया जा रहा है। ऐसी घटना एक भी होती है तो क्यों होती है?

(श्री जगत सिंह दायमा)

मुझे बड़ा दु:ख हुआ जिसका मैं वर्णन नहीं करना चाहता, लेकिन मुझसे रहा भी नहीं जा रहा है। माननीय गुलाब सिंहजी शक्तावत साहब से मेरे बहुत मधुर सम्बन्ध हैं और जो कार्य मैं उनके पास लेकर गया, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि शत प्रतिशत उन्होंने मेरे कार्य किये। सभापति महोदय, ध्यान रखना चाहिये कि आप अपने मुंह से क्या बोल रहे हैं। पिछले दिनों वे हमारे जिले अलवर गये, अलवर जिले में वे भाषण दे रहे थे। पता नहीं क्या घड़ी थी क्या नहीं, मुझे बड़ा अचम्भा हुआ, मैं भी वहां बैठा था, वह कह गये, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, कि यह एट्रोसिटी एक्ट बहुत बड़ी बीमारी पाल ली। (व्यवधान) सभापति महोदय, बीमारी है, यह आप लोगों के लिये बीमारी है? मजबूत लोगों के लिये जिनके पास लट्ठ हैं, जिनके पास धन और दौलत है, उनके लिये यह बीमारी है? परन्तु कांग्रेस जैसी हुकूमत के गृह मंत्री के मुंह से यह शब्द निकल जाये तो आखिर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कांग्रेस वाले? आप मुझे बतायें कि क्या मैसेज देना चाहते हैं कांग्रेस वाले? यह कोई बीमारी है? एस.सी. और एस.टी. को आपको गले लगाना चाहिये। जिन्होंने मिल कर आपको 153 की संख्या तक पहुंचाया और उन लोगों को जिन्होंने इनकी ओर ध्यान नहीं दिया, 33 पर लाकर छोड़ दिया, उनके लिये गृह मंत्री के मुंह से ऐसा शब्द निकल जाये, यह एक गलत बात है।

एक माननीय सदस्य : वह दुरुपयोग के लिये कहा था।

श्री जगत सिंह दायमा : वह सफाई उनको देनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि आपको गृह राज्य मंत्री बनायें।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी): सभापति महोदय, मैं दायमाजी की बात का समर्थन करता हूं। साथी विधायक ने कहा है दुरुपयोग, दुरुपयोग के लिये 182 के अन्दर कार्यवाही हो सकती है, लेकिन एट्रोसिटी एक्ट कभी भी सजा के लिये दुरुपयोग की भाषा में नहीं है। मैं दायमाजी की बात का समर्थन करता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : समर्थन करते हो न?

श्री बाबूलाल सिंगारिया : हां, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, अब मैं आता हूं शिक्षा के ऊपर। आपने निजीकरण कर दिया, ऐसा निजीकरण कर दिया कि हमारी जनता को लूट रहे हैं, हमारी जनता लुट रही है और आप बैठे-बैठे तमाशा देख रहे

(श्री जगत सिंह दायमा)

हैं। एक-एक स्कूल पन्द्रह-पन्द्रह सौ, बारह-बारह सौ, तेरह-तेरह सौ रुपये हमारे बच्चों से ले रहे हैं और आप बैठे देख रहे हैं। राजस्थान में यह सब कुछ हो रहा है, लूट हो रही है और शिक्षा मंत्रीजी बैठे-बैठे देख रहे हैं।

अभी मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। कल मैंने शिक्षा मंत्रीजी से भी इसका जिक्र किया था कि किस तरह से मनमर्जी करते हैं। एंजिला सोफिया स्कूल, घाटगेट पर मेरे मिलने वाले के बच्चे ने एग्जाम दिया, 100 रुपये तो फार्म के ले लिये और एक्जामिनेशन फीस वगैरह अलग। उसके बाद यह हाल हुआ कि वे यह नहीं बता रहे हैं कि आपके बच्चे को क्यों नहीं लिया गया। डोनेशन मांगते हैं। हमारे पास आ गये, यह सोचकर कि जगत सिंह दायमा की बहुत चलती है, टेलीफोन कर देगा, चलो इनको ले जायें। सभापति महोदय, आप सुनना मेरी बात, मैं जाना नहीं चाहता था परन्तु आग्रह था उनका कि मैं टाल भी नहीं सका चला गया कि चलो पूछें कि भाई क्या बात है, इस बच्चे को क्यों नहीं लिया गया, आप बताओ। अगर आपने टैस्ट लिया है तो इस बच्चे की कापी दिखाओ आप। सभापति महोदय, मैं किससे कहूं यह बात? मैं परसों गया तो मुझसे प्रिंसिपल महोदया वहां नहीं मिलीं। फिर मुझसे कहा गया कि एक घंटे बैठो, फिर कहा कि आप ऐसा करें कि कल आ जाएं। सभापति महोदय, सोचना पड़ेगा आपको। माननीय चन्द्रभानजी, यह आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मुझे कल बुलाया, मैं समय निकाल कर जल्दी से जल्दी, मैंने सोचा 11 बजे विधान सभा शुरू होगी, मैं सवेरे आठ बजे चला गया। सभापति महोदय, वहां बैठा रहा। प्रिंसिपल महोदया ने एक घंटे तक बैठाया, बाद में निकल कर क्लास में चली गईं। मैंने कहा कल आऊं तो बोले कि नहीं, आने की जरूरत नहीं है, वह नहीं मिलेंगी।

सभापति महोदय, बिना नाक में नकेल डाले आपने इन +++ को छोड़ रखा है, नहीं मिलेंगी? हम जन प्रतिनिधि, अगर राजस्थान में कोई हमसे नहीं मिले, इतनी बड़ी इज्जत हमारी आपने करवा रखी है? इस बारे में अगर हम बात करते हैं तो कहते हैं कि भाई उनका वह है। यह कोई बात थोड़े हुई? हमने सस्ती जमीन उनको दे रखी है, कौड़ियों के भाव उनको जमीन दी है, सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। कोई कानून व्यवस्था की बात आती है तो पुलिस का इन्तजाम हम करते हैं। आप उनसे

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगत सिंह दायमा)

कह दीजिये कि सारा काम हमारी सरकार करती है तो क्या जन प्रतिनिधि जाकर नहीं पूछ सकता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिये शिक्षा के लुटेरे जो यहां बैठे हुये हैं, मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकरण को देखें। सूचना का जो अधिकार आपने दिया है वह सूचना का अधिकार, वह सूचना मैं जाकर प्राप्त नहीं कर सका, क्या यह इंग्लैण्ड है? क्या यह जर्मनी और जापान है? सूचना का अधिकार जो आपने हमको दिया है, उससे आपके जयपुर में ही वंचित कर दिया और एक जन प्रतिनिधि को वंचित कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप इस पर बयान दें और उन पर आप नकेल लगाने का कार्य करें।

सभापति महोदय, पीने के पानी की समस्या के बारे में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। 2983 गांव फ्लोराइड और खारे पानी की समस्या से प्रभावित हैं, 55 साल की आजादी के बाद भी मात्र 675 को ही आपने लाभान्वित किया है। सभापति महोदय, 2300 गांव तो अब भी ऐसे ही रह गये हैं जिन गांवों में पीने का पानी नहीं है। आखिर आजादी के 53 सालों के बाद भी अगर आप यह काम नहीं करवा सके तो मुझे नहीं लगता कि आप क्या काम करवा रहे हैं।

सभापति महोदय, लोग कहते हैं कि गुजरात में बड़ा अशोभनीय कार्य हुआ है। (व्यवधान) उन लोगों में मैं भी शामिल हूं। देश के लोगों की गर्दन शर्म से झुक जाती है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं, होना तो यह चाहिये था कि जब हमारी पार्लियामैंट पर हमला हुआ, जब कश्मीर विधान सभा पर हमला हुआ उसी वक्त हमारे देश की जो सरकार है, वाजपेयी सरकार है, उसको चाहिये था कि उनको मुंह तोड़ जवाब देते। सभापति महोदय, 10 साल से हम यहां पर आतंकवाद को झेल रहे हैं। कश्मीर में आपका हाल खराब हो गया। यह हाल हो गया कि दो आदमी साथ चल रहे हैं, दोनों को ही विश्वास नहीं है कौनसा दूसरे को खतम कर दे।

सभापति महोदय, जब पार्लियामैंट पर हमला हुआ उस वक्त इनकी निद्रा टूटी और टूट कर एक माहौल इन्होंने बनाया कि अब हम बदला लेंगे उस देश से जो देश आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। (व्यवधान) सभापति महोदय, मुझसे कहा गया है कि आज आप ठीक से बोल लो। घड़ी मत देखो, मैं 5–7 मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, घड़ी तो मैं मेरे मतलब के लिये देख रहा हूं। मैं आपके लिये घड़ी नहीं देख रहा हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : सभापति महोदय, एक माहौल बना। उस वक्त सारे देश की जनता चाहे वह हिन्दू हो या मुसलमान हो या सिक्ख हो या ईसाई हो, सबके मन देश के प्रति प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो गये। सब लोग

(श्री जगत सिंह दायमा)

यह चाहने लगे कि अब माननीय वाजपेयीजी ने कह दिया है, अब आर-पार की लड़ाई होगी। सारे लोग, हम देश के वासी एकता के सूत्र में बंध गये। क्या हुआ, सभापति महोदय? हमारे लोगों को वहां से उठा दिया गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अशोक गहलोत को कि उन्होंने एक हजार किलोमीटर जो हमारी सीमा पाकिस्तान से लगती है, उन्होंने खुद ने वहां का दौरा किया और सेनाओं का मनोबल बढ़ाया, हमारे ग्रामीण लोगों का भी मनोबल बढ़ाया। सभापति महोदय, उन ग्रामीण इलाकों को आपने खाली भी कराया। आपने खाली करा लिया, लेकिन यहां दूर रहकर उनकी न तो रहने की अच्छी व्यवस्था है। बच्चों की जो शिक्षा हो रही थी वह खतम हो गई। खाने-पीने का कोई प्रबंध नहीं, फसल सब कुछ खतम हो गई। सब कुछ हो गया, लेकिन एक माहौल बना। हमारे बसपा की अभी मीटिंग थी, आज गंगानगर वाले आये थे कि अभी भी हम लोगों को अपने गांव वापस नहीं जाने दे रहे हैं। यह हाल यहां पर हो गया। एक माहौल बना था, परन्तु, सभापति महोदय, वह भी टांय-टांय फिस्स हो गया।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, जाने के लिये किसी ने मना नहीं किया।

श्री सभापति : बोलने दीजिये।

श्री जगत सिंह दायमा : पूरा देश जो एकसूत्र में बंधा था, निढाल हो गया। यह सरकार जिसके लिये मैं क्या कहूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यह सरकार ऐसी साबित हुई, कमजोर, +++ क्या कहूं, +++ (व्यवधान) मैं आ रहा हूं। (व्यवधान) देश में जो माहौल था एकता का, वह भावना खतम हो गई और आज हम वैसे के वैसे हाथ धरकर बैठे हैं। आतंकवाद को खतम करेंगे, क्या खतम करोगे?

आपने कुछ दिन पहले जब हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की को उड़ाया था, उसके बदले कुछ आतंकवादी छोड़ दिये थे। बड़ा हल्ला मचा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो +++ बड़े कपड़े फाड़ दिये कि यह बहुत अन्याय हुआ। क्या हुआ? अजहर मसूद जैसे कुख्यात आतंकवादी को हमारे विदेश मंत्री बाकायदा बड़ी इज्जत से अपने प्लेन में बिठाकर और चाय पिलाकर छोड़ने गये। वह भी अपराधी था। मैं कहना चाहता हूं +++ है यह। एक अपराधी को आप ले जा रहे हो। मुझसे कह

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगत सिंह दायमा)

देते, मैं अपना एक सैनिक भेज देता, वह उसके हाथ-पैर बांधकर ऊपर से पटक देता कि यह है आपका अजहर मसूद, पकड़ो। ले जा रहे हैं हवाई जहाज से बराबर का दर्जा देकर। यह हाल इन्होंने किया फिर लड़ना चाहते हैं आतंकवाद से। आर-पार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं आतंकवाद से।

माननीय सभापति महोदय, ये लोग मांग कर रहे हैं कि पीपाड़ की घटना घटी, शांति समिति के लोगों को बुलाया और न जाने क्या बात हुई। किशनगढ़ की घटना के ऊपर रोष व्यक्त कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह बात तो कही जायेगी कि माननीय अशोक गहलोत ने बड़ी मजबूती से इस गंदे समय को टाल दिया और किसी न किसी तरह से, थोड़े अत्याचार हुये हों, मैं मानता हूं, लेकिन एक बड़ी घटना नहीं हुई। परन्तु, सभापति महोदय, मैं इसलिये यह बात कहना चाहता हूं, गुजरात की घटना नहीं होती अगर युद्ध हो जाता। पाकिस्तान से युद्ध हो जाता तो गुजरात की घटना नहीं होती। जब देख लिया कि ये कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे लोगों ने इसका फायदा उठाया और वो गोधरा काण्ड कर बैठे। फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने हजारों लोगों को मरवा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सभापति महोदय, मुझे शर्म आ रही है यह बात कहते हुये कि ये मांग कर रहे हैं। चलो इनकी मांग को मैं कहता हूं एस.पी., अजमेर को हटा दो। (व्यवधान) ये मांग कर रहे हैं।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय सदस्य, हटा क्यों दें?

श्री जगत सिंह दायमा : आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ये कह रहे हैं कि कोटा वाले एस.पी. को हटा दो, जोधपुर वाले एस.पी. को हटा दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य जगत सिंहजी तो वे अच्छी बात कर रहे हैं जो आप नहीं कह सकते।

श्री जगत सिंह दायमा : माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं, मैं रिक्वैस्ट करूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से इन एस.पी. को हटा दो। मगर मैं यह भी मांग करता हूं कि आप गुजरात से उस मोदी को भी हटा दो। हम तैयार हैं इस बात के लिये। उस +++ को

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगत सिंह दायमा)

भी वहां से हटाओ जिसके संरक्षण में हजारों-हजार लोग मार दिये गये, पैट्रोल डाल-डाल कर आग लगा दी गयी। जीप और गाड़ियों में जा रहे हैं, चारों तरफ तार बांध कर उनको जला दिया। सभापति महोदय, किस देश की बात करते हैं ये लोग? कौनसे देश की बात करते हैं? हम देश में क्या करना चाहते हैं? क्या दिखाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये देश को कहां पहुंचाना चाहते हैं।

अब मैं कहना चाहता हूं, वाजपेयीजी से कहना चाहता हूं, जिनकी सरकार है उनको कहना चाहता हूं, आपने कश्मीर में यही हाल किया। आपने वहां भी यही हाल किया। गुजरात की घटनाएं हुई हैं, पूरे देश में हाल खराब है। उड़ीसा में क्या हुआ? उड़ीसा में विधान सभा पर हमला हुआ। पहले तो आतंकवादियों ने हमला बोला, अब हमारे घर के आतंकवादियों ने हमला बोल दिया। वाजपेयी जिन्दाबाद। वाजपेयीजी एक लाइन बोलकर रह गये कि ऐसे जिन्दाबाद से तो मुझे मर जाना ही अच्छा है। मर क्यों जाये? इन +++ को बरखास्त करो, इन सबको यहां पार्टी से निकालो। ये बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद् पर क्या बैन लगायें, आपके 154 है जिस दिन मेरे 101 आ गये, उस दिन मैं इनके ऊपर बैन लगा दूंगा। आप 154 भी नहीं लगा सकते। बैठे हैं, मुस्करा रहे हो। राज करो तो मर्दानगी से करो, यों ढिलाई से राज रहेगा भी नहीं। अच्छे बनकर राज नहीं रह पायेगा। मैं कह रहा हूं मर्दानगी से राज करो। राज सख्ती से रहेगा, चाहे कोई इधर का हो, चाहे कोई उधर का हो। जो देश को नुकसान करने वाले हैं उनको बन्द करो, दुबारा से उनको माफ मत करो। चाहे कोई बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिन्दू परिषद् हो या और कोई ऐसे अपराधी हों जो देश को नुकसान करना चाहते हैं। किसी भी संगठन, जाति या मजहब का हो, किसी पार्टी का हो, उसको बख्शना नहीं चाहिये। सभापति महोदय, यह हाल इस देश का कर रखा है और फिर बैठे-बैठे कह रहे हैं कि हम राज कर रहे हैं। क्या राज कर रहे हो? यों तो आज का दिन है, आज का दिन चला जायेगा, मैं कह रहा हूं आपसे। कल का आयेगा, कल का भी जायेगा। पौने दो साल आपके चले जायेंगे। मैं माननीय अशोक गहलोतजी से कहना चाहता हूं कि यह काम आप कर जाओ। कुछ अगड़ों के लिये, कुछ पिछड़ों के लिये, कुछ दलितों के लिये, कुछ अल्पसंख्यकों के लिये, गरीबों के लिये कर जाओ याद रखेंगे। इस तरह से सुस्ती अपनाने से कार्य चलने वाला नहीं है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगत सिंह दायमा)

सभापति महोदय, पांच साल का राज है, मेरे साथी विधायक माहिर आजादजी के निर्वाचन क्षेत्र में कुछ शरारती तत्वों ने जो प्राचीन जामा मस्जिद थी उसके दरवाजों को जला दिया, आग लगा दी। डाक्टर शफी मोहम्मद पर प्राणघातक हमला किया। रिपोर्ट भी लिखवा दी 49/2, नगर के थाने में केस दर्ज है। परन्तु, सभापति महोदय, कोई कार्य नहीं हो रहा है, 20 दिन हो गये आज। सभापति महोदय, कहने को तो बहुत कुछ है परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि राज का कुछ मतलब होना चाहिये। अगर राज का यही मतलब है कि आज का दिन चला गया तो इस तरीके से सवा तीन साल तो चले गये, पौने दो साल, का समय आपका और रहा है, अगर आपका राज जाता हुआ दिखाई दिया तो एक साल से पहले आपके अधिकारी आपकी बात मानना ही छोड़ देंगे। 6 महीने रहे हैं आपके पास।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं मानेंगे?

श्री जगत सिंह दायमा : सुन लो मेरी बात। मेरी तो अभी उतनी शक्ति नहीं बन रही है। ये 6 महीने रहे हैं इसमें सख्ती से काम करो और कोई मदद अगर हमारी बाहर से लेना आप चाहते हो कि जगत सिंहजी हमारा मोरल सपोर्ट करो तो हम दूर नहीं है, आप लोगों के हम साथ हैं, परन्तु हम यह चाहते हैं कि इस देश की कानून व्यवस्था बढ़िया रहे जिसमें अगड़ों का और पिछड़ों का आपको ध्यान रहे। कौन भूखा मर रहा है, किसके चूल्हे में आग धधक रही है और किसके में नहीं धधक रही है इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। यही बात कहकर मैं यह चाहता हूं कि हमारे देश में भाईचारा बना रहे, हमारे प्रान्त में बना रहे। इसके लिये हम सबको प्रयास करना चाहिये। दोनो तरफ की बातें जो हुई हैं, असलियत में मैंने चाहा है कि आप भी उसकी तरफ ध्यान दो। राज में बैठे हुये हो, आप यह नहीं कह सकते कि हम क्या करें। आप क्यों नहीं कर सकते? जो लोग सेन्टर में राज कर रहे हैं उनकी भी जो नाकामी रही है उसका भी मैंने बताया है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक अच्छा वातावरण बनाएं और भाईचारे की भावना बनाकर इस राजस्थान को ऊपर उठाएं। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर): सभापति महोदय, मैं इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपने विचार रखना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, किसी भी प्रदेश की तरक्की और विकास तभी सम्भव है जब उस प्रदेश में शांति, अमन, सौहार्द और भाईचारे की भावना और कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे। एक ओर इस प्रदेश में वर्तमान सरकार ने किन्हीं भावनाओं को परिलक्षित रखते हुये सौहार्द-सद्‌भावना बनाये रखने का प्रयास और साथ में कानून व्यवस्था भी ठीक प्रकार से रहे उसके लिये भी लगातार प्रयास किया है, उसकी मैं सराहना करना चाहता हूं। दूसरी ओर राजस्थान में धर्म के नाम पर, सम्प्रदाय के नाम पर या छोटी-मोटी घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर इस ढंग से रखा जाये जिससे पूरे प्रदेश में शांति-व्यवस्था, अमन प्रभावित हो, साम्प्रदायिक सौहार्द और भाईचारा प्रभावित हो, देश भर में और प्रदेश में इन हालातों का द्वन्द्व बराबर चलता आ रहा है। धर्म राजनीति को साथ रखकर जिन तौर तरीकों से हालात पैदा किये जाते हैं या होते हैं, वे अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इस देश के प्रधान मंत्री इन्दिराजी, राजीवजी इन्हीं विचारधाराओं से इन्हीं तौर-तरीकों के माहौल से मारे गये हैं, यह सत्य है, यह तथ्य है। इस सबके बावजूद भी हम प्रेरणा लेकर इस देश का समग्र रूप से विकास करने के लिये, खुशहाली लाने के लिये अच्छे कार्यक्रमों के माध्यम से रचनात्मक सुझावों के माध्यम से प्रयास करें, इस तरफ कोई चिन्ता नहीं लगती है। हमारे देश के सभी लोक सभा और विधान सभाओं के पीठासीन अधिकारियों का विधान सभाओं में जो हालात पैदा होते हैं, जो स्थितियां पैदा होती हैं या महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को शांतिपूर्वक सुनने के बजाय लगातार 3-4 दिनों से जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, उस सन्दर्भ में दिल्ली में जो नवम्बर में सम्मेलन हुआ था उसमें देश के राष्ट्रपतिजी, उप राष्ट्रपतिजी, देश के प्रधान मंत्रीजी, विपक्ष के नेता सोनिया गांधीजी सबकी मौजूदगी में इन सब पर बहुत चिन्ता व्यक्त की गयी। काफी चिन्तन के बाद इस बारे में दिशा-निर्देश दिये गये, विचार दिये गये, पर दुर्भाग्य से जिस पार्टी की अगुवाई में देश में सरकार चल रही है उन्हीं का प्रदेश में सम्बन्धित दल विपरीत आचरण प्रदर्शित कर रहा है। मैं समझता हूं कि समस्याएं हो सकती हैं, मुद्दे हो सकते हैं, उनको तर्क के साथ में यहां प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है, उसमें रखा जाना

(श्री रतन लाल ताम्बी)

चाहिये, मगर उसके बावजूद जो कुछ हो रहा है वह लोकतंत्र के लिये भी अभिशाप है क्योंकि विधान सभा की सारी कार्यवाही समाचार पत्रों के माध्यम से, टी.वी. के माध्यम से सब जगह पहुंचती है। तो मैं सबसे पहले तो अपनी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो अशोभनीय आचरण की स्थिति बढ़ रही है वह हमारे सब के लिये चिन्ता का विषय होना चाहिये।

इसके साथ मैं अपनी आगे बात यह कहना चाहूंगा कि किसी भी सरकार का प्रतिबिम्ब उसके लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का नीतियों के आधार पर जनता द्वारा किया गया मूल्यांकन है। प्रदेश में जनता ने जिस परिकल्पना के साथ राजस्थान में अशोक गहलोतजी की अगुवाई में सरकार बनाकर दी है, सरकार बनाकर देने के बाद में सरकार बहुत कुछ आशा और अपेक्षा जनता की रहती है। यह पहली सरकार है जिसने घोषणा पत्र को एक आधार बनाकर काम शुरू किया कि गीता के पाठ की तरह रोजाना घोषणा पत्र का मूल्यांकन हो, समीक्षा हो और उसके आधार पर कार्यक्रम और नीतियां निर्धारित हों। ऐसी सरकार को एक सफल सरकार कहा जा सकता है और इसी दृष्टि से विपक्ष के पास काफी ढूंढ़ने के बाद भी कोई मुद्दे मिल नहीं पा रहे हैं इसलिये छोटी-सी एक बात को, एक कोने की बात को पूरे प्रदेश में फैलाकर वातावरण बनाने की कोशिश की जाती है। उसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि इस तीन वर्ष के कार्यकाल में लोक-कल्याणकारी नीतियों को लागू करके सरकार यह स्थिति पैदा कर दी कि सरकार के खिलाफ कहने के लिये कोई मुख्य मुद्दा उनके पास नहीं है। एक स्वप्नदृष्टा की तरह कुछ परिकल्पनाओं को लेकर राजस्थान को एक आधारभूत ढांचा देने के लिये इस सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय किये हैं जिससे लगता है कि सरकार की कुछ दूरदृष्टि है।

एक जमाना था जब राजस्थान आजादी के बाद की स्थिति में था। हमारे सामने संसाधनों की कमी रही, आवश्यकताएं बढ़ीं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और समस्याओं का अम्बार लग रहा है। ऐसी स्थिति में इस सरकार ने ऐसे कुछ 4-5 मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित कर दिया है जिससे लोगों के आर्थिक हालात सुधरें, रोजगार में वृद्धि हो और आधारभूत सुविधाओं से राजस्थान आगे बढ़ सके। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की हालत बहुत खराब थी। पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं किया। कनेक्शन देते चले गये और समस्याएं पैदा कर गये। किसानों के हितैषी होने की लम्बी-चौड़ी बातें करके बिजली के मुद्दे को वे लाते हैं...

श्री सभापति : मुख्य सचेतकजी, मंत्री उपस्थित नहीं है।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं भी बिजली के मुद्दे को मानता हूं कि कुछ समस्याएं हैं। बिजली के बारे में बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है, मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता हूं, पर सबसे पहले आवश्यकता जनरेशन की थी। बिजली का उत्पादन बढ़े तब जाकर हमारी समस्या का समाधान हो। बाहर से पांच रुपये यूनिट बिजली लायी जाये और यहां दो-ढाई रुपये यूनिट में दी जाये। 180 करोड़ की बिजली अतिरिक्त खरीदने के बाद भी किसानों की इस रहनुमा सरकार ने फसलों को बचाने के लिये कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी और इसके बाद यह तय कर दिया है कि बिजली हमारी पहली प्राथमिकता होगी। लगभग 854 मेगावाट बिजली पैदा हो चुकी है और अगले दो सालों में 1100-1200 मेगावाट बिजली और पैदा होने के बाद हम बिजली संकट से काफी हद तक उबरेंगे। बरसिंहसर और दूसरी जो हमारी योजनाएं हैं, उनके आ जाने के बाद राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा, ऐसा मेरा मानना है और तभी जाकर हमारी समस्याएं मिटेंगी।

अब मौटे तौर से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल था कि राजस्थान में कौनसे संसाधन हमारे पास मौजूद हैं। खास तौर से पानी की बात पहले आती है। राजस्थान प्रदेश का खुद के नदी-नालों का पानी राजस्थान की सीमाओं से होकर बाहर जा रहा है। उन सबको देखने की दृष्टि से इन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिये, उनको सिंचाई के कार्यक्रमों की दृष्टि से प्राथमिकता दी है उसके सम्बन्ध में मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। 2001-2002 में 45632 हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई और 27154 हैक्टेयर सिंचाई इन सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत नया क्षेत्र आना राजस्थान सरकार की किसानों के प्रति क्या मानसिकता है उसको दर्शाता है। नर्बदा जालौर, बाड़मेर जिलों के लिये जीवनदायिनी नदी है जिसके लिये वर्षों से मामला चल रहा था। इस सरकार ने पांच लाख एकड़ फीट पानी बाड़मेर-जालौर जिलों के लिये जिससे 2.51 लाख हैक्टेयर जमीन में सिंचाई सुविधा होगी, 1400 करोड़ रुपये की योजना को मूर्त रूप देने का निश्चय किया है, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है।

इसी तरह से गंग नहर 1927 में महाराजा गंगा सिंहजी के द्वारा लायी हुई है। उसको भी मैंने कई बार देखा, जर्जर अवस्था थी। वर्षों से मांग करते थे।

(श्री रतन लाल ताम्बी)

विपक्ष के भाई जब राज में थे तब से यह मांग उठती आई, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 450 करोड़ रुपये लगाकर सिंचाई की आधारभूत सुविधा देने के लिये इस योजना को हाथ में लेना निश्चित रूप से काफी अच्छा कदम है। 104 लघु सिंचाई योजनाएं, 43 हजार 646 हैक्टेयर में उससे अतिरिक्त सिंचाई होगी। 192 करोड़ रुपये नाबार्ड से प्राप्त करके लम्बित सिंचाई योजनाओं को पूरा करने का कदम निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। तीन मध्यम सिंचाई योजनाएं जिन पर 132 करोड़ रुपये लगेंगे, 20370 हैक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगी। यह अपने आप में राजस्थान के विकास की तस्वीर प्रदर्शित करने वाला कार्यक्रम उजागर होता है।

सिद्धमुख नहर वृहत् सिंचाई योजना यूरोपियन आर्थिक समुदाय से पोषित है जिसमें 94 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सुलभ होगी। यमुना से 3128 क्यूसेक पानी उपलब्ध होना और चूरू, भरतपुर और झुंझुनूं जिलों में एक लाख 80 हजार हैक्टेयर भूमि इसमें सिंचित होना बहुत बड़ी बात है। ये जो संकट के जिले हैं जहां पेयजल की समस्या गम्भीर है, उनके लिये वरदान सिद्ध होगी।

मैं मांग करता रहा हूं कि चम्बल का मास्टर प्लान बनना चाहिये कि चम्बल का पानी राजस्थान से बाहर जा रहा है। उसका कैसे उपयोग हो। मुझे इस बात की खुशी है कि इसके लिये भी वर्तमान सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से बात की है और नौ मध्यम सिंचाई योजनाएं जो 350 करोड़ की होंगी, उनसे 56 हजार हैक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सुलभ करने का कार्यक्रम हाथ में लिया है। इस प्रकार राजस्थान की कई छोटी-छोटी लघु योजनाएं ग्रामीण तालाब वित्त आयोग के माध्यम से लेकर सिंचाई विभाग ने यह सिद्ध कर दिया है कि राजस्थान की सरकार किसानों के खेतों को हरा-भरा देखकर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिये कृत संकल्पित है।

इस सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं उसमें सिंचाई, बिजली का मैंने जिक्र किया। उसमें तीसरा सबसे आवश्यक शिक्षा का कार्यक्रम है। शिक्षा राजस्थान को पिछड़ा प्रदेश घोषित करती आ रही थी। वर्तमान सरकार ने इस चुनौती को स्वीकार किया और शिक्षा के कार्यक्रम को काफी गति दी। शिक्षा आपके द्वार के माध्यम से राजस्थान के कोने-कोने में सर्वेक्षण करवाया और सर्वेक्षण के बाद निश्चित रूप से जहां-जहां भी आवश्यकता थी, 18 हजार से अधिक राजीव गांधी स्कूलें खोलीं। उर्दू के विषय के मदरसों को सहायता दी और दूसरे

(श्री रतन लाल ताम्बी)

कार्यक्रमों को लेकर हर वर्ग को इससे जोड़ने का प्रयत्न किया है। इससे लगता है कि राजस्थान की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करने के लिये कृत संकल्प है। शिक्षा दर्पण से करीब-करीब सारा मामला हमारे सामने आ चुका है। राजस्थान जहां पिछड़ा कहलाता था, 38.55 प्रतिशत साक्षरता थी वहां 68 प्रतिशत से ज्यादा साक्षर होना इस बात का संकेत है कि राजस्थान अब पिछड़े प्रदेश की स्थिति से उबर रहा है।

इस प्रदेश में आतंकवाद, साम्प्रदायिकता जैसा मैंने जिक्र किया, इस ओर तो राज्य सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाये हैं, पर और भी इसमें आवश्यकता है। पर इसके साथ-साथ एक सबसे बड़ी बीमारी जिसको दायमा साहब भी अपने भाषण में कह रहे थे और मैं भी मानता हूं, वह है राजस्थान में भ्रष्टाचार जिसकी रोकथाम करने की बड़ी आवश्यकता हैं। प्रतिपक्ष का जब राज था तब भी भ्रष्टाचार के रोकथाम की बातें बहुत होती थीं। वे बातें ही बातें होती थीं, पर यह पहली सरकार है जिससे मुख्य मंत्रीजी ने इस मामले को भी गम्भीरता से लिया है। 32 सतर्कता आयुक्त बनाये और बनाकर भ्रष्टाचार के रोकथाम की दिशा में कार्य किया है। सूचना के अधिकार का कानून लाकर उस दिशा में कारगर कदम उठाया है। हम ग्रामीण क्षेत्रों में महसूस करते हैं कि पंचायती राज में भी भ्रष्टाचार काफी व्यापक होता जा रहा है। राजस्थान में 237 पंचायतों में जहां सर्वाधिक विकास के कार्य हुए वहां पर एक-एक पंचायत का चयन करके जनता के सामने उसकी सुनवाई की गई और सुनवाई करने के बाद जो भी अनियमितताएं या भ्रष्टाचार उजागर हुआ, उसमें कारगर ढंग से कार्यवाही की है। इससे भी राजस्थान सरकार की इस दिशा में क्या मानसिकता है वह स्पष्ट होती जा रही है।

राजस्थान की सड़कों की क्या दुर्गति थी। कहीं भी चले जायें, सड़कें आते ही समझ लीजिये कि यह दुर्दशा राजस्थान की सड़कों की है। उन सड़कों के लिये 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी, जिससे प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दो वर्ष में 120 किलोमीटर सड़कों का सुधार या नवीनीकरण का बड़ा काम होगा। इसके साथ-साथ केन्द्रीय सड़क निधि से भी काफी योजनाएं स्वीकृत कराकर 24 हजार किलोमीटर सड़कों को सुधारने का काम अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम है। राजस्थान के संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से.....

श्री सभापति : आपको पौने दो मंत्री मिले, एक फुल और एक 3/4, इससे जाहिर होता है कि मंत्रिपरिषद् के सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, कोई नोट नहीं कर रहा है। आप तो अब आये हो, जब दायमाजी बोल रहे थे तब तो थे ही नहीं आप। बताओ, दायमाजी ने कहा वह किसने नोट किया है?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : कोई सदन का महत्त्व नहीं है। सत्ता पक्ष गम्भीरता से नहीं ले रहा है, विपक्ष बहिष्कार कर गया है और आप इसको गम्भीरता से नहीं ले रहे हो।

श्री हरिसिंह (महुवा) : इसको नोट करने की जरूरत ही नहीं है, वर्षों याद रहेगा, इतना बढ़िया बोले।

मोहम्मद माहिर आजाद : अच्छा यह बात है, चलो सही है बात।

श्री हेमन्त कुमार : माहिर साहब, सदन में सबसे वयोवृद्ध सदस्य माननीय भीखा भाई इस समय यहां बिराजमान हैं, आप कैसे कह रहे हैं, गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं। इनसे बुजुर्ग और कौन होगा? ये बड़ी गम्भीरता से सुन रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : भीखा भाई लिख रहे हैं क्या? भीखा भाई के पास कागज नहीं है, भीखा भाई के पास पैन नहीं है। हां, याददाश्त तो है। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : ध्यान में है, गम्भीरता से ध्यान में हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, इन्होंने देशी घी खाया है, इनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : कान एक नहीं, चार कर रखे हैं। दो नैचुरल और दो हियरिंग एड, इनके चार कान हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या हुआ, भीखा भाई, आप कुछ कहना चाहते थे? भीखा भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपने सुना क्या इनका भाषण, लिखा है क्या कुछ? (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री भीखा भाई : I can hear everything. (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में संसाधन बढ़ाने के लिये, बेरोजगारी दूर करने के लिये इस सरकार ने पर्यटन नीति बनायी ताकि राजस्थान में बड़ी तादाद में विदेशी आकर्षित हों, यहां पर उद्योग-धंधे बढ़ें, यहां के नौजवान उससे जुड़ें। इस कार्यक्रम के लिये खनिज नीति में परिवर्तन करके उसका भी सरलीकरण किया गया ताकि लोगों को उस कार्यक्रम से अधिक से अधिक रोजगार सुलभ हो सके। इस दिशा में भी इस सरकार ने बहुत कुछ काम किया है।

सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान में पिछली सरकार के टाइम में 87,000 व्यक्तियों को मात्र 22.97 करोड़ रुपये की जो सुविधा पेंशन की मिलती थी, उसमें वृद्धि करके उसे 200 रुपये प्रति माह किया गया है। लगभग 196 करोड़ रुपये इसमें देकर सरकार की सामाजिक सेवाओं और सुरक्षा के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है, इसको भी इससे जाना और माना जा सकता है।

गरीबी की रेखा के नीचे राजस्थान में करीब 23 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके बारे में इस संवेदनशील सरकार ने दूरदर्शिता के साथ सोचा। मेडिकेयर कार्ड के नाम से चयनित परिवारों के लोगों को मेडिकेयर सोसायटी के माध्यम से 16-17 करोड़ रुपये की दवाइयां उपलब्ध कराना इस बात का द्योतक है कि सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से यह सरकार कितनी जागरुक है। गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करके आगे उनको किसी तरह से भी सुविधा मिले, इस दिशा में बहुत कुछ कोशिश की गई है।

मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज में भी इस सरकार ने 1994 और 1996 के एक्ट और नियमों के बाद देश में सर्वाधिक अग्रणी कदम बढ़ाने का प्रयास किया है। ग्राम स्तरीय विभाग पंचायतों के अन्तर्गत देने की व्यवस्था को राजसमन्द जिले से एक परीक्षण के तौर पर लागू किया गया है। यदि यह सफल होती है तो पूरे प्रदेश में इसका काफी लाभ मिल सकेगा और पंचायती राज निश्चित रूप से विकास का एक मुद्दा बनेगा। इन सब बातों के ऊपर मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि आज ग्रामीण क्षेत्र जितना विकास की ओर आगे बढ़ सकता है उसकी सम्भावनाएं हमारे पंचायती राज के मजबूत होने में ही हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पंचायती राज कब चालू हुआ था?

श्री रतन लाल ताम्बी : 1959 में हुआ यूं तो, और यूं बहुत पुराने में हुआ।

श्री सभापति : और परीक्षण काल कब तक, कितना मानोगे?

श्री रतन लाल ताम्बी : नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में सचिवालय बनाने की बात है कि सारे विभागों को एक जगह केन्द्रित किया जाये पंचायतों के अन्तर्गत और उस सारी व्यवस्था की देखरेख की जाये कि उससे कितना मजबूत हो सकता है। ग्राम स्वराज का जो सपना साकार गांधीजी ने दिया कि गांव के लोग मिल-बैठ कर वहीं फैसला कर लें.....

श्री श्रवण कुमार : ताम्बीजी, मेरा निवेदन है कि यह पास मत कर देना, वरना डूब जायेगा अड़ंगा। जिला प्रमुख को पावर दे दिये तो उन्होंने डुबो दिया, अगर पंचायतों को दे दोगे तो और डुबो देंगे। इसमें संशोधन करवाओ, अगर आपको जिन्दा रहना है तो। कहां पास करवा रहे हो।

श्री रतन लाल ताम्बी : आज जो हमारी स्थिति बन रही है।

श्री सभापति : बोलिये, बोलिये। पंचायती राज वाला मामला बड़े प्रभावी तरीके से रखो, माननीय सदस्य।

श्री रतन लाल ताम्बी : वह बाद में रख देंगे, कोई बात नहीं। वह जिक्र कर दिया मैंने तो, इसमें कुछ आया था। (व्यवधान)

मैं मुख्य मुद्दे पर वापस आना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे देश में आज शांति, अमन की आवश्यकता है। पिछले दिनों जो घटनाएं घटीं और जो हालात पैदा हो रहे हैं, वे आपके और हमारे सामने हैं। 50-52 वर्षों से अयोध्या का मुद्दा खड़ा किया हुआ है। न्यायालय की बात का इंतजार नहीं। इस नाम से देश में माहौल गर्माया जाता रहा है बार-बार क्योंकि कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। इसलिये साम्प्रदायिक सद्भाव के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। अब तो स्थिति यह बन गई है कि आपस में ही झगड़े हो रहे हैं वहां। साधु-संत एक तरफ बात करते हैं और राजनेता दूसरी तरफ बात करते हैं। उमा भारतीजी वहां जा रही हैं और समझा रही हैं। शिलादान की जो शिलाएं रखीं, उसके झगड़े हो रहे हैं। आखिर में ये देश चलाने वाली बातें हैं। इस प्रदेश की सरकार ने पिछले दिनों गुजरात की जो लपटें राजस्थान में आ गई, उसको रोकने के लिये भी कोई कम प्रयास नहीं किये। आपके सामने कुछ दिनों पहले यह आया होगा कि हिन्दू सेवा संतरामपुरा, जिला पंचमहल, गुजरात की ओर से पर्चे छपवाये गये और राजस्थान की सीमाओं पर सब जगह बंटवाये गये ताकि गुजरात की आग की लपटें यहां पहुंचें। पर

(श्री रतन लाल ताम्बी)

राजस्थान की सरकार ने इस सारे मामले में इतनी मुस्तैदी से काम किया कि चाहे गुजरात में कुछ भी हुआ हो, दूसरी जगह पर भी हुआ हो, पर राजस्थान को उससे प्रभावित नहीं होने दिया। यह सबसे बड़ी बात है। इसे दिशा दृष्टि और सूझबूझ का ही कार्य कहा जा सकता है।

मैं इस मौके पर यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब लोग बैठे हैं, राजस्थान में इन सब मुद्दों को यदि हमने गम्भीरता से नहीं लिया तो राजस्थान तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता है। गुजरात के इन पर्चों से मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान में वह अशांति फैलाने का प्रयास किया गया है। गुजरात जल रहा है, वहां के मुख्य मंत्रीजी बंशी बजा रहे हैं। आवश्यकता तो इस बात की थी कि इतना बड़ा नरसंहार हुआ, उनको एक मिनट भी कुर्सी पर नहीं रहना चाहिये था। उसके बावजूद भी कुर्सी पर वे बैठे हुए हैं। उसकी रोज लोक सभा में बहस होती है और यहां दूसरे प्रकार की बातें होती हैं। उस प्रदेश में जो कुछ हो रहा है जहां भाजपा का राज है, इतना राजस्थान में हो जाये तो पता नहीं, क्या कर दें। इस तरह राजस्थान में कानून व्यवस्था सब दृष्टि से मजबूत रखने के लिये इस सरकार के जो प्रयास हैं, वे निश्चित रूप से बहुत सराहनीय हैं। राज्यपाल महोदय के माध्यम से इस सरकार के पीछे के वर्षों की जो उपलब्धियां रखी गई हैं, एक-एक उपलब्धि की बात करने में तो शायद घंटे दो घंटे लग जायें, पर कुल मिलाकर राजस्थान की जनता ने इसमें संतोष व्यक्त किया है।

हमारे प्रतिपक्ष के भाइयों ने पिछले दिनों अजमेर में चुनाव हुआ था उस समय यह कहा था कि यह चुनाव राजस्थान की सरकार की कसौटी होगी। यह बहुत प्रचारित किया और ताकत भी पूरी लगाई। हम लोग भी वहां थे, प्रतिपक्ष के सारे लोग, बड़े नेता गली-गली में फिरते देखे, सब देखे। राजस्थान की जनता ने उस कसौटी पर जो अपना फैसला दिया है, वह निश्चित रूप से राजस्थान की प्रगतिशील ताकतों के लिये, धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिये एक दिशा दृष्टि दी है। साम्प्रदायिक तत्वों के इरादों पर पानी फेर दिया। इस चुनाव के माध्यम से यह सब हुआ, हम सबसे यह निवेदन करना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ, ठीक है, अब राजस्थान की इन डेढ़-दो वर्षों में सब मिलाकर जो मोटी-मोटी समस्याएं हैं, उनको चुनौती के रूप में रुचिकर करें और जो संसाधन राजस्थान में उपलब्ध हैं उनका अधिक से अधिक दोहन करें। राजस्थान में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली और पानी ये मोटी-मोटी हमारी आधारभूत प्राथमिकताएं

(श्री रतन लाल ताम्बी)

हैं और उनको पूरा करने के लिये डेढ़-दो वर्षों का समय हमारे सामने हैं जो काफी चुनौती भरा होगा। राजनैतिक और दूसरे माहौल बिगाड़ने के पूरे प्रयास होंगे, उसके बाद भी विकास की गति को बनाये रखना होगा।

राजस्थान के हर कोने में, हर क्षेत्र में इस सरकार ने जो योजनाबद्ध विकास किया है, वह राजस्थान की जनता के मानस पटल पर अंकित है। कांग्रेस इससे राज की संवेदनशीलता, पादर्शिता और जवाबदेही की जो धारणा थी, वह पूरी होती देखी जा रही है। प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग के माध्यम से आम जनता तक प्रशासन गया। पहले भी ये सब अभियान चलते थे, मगर उनमें और इस अभियान में काफी अन्तर था। जवाबदेही थी, हर विभाग के 20-22 अधिकारी गांवों में जाते थे, इन प्रतिनिधि भी बराबर जाते थे। इस दोनों तरह के अभियानों से कुल मिलाकर 60-65 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसका मतलब 3-4 करोड़ लोग इससे कुल मिलाकर लाभान्वित हुए हैं। इसलिये मैं इस तरह के अभियान को एक सार्थक सोच के रूप में मानता हूं। आने वाले समय में जो मुख्य-मुख्य समस्याएं हमारे सामने हैं, उन सबको मिलकर निपटायें, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय महामहीम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। मोहतरमा सुमित्रा सिंहजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय ने यहां पर कृपापूर्वक आकर जो अपना अभिभाषण पढ़ा उसके लिये तो अभारी हूं। लेकिन महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जहां विगत वर्ष के सरकारी कामों का लेखा-जोखा होता है वहीं भविष्य के लिये सरकार को एक दिशा-निर्देश भी होता है। यह भाषण जो उनके द्वारा पढ़ाया गया, थोथा, सारहीन, निराशाजनक है जिसमें राजस्थान की जनता को भविष्य की एक धुंधली तस्वीर नजर आती है।

इससे पहले कि कुछ कहूं, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी सरकार से कि महामहिम राज्यपाल महोदय से जो भाषण पढ़वाना है उसे कम से कम खुद तो पहले देख लिया करें कि उसमें कहीं कोई आंकड़ों की गलती नहीं है या कहीं कोई क्लैरिकल मिस्टेक तो नहीं है या कोई ऐसी बात है। मैं समझती हूं, सभापति महोदय, कि इस बार सरकार ने यह कष्ट भी नहीं किया कि वह इस भाषण को पढ़ती और देखती। मैं यह बात इसलिये कह रही हूं कि भाषण के पेज नम्बर 33 पर लिखा है– राज्य के 257 विकास खण्डों में संचालित....257 कहां

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

हैं? ये तो 237 ही हैं। आप लोगों ने कष्ट ही नहीं किया देखने का कि इस भाषण में क्या लिखा हुआ है, कितनी पंचायत समितियां हैं। इतना ही नहीं... (व्यवधान) आप सुनिये तो सही, आपकी गलती है तो आपको शांति से बैठना चाहिये, सुनना चाहिये। आइंदा भविष्य के अन्दर यह गलती नहीं हो, यह जिम्मेदारी है सरकार की। इतना ही नहीं, मैं और निवेदन करना चाहूंगी, एक जगह 257 बता दिया पंचायत समिति और दूसरे पृष्ठ 39 पर बता दिया 230, 230 पंचायत समिति बता दीं। मैं यह बात इसलिये कह रही हूं, कुछ भी हो लेकिन क्या यह जिम्मेदारी सरकार की नहीं थी कि सरकार देखती, पढ़ती कि कहीं कोई हम भ्रामक या कोई गलत आंकड़े तो नहीं दे रहे हैं? यह सरकार की जिम्मेदारी थी। मैं आशा करती हूं कि भविष्य के अन्दर सरकार उनके भाषण को पहले पढ़ेंगी, देखेगी और देखने के बाद, दुरस्त करने के बाद यहां पर उनसे पढ़वायेंगी और फिर हमें वितरित करेंगी।

माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं इस बात पर आती हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने साम्प्रदायिक सौहार्द, भाईचारे, कानून-व्यवस्था इन सबकी स्थिति पर संतोष व्यक्त किया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि इस सरकार के आने के बाद तीन साल के अरसे में 37 दंगे हुए हैं, 300 तनाव के मामले हुए हैं। अभी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी आपके पीपाड़ के मामले को लेकर, किशनगढ़ के मामले को लेकर, सीकर में भी तनाव हुआ था इन सब बातों को लेकर यहां पर इसका बहिष्कार किये बैठी है। इस मामले में भी सरकार का कर्तव्य था कि सरकार इस मामले को सुनती, देखती। कोई दिक्कत नहीं आती है चर्चा करवाने में और सुनने में। जो जवाब देना है, सही तथ्य थे उनको सदन में रखते ताकि जनता के सामने सही तथ्य जाते। रहा सवाल कानून और व्यवस्था का, तो आये दिन अखबारों के अन्दर खबरें आती हैं, सभापति महोदय, महिलाओं के गले से चैन तोड़ने की, महिलाओं के साथ बलात्कार की, जयपुर जैसे शहर में अपहरण की, जयपुर जैसे शहर में डकैती की, जयपुर जैसे शहर में नौकरों के द्वारा, इतना ही नहीं, हमारे माननीय सदस्य के घर के अन्दर भी जिस तरीके से नौकर रात के अन्दर कुछ खिला-पिला कर लूट कर ले गये, आज दिन तक पता नहीं चला है उस बारे में भी। कैसे संतोष व्यक्त किया जा सकता है कानून और व्यवस्था की स्थिति पर? हमारा फर्ज इतना ही नहीं है कि हम महामहिम

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

राज्यपाल महोदय के भाषण को सुनें। उनको इस बात के लिये हम धन्यवाद तो देंगे ही कि कृपापूर्वक वह यहां पर आये, लेकिन जो तथ्य हैं उन तथ्यों से हमें आंख भी नहीं मींचनी चाहिये, भविष्य के लिये उन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, इस बात के लिये तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगी कि सरकार के 2001 के अन्दर कितने मिशन और टास्क फोर्स बनाये। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन तो पहले का मौजूद था, उसके लिये मैं तारीफ भी करना चाहूंगी विभाग की और मंत्रीजी की भी कि तीन सालों के भयंकर अकालों के बावजूद भी पीने के पानी की व्यवस्था काफी संतोषजनक तरीके से वे कर पाये। लेकिन उसके बाद 2001 में कितने मिशन बने हैं, सुनिये। कृपकों की सहभागिता से निष्पादित करने हेतु जुलाई, 2001 में राजीव गांधी जल प्रबंधन मिशन की स्थापना कर दी गयी। जुलाई, 2001 में पर्यटन के विकास हेतु राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना कर दी गई। राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं तो चल रही हैं, नई भी खोली जा रही हैं। जनसंख्या नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राजीव गांधी जनसंख्या मिशन भी कर दिया जुलाई में और सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राजीव गांधी सामाजिक सुरक्षा मिशन का गठन किया है। एकाध जगह इन्दिराजी का भी नाम लिख देते या यह जनसंख्या नीति की बात तो संजय गांधी ने कही थी, उसका ही नाम लिख देते। राजीव गांधी के नाम से मुझे एतराज नहीं है, मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि और सब लोगों को तो अपना समय मिला था लेकिन राजीव गांधी तो उन व्यक्तियों में से हैं कि वह कहते हैं- फूल तो खिले और अपनी बहार दिखा गये, अफसोस तो उन गुंचों पे है जो अधखिले मुरझा गये। इसलिये मुझे अफसोस है इस बात का। लेकिन एक साल के अन्दर इतने मिशन एक नाम से आपने स्थापित कर दिये, क्या करना चाहेंगे आप इन मिशन्स के द्वारा, मैं यह जानना चाहूंगी। यह तो आप जानें कि किसे खुश करना चाहते हैं आप लेकिन यह एक साल के भीतर-भीतर ये छह मिशन बनाये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले मैं विद्युत पर ही आ जाती हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य सरकार ने पिछले दो सालों के अन्दर अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है विद्युत के जनरेशन की और नये-नये

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

पावर स्टेशन भी लगाये खूब, 400 के.वी.ए. के, 220 के.वी.ए. के, 132 के, 33 के। जी.एस.एस. भी खूब बनाये और जनरेशन भी किया। लेकिन, ऊर्जा मंत्रीजी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहती हूं और सदन से भी निवेदन करना चाहती हूं कि सस्ती बिजली होती है हाइडल पावर। हमारे जो सुपर थर्मल पावर्स हैं ये हमेशा महंगे होते हैं, इनकी बिजली महंगी होती है। मैं कोई तारीफ नहीं करना चाहूंगी बी.जे.पी. की लेकिन यह बात सही है कि चाहे कहीं से लाये हों, सात-आठ घंटे बिजली उन्होंने भी दी थी हालांकि जनरेशन नहीं किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनरेशन का भी अपना एक महत्त्व है। सैल्फ सफिशिएंट होना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि हम सैल्फ सफिशिएंट हो जाएं विद्युत के जनरेशन में। लेकिन हम किसको बिजली दे रहे हैं, उसकी क्या हैसियत है यह भी हमको देखना होगा। किसान जिसको हम बिजली दे रहे हैं, तीनों मौसमों की भयावहता को सहते हुए भी धरती का पेट चीर कर आपको अन्न खिलाता है, इस देश का उत्पादन बढ़ाता है। उसे सस्ती बिजली चाहिये और हाइडल पावर सबसे सस्ती होती है। सिंगरौली से बिजली मिलती है, इतनी दूर से आती है, छीजत होती है इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन वह बिजली आज भी सस्ती है आपके इन सुपर थर्मल पावर की जनरेट की हुई विद्युत से। इसलिये मैं निवेदन कर रही थी कि आपको यह भी कोशिश करनी चाहिये। पानी की कमी है इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे पास हाइडल एक कोटा के अलावा और है नहीं स्टेशन्स। लेकिन हमें यह भी कोशिश करनी चाहिये कि हम आखिर किस रेट के ऊपर, किस टैरिफ के ऊपर यहां के लोगों को बिजली दे पायेंगे। जनरेशन-जनरेशन ही करते चले जाये और उस जनरेशन को लेने वाला मिले ही नहीं, हालत तो पानी की यह हो रही है। हाइड्रोलोजिकल सर्वे बता रहा है कि चार जिलों में दस साल के बाद पीने के पानी की समस्या हो जायेगी। उस हालत में क्या करेंगे इस बिजली का?

(15.00 बजे)

लेकिन मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि कांग्रेस सरकार की छवि सुधारने के लिये मुम्बई की एक निजी पार्टी को दो करोड़ रुपये दिये गये कि हमारी छवि सुधारो, तुम हमारा प्रचार करो, हमें ठीक बताओ। मिनिस्टर तो छवि सुधार नहीं सकते, एम.एल.ए. छवि सुधार नहीं सकते और

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

वह मुम्बई की निजी कम्पनी आकर आपकी छवि सुधार देगी! धन्य है! धन्य है। क्यों दो करोड़ का सत्यानाश किया? मैं यह निवेदन करना चाहती हूं, सभापति महोदय....(व्यवधान) बीच में नहीं। डोंट इंट्रप्ट मी।

डा. चन्द्रभान : नहीं, आप जो कह रही हैं वह रद्द कर दिया है। नहीं है समझौता हमारा, रद्द कर दिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है, धन्यवाद आपको। बढ़िया काम किया आपने। जनता के गाढ़े पसीने के दो करोड़ रुपये आप बरबाद करते। नहीं किये, अच्छा किया। बढ़िया किया। धन्यवाद आपको।

डा. चन्द्रभान : मान ली आपकी बात।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : छोड़ो इन बातों को। मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि जो मीटर लग रहे थे और ठीक से काम कर रहे थे उन मीटरों को उतार-उतार कर आपने इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाये। इलैक्ट्रोनिक मीटर आपके यहां सीतारामपुरा जो औद्योगिक क्षेत्र है, वहीं के बने हुए हैं, मुझे मालूम है यह बात और उनको आपने लगाया। जब मेरे घर में लगाने आया तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे मीटर तो दोनों ठीक है और मैं तो बिजली चोरी नहीं करती हूं, क्योंकि हर महीने का मेरे घर कम से कम भी पांच हजार रुपये का बिजली का बिल आता है। मैंने कहा कि मैं चोरी तो नहीं करती, मेरे जब ठीक है तो आप इनकी जगह नये क्यों लगा रहे हो और इनका क्या करोगे, मुझे यह बताओ आप? स्क्रैप में बेचोगे न? तो बताया कि हां, साहब, बेचेंगे तो स्क्रैप में। मैंने कहा कि करोड़ों रुपयों के तो आप लाखों में बेचोगे स्क्रैप में और ये नये मीटर ऐसे हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है। विद्युत मंत्रीजी फिर मेरे साथ जिद करेंगे लेकिन मैं इनको फिर यह बात कहती हूं कि अमेरिका के अन्दर भी ये इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाये गये और अमेरिका में भी इन इलैक्ट्रोनिक मीटर्स को खराब समझ कर थोड़े दिनों बाद वापस हटा दिया गया। यह कहेंगे यह बात। खैर, अपना जवाब मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें तो उनको लिखकर दे देना ताकि वे पढ़ देंगे और बता देंगे मैं गलत कहती हूं तो। लेकिन मैं आज भी कहती हूं, दावा करती हूं इस बात का कि इलैक्ट्रोनिक मीटर ह्यूमिडिटी से, इलैक्ट्रोनिक मीटर पोल्यूशन से, इलैक्ट्रोनिक मीटर तेज आंधी से चलते हैं। और आपके घर में

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कहीं लीकेज है, यदि पुराना आपका मकान है, 50-50 साल के पुराने मकान हैं उनमें कहीं भी कोई तार यदि उधड़ गया और यदि वहां लीकेज हो गया तो वह बिजली आपकी बतायेगा। यदि आपके दो बटन हैं....(व्यवधान) सुनिये, मैं गलत नहीं कह रही हूं। मैं इस बात की पूरी टैक्निकल जानकारी करके कह रही हूं यह बात। आपके घर में दो बटन हैं, मान लीजिये सीढ़िया हैं, सीढ़ियों पर आपने लास्ट में एक बटन लगा रखा है और नीचे भी स्विच है। यदि उनमें एक स्विच ऑन है, क्योंकि एक स्विच ऑन रहेगा ही रहेगा, नहीं तो फिर चढ़ोगे उतरोगे तो कैसे करोगे। दोनों में से एक स्विच ऑन रहेगा। वह ऑन रहेगा तो भी बिजली बतायेगा। यह पूछ लीजियेगा किसी इंजीनियर से और यदि मैं गलत कहती हूं तो मुझे बता देना। वह बिजली कंज्यूम करेगा। मैंने पूछी है यह बात, उन्होंने कहा कि वह कंज्यूम करता है। यदि आपके मान लीजिये कोई भी स्विच ऑन रह गया आपने तार हटा दिया लेकिन स्विच ऑन रह गया तो भी बिजली कंज्यूम होगी। मैंने पूछा कि यह क्यों, तो उन्होंने कहा कि साहब बिजली चूंकि यहां आ रही है, इस जगह पर आ रही है इसलिये यह तो बतायेगा।

मुझे आप बताये, सभापति महोदय, पिछले दो साल में 1640 करोड़ रुपये इस राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं से चाहे वे कृषि के हों, चाहे वे घरेलू हों, चाहे वे कामर्शियल हों, चाहे वे औद्योगिक हों, 1640 करोड़ रुपये उनकी जेब से निकाले हैं, फिर भी इनकी भूख खतम नहीं हुई है। दो साल के अन्दर-अन्दर निकाले हैं। टैरिफ बढ़ा कर, और चार्जेज लगा कर और अब तीन साल के अकाल के बाद आप इलैक्ट्रोनिक मीटर चला कर यह चाहते हो कि किसान या तो उन्हें तोड़ करके फेंक दे या किसान अपनी खेती बन्द कर दे, क्योंकि जितना उसमें बिल आ रहा है सम्भव नहीं उसके लिये चुकाना। सभापति महोदय, आप तो खुद काश्तकार हैं, मैं तो खुद काश्तकार हूं, सम्भव ही नहीं है। मैं आपको बताती हूं, हमारी फ्लैट रेट है, 70 रुपये हार्स पावर का देते थे 1995 से पूर्व, लेकिन सिटी से जुड़े होने के नाते आज हमको 195 रुपये उसके देने पड़ रहे हैं। कहां 70 रुपये और कहां 195 रुपये तो किस हद तक कौन खेती करेगा, कौन अन्न पैदा करेगा और आपका पेट भरेगा, सवाल इस बात का है। यहां पर जो ये 153 की संख्या में बैठे हैं ये किसानों के बलबूते पर बैठे हैं। जिस दिन किसान रूठ जायेगा उस दिन आपकी सीटें इधर नजर आयेंगी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अंगुलियों पर गिनने लायक। तो मैं निवेदन कर रही हूं कि आप इस बात पर सोचिये। एक तरफ तो करोड़ों के स्क्रैप में बेचोगे, दूसरी तरफ इलैक्ट्रोनिक मीटर लगा कर आप सब बिजली उपभोक्ताओं को परेशान करोगे। यह बात उचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। मैं इस बात के लिये तो इस सरकार को भी और पूर्व सरकार को भी दोनों को बधाई देना चाहूंगी कि 1991 के बाद में शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो प्रगति की है वह वास्तव में सराहनीय है। हमारी साक्षरता दर 38.55 प्रतिशत थी, 38.55 से आज हमारी साक्षरता दर हो गयी है 61.03 प्रतिशत। आल इण्डिया औसत हमारा है 65.38 और हम हैं 61.03, पुरुष की साक्षरता में आल इण्डिया एवरेज से हम ज्यादा हैं। आल इण्डिया एवरेज है 75.85 लेकिन हमारी दर है 76.46, महिलाओं के मामले में हम जरूर पिछड़े हैं। महिलाओं की साक्षरता दर भारत की औसत दर है 54.16 और हमारी है 44.34। लेकिन मुझे गर्व और गौरव है इस बात का कि झुंझुनूं के अन्दर आज भी महिलाओं की साक्षरता दर है 68 प्रतिशत। मुझे इस बात का गर्व है। और सभापति महोदय, आपको भी गर्व होना चाहिये कि कोटा शहर के बाद वी आर सैकण्ड। हमको इस बात का गौरव है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी....

श्री सुरेन्द्र व्यास : ...(व्यवधान) गर्व तो है ही।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : गर्व तो है ही, क्यों नहीं गर्व है। मुझे गर्व है इस बात का, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 50 साल तक यह सरकार क्या कर रही थी? अब ध्यान आया, "शिक्षा आपके द्वार" पर या तो बच्चे नहीं हैं इन राजीव गांधी पाठशालाओं में क्योंकि ये बनी ही ऐसी जगह ही हैं, और जहां बच्चे हैं वहां पर टीचर नहीं हैं। तीन साल के अन्दर शिक्षा का भट्टा बैठा दिया इस सरकार ने, और आज "शिक्षा आपके द्वार" ले जाकर क्या करना चाहते हैं? क्या चाहते हो आप? जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास दो रोटी खाने को नहीं है उसका इंतजाम पहले करना चाहिये था या शिक्षा आपके द्वार पर? आपकी तो एक आदत पड़ गयी है, आपने विकास का नाम यही समझ लिया कि बड़े-बड़े अखबारों के अन्दर हम अपने पोस्टर, अपनी फोटो छपवा दें। कभी तो प्रशासन गांवों के संग, कभी प्रशासन शहरों के संग, जैसे अब

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

तक तो यह प्रशासन हिमालय में तपस्या कर रहा था और अब गांवों में जा रहा है। जैसे आमेर के महल के अन्दर बैठकर किसी का नृत्य देख रहा था और अब यह प्रशासन शहरों के संग आ गया है। क्या बात हुई? कहां था यह प्रशासन कभी शहरों के संग और कभी गांवों के संग? कितने करोड़ रुपये खर्च किये आपने इन अधिकारियों और कर्मचारियों और इन सरपंचों पर जिन्होंने दो दिन आपकी सेवा की है, आपको हलवा पूड़ी खिलाया है? इन सबके ऊपर कितने रुपये खर्च हुए और काम क्या हुआ? काम हुआ 78 लाख लोगों का। आपके खुद के आंकड़े हैं, मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूं। 66 लाख का तो गांव में बताया है और 12 लाख का आपने शहरों में बताया। पौने पांच करोड़ की आबादी में इतना काम कर दिया। और काम क्या किया? काम बताती हूं क्या किया आपने। काम किया मूल निवास प्रमाण पत्र दे दिया, तहसीलदार को आथोराइज कर दिया कि आप दे देना। आर्मी में गया मेरे यहां का एक लड़का, उसने कहा कि मेरे उसको फेंका बुरी तरह से। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते हैं, यह तो एस.डी.ओ. का मानेंगे हम। नाजिम से नीचे हम नहीं मानते। यह किसने दे दिया, तहसीलदार ने दे दिया। तहसीलदार का हम नहीं मानते हैं। वह तो खर्च करके गया, लेकिन आपके इस प्रशासन गांवों के संग के कारण उस गरीब का मूल निवास प्रमाण पत्र रिजैक्ट हो गया और वह बेचारा लौट कर आ गया। कौन देगा उसको पैसा आने-जाने का? उसकी नौकरी जो गयी उसका कौन जिम्मेदार है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : चन्द्रभानजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चन्द्रभानजी तो क्यों जिम्मेदार हैं? यह जिम्मेदारी है मुख्य मंत्री की जिन्होंने यह प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया। वे जिम्मेदार हैं, चन्द्रभानजी तो क्यों जिम्मेदार हैं? आपको तो चन्द्रभानजी ही दिखाई देते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि करोड़ों रुपये....

श्री खेमराज कटारा : झुंझुनूं के बारे में नहीं बोलना है, बाकी तो ठीक है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : क्या किसके बारे में नहीं बोलूं?

श्री खेमराज कटारा : झुंझुनूं में तो एकता है न?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मैं तो सबके बारे में बोलूंगी। दो करोड़ तो खैर ऊर्जा मंत्रीजी ने हमारे बचा दिये, अच्छा काम किया। लेकिन ऊर्जा मंत्रीजी

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

की तो रोज अखबार में फोटो आती है, मुझे एतराज नहीं है, अच्छी शक्ल है आये, लेकिन सवाल गरीब जनता की गाढ़े पसीने की कमाई का है। कभी तो सरकार के 100 दिन, कभी सरकार का एक वर्ष, कभी सरकार के 1000 दिन, कभी 33 के.वी., कभी 132 के.वी., कभी 220 के.वी. रोजाना अखबार में आता है। कोई दिन नहीं जाता जब ऊर्जा मंत्री की तस्वीर नहीं आती हो।

श्री रामस्वरूप : अब जो काम करेगा उसका तो आयेगा, साहब, क्यों जलन लग रही है आपके।

डा. के. सी. चौधरी : आप सरकार में आकर देखो, आपकी फोटो भी रोज छपेगी। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगी।

श्री रतनाराम चौधरी : उनकी अखबार में नहीं आयेगी तो किसी निकम्मे की आयेगी क्या? काम करने वाले की आनी चाहिये, यह तो अच्छी बात है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, +++ मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगी।

श्री रामस्वरूप : सभापति महोदय, आसन पर जो लांछन लगा है कि आपको +++ कितनी बड़ी बात है। आसन के लिये यह कहना कि +++ तो फिर सदन कैसे चलेगा?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मेरी तरफ देखा नहीं तो मैं तो यही कहूंगी।

श्री रामस्वरूप : नहीं, यह तो गलत है। आपने सीधा ही कह दिया कि +++ आसन जग रहा है।

श्री सभापति : आनरेबल मैम्बर, प्लीज आप अपनी जगह से बोलें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि 6 शहरों के सौंदर्यीकरण के नाम पर 1529 करोड़ रुपया एशियन डवलपमैंट बैंक से लिया गया और उन 6 शहरों के सौंदर्यीकरण के नाम पर फ्लाई ओवर बना दिये। अच्छा किया, ठीक किया, लोगों की तकलीफें काफी सुलझ गईं, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूं। सचिवालय में बैठने वाले मंत्रीगण, मैं आप सबसे कह रही हूं, आदमी सामने ही नहीं देखता, आदमी अपने पीछे भी देखता है। आपके पीछे की जो सड़क है उसके ऊपर जिस तरह की गंदगी है...(व्यवधान) मेरे नर के

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आगे तो सफाई है लेकिन सचिवालय की बात कर रही हूं मैं, सचिवालय के पिछवाड़े में....(व्यवधान) मैं तो दूसरी तरफ से आती जाती हूं। माननीय सभापति महोदय, अगर यूं रोका-टोकी होगी तो मैं कैसे अपनी बात खतम कर पाऊंगी? आप लोगों को कहिये कि मुझे रोके-टोकें नहीं। मैं निवेदन कर रही थी कि क्या यही सौन्दर्यीकरण है? आप जयपुर शहर में ही देख लीजिये।

श्री सभापति : आनरेबल मैम्बर, साहिबा, आप इधर देख कर बात करिये, उनको आप क्यों उकसा रही हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि प्रशासन शहरों के संग जब चला, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक चिट्ठी लिखी कि आप 5-5 लाख रुपया दीजिये ताकि शहरों की सफाई हो सके। कुल मिलाकर यही प्रशासन शहरों के संग था क्या? फिर प्रशासन शहरों के संग क्यों करते, फिर तो आप प्रशासन विधायक के संग कर लेते तो ठीक था। 5 लाख रुपया तो ले ही लिया विधायक से और उसने सफाई करा ही दी, फिर शहरों के संग करने की जरूरत क्या थी? माननीय सभापति महोदय, इस 1520 करोड़ रुपये को यदि आप कहीं और इस्तेमाल करते शहरों के सौन्दर्यीकरण के बजाय तो मैं समझती हूं कि ज्यादा उपयुक्त होता। क्योंकि तीन साल जो लगातार अकाल पड़ा है, हो सकता है फिर अकाल की हमारी पोजीशन आ जाये, फिर अकाल पड़ जाये तो वह रुपया आप बारो करते, अकाल के नाम पर ही करते एशियन डवलपमैंट बैंक से, या किसी और मद में करते। मैं निवेदन कर रही थी कि आज सरकार ने एक नई नीति अपना ली है– अपनी सब चीजों का निजीकरण। परिवहन का निजीकरण, पर्यटन का भी निजीकरण जो हमारे अच्छे-अच्छे होटल हैं वे भी निजीकरण में जा रहे हैं कि यह सरकार तो लोक कल्याणकारी सरकार है, एक व्यापारिक संस्थान क्यों बनने जा रही है। आप कल्याणकारी सरकार हो, एक जमाना था जब पण्डित जवाहर लाल नेहरू और इन्दिराजी ने तो सब चीजों के नेशनलाइजेशन की बात की थी और आज आप सब चीजों में निजीकरण की बात कर रहे हैं। यह गवर्नमैंट एक व्यापारिक संस्था बनकर रह जायेगी जैसे बिजली में बन कर रह गई। मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि इस नीति को बदलिये, नहीं बदलेंगे तो इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि ग्रामीण विकास

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

के नाम पर जितना पैसा आता है वह सब भारत सरकार का पैसा होता है, और राज्यपाल महोदय का जो यह भाषण है इसमें लिखा हैं कि पिछली बार जितना हमको मिला उससे कुछ अधिक ही खर्च हमने किया। यह तथ्य सही नहीं हैं। यह इसलिये सही नहीं है कि ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं हैं चाहे आई.आर.डी.पी. हो, ट्राइसम हो, चाहे महिला विकास हो, चाहे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना हो, चाहे जवाहर रोजगार योजना हो, चाहे सुनिश्चित रोजगार योजना हो, चाहे अनटाइड फण्ड हो, आप ताज्जुब करोगे कि पिछली बार अनटाइड फण्ड का एक पैसा भी राजस्थान में खर्च नहीं हुआ। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि अनटाइड फण्ड का एक पैसा भी हम खर्च नहीं कर सके? ग्रामीण विकास के जितने भी प्रोग्राम हैं इन सारे प्रोग्रामों की हालत यह है कि बहुत बड़ी राशि अनुपयोगी रही है, वह लैप्स हुई है। हम उसे खर्च नहीं कर सके। यदि हमने खर्च किया है तो कहीं और कर दिया होगा, लेकिन ग्रामीण विकास में हमने खर्च नहीं किया। इसलिये मैं चाहूंगी कि आइंदा खास तौर से ग्रामीण विकास का आप खयाल रखें कि यह पैसा भारत सरकार का है। इन योजनाओं के जरिये ही हमारी गरीबी दूर होगी, गांवों का विकास होगा, इसलिये इन पैसों का पूरा उपयोग होना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके साथ ही साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगी, हमको बड़ी खुशी हुई इस बात की कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बताया कि यमुना का जल वर्षा ऋतु में झुंझुनूं, चूरू और भरतपुर जिले के लिये लाया जायेगा। उन्होंने अपने भाषण में लिखा है कि 21.12.2001 को अपर यमुना बोर्ड की बैठक में लिये गये एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में यमुना जल में राजस्थान को वर्षाकाल में 3188 क्यूसेक्स जल उपलब्ध कराना निर्धारित कर दिया है जिससे भरतपुर, झुंझुनूं एवं चूरू जिलों में लगभग 1.80 लाख हैक्टेयर भूमि में सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की जा सकेगी। सभापति महोदय, 1999 में मैंने एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न का जवाब मुझे दिया गया था, यह आपकी सरकार ने ही दिया है और इसको मैं पढ़कर सुना रही हूं। झुंझुनूं जिले के चिड़ावा व झुंझुनूं तहसील का अधिकतर भाग रेतीले टीबों से ढका हुआ है। झुंझुनूं जिले में यमुना जल के उपयोग हेतु राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक टी/277/यू.टी.आई.सी.-17 दिनांक 19.1.1998 द्वारा जवाहर लाल नेहरू लिफ्ट योजना केन्द्रीय जल आयोग को

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

प्रस्तुत की जा चुकी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 273 करोड़ रुपये है। झुंझुनूं जिले के लिये इस योजना से 850 क्यूसेक पानी उपयोग हेतु प्रस्तावित है जिससे जिले के खेतड़ी, भुवाना, चिड़ावा, पिलानी क्षेत्रों में 82835 हैक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी क्योंकि योजना के लिये जल हरियाणा राज्य की नहरों के माध्यम से प्राप्त होगा, अत: हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। यदि 1998 की बात है।

श्री सभापति : इस समय 2002 चल रहा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यही तो मैं कह रही हूं। यह चिट्ठी लिखी गई है। 19.1.1998 को और मुझे जवाब दिया गया है। 19.4.1999 को और अब 2002 में आप उसी बात को दोहरा कर वाहवाही लूटना चाहते हैं। सभापति महोदय, इसलिये मैंने अपने भाषण में शुरू में ही कहा था कि यह निराशात्मक है, थोथा है। भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिससे राजस्थान की जनता की आशाएं और आकाक्षाएं परिलक्षित होती हों, जिससे उनके दिमाग में यह बात आती हो कि सचमुच में आने वाला साल हमारी खुशहाली का साल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय को फिर से उनके अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री राजेन्द्रजी पारीक। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : मैं तो इनके धन्यवाद देने पर ही उपस्थित हुआ हूं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो कटिबद्ध हैं देने के लिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी आज्ञा से। (व्यवधान)

श्री सभापति : शुरू कीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, ऋषि-महर्षियों और पीर-पैगम्बरों के बताये मार्ग से वसुधैव कुटुम्बकम् की नीति पर चलते हुए हिन्दुस्तान पूरे विश्व में अपने साम्प्रदायिक सौहार्द के लिये जाना गया है। लेकिन पिछले दिनों की आतंककारी घटनाओं के चलते न केवल हिन्दुस्तान बल्कि पूरी दुनिया भयाक्रान्त थी। मानव मात्र के मन में एक भय था कि ये जो कुछ भी घटनाएं घटित हो रही हैं इनके पीछे कौनसी ताकतें हैं, इन पर यदि हमने समय रहते मनन

(श्री राजेन्द्र पारीक)

नहीं किया, इनको रोकने के लिये यदि हमने संकल्प नहीं लिया तो ये पूरी मानवता को लील जायेंगी। इसके लिये पूरी दुनिया के मुल्कों ने अपनी सम्बद्धता जाहिर की और हिन्दुस्तान भी इसमें शरीक हुआ। हिन्दुस्तान तो पिछले दस सालों से इस आतंकवाद के गहरे साये में इस कदर पीड़ित है कि हम कश्मीर की बात करें, पूर्वांचल की बात करें या पंजाब की बात करें, कभी भी आतंक के साये ने किसी मां के बेटे को दबोच लिया। खास तौर से आपको तो पता ही है कि जब उन वीर सैनिकों के शव राजस्थान में आये तो झुंझुनूं और सीकर की माताओं के आंसू सबसे अधिक बहे। एक पीड़ित मां को हम कितना भी दे दें, एक पीड़िता पत्नी को कितने भी साधन उपलब्ध करा दें, बावजूद इसके उसकी आंखें नम थीं। यह सब जो कुछ भी घट रहा था यह देश के उन दुश्मनों के द्वारा किया जा रहा था जिन्हें रोकने के लिये तो हम संकल्पबद्ध हैं, लेकिन हम किन्हीं कारणों से रोक नहीं पा रहे थे।

इन्हीं हालात के चलते जब पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ तब पूरे हिन्दुस्तान का हृदय आहत हुआ और हर व्यक्ति ने खुले मन से सम्मानीय प्रधान मंत्रीजी का आह्वान किया कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं, आप उन लोगों के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर दीजिये जो हिन्दुस्तान की धरा पर इस तरह के काले कारनामें करने को तत्पर हैं। इस मुल्क की यह खासियत है कि जब कभी भी इस राष्ट्र में संकट उत्पन्न हुआ है, पूरा राष्ट्र एक साथ समवेत स्वर में खड़ा हुआ है। इसने फिर वह मिसाल कायम की। प्रधानमंत्रीजी को शायद यह इल्म नहीं था कि जिस भस्मासुर के वरदान से राम-राम करते हुए आप इस आसन तक पहुंचे हैं, अन्ततोगत्वा वह भस्मासुर अपना बलिदान मांगेगा। उसने अपना बलिदान मांगा। जब बलिदान मांगने की बात आई तो अयोध्या के, गुजरात के गोधरा, के काण्ड होना जायज था। भस्मासुर ने उन्हें इतना आतंकित कर दिया था कि वह शायद अपने आप में समझ ही नहीं पाये कि उस पर हम कैसे रोक लगायें। गोधरा में जो कुछ घटा उस रेल काण्ड की जितनी भर्त्सना की जाये कम है। कितनी शर्मनाक स्थिति। पूरी मानवता ने अपने आपको पीड़ित महसूस किया। उसकी जितनी भर्त्सना की जाये, वह कम थी। लेकिन उसके बाद राजनैतिक द्वेषता के चलते जो कुछ भी गुजरात में घटा, उससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति मैं समझता हूं कि किसी भी मुल्क में नहीं हो सकती।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माताओं की उजड़ती हुई गोद, सुहागनों के उजड़ते हुए सुहाग और बिलखते हुए बच्चों के करुण क्रन्दन ने भी इंसानियत के उन दुश्मनों के हृदय को आहत नहीं किया। उनको पैरों तले रौंदते हुए चले गये और पूरा मुल्क सन्नाटे में आ गया, जिसकी हमने 1947 में भी कल्पना नहीं की थी। आजादी के इतने वर्षों के बाद अचानक यह क्या हो गया? यह कौनसा भस्मासुर पैदा हो गया जो एक साथ इतनी बलि लेने के लिये तत्पर है?

हम भी राजस्थान से जुड़े हुए हैं, इसकी सीमाओं से बंधे हुए हैं, हमने जब उस क्रन्दन को सुना तो सम्मानीय मुख्य मंत्रीजी जिनके हाथों में इस राजस्थान की बागडोर है उन्होंने अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों और सारे अधिकारियों के सामने अपना संकल्प बता दिया कि यदि राजस्थान में किसी भी तरह साम्प्रदायिक दावानल का एक पत्ता भी खटका तो नाकाबिले बरदाश्त होगा। उसी की परिणति थी कि गुजरात से सटे हुए जिले जहां कुछ भी घटना सम्भव था, वहां पर एक नापाक कोशिशें की गईं, लेकिन वे कामयाब नहीं हो सके। उनकी नाकामयाबी के पीछे यदि कोई कारण था तो मुख्य मंत्रीजी का दृढ़ निश्चय था। उन्होंने तो कभी इस बात की कल्पना भी नहीं की थी कि कोई आयेगा और राजस्थान को इस तरह से रौंदता हुआ चला जायेगा। वे भी अपने लोग जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि बैठकर भाईचारे के साथ रहें। जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की बहबूदी में साथ दें। इस पक्ष में बैठते हों या उस पक्ष में बैठते हों, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हमने राजस्थान की इस धरती का अन्न जल खाया है। हम सबका यह दायित्व बनता है कि राजस्थान के विकास में कैसे अपने आपको एक साथ सम्मिलित करें। राजस्थान के मुख्य मंत्री ने यह महसूस किया।

लेकिन कुछ नापाक इरादे रखने वाले लोग अपने अश्वमेघ घोड़े को टौंक से दौड़ाते हुए जब विजय पताका फहरा रहे थे तो उनको इस बात का पता ही नहीं था कि टौंक में तो विजय पताका फहरा दी लेकिन पूरे हिन्दुस्तान में पराजय आपका पीछा कर रही है। उसकी परिणति हुई अजमेर में जाकर। हिन्दुस्तान में अपनी पराजय को ये बरदाश्त नहीं कर पाये। इनकी आदत में शुमार है, इस आजादी के 40 साल तक तो इन्होंने कभी जीत का मुंह नहीं देखा और आजादी के 40 साल बाद राम-राम करते हुए किसी तरह इन्होंने इस जीत को हासिल किया। और जब इनके पैरों तले से जीत का यह स्वर्णिम

(श्री राजेन्द्र पारीक)

कालीन खिसकता नजर आया तो ये बौखला गये। जिस रामजी के सहारे ये इस मंजिल तक पहुंचे थे। विजयी उन्माद में ये उन रामजी को भी भूल गये। वे रामजी को भूल गये तो राम भी उनको क्यों बख्शते? रामजी ने उनको इस बात का सबक सिखाया कि मैंने तुम्हें यहां भेजा था पीड़ित मानवता की सेवा के लिये मैंने तुम्हें यह सिंहासन इसलिये सौंपा था कि तुम ऋषियों द्वारा प्रतिपादित वसुधैव कुटुम्बकम् की बात करो। मैंने यह सिंहासन तुम्हें इसलिये सौंपा था कि–

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वेभद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद् दुःख भागभवेत्॥

लेकिन तुमने तो इन सारे मंत्रों को, इन सारे वेदों को, उन सारे शास्त्रों को शायद दफन कर दिया और एक मात्र मंत्र तुम्हारे जेहन में यदि है तो वह है साम्प्रदायिकता। उस साम्प्रदायिकता के दावानल ने जो कुछ भी दिखाया है, सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए संकोच नहीं, कईं बार हम दीवारों पर लिखा हुआ देखते हैं, "ढूंढ़ते रह जाओगे", तो लगता है कि हिन्दुस्तान में हम इस साम्प्रदायिक सौहार्द को ढूंढ़ते रह जायेंगे। हमें परिकल्पना करनी चाहिये इस बात की कि जिस दिन इस हिन्दुस्तान में इस तरह का हो गया तो अटल बिहारीजी ने जिन सेनाओं को सीमा पर भेजकर राजस्थान के काश्तकारों की सोने जैसी फसल को तो तबाह कर दिया, काश्तकार ने उफ नहीं की। आगे बढ़ा, उन सैनिकों का सम्मान किया, उसका स्वागत किया और अपना समर्पण दिया कि आओ कि हम इस धरती का सीना चीरकर जब अनाज पैदा कर सकते हैं तो तुम तो इस धरती पर शहीद होने वाले नौजवान हो, हम तुम्हारे लिये भी समर्पण भाव से अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिये तैयार हैं। लेकिन उस समर्पण का अन्त क्या निकला? उसका अन्त भी यही निकला कि वहां हमारी फसलें रौंदी गयीं और यहां इंसानियत रौंदी गई।

इन हालात में हम इस सदन में बैठकर संवेदना के साथ, मानवीय क्रंदन को महसूस करते हुए कुछ सारगर्भित चर्चा करते, हम कुछ ऐसी भावनाएं प्रदर्शित करते तो राजस्थान में इस कोने से उस कोने तक बैठा हुआ हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, ईसाई समवेत स्वर में कहता कि हमने राजस्थान के उन 200 सपूतों को विधान सभा के प्रांगण में भेजा है जिनके हृदय में हृदय है। वे किसी मां के सपूत हैं। उनकी आंखों में आसूं हैं, उनके मन में भावनाएं हैं। लेकिन 18 तारीख के बाद आज लगता है कि उनकी आंखों के आंसू सूख गये। सूख क्या गये, उनकी आंखों में तो आंसू वाली नली शायद थी ही

(श्री राजेन्द्र पारीक)

नहीं। यदि आंसू वाली नली होती तो वे उस क्रंदन को महसूस करते और किशनगढ़ के इस साधारण से प्रकरण में जिसमें एक स्वाभाविक मौत हुई थी, अपनी झेंप मिटाने के लिये इस तरह का नाटक नहीं करते।

मैं सम्मानीय पूर्व मुख्य मंत्री महोदय जहां कहीं भी बैठे हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो आपके मापदण्ड कुछ अलग होते हैं, लेकिन जब कभी आप विपक्ष में होते हैं तो आपके मापदण्ड बिलकुल बदल जाते हैं। आप राजस्थान के उन शीर्ष नेताओं में से हैं कि आपको पक्ष और प्रतिपक्ष की बात शोभा नहीं देती। हम इस विधान सभा में बैठे हुए वे लोग जो कल के बच्चे हैं, इस भावना से यहां पर आये हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग जिनका 40 साल का, 50 साल का लम्बा राजनीतिक इतिहास है, उन्होंने इस विधान सभा के प्रांगण में कुछ मान्यताएं, कुछ परम्पराएं, कुछ आदर्श स्थापित किये हैं। लेकिन उस आदर्श को जिस तरह भस्मीभूत होते हुए, जिस तरह से नेस्तनाबूद होते हुए इन आंखों से देखा, तब मन पीड़ित है कि हम क्या शिक्षा लेकर जायें।

(15.34 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हमें कौन नसीहत देगा? कल एक माननीय सदस्य किसी दूसरे माननीय सदस्य को उसकी टेबल पर आकर धमकाने की बात करे और उसके लिये शर्मसार तक नहीं हो। और इसी सदन में बैठे हुए माननीय सदस्य जाकर उनको इस बात के लिये प्रेरित करें, तैयार करें, उनको प्रेरणा दें। यदि मैंने गुनाह किया है तो मुझे इस बात का एहसास होना चाहिये कि मुझसे कहीं गलती हुई है। क्षमा मांगने वाला कभी भी छोटा नहीं होता है, क्षमा मांगने वाला हमेशा बड़ा होता है। उन्होंने गलती की, उनको तत्काल अपने हृदय से इस बात को महसूस करते हुए माननीय माहिर आजाद साहब से क्षमा मांगनी चाहिये थी। उनको कहना चाहिये था कि मेरी किसी बाणी से यदि आपका हृदय आहत हुआ है तो मैं स्वयं भी आहत हूं और मैं स्वयं भी पीड़ित हूं, मेरे भाई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। आप गले लगो और मुझे क्षमा करो। तो यह पूरा सदन अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से उन दोनों का मान बढ़ाता इसी सदन में। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया? हमने इन्सानों की भाषा बोलना छोड़ दिया। हमने पूरे सदन में ''हूं'', ''हूं'' की यह कहते हुए कि जो लोकतंत्र की हत्या करेगा वह कुत्ते की मौत मारा जायेगा। हिन्दुस्तान की बात तो मैं नहीं करता

(श्री राजेन्द्र पारीक)

लेकिन राजस्थान के इस प्रान्त से बहुत-से लोग यहां पर बैठे हुए थे जो अपनी आंखों से देख रहे थे कि यहां पर "हूं", "हूं" कौन कर रहा है। यह "हूं", "हूं" किसकी भाषा है। कौन किस लोकतंत्र की बात करता है। यदि यही "हूं", "हूं" करने वाला लोकतंत्र है तो लानत भेजते हैं आपके इस लोकतंत्र पर।

यह लोकतंत्र की बात, इस सदन की मर्यादा की बात, जब जैन मुनि काण्ड हुआ सिरोही में, जब शिवानी जड़ेजा काण्ड हुआ, जब जुगताराम का प्रकरण हुआ तब आप श्रीमान् मुख्य मंत्री थे और आपने पूरे सदन को यह कहा किसी अधिकारी के खिलाफ मैं कार्यवाही इसलिये नहीं कर सकता कि यदि अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करूंगा तो उसका मनोबल गिर जायेगा। हम अधिकारी का मनोबल नहीं गिराना चाहते हैं क्योंकि अधिकारी हम पर शासन करने वाला है। अधिकारी हमको रौंदने के लिये है। अधिकारी हम पर अंकुश लगाने के लिये है और यदि हम उसका मनोबल गिरा देंगे तो वह इस राजस्थान में शासन कैसे चलायेगा। शासन चलाने वाले आप थे। मनोबल आपका ऊंचा रहना चाहिये था। मैं स्वयं मौजूद था उस दिन जब जैन मुनि काण्ड हुआ। इसी सदन में बैठे हुए श्रीमान् कटारिया साहब तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, तत्कालीन एक्साइज मिनिस्टर स्वर्गीय अनंग कुमार जैन जिनको मैं नमन करता हूं, वे स्वयं भी उपस्थित थे। उनकी आंखें नम थीं। अश्रु धारा झर-झर बह रही थी। वे बिलख-बिलख कर कह रहे थे, एस.पी. को हटाओ, एस.पी. को हटाओ। हमने भी समवेत स्वर में कहा कि एक सम्मानीय मंत्री का मन आहत है, आप इसे हटाइये। वे तो यहां तक कम्प्रोमाइज करने के लिये तैयार थे कि यदि आप इन्हें नहीं हटाते हैं तो कृपया आप इनका तबादला कर दें। लेकिन प्रश्न था अधिकारी के मनोबल का कि हम अधिकारी के मनोबल को गिराना नहीं चाहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं आपको इस बात के लिये कि आप अधिकारियों का मनोबल इसी तरह से बढ़ाते रहे। फिर आज यदि राजस्थान के मुख्य मंत्री अधिकारी का मनोबल बढ़ा रहे हैं तो कौन-सा गुनाह कर रहे हैं? आप जिस अधिकारी का मनोबल बढ़ाने की बात कर रहे थे वह दोषी था। लेकिन किशनगढ़ में तो किसी तरह की घटना नहीं हुई। उस व्यक्ति की पत्नी ने स्वयं यह लिखकर दिया है कि मेरे पति की मौत स्वाभाविक मौत है, आप इससे राजनीतिक रोटियां नहीं सेकें। लेकिन नजरें कहीं और हैं, निशाना कहीं और। भस्मासुर के पुत्र जब उड़ीसा में नंगा नाच कर रहे थे, जब

(श्री राजेन्द्र पारीक)

वहां पर वे तांडव करते हुए विधान सभा में लोकतंत्र को अपने पैरों तले रौंद रहे थे तब सम्मानीय प्रधान मंत्रीजी की आंखों में अश्रु धारा थी। उनका हृदय, हृदय नहीं कवि हृदय द्रवित था और एक कोने में बैठकर वह कह रहे थे कि काश मैं इन क्षणों को देखने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाता। तो क्या राजस्थान में बैठे हुए हम लोग उस प्रलयंकारी भयंकर घटना से द्रवित नहीं हुए? क्या हम विधान सभा में बैठने वाले 200 लोग उस घटना से आहत नहीं हुए? हम भी आहत हुये। हम उस पर चर्चा करते, मनन करते, वार्ता करते कि भविष्य में राजस्थान में उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। राजस्थान उस काले कलंक से अपने आपको कलंकित नहीं करे, ऐसी भावनाएं हम प्रदर्शित करते। हम एक-दूसरे के गले मिलकर अपने संवादों को बांटते। लेकिन, सम्मानीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी, आपने तो संवादहीनता पैदा कर दी। जब किसी तरह का संवाद ही नहीं है तो कौन किसको समझाये, कौन किसको कहे? कहना तो रह गया "हूं", "हूं" की भाषा में। अब निर्णय राजस्थान की जनता को करना है कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं और कौन-से वे ऐसे कुत्ते हैं जिनको कुत्ते की मौत मारा जाना है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन आहत हुआ एक इंसान हूं और इंसान होने के नाते इस मुल्क के संविधान में आस्था रखने वाला हूं। मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा उस दिन नहीं हुई जब पार्लियामेंट में पाकिस्तान के भेजे हुए उन कुछ आतंककारियों ने आतंक बरपाया। मन आहत हुआ तब जब नौजवानों के शरीर बन्दूक की गोलियों से छलनी हुए। हृदय द्रवित हुआ जगदीश यादव की मां के आंखों में आंसू देखने के बाद। लेकिन सीना गर्व से फूला हुआ था कि एक आतंककारी का मेरी अपनी इस धरती के बेटे ने अपने पैरों तले मंसूबा कुचल दिया। लेकिन उड़ीसा में तो अपने लोग थे। उड़ीसा में तो इस हिन्दुस्तान के संविधान को मानने वाले वे लोग थे जिसकी हमने विश्व हिन्दू परिषद्, शिव-सैनिक, बजरंग दल, पता नहीं नाना प्रकार के क्या-क्या नाम देकर हमने फौजें तैयार की हैं। ये जो हमने भस्मासुर तैयार किये हैं, मेरा दावा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भस्मासुर का यह संकल्प है कि जो उसको वरदान देता है, सर्वप्रथम वह उसी को भस्म करता है। पोटो-पोटो चिल्लाने वाले लोग उड़ीसा में आतंक मचाने वाले, उड़ीसा में लोकतंत्र को अपने पैरों तले रोंदने वाले उन लोगों पर पोटो लागू करेंगे? क्या इन पर रोक लगायेंगे? ये कुछ ऐसे यक्ष प्रश्न हैं जिनको हम सड़क पर बैठकर तय नहीं कर सकते। उसके लिये हिन्दुस्तान की जनता ने पार्लियामेंट में भेजा है अटल बिहारीजी

(श्री राजेन्द्र पारीक)

को, तो राजस्थान में भी हमें भेजा है। हम बैठकर यह तय करें कि राजस्थान का साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़े। आप इस बात की कल्पना करिये कि गुजरात का वह साया काश राजस्थान पर भी पड़ गया होता तो क्या होता? आज हम यहां बैठते? हम एक-दूसरे को अपनी लाल आंखों से देखते हुए एक-दूसरे की गलाकाट की होड़ में तल्लीन हो जाते। उसमें मिल जाते। कितनी मांएं बिलखतीं। लेकिन किसी का दृढ़ निश्चय प्रशासन का मनोबल बढ़ा सकता है और आवश्यकता इसी बढ़े हुए मनोबल की है। धन्यवाद की पात्र हैं राजस्थान की सरकार, धन्यवाद के पात्र हैं राजस्थान के वे सारे अधिकारी, धन्यवाद के पात्र हैं राजस्थान के दृढ़-निश्चयी मुख्य मंत्री जिनके संकल्प ने राजस्थान को इस दावानल से जार-जार होने से बचा लिया। राजस्थान की परम्परा है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री रामस्वरूप : इतना बढ़िया बोल रहे हैं आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : राजस्थान में किसी पीड़ित को सहारा देने का उसका अपना संकल्प है।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने देंगे, आप तो तसल्ली रखो और भी बोलने वाले हैं वे भी आपकी तरह ही हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सम्मानीय मुख्य मंत्रीजी ने जब गुजरात में अकाल हुआ तो अपनी सदाशयता, अपने मानवीय हृदय का परिचय दिया। गुजरात के वे लोग जो राजस्थान के थे, जब अपना सब कुछ लुटाकर उन्होंने राजस्थान की सीमा में प्रवेश किया तो उनको लगा कि उनका कोई अपना राजस्थान में बैठा है, उनका अपना कोई हितैषी राजस्थान में बैठा है जो घर मुहैया कराने के लिये, बाल-बच्चों को पालने के लिये, कुछ भी दुबारा नया अर्जित करने के लिये एक लाख रुपये की सहायता देगा। रोटी देगा, कपड़े देगा, सब कुछ देकर सहायता करेगा। न केवल राजस्थान बल्कि पूरे हिन्दुस्तान ने एक स्वर में राजस्थान के मुख्य मंत्री की इस बात के लिये प्रशंसा की। हमें भी एक स्वर में इस बात के लिये राजस्थान के मुख्य मंत्री की प्रशंसा करनी चाहिये जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय के चलते राजस्थान को जार-जार होने से बचा लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप मुझे जब आज्ञा देंगे, मैं बैठने को तैयार हूं लेकिन मन व्यथित था इसलिये कुछ ज्यादा कह दिया। मैं अपने सब्जैक्ट पर आना चाहता हूं यदि आप आज्ञा दें तो मैं आऊं?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, साढ़े चार बजे माननीय मुख्य मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : साढ़े चार पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय उत्तर देंगे और मैं मात्र 15 मिनट में अपनी पूरी बात को समाप्त करके आपकी आज्ञा से बैठना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तीन माननीय सदस्य और बोलने हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : उससे पहले यदि आप मुझे आज्ञा दें या जैसा भी आप मुनासिब समझें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : दो माननीय सदस्य और हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तीन और हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी कार्य के लिये संकल्प चाहिये। मैं इस मौके पर स्वर्गीय राजीवजी को जब याद करता हूं तो जहां एक ओर आंखों के कोने नम होते हैं, वहीं मस्तक ऊंचा हो जाता है कि एक ऐसा दूरदर्शी, विजन वाला व्यक्ति था जिसके मन में इस हिन्दुस्तान को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का एक संकल्प था। वह संकल्प ही आज पूरे हिन्दुस्तान को इंफोरमेशन एण्ड टैक्नोलोजी में और साफ्टवेयर में स्थापित कर पाया है कि बिल गेट्स भी प्रबल सम्भावनाएं तलाश करता है हिन्दुस्तान में। यदि उनका यह संकल्प नहीं होता, यदि वे सैम पित्रौदा को हिन्दुस्तान में लाकर अपना संकल्प नहीं बताते तो शायद हम आज भी बहुत पीछे होते। उसी संकल्प का एक नया उदाहरण माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान में देखने को मिला। उनके मन में भी एक परिकल्पना है कि कैसे वह धरती, कैसे मैं वह ढांचा जो राजस्थान से बाहर बैठे हुए हैं उन लोगों को दूं जो इस राजस्थान में आना चाहते हैं। प्रवासी राजस्थानी जो विदेशों में बैठे हुए हैं, जो सुदूर प्रान्तों में बैठे हुये हैं, वे इस राजस्थान में आना तो चाहते हैं लेकिन उनको तलाश है एक ऐसे राजस्थान की जो खुशहाल हो, जो समृद्ध हो, जिसमें ढांचागत तैयारियां हों। जब हम ढांचागत तैयारियों की बात करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तो हमारी आंखों के सामने से सड़कें गुजरती हैं, बिजली का सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर गुजरता है। हमारे यहां के जल साधन गुजरते हैं, हमारे यहां का शिक्षा का वातावरण गुजरता है और इन सबसे आगे गुजरता है साम्प्रदायिक सौहार्द। तो साम्प्रदायिक सौहार्द तो हमने कायम कर दिया और इस बात की मिसाल पूरे राजस्थान को दे दी। इस मौके पर मैं सम्मानीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी को भी एक निवेदन करना चाहूंगा, आये दिन जो लोग इस तरह की साम्प्रदायिकता

(श्री राजेन्द्र पारीक)

की बातें करते हैं, हमारे सीमा प्रान्त में बैठे लोगों के मन में आतंककारी घटनाओं की बारबार अपने अखबारों के माध्यम से भ्रामक अफवाहें फैलाकर जो संदेश देना चाहते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि राजस्थान में विनियोग करने वाले उद्योगपति केवल इस पीड़ा से, इस भय से कि राजस्थान का वातावरण कहीं आतंककारी घटनाओं में लिप्त नहीं हो जाये, अपना विनिवेश बन्द करने की कल्पना कर लें। तो आप अन्दाजा लगाइये कि राजस्थान का हम कितना बड़ा नुकसान करना चाह रहे हैं। जब माननीय मुख्य मंत्रीजी के मन में एक ढांचे की....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े विनम्र भाव से आपसे आज्ञा चाहता हूं कि आप मुझे पांच-सात मिनट दें तो मैं अपनी बात समाप्त करूं। मुझे पता है कि मैं ज्यादा बोल गया।

श्री उपाध्यक्ष : और अवसर मिलेगा, अभी बहुत है।

श्री राजेन्द्र पारीक : तो जब ढांचागत तैयारी की बात हुई तो सम्मानीय मुख्य मंत्रीजी के मन में एक परिकल्पना उठी और वह एक अनूठी योजना थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस सदन में जब बैठते हैं तो पक्ष और प्रतिपक्ष होता है, लेकिन सम्मानीय मुख्य मंत्रीजी के मन में पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं रहा। उनके मन में था तो सिर्फ इतना कि एक जन-प्रतिनिधि जब अपने क्षेत्र से सुनकर आता है तो उसके क्षेत्र के लोग उससे कुछ कल्पना करते हैं, कुछ उम्मीद करते हैं कि वह उनके क्षेत्र का विकास करवायेगा। जब उनके मन में यह भावना उपजी होती है, एक जन-प्रतिनिधि होने के नाते इस सदन में बैठे हुये सभी माननीय जो 200 सदस्य हैं, उनको तीन-तीन करोड़ रुपया इस बात के लिए दिया कि राजस्थान की वे समस्त सड़कें जो टूटी-फूटी हैं, जो आज कहीं नाममात्र की नजर नहीं आ रही हैं, उनको हम स्ट्रेन्थ करें, उनका हम नवीनीकरण करें। हम जो यहां बैठे हुए हैं, सम्मानीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी, पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री के हृदय को भी राहत पहुंचाये कि आपसे तो अपने फफोले नहीं मिटे। फफोले तो बहुत पड़े, उनसे आहत भी बहुत हुए, लेकिन क्या करते? वैद्य तो थे लेकिन अपना इलाज नहीं कर पाये। उसका इलाज राजस्थान के मुख्य मंत्री ने किया। आने वाले एक वर्ष में राजस्थान की पूरी सड़कें पेवर से नहाई हुई काली बिलकुल सर्पिणी की तरह से जब आपके आंखों के सामने होंगी तो आपको लगेगा कि क्या शानदार सड़कों के माध्यम से

(श्री राजेन्द्र पारीक)

एक राजस्थान की परिकल्पना हमने की। बी.ओ.टी. की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हमने लोगों को इन्वाइट किया है जिसके लिये हम कानून में संशोधन लाना चाह रहे हैं। बी.ओ.टी. में लोग आना भूल गये थे क्योंकि बी.ओ.टी. का कंसैप्ट निश्चित रूप से बी.जे.पी. का था। लेकिन यहां लाकर उन्होंने व्यापारियों को फंसा दिया कि वे बड़ी मुश्किल से राम-राम करके अपने फंटे हुए पूर लेकर यहां से वापस गये। ये हालात दुबारा नहीं बने, इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री को लगा कि बी.ओ.टी. में जिन इन्टरप्रिन्योर्स को हम यहां पर लाना चाहते हैं वे अपने पूर के बजाय यहां से कुछ अर्जित करके जायें ताकि दुबारा फिर यहां पर आने का मन बनाये। इसके लिये हमने कानून में संशोधन करने की मंशा जाहिर की और कानूनी अमलीजामा पहनाकर उन लोगों को जब हम यहां पर इन्वाइट करेंगे तो यकीनन राजस्थान की सारी की सारी सड़कें जिनमें आज एक-एक, डेढ़-डेढ़ फीट के गड्डे निश्चित रूप से बढ़िया होंगी, ऐसी मेरी मान्यता है।

मैं इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि राजस्थान के छह जिलों में आपने विकास की कल्पना की है। यह विकास इन छह जिलों में ही क्यों? आपके सामने तो पूरा राजस्थान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पता है मेरी सीमाओं का कि मेरे पास समय नहीं है, मन में बहुत कुछ है कहने को, लेकिन मैं अपने संक्षिप्त समय में कुछ कहना चाहूंगा। हम इस बात की परिकल्पना करें कि हमारा घटता हुआ जल स्तर है और वह घटता हुआ जल स्तर भी प्रदूषित हो रहा है। यदि हमने समय रहते इन बड़े-बड़े जिलों झुंझुनूं, सीकर, अजमेर, बीकानेर आदि में सीवरेज का आज से कोई साधन मुहैया नहीं कराया तो जहां हमारे पास सतही जल का अभाव है, दूसरी ओर हमारे अण्डर ग्राउण्ड वाटर का लेवल नीचे जाता जा रहा है। पिछले अकालों ने इस स्थिति को और भी विषम बना दिया है। यदि हमने इन सब पर गौर नहीं करके पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेन्थन नहीं किया और मात्र हम इन छह जिलों पर ही केन्द्रित रहे तो इन छह जिलों से तो राजस्थान नहीं बनेगा। राजस्थान तो पूरे 32 जिलों से बनेगा। आपकी एक कल्पना होनी चाहिये कि पूरे के पूरे 32 जिले जो आपके अपने हैं, उन सारे जिलों में विकास का बिगुल एक साथ बजे, ऐसी मेरी मान्यता है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मैं इस मौके पर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि राजस्थान विश्वविद्यालयों की हम पिछली बार विधान सभा में जब चर्चा कर रहे थे बी.जे.पी. के शासनकाल में बैठे हुए, तो मैंने खड़े होकर यह कहा था कि जिस आर. एन. सिंह की विधान सभा में चर्चा कर रहे हो, लोग इस बात से यह अर्थ लगायेंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना है क्योंकि इसकी विश्वसनीयता समाप्त हो गयी है। लेकिन राजस्थान में इस वर्तमान सरकार ने विश्वसनीयता को कायम किया है, आज समय पर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हो गये हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा न केवल आर्थिक हुआ है, कि अध्यापकों को हम अगस्त और सितम्बर माह तक एक्जाम लेने के लिये लगाये रखते थे, उनको ओवरटाइम देना पड़ता था। आज वह ओवरटाइम नहीं देकर हमने समय पर एग्जाम कराये हैं। बल्कि बच्चों का भविष्य जो अंधकारमय था, वह सुनिश्चित हुआ है और हमें आर्थिक लाभ भी हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्रजी सराधना।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे समय दिया। इस मौके पर मैं एक छोटा-सा निवेदन यह करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, बहुत हो गया। बहुत बोल लिये आप।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक निवेदन, मात्र एक निवेदन। माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक संदेश देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपनी एक भावना पहुंचाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, पहुंचा देना।

श्री राजेन्द्र पारीक : मुख्य मंत्री सहायता कोष के माध्यम से और मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से जिस तरह से राजस्थान के उन पीड़ितों को आपने राहत पहुंचाई है, जो अपने स्वयं का इलाज नहीं करवा पाते थे, उन गरीबों को 50 हजार से लेकर तीन-तीन लाख रुपये तक आपने दिये हैं, मेरा यह सुझाव है कि जो विधायक कोटा है...

श्री रामचन्द्र सराधना : अब कुछ बात मैं कह दूंगा। मैं कह दूंगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : उसमें से यदि आप लाख रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष में सम्मिलित करें तो राजस्थान का हर एम.एल.ए. मैं समझता हूं कि इस बात के लिये ना नहीं करेगा। वह अपने कोटे

(श्री राजेन्द्र पारीक)

में से दो लाख रुपये मुख्य मंत्री सहायता कोष में देकर अपनी सहभागिता निभायेगा, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामचन्द्रजी सराधना।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़): माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस अष्टम सत्र में दिये गये अभिभाषण पर मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिये, आभार प्रदर्शित करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूं। वैसे इस अभिभाषण पर दो-तीन दिन से बहस चल रही है, बहुत अच्छे विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन मैं सारी बातें नहीं कहकर राज्य सरकार ने जिनका उल्लेख इस अभिभाषण में भी किया है, उस पर कुछ मौलिक चिन्तन किया है और मौलिक चिन्तन में सबसे पहले मैं अकाल की तरफ बात करता हूं।

अकाल की जब समस्या सामने आयी थी, बड़ा संकट था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। लेकिन राजस्थान की जनता को इस सरकार ने एक विकास का मौका दिया। अकाल में रहते हुए, अकाल के अभाव में चलते हुए विकास के कामों को भी किया और उनकी समस्याओं का समाधान भी हुआ। आज छोटे-छोटे गांवों में सड़कें बनी हैं चाहे ग्रेवल सड़क बनी हैं, चाहे आने-जाने के रास्ते तय हुए हैं। ये सारे कार्य अकाल में हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह रही कि आज से पहले भी राजस्थान में अकाल आये और उनका मुकाबला भी किया गया होगा, लेकिन इस बार राजस्थान में अधिकारियों को जिम्मेदारी देकर इस अकाल का निपटारा किया गया, अकाल के कामों को पूरा किया गया। इतना नियंत्रण किया गया कि जिसके कारण से कोई भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं आयी। मजदूरों को भुगतान नहीं किया गया हो, ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी। यह सारा काम राजस्थान की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हुआ।

माननीय उपाध्यक्षजी, दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस में जो देश है उसकी बदनीयती का हम शिकार होते रहते हैं। उस बदनीयती का ताजा शिकार हुए गये समय में जब आप सबको मालूम है कारगिल का युद्ध हुआ। यद्यपि वह भारत सरकार की लापरवाही के कारण पनपा। केवल मात्र लाहौर की एक बस का संचालन करके छोटी-सी खुशी मानकर वे निश्ंचित हो गये और उसका नतीजा यह निकला कि पड़ोसी देश ने अपनी कूटनीति और दुर्भावना के कारण कारगिल युद्ध पैदा किया।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

उपाध्यक्षजी, कारगिल के युद्ध में सारे देश के रणबांकुरे शहीद हुए। राजस्थान के रणबांकुरों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। मातृभूमि की रक्षा करते हुए राजस्थान के बहुत सारे वीर उसमें शहीद हुए। सरकार ने पहली बार एक कार्य किया, अपनी इच्छा प्रकट की कि उन रणबांकुरों के पार्थिव शरीर को कंधा देने के लिये राजस्थान के मुख्य मंत्री पहुंच जायें। उनका पहुंचने का या उनके प्रतिनिधि पहुंच जाएं। उसका एक ही तात्पर्य था कि मातृभूमि के रक्षकों को समाज में सर्वोच्च महत्त्व दिया जाना चाहिये। यह कम बात नहीं कि उन्होंने महत्त्व देने के साथ-साथ उनके परिवारों को जीविकोपार्जन का साधन भी दिया। चाहे उनको जमीन दी हो, चाहे उनको नकद दिया हो लेकिन यह देकर इस राजस्थान की सरकार ने एक मिसाल कायम की है।

बात चल रही थी प्रशासन गांवों के संग की। इसके दोनों तरफ की बात की जा सकती है। अभी कइयों ने पहले भी कहा होगा। अभी-अभी माननीय सदस्या ने कहा था कि उसमें कुछ भी नहीं हुआ, केवल मात्र एक प्रमाण पत्र दिया गया। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, कई बरसों से राजस्व के अटके हुए मामले जिनको भाई-भाई न्यायालयों में ले गये थे, कोर्ट्स में लड़ रहे थे, विवाद पैदा हो रहे थे, उनको निपटारा करने की बात आयी। चाहे वह नामान्तरण की बात हो, चाहे वह गैर-खातेदारी से खातेदारी की बात हो, चाहे विभाजन का मामला हो और चाहे आबादी की बात हो, चाहे सरेण्डर डीड की बात हो, इन बातों को लेकर राजस्थान में प्रशासन गांवों के संग अभियान के दरमियान काम हुआ है। भले ही किसी सदस्य ने, किसी जन-प्रतिनिधि ने इसको गम्भीरता से नहीं लिया हो। केवल प्रमाण पत्र देने का ही बहाना बनाकर वह नहीं पहुंचे होंगे। जो लोग, जो विधायक भाग-दौड़ करके अपने क्षेत्र में इस प्रशासन गांवों के संग में जुड़े हैं, उन लोगों ने निश्चित रूप से अपनी जनता को, अपने लोगों को राहत दी है। उनके काम हुए हैं। यह भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का काम था। राजस्थान में पहले भी कई बार कैम्प लगे हैं, कई तरह के कैम्प लगे हैं। लेकिन इन कैम्पों में जो काम हुआ है और इन कैम्पों को जिस तरह से जनता ने सराहा है वह बहुत बढ़िया बात थी।

इसके साथ-साथ पहले जब सरकार बनी थी तो भी मैंने निवेदन किया था कि जनता में एक भावना फैलायी गयी कि कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। मान्यवर, यदि प्रशासन गांवों के संग में किसी ने देखा हो, नजदीक से समझा हो तो मालूम पड़ा होगा कि उन्होंने किस तरह से काम किया है। 9 बजे अधिकारी/

(श्री रामचन्द्र सराधना)

कर्मचारी कैम्पों में पहुंचते थे और रात को 10 बजे तक अपने घर नहीं पहुंचते थे। दूसरे दिन 9 बजे फिर पहुंच जाते थे। यह नियंत्रण का ही मामला था। सारे राजस्थान प्रदेश में ये वे ही लोग थे जो स्कूलों को टाइम पर टीचर नहीं खोलते थे, जो पटवारी अपने हैडक्वार्टर पर नहीं रहता था, जो अधिकारी समय पर नहीं मिलता था, जो लोग चाय के बहाने बाहर निकल जाते थे। यह सारी बात इसलिये कह रहा हूं कि राजस्थान की जनता को इस प्रदेश की सरकार ने एक मौका दिया है काम करने का अधिकारियों के मार्फत, या कर्मचारियों के मार्फत, जिनको ड्यूटी पर पक्का करके लाभ मिला है और यह इनके प्रशासन का दृढ़ता का काम था।

(16.00 बजे)

एक और बात, ऊर्जा का मामला चल रहा था। इस मामले में चाहे जनता में जाये, चाहे विधान सभा में बोले, विद्युत मंत्री के खिलाफ या ऊर्जा मंत्री के खिलाफ बोले तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन, मान्यवर, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। ऊर्जा मंत्री किसी को बना दिया जाये, वह बैठ कर महसूस करेगा तो वह भी इस बात को देखेगा कि जब तक आधारभूत ढांचे का विकास नहीं होगा ऊर्जा के क्षेत्र में तब तक बिजली की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आधारभूत ढांचे का विकास करने के लिये निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के दो ही तरीके हैं, या तो जनता से पैसा लिया जाये या सरकार के पास पैसा नहीं है तो उधार लिया जाये। ऐसी स्थिति में उधार लेने के बावजूद भी, बैंक से पैसा लेने के बावजूद भी यह सारा इसलिये करना पड़ा कि राजस्थान के किसानों और राजस्थान की जनता को बिजली उपलब्ध कैसे करवायी जा सकती है। यदि हम यह बात सोच करके चले हम पैसा नहीं बढ़ायेंगे, मतदाता बहुत खुश रहेगा, लोग भी बहुत खुश रहेंगे कि सरकार बहुत अच्छी आयी, एक नया पैसा इन्होंने बिजली पर नहीं बढ़ाया। लेकिन बिजली दे नहीं पाओगे। पहले की स्थिति देखी होगी, हर वक्त 25000-30000 कनेक्शन देते रहे लेकिन इन्होंने ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया। जब ऊर्जा का उत्पादन नहीं किया तो वह स्थिति हो गयी कि भण्डार में माल कम और पत्तल-दोने में ढील नहीं तो पत्तल में किसी के लड्डू आयेगा, किसी के पूड़ी आयेगी और पूरा माल किसी को मिल नहीं पायेगा। उस तरह राजी रखना चाहते थे ये। वह स्थिति बना कर यदि अपने मतदाता को खुश रखना चाहते थे तब तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी।

आज ऊर्जा मंत्रीजी सब के कोपभाजन बन रहे हैं। बहुत सारे साथी कहते हैं कि ऊर्जा मंत्रीजी बहुत गलत कर रहे हैं, लेकिन करना क्या था? या तो वैसे ही चले जाते जैसे

(श्री रामचन्द्र सराधना)

दूसरे लोग आकर चले गये। केवल मतदाता को खुश करने के लिये हम आधारभूत ढांचे का विकास नहीं करते, पैसे का इंतजाम नहीं करते। पैसे का इंतजाम करना था, जब आधारभूत ढांचे का विकास करना था तो फिर आपको कोई न कोई उपक्रम करना ही था। इस समय मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन कठिन परिस्थितियों और बहुत सारे साथियों की नाराजगी के बावजूद भी, बहुत सारे संदेह प्रकट करने के बावजूद आपने हार नहीं मानी। राजस्थान की जनता में पहले ये खबरें फैलायी गयी थीं कि यह प्राइवेट हो जायेगी, ऐसा हो जायेगा, वैसा हो जायेगा, वे सारे संदेह दूर होते जा रहे हैं। समय बड़ा कठिन है, राजस्थान का किसान, राजस्थान का उपभोक्ता यद्यपि परेशान है, पर इन सब बातों के बावजूद भी कोई न कोई कठोर निर्णय तो आपको लेना ही पड़ेगा।

मुझे मालुम है 1974-75 में जब परिवार नियोजन की बात केन्द्र सरकार ने की थी, भले ही केन्द्र सरकार द्वारा किये गये उस काम पर उस समय उनको नाराजगी भुगतनी पड़ी लेकिन आज देश उस बात के लिये उनका एहसानमंद है कि 1974-75 में अगर परिवार नियोजन की बात माननीय इन्दिराजी नहीं करतीं तो आज स्थिति क्या होती। कई बातें ऐसी होती हैं जिनमें पार्टी को नुकसान होकर भी यदि जनता को लम्बे अर्से तक लाभ देना है तो आपको देना पड़ेगा, उसके लिये विचार करना पड़ेगा।

मान्यवर, इसमें थोड़ी सी कमी है। मैं समझता हूं कि ऊर्जा मंत्रीजी कहीं सुन रहे हैं तो इस बात को नोट करें कि अपील की बहुत बड़ी कमी है। ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम किया गया है, जैसे बी.सी.आर. भरने की बात हो, चाहे गलत मीटर लगाने की बात हो, चाहे गलत मीटर रीडिंग की बात हो, चाहे 5 हार्स पावर की जगह बी.सी.आर. में 7.5 हार्स पावर की मोटर लिखने की बात हो, इन बातों में कहीं भी उन्होंने अपील की गुंजाइश नहीं छोड़ी। अपील करने की जगह दी है, कोई सैटलमैंट कमेटी उन्होंने बनाई है तो एस.ई. लेवल पर बना कर छोड़ दी। उसमें ए.ईएन., एक्स.ईएन. और एस.ई. बैठ कर फैसला करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि यदि अपील की कोई अथोरिटी बनानी थी तो आपको काश्तकार भी उसमें रखने चाहिये थे। काश्तकार दिनभर उस सैटलमैंट कमेटी के सामने बैठ कर अपनी बात कहना चाहते हैं, वे दो मिनट में उसको निकाल देते हैं। नहीं तू झूठ बोलता है, तू चोरी करता पकड़ा गया है, तेरी 7 की, 8 की, 10 की मोटर थी, कह कर टरका देता है। अपनी बात के लिये वह ढंग से दलील नहीं दे पाता जिसके कारण हमारा काश्तकार, हमारा उपभोक्ता बड़ा परेशान रहता है। इसमें मेरा निवेदन है कि सैटलमैंट कमेटी में काश्तकार

(श्री रामचन्द्र सराधना)

भी शामिल होना चाहिये। काश्तकार की बात को काश्तकार खड़ा रह कर ढंग से अपील कर सकता है, ढंग से समझा सकता है, दलील को आगे बढ़ा सकता है इसलिये काश्तकार को उस सैटलमैंट कमेटी में जरूर रखें। उसमें घरेलू कनेक्शन वाला भी रखें, उसमें कामर्शियल मैम्बर भी रखें और उसमें इंडस्ट्री वाला भी कोई न कोई आदमी रखें। यह कमेटी निश्चित रूप से बनायी जानी चाहिये। आपकी तरफ से भी उसमें नामिनेट मैम्बर होने चाहिये जो जनता की बात को अधिकारियों के सामने रखें। कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है, एस.ई. लेवल से लेकर चाहे चीफ इंजीनियर तक ले लो, जो अपने जेईएन की कही हुई बात को नकार दे। कोई भी ऐसा नहीं है।

मान्यवर, मेरे सामने एक ऐसा उदाहरण है, मैं इसमें आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक गुंजाइश अपील की नहीं रही। एक आदमी ट्रेक्टर से जनरेटर लगा कर मोटर चला रहा था, सिंचाई कर रहा था। उसके ट्रेक्टर में से डोरी काट कर ले गये और उसका बी.सी.आर. भर दिया। वह लड़का चिल्लाता रहा, तीन दिन बैठा कह कर चला गया लेकिन अंत में एक्सईएन. ने भी कह दिया कि मेरा एईएन जाकर आया है, इसकी एक बात को झुठलाऊंगा तो सारी बातें झूठी हो जाएंगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पीड़ा को कम करने के लिये गम्भीरता से सोचे और सैटलमैंट कमेटी में अपने जन प्रतिनिधि भी रखे जाएं।

मान्यवर, जहां तक जल की बात है, जल का बड़ा संकट है। चाहे पेयजल का हो, चाहे सिंचाई का हो, धीरे-धीरे नीचे जाता जा रहा है। कुदरत का हम पर बड़ा प्रकोप है, खास तौर से राजस्थान में। पीने के पानी की समस्या हो, चाहे सिंचाई की समस्या हो, धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। इस बार राजस्थान की सरकार ने इसका समाधान सोचा है और मैं समझता हूं पहली बार इतनी बारीकी से सर्वे करवाया गया है। चाहे सिंचाई मंत्रीजी ने करवाया है, चाहे पी.एच.ई.डी. वालों ने करवाया है, राजस्थान की सरकार ने मिल कर बारीकी से परम्परागत जन स्रोतों का भी सर्वे करवाया है और इनको वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर ठीक करवा रहे हैं। मैं समझता हूं कभी थोड़ी-बहुत वर्षा भी होगी तो उसमें पानी आयेगा, पानी बह कर नष्ट नहीं होगा। राजस्थान सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि एक-एक बूंद की रक्षा की जाये और एक-एक बूंद को इकट्ठा करके भी काम में लिया जाये, इसके लिये यह धन्यवाद के पात्र है।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

मान्यवर, अभी शिक्षा की बात चल रही थी। इससे पहले मैं एक निवेदन कर दूं रेवेन्यू का। रेवेन्यू का एक ऐसा रिकार्ड है, चाहे सैटलमेंट आफिस हो, चाहे रेवेन्यू का तहसील का आफिस हो, उसमें जो रिकार्ड है उसका कोई लेख-जोखा काश्तकार के पास नहीं रहता। पटवारी जो दे देता है, दे देता है। सैटलमैंट का तो यहां तक देखा है कि सैटलमैंट में सर्वे कराने वाले अमीन से लेकर पर्चे बांटने तक दस अमीन बदल जाते हैं। कौन लाइन खींच कर चला गया, उसका कोई मालिक नहीं रहता है। वह विवादों में उलझा रहता है और काश्तकार परेशान रहता है। लेकिन इस बार राजस्थान की सरकार ने 200 तहसीलों में जो कम्प्यूटराइज रिकार्ड किया है उसके लिये मैं इनको धन्यवाद देता हूं। 200 में से 109 तहसीलों में कम्प्यूटर से रिकार्ड मिल जाता है, उनको नकल मिल जाती है क्योंकि उसमें हेराफेरी होने की गुंजाइश कम होती है और काश्तकार को या आम आदमी को जिसको अपने रिकार्ड की नकल चाहिये, उसको परेशान नहीं होना पड़ता है। इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, शिक्षा के बारे में बात चल रही थी। शिक्षा के बारे में कहते हैं कि आपने भट्टा बैठा दिया, यह कर दिया। कहने में तो बड़ा आसान रहता है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी इस पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। शिक्षाकर्मी, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा कई तरह के नाम से जो शिक्षा चल रही थी, उन सब को राजस्थान की सारी जनता देख रही थी। हम भी महसूस कर रहे थे कि 400 रुपये में जो अनौपचारिक शिक्षा चलवा रहे हैं, जो शिक्षाकर्मी 500 रुपये में, 600 रुपये में काम कर रहा है उसका कोई ठिकाना नहीं कि वह कहां रहता है और कहां पढ़ाता है। इस सारी पीड़ा को महसूस कर, इस सारे पैसे का दुरुपयोग रोक कर राजस्थान के शिक्षा मंत्रीजी ने राजीव गांधी पाठशाला के नाम से जो स्कूलें खोली हैं, मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके कारण सब लोगों को मालूम पड़ता है कि यहां स्कूल है। राजीव गांधी पाठशाला के नाम से जो स्कूल जानी जाती है उसमें बराबर दबाव रहता है, लड़के वहां रोजाना आते हैं और लड़कों को पढ़ाना पड़ता है। मजबूर होकर उसको आना पड़ता है और नियमितता बनी रहती है। शिक्षाकर्मी योजना, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा, इन सब को बंद कर राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालायें खोली हैं उससे शिक्षा का परसेंटेज बढ़ेगा, औसत बढ़ेगा।

(श्री रामचन्द्र सराधना)

अभी बात चल रही थी कि हमारी शिक्षा दर्पण और शिक्षा आपके द्वार है, इससे क्या मतलब है। मान्यवर, मैं तो इतना ही समझता हूं, कि बच्चों के मां-बाप को यह मालूम नहीं था कि हमारा बच्चा भी पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है, उसको भी कोई मौका मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। बेरोजगारी और शिक्षा, दोनों की समानता नहीं की जा सकती। बेरोजगारी मिटाने के लिये शिक्षा नहीं दी जा सकती। शिक्षा बहुत जरूरी है, रोजगार मिले या नहीं मिले लेकिन उसको शिक्षित करना बहुत जरूरी है। इसलिये ''शिक्षा आपके द्वार'' और''शिक्षा दर्पण'' के माध्यम से राजस्थान में सर्वे करके 23 लाख बच्चों को चिन्हित किया गया है। जो बच्चे स्कूल में नहीं जा पाते थे उनके लिये स्कूल में जाने का साधन बैठाया गया, यह कम बात नहीं है।

राजस्थान की सरकार ने संकल्प किया है कि पांच वर्ष में यहां पर सब शिक्षित हो जाने चाहिये, सब साक्षर हो जाने चाहिये। सब के साक्षर होने के लिये आपको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। छोटी-छोटी और योजनाएं बना करके शिक्षित करने के बजाय जिस तरह से शिक्षा दर्पण और शिक्षा आपके द्वारा ले जाकर उन बच्चों को जो दाखिला दिलवाया गया है, और दिलवाया जा रहा है, वहीं के शिक्षाकर्मी छांट करके, शिक्षा सहयोगी छांट करके अपना काम चला रहे हैं और उनको शिक्षित कर रहे हैं। मैं इस अभियान के लिये, राजस्थान सरकार को इस आइडिया के लिये, इस योजना के लिये बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। सब सवेरे से कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे कि बी.जे.पी. वाले यह कह रहे हैं, बाहर निकल जाते हैं, शोर मचा देते हैं, हा-हा करते हैं जाकर। राजस्थान में कानून और व्यवस्था का इतना गम्भीर मामला है और राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने इतनी गम्भीरता से इस मुद्दे को लिया है कि उनको कोई मौका मिल ही नहीं रहा है हा-हू करने का। जब उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है तो मतदाता को डाटे रखने, अपने मतदाता को खुश करने का कोई न कोई उपक्रम छेड़ें। कई बार उनका मुद्दा फेल हो जाता है तो वह भी क्या करें, परेशान हैं। मैंने देखा था, अभी बी.जे.पी. के वरिष्ठ नेता माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया कह रहे थे कि हम कल से धरने पर बैठे हुये हैं, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? अब ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि वे धरने पर बैठे हैं। कुछ कहना चाहे तो उठ जायें, आप कहना चाहे तो रुक जायें, ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। यह कानून-व्यवस्था की मजबूती के कारण हुआ है। पारीक साहब सही कह रहे थे कि जिस तरह गुजरात में इन्होंने

(श्री रामचन्द्र सराधना)

माहौल बिगाड़ा, गुजरात की लपटें राजस्थान में आतीं, निश्चित आतीं। यह नहीं है कि बी.जे.पी. के भाइयों ने उसमें कोई सहयोग नहीं किया, निश्चित रूप से पर्चे तक बांटे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गयी। लेकिन धन्यवाद देता हूं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने चप्पे-चप्पे पर मजबूती से इन्तजाम कर दिया कि कहीं भी माहौल नहीं बिगड़ पाये और वह माहौल नहीं बिगड़ पाया। आप किशनगढ़ की बात करते हैं, आप पीपाड़ की बात करते हैं, मुद्दा कुछ नहीं है। मुद्दा तो मुद्दे के लिये बनाया गया है और वह इसलिये बनाया गया है कि कहने को कुछ बात तो करें। उनको लग रहा था कि सत्र आने वाला है, इस सैशन में हम कौनसा मुद्दा उठायेंगे, क्या बात करेंगे। सोच-समझकर एक छोटा-सा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी कि किशनगढ़ से चालू करो, नहीं तो आगे पीछे जाते रहेंगे, हो-हल्ला करते रहेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट में पूरा कर देता हूं। मान्यवर, बाहर की कानून-व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन यहां की कानून-व्यवस्था बहुत खराब है। मुझे बड़ी शर्म आती है जब यहां पर बैठे हुये लोग बहुत हल्की बात बोलते हैं। +++ जैसी बात यहां कर देते हैं। +++ ? मैंने देखा था पहले भी जब सरकार में लोग थे ऐसा कहने वाले पूर्व मुख्य मंत्रीजी के बारे में, आपस में ऐसी लड़ाइयां चलती थीं, मुंह देखने की बात नहीं करते थे, फिर एक जगह हो जाते हैं। +++ कौन कहता है ऐसी हल्की बात? मैं समझता हूं कि बाहर यदि फुटपाथ पर कोई ऐसी बात कह दे तो उसको पकड़ कर पूछते हैं, तूने चोर बेईमान कैसे कह दिया मेरे को। वह बताने के लिये मजबूर होता है कि मैंने तुझे इसलिये कहा है। लेकिन, मान्यवर, मैं आपको निवेदन करता हूं कि यहां कोई भी कुछ भी कह दे और यहां तक कि +++ खड़े होकर मंच समझकर भाषण दे जाये और कुछ भी कह जाये। यह हमारे लिये शर्म की बात है, यह लोकतंत्र को नष्ट करने की बात है, लोकतंत्र को मजाक बनाने की बात है। यह लोकतंत्र बनाने की बात नहीं है।

मान्यवर, आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं और महामहिम राज्यपाल महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनारामजी।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में मेरी बात कहना चाहता हूं। सर्वप्रथम, जब से राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत की

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रतनाराम चौधरी)

सरकार आयी, उनको विरासत में खजाना खाली मिला था और ऊपर से ईश्वर का प्रकोप। दो-तीन साल से हमको अकाल का सामना करना पड़ा है। अकाल में राजस्थान की सरकार ने बखूबी से जो इन्तजाम किया, जो काम किया, फेमिन को विकास में बदल दिया और ईमानदारी से जिस तरह से काम किया उससे आम लोगों के दिलों में जगह बनी।

पहले जमानें में सतयुग में कुएं-बावड़ियां लोगों ने खुदवायी थीं। आजादी के बाद कभी किसी ने उनकी सम्भाल नहीं की थी। हमारी राजस्थान सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों की मार्फत जितने भी कुएं-बावड़ियां थीं, उनको गहरा करवाया, उनको ठीक करवाया, जिससे बहुत अच्छा पानी मिला, जिससे आम लोगों को बढ़िया पानी पीने के लिये मुहैया हुआ। इसके अलावा आम गांवों के अन्दर जाने-आने का रास्ता नहीं था, वहां सड़कें बनवा दी गयीं। आम लोगों को राहत दी, मजदूरी दी तथा बिना किसी झंझट और वाद-विवाद के काम किये जो बहुत ही बढ़िया और उपयोगी हैं। विकास के रूप में करोड़ों रुपये खर्च करके जो काम करवाना चाहते थे, वे फेमिन में करवाकर दिखा दिये। तत्कालीन सरकार के वक्त में फेमिन के टाइम महीनों तक मजदूरों को पेमेन्ट के लिये इन्तजार करना पड़ता था। राज्य सरकार ने हर हफ्ते में ज्यों ही मस्टररोल जमा हुये, उनको सातवें दिन उनका पेमेन्ट किया। जिसके घर में बाजरे की बोरी नहीं थी, गरीबों के घरों में गेहूं की बोरियों की थप्पी लगी हुई है। आज लोग गांव में जाते हैं तो इस बात की प्रशंसा करते हैं और बहुत ज्यादा धन्यवाद देते हैं।

दूसरा काम राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोल कर किया। शिक्षा की दृष्टि से हमारा राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ कहलाता था, उसको 35 प्रतिशत से बढ़ा कर 65-66 प्रतिशत तक आंकड़ा पार कर दिया। यह बहुत ही बड़ा शानदार काम किया है। कई स्कूलें पक्की बन गयीं, भवन बन गये हैं परन्तु अभी भी जो छप्परों में चल रहे हैं उनके लिये मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार और शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि वहां जल्दी से जल्दी स्कूल का पक्का भवन बनाने की कृपा करें।

इसके अलावा ऊर्जा के क्षेत्र में गांवों में लोगों की मांग रहती थी– 132 के.वी. का ग्रिड स्टेशन, 33 के.वी. ग्रिड स्टेशन। बिजली की बड़ी भारी छीजत होती थी, उसको रोककर राज्य सरकार ने और ऊर्जा मंत्रीजी ने बहुत सराहनीय काम किया है। परन्तु उसमें थोड़े-बहुत सुधार की जरूरत है। बिजली के बारे में मैं आज चन्द्रभानजी

(श्री रतनाराम चौधरी)

को दोषी नहीं मानता हूं, पिछली सरकार ने एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं की। हमारी अशोक गहलोतजी की सरकार आने के बाद 750-800 मेगावाट बिजली पैदा करके किसानों को अच्छे वोल्टेज से समय पर बिजली दी, इसके लिये मैं मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी को और चन्द्रभानजी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आपने 420 के कई ग्रिड स्टेशन, 132 के कई ग्रिड स्टेशन और 33 के.वी. के एक जिले में 35-36 ग्रिड स्टेशन बनाकर बहुत सराहनीय कार्य किया है, इसलिये मैं काश्तकारों की ओर से बहुत-बहुत बधाई देता हूं। पहले भी मैंने कहा था कि किसान बिजली से संतुष्ट हैं, आपने रेट बढ़ा दी इससे भी संतुष्ट हैं। हमारे यहां फ्लैट रेट के कनेक्शन किसानों ने लिये हुये हैं, फ्लैट रेट से हर महीने नपा-तुला उनका बिल आता है। उस फ्लैट रेट की जगह आप इलैक्ट्रोनिक मीटर्स मत लगाइये। इससे क्या होता है कि हर महीने अलग-अलग तरह के बिल आते हैं। अलग-अलग तरह के बिल आने से किसानों को बड़ी भारी परेशानी होती है, एईएन लोग लूटते हैं। उनके कभी बिल ज्यादा आ जाता है तो वे एईएन को जाकर कहते हैं कि हमारे बिल ज्यादा आ गया है, साहब।

यूनिट तो वे समझते नहीं है क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, किसान भाई हैं, गरीब आदमी हैं। इसलिये आप फ्लैट रेट को कायम रखें। किसान की आप हैसियत देखना चाहते हो और किसानों को कुछ राहत देना चाहते हो तो हमारी सबकी इच्छा है, कम से कम जालौर जिले में तो हमारी सभी विधायकों की एक ही राय है कि फ्लैट रेट से एग्रीकल्चर में जो कनेक्शन दिया है, उसको कायम रखा जाये। पूरे डिवीजन में हम यही चाहते हैं। न मालूम कोई अलग तरह के लोग हों, किसी के कुएं में पानी कम हो, फ्लैट रेट नहीं हो तो उन किसानों के मांग के अनुसार मीटर लगाये जाएं। किसानों की इच्छा है कि हमारे यहां फ्लैट रेट ही रखी जाये।

इसके अलावा, राजस्थान की सरकार आने के बाद पहली बार ऐसा दंगा हुआ। धर्म के नाम पर लोग दिल्ली की सरकार में कुर्सी पर बैठ गये। शिला के नाम से, गंगाजल के नाम से, अयोध्या के नाम से और रामजी के नाम को भुनाकर दिल्ली में शासन में आये। उनको यह उम्मीद नहीं थी कि हम कभी शासन में आयेंगे। बिल्ली के भाग्य का छींका टूट गया और उन लोगों ने देश को इतना भ्रमित किया। उत्तर प्रदेश में चुनाव के वक्त उन्होंने वापस अयोध्या का मुद्दा उछाला जिसके कारण से पूरे देश में वातावरण गर्म हुआ। मैं गुजरात का पड़ौसी हूं, गुजरात का पड़ौसी होने के नाते, मेरा मूल निवास जो

(श्री रतनाराम चौधरी)

गांग है, गांग से तीन किलोमीटर जब हम चलते हैं तो गुजरात में प्रवेश हम करते हैं। गुजरात में है भाजपा की सरकार। गोधरा का जो काण्ड हुआ उनको न्याय देते, उन हत्यारों को कठघरे में खड़ा करते। पर उन निर्दोष लोगों का क्या कसूर था, जो हजारों नन्हें-मुन्हें लड़कों को, दुकानों को बरबाद करके, जला करके राख कर दिया?

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल जी।

श्री रतनाराम चौधरी : दिल्ली में उनकी सरकार है, गुजरात में उनकी सरकार है। उनको बड़ा भारी गुजरात आज भी......

श्री उपाध्यक्ष : एक माननीय सदस्य और बोल लेंगे, बिराजिये प्लीज।

श्री रतनाराम चौधरी : दो मिनट में समाप्त करता हूं। जल रहा है, परन्तु हमारी राजस्थान सरकार ने मुस्तैदी से कानून-व्यवस्था बहाल की और यहां किसी प्रकार का साम्प्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। इसलिये मैं इस सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे जो राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी हैं, विशेषकर हमारा पड़ौसी जिला जालौर है उसके अधिकारियों को जनता की ओर से, हमारी ओर से हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने ऐसी व्यवस्था सम्भाली।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल जी।

श्री रतनाराम चौधरी : कि कोई पान हिलने नहीं दिया। पान-पान पर लोग खड़े थे। हमारे प्रशासनिक अधिकारी जगह-जगह खड़े थे इसलिये किसी प्रकार का कोई दंगा-फसाद नहीं हुआ। यह देखकर ये लोग जल रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था ठीक तरह से सम्भाली। इनको जलन हो रही है कि गुजरात जैसा दंगा यहां क्यों नहीं हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। पांच-दस मिनट इनको बोल लेने दीजिये।

श्री रतनाराम चौधरी : ये लोग मामूली मुद्दे को लेकर आज चार रोज से विधान सभा नहीं चलने दे रहे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये प्लीज। (व्यवधान) श्री बाबूलालजी, बोलना शुरू करिये।

श्री रतनाराम चौधरी : इसलिये इनकी बात में कोई दम नहीं है, इनकी बात में कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास में कोई मुद्दा रहा ही नहीं। प्रशासन गांवों के संग में जिस तरह से अशोकजी गहलोत ने...

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य, आगे कभी नहीं बोलना है क्या?

श्री रतनाराम चौधरी : गांवों में गरीब किसानों को सबको राहत दी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, चयनित परिवार हो, चाहे किसी प्रकार का काम हो, सोलह-सत्रह विभागों को पंचायत हैडक्वार्टर पर जनता के सामने खड़ा करके जनता को राहत दी। इसलिये राजस्थान की सरकार को, अशोकजी गहलोत की सरकार को, इसके मंत्रिमण्डल को सबको धन्यवाद देता हूं। जयहिन्द। आपने मौका दिया इसलिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल जी।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय ने अष्टम् सत्र में गहलोत सरकार की उपलब्धि के ऊपर जो अभिभाषण दिया उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं। उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और गहलोत सरकार के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोतजी के नेतृत्व में राजस्थान की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर सफल साबित हुई है। 300 से अधिक कल्याणकारी फैसले करके गांव के अंतिम छोर पर बैठे हुये किसान व्यक्ति को लाभ पहुंचाया, शहर के अंतिम नुक्कड़ पर बैठे हुये गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाया। इस क्रांतिकारी गहलोत सरकार की सफलता पर महामहिम राज्यपाल ने अपना अभिभाषण देकर सफलता की मोहर लगायी है। इसलिये पुन: महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति मैं अपना समर्थन प्रकट करता हूं, उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय को तहेदिल से धन्यवाद देते हुये उनके अभिभाषण में अपनी बात जोड़ने और उसके अन्दर संशोधन करने के लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा। इनके एक से लेकर 180 बिन्दु थे, एक से लेकर 180 बिन्दुओं का पूर्ण समर्थन करते हुये बिन्दु संख्या 172 की बात करना चाहूंगा जिसके अन्दर मंदिरों का जीर्णोद्धार करने की बात कही गयी है। कांग्रेस की सरकार धर्मनिरपेक्ष है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण के अन्दर अजमेर जिले की सरवाड़ दरगाह शरीफ का जीर्णोद्धार भी जोड़ा जाये तो मैं समझता हूं मुस्लिम सम्प्रदाय का सरकार के प्रति विश्वास पैदा होगा।

साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस अभिभाषण के अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति का जो पुराना बैकलाग अभी तक खाली पड़ा है, अगर उसकी भी बात जोड़ी जाती तो अनुसूचित जाति, जनजाति के मसीहा आदरणीय अशोक गहलोत जी जिनके प्रति पूर्ण विश्वास है, और ज्यादा विश्वास पैदा होता। यही मैं अपनी बात इस अभिभाषण में जुड़वाने के लिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। आपने मौका दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्दजी।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अष्टम् सत्र के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो रखा गया है, उसका मैं अनुमोदन करता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में तीन सबसे बड़े शत्रु हैं, एक है सम्प्रदायवाद, दूसरा हमारा शत्रु है आतंकवाद और तीसरा शत्रु है भ्रष्टाचार।

एक माननीय सदस्य : भा.ज.पा. कहां गई?

श्री वृद्धिचन्द जैन : अब आप भा.ज.पा. को किसमें सम्मिलित करते हैं, यह आपके सोच की बात है।

मैं समझता हूं आतंकवाद और सम्प्रदायवाद ये दोनों ही जुड़वा बच्चे हैं। इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यहां भी आतंकवाद जो फैला हुआ है, सम्प्रदायवाद इसकी जननी है, उसने आतंकवाद को पैदा किया है। देश में जो स्थिति चल रही है, गोधरा कांड हुआ और उसके बाद में जो घटनाएं हुईं, वे वास्तव में बहुत ही शर्मनाक हैं। मैं आर.एस.एस. का प्रस्ताव पढ़ रहा था। उस प्रस्ताव में उन्होंने कहा है, गोधरा काण्ड की प्रतिक्रिया बतायी है। आप समझिये कि गोधरा कांड की प्रतिक्रिया इतनी भयंकर हुई कि उसकी अगर जांच की जाये तो सौ गुना से भी ज्यादा उन्होंने तांडव मचाया है और सौ गुना तांडव मचा कर हमारे देश का विश्व में सिर नीचा किया है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? राज्य सभा में पोटो बिल प्रस्तुत किया जा रहा है। अब आप देखें कि अगर वास्तव में पोटो का बिल पास कराना चाहते हैं और उसकी उपयोगिता को मानते हैं तो सबसे ज्यादा एक्शन लिया जाना चाहिये गुजरात के उन लोगों पर जिन्होंने इस प्रकार का नरसंहार किया है। हजारों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया, जला दिया। ऐसी स्थिति पैदा हुई कि अल्पसंख्यक का आई.जी. अपनी जिंदगी का बचाव करने के लिये दौड़ा। जज की स्थिति भी इस प्रकार की, हाई कोर्ट की स्थिति इस प्रकार की। तो कहने का अर्थ यह है कि उनके विरुद्ध आप कार्यवाही करना चाहते हैं तो भारत की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार क्या इनके विरुद्ध पोटो का प्रयोग करने के लिये तैयार है? अगर पोटो के लिये तैयार हैं और वास्तव में इसकी उपयोगिता को समझती है तब तो इनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिये। यह कानून सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसी ताकतें हों जो आतंकवाद फैलाती हैं, जो सम्प्रदायवाद फैलाती हैं उनके विरुद्ध यह कदम उठाया जाना चाहिये।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

अब मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूं। क्योंकि समय कम है इसलिये मैं पीने के पानी की समस्या पर आना चाहता हूं। पीने के पानी की भयंकर समस्या के लिये अभी मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी भी सहयोग कर रहे हैं और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री रामसिंहजी विश्नोई भी सहयोग कर रहे हैं। एक तरफ हमारे बाड़मेर जिले में बालोतरा से पानी आ रहा है। राजीव गांधी पेयजल योजना के अन्तर्गत इंदिरा गांधी नहर से आ रहा है। दूसरी तरफ हमने निवेदन किया है कि मोहनगढ़ से जो बाड़मेर की बाड़मेर लिफ्ट पाइप लाइन की योजना के उसको स्वीकृत किया जाये। मेरा निवेदन है कि उससे करीब 415 रेवेन्यू विलेजेज बाड़मेर के और 147 रेवेन्यू विलेजेज जैसलमेर जिले के लाभान्वित होते हैं तथा बाड़मेर शहर की पीने के पानी की समस्या भी हल होती है। मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि उसको जल्दी से जल्दी स्वीकृत किया जाये और बजट में इसका प्रावधान रखा जाये। दसवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करके, सारे प्रावधान करके दो वर्ष में इसको कम्पलीट किया जाये और सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। इसलिये मैं इस योजना के बारे में विशेष तौर पर जोर दे रहा हूं कि इसको स्वीकृत किया जाये।

दूसरी बात इस अवसर पर मैं यह कहना चाहता हूं कि पीने के पानी के संकट के हल के लिये अभी नर्बदा योजना बन रही है। हमारी राज्य सरकार ने कोशिश की, नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। चारों जिलों में पहुंच रहा है, और जिले में भी वह पहुंच रहा है, अपने बाड़मेर जिले में भी पानी पहुंच रहा है। पीने के पानी की योजना भी बना दी गयी है। उसमें गुढ़ा तहसील के कई गांव हैं, इसी प्रकार चौहटन तहसील के भी गांव हैं। इस योजना को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित किया जाये ताकि पीने के पानी का संकट दूर हो। इससे बालोतरा एरिये में तथा उधर बाड़मेर क्षेत्र में भी पीने के पानी व्यवस्था हो जायेगी। यह एक परमानेंट सोल्यूशन पीने के पानी का होगा, यह बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। पीने के पानी के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता था।

एक समस्या की बात मैं यूं कहना चाहता हूं कि अभी एक रिप्रेजेंटेटिव आये थे और वे हमारे से मिले थे। उन्होंने यह बात रखी और उनकी मांग वाजिब है, लेकिन राजस्थान सरकार उस मांग की पूर्ति नहीं कर रही है। उनकी मांग यह है कि राज्य सरकार ने विज्ञापन 2 (99) ग्राम सेवक। पदेन सचिव पंचायत की सीधी भर्ती पर नियम 273 के तहत जारी किये थे। बाद में सरकार ने 12-13 जून को सीधी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

भर्ती के लिये लिखित परीक्षा भी ले ली थी। हमारे यहां बाड़मेर जिले में परीक्षा हुई, बिलकुल निष्पक्ष हुई। मैंने भी बराबर देखा। बाद में राज्य सरकार ने उक्त अग्रिम प्रक्रिया पर रोक लगा दी। रोक लगाने के बाद दो वर्ष कम्पलीट हो गये। दो वर्ष कम्पलीट होने के बाद में गवर्नमेंट ने अब यह कमिटमेंट किया है कि उनको सीधी भर्ती का लाभ दिया जायेगा, उनको थाउजेंड नाइन हंडरेड के अनुसार चयनित किया जायेगा। तो कृपया उनको चयनित किया जाये और उनकी मांग की पूर्ति की जाये।

अब मुख्य मंत्रीजी पधार गये हैं, मैं अधिक नहीं कह कर यही कहना चाहता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर और शहरी क्षेत्र में जो अभियान हुये हैं, ऐसा अभियान मैंने इतिहास में इतने वर्षों में नहीं देखा। यह बहुत ही कुशलता के साथ हुआ है और जनता को इससे बड़ी भारी प्रसन्नता हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत प्रसन्नता हुई। परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अधिकारियों के ऊपर बराबर निगरानी रखी जाये कि ये बराबर काम करते जाये। ऐसा न हो कि फिर ऐसी स्थिति पैदा हो कि यह अभियान की आवश्यकता ही नहीं हो। इसलिए इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाये जाये कि बाद में अभियान करने की भी आवश्यकता नहीं हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, इसे अनुमोदित करता हूं। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी अपनी बात कहें इससे पहले मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कुछ कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, उनसे नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा निवेदन यह है कि जब से यह सदन चला है.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम जैन : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सांवरलाल : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी ना बात, फिर क्या कहना चाहते हो? क्या बात करते हो आप? अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये.... (व्यवधान) आप बैठिये। आप बैठिये।

श्री सोहन नायक : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नो, नो। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कोई सवाल ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री मोहनलाल मोदी : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवरलालजी, प्लीज बिराजिये। सांवरलालजी, प्लीज बिराजिये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय देवीसिंहजी, बिराजिये आप। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय भाटी साहब, प्लीज आप इस सदन की परम्परा को समझिये। माननीय नेता महोदय को मैंने काल अपान कर लिया, वह खड़े हो गये बोलने के लिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह उनका शिष्टाचार था कि आप अन्दर आ रहे थे इसलिये वापस बैठ गये वह। आप बिराजिये। काल अपान हो गये, बोल रहे हैं। इसके बाद... (व्यवधान) माननीय सदस्य बिराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हीरालाल विश्नोई : ×××

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य। प्लीज बिराजें। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ना तो आपका अंकित हो रहा है, ना आपको बोलने....(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यह गलत बात है, आप सदन की परम्पराओं को समझें। (व्यवधान) आप बिराजें, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : दिया था तो खतम हो गया हाउस....(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री सुरेन्द्र जोजावत : ×××

श्री सोहन नायक : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : उसके बाद आयेगा। ....(व्यवधान) अगर आप सुनना चाहेंगे तो ही देंगे। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : हां, दिलायेंगे ना स्टेटमैंट अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं तो दिन में ही दिला रहा था, आप चले गये..... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं स्टेटमैंट दिलायेंगे। अगर आप सुनना चाहेंगे तो स्टेटमैंट मुख्य मंत्रीजी के भाषण के बाद दिलायेंगे। (व्यवधान) आप सुनना चाहें तो सुनें। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। (व्यवधान) करा दिया था....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कौन कहता है नहीं सुना जा रहा है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री हीरालाल विश्नोई : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो अभी भी कह रहा हूं स्टेटमैंट दिलायेंगे। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप बैठें। (व्यवधान) आपने कहा था ना कि स्टेटमैंट दिलायें, हमने स्टेटमैंट की बात की...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनिये मेरी बात। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपने स्टेटमैंट के लिये कहा, हमने आपसे निवेदन किया कि स्टेटमैंट दिलायेंगे, आप बाहर चले गये....(व्यवधान)स्टेटमैंट किसको सुनाते? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी का स्टेटमैंट दिलाते। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कब इनकार किया है? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा कि आज स्टेटमैंट दिलायें। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात को इनके मुंह में नहीं डाल सकता। इनकी मर्जी आयेगी वह भाषण देंगे, बोलेंगे, आप सुन लेंगे। (व्यवधान) If you are not satisfied, स्टैटमैंट दिलवा देंगे, आप सुन तो लो। जवाब आप सुनना ही नहीं चाहते तो कैसे जवाब दिलायें? आप सदन के नेता को नहीं सुनना चाहते, यह कोई परम्परा है क्या? यह कोई तरीका है क्या? नहीं, हाउस में ऐसे नहीं चलेगा। आप बताएं, आप सुनना चाहते हैं तो बताएं। नहीं, ऐसे नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनो नहीं। पहले इनका जवाब आ जाए, आप सुन लो न।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे और बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : ×××

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री हीरालाल विश्नोई : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज, हो गयी बात।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री बाबूलाल सिंगारिया : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री शैलेन्द्र जोशी : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमैंट नहीं हो क्या? आप इनको नहीं बोलने देंगे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सरकार का स्टेटमैंट दिला देंगे। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री कय्यूम खान : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक अभूतपूर्व माहौल हो रहा है। सदन के नेता जब भी बोलते हैं, यहां के स्थापित नियम जो रहे हैं, प्रतिपक्ष उसको सुनता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हाल यह है कि आप वहां पर धरने के लिये बैठे.....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह सदन का अपमान है और इसको किसी प्रकार से.....

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समझिये, यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप मुख्य मंत्रीजी को बोलने देना चाहते हैं या नहीं?

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप हमें नियमों का पाठ पढ़ाने से पहले स्वयं पढ़ लें कि सदन के नेता को बोलने देने में आप इस तरह रुकावट पैदा कर रहे हैं। (व्यवधान) क्या होगा नियम-कानूनों का?

श्री उपाध्यक्ष : आप किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहते।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हम भी धरने पर बैठे हुए हैं, क्या होगा नियम कानूनों का? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) : सदन के नेता को भी नहीं बोलने दें? (व्यवधान) नियमों की कौनसी बात करें हम? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं.....(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री सांवरलाल : ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ×××

श्री हरिसिंह (महुवा) : (व्यवधान) कांग्रेस नियम और परम्पराओं से बंधी हुई है। (व्यवधान)

देश में जो प्रजातंत्र है इसका मूल्य अगर किसी ने स्थापित किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप लोग हमेश नियमों का उल्लंघन करते तो। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(17.00 बजे)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री मानिक चन्द सुराना : ×××

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक 15 मिनट के लिये स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक 17.01 बजे पन्द्रह मिनट के लिए स्थगित हुई)

(17.16 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)
(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माइक तो बन्द कर दिये जाते हैं और इनके माइक खुले रहते हैं। हमारे गले बैठ गये पुकारते-पुकारते, माइक बोलता ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.16 बजे आधे घंटे के लिये स्थगित हुई)

(17.46 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)
(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बातचीत चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सात बजे तक।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सदन का समय सात बजे तक बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन 7.00 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक 17.46 बजे से 19.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(18.58 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)
(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आठ बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आधा घंटा। (व्यवधान) एक मिनट। सदन का समय आठ बजे तक बढ़ाया जाये? (स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : हाउस में कोई कार्य नहीं है, हाउस बिना कार्य के है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, हम माननीय नेताजी को सुनना चाहते हैं, और किसी को नहीं सुनना चाहते नेताजी के अलावा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

डा. किरोड़ी लाल : नेताजी हैं कहां आपके?

श्री मानिक चन्द सुराना : पीपाड़ पर गृह मंत्रीजी का बयान....(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हम हमारे नेताजी को सुनना चाहते हैं, और किसी को सुनने के लिये नहीं बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के नेता सदन में नहीं हैं तो गृह मंत्रीजी का बयान करा दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल : नेताजी का पता ही नहीं है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, रामस्वरूपजी नेताजी को सुनना चाहते हैं, नेताजी का पता ही नहीं।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मंत्रीजी का बयान, उपाध्यक्ष महोदय, वह करा दीजिये।

श्री सी.पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, नेता भी नहीं है और उप नेता भी नहीं हैं, कोई वार्ता हो रही है इसलिये आप सदन की कार्यवाही को उस हिसाब से डिसाइड करें।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक 7.45 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक 19.01 बजे से 19.45 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(19.45 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8.30 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 8.15 बजे तक स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक 19.46 बजे से 20.51 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

(20.15 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 2-3 दिनों से जो भी सदन में वातावरण बना, वह राजस्थान की अब तक की परम्पराओं के अनुरूप नहीं था। हम सभी माननीय सदस्यों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को इस बात का बहुत ही अफसोस होता है। अपने आप में भी बहुत अफसोस होता है, क्योंकि राजस्थान की परम्परा रही है कि हम आपस में मिल बैठकर कभी समस्या भी आती है तो उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। आज दिनभर के इस प्रयास से उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास हुआ। आपका विशेष रूप से इस बात के लिये मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज दिनभर में बार-बार इस बात का प्रयास किया कि हम आपस में मिल बैठकर इन समस्याओं को किसी तरह से हल करें और यह सदन ठीक प्रकार से चले ताकि राजस्थान की जनता के प्रति हम न्याय कर सकें और उसकी समस्याओं को ठीक प्रकार से उठा सकें।

उसी के तहत हम लोगों की शुरू से ही यह भावना है। हम कह रहे हैं कि उसके साथ पिटाई हुई और आप कह रहे हैं कि नहीं। तो हमने यह मांग की थी कि इसकी जांच करवा ली जाए, जो भी सच्चाई होगी वह सामने आ जायेगी। जांच आप चाहे रेवेन्यू बोर्ड के किसी भी सदस्य से करा लें, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर कोई निर्दोष हो तो हम उसको जबरन सजा देने के लिये मन से नहीं चाहते। लेकिन अगर किसी ने गलती की है तो निश्चित रूप से सच्चाई के आधार पर उसको दण्डित होना ही चाहिये। फिर हमने जो एफ.आई.आर. दर्ज करायी वह उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ कराई जिन्होंने इसकी पिटाई की। इस कारण कि एफ.आई.आर. दर्ज हो और दर्ज होकर उस पर कार्यवाही हो। चूंकि जिनके खिलाफ हमने एफ.आई.आर. दर्ज कराई, वे ही इसकी जांच करेंगे तो उसमें न्याय मिलने की सम्भावना नहीं है। इसीलिये उसमें उसको ऊपर के अधिकारी से जांच कराएं या इसको सी.आई.डी. में दे दें ताकि इसकी सच्चाई का ठीक प्रकार से पता लग जाये। इस बात से हम लोग इतने ज्यादा दु:खी थे, इतने बड़े अधिकारी इस प्रकार की हरकत करें और इस प्रकार की मारपीट करें, यह हमको अच्छा नहीं लगा। इसीलिये हम इतने दिन तक लगातार इस विषय को बार-बार आपके सामने लाये हैं। हम चाहते हैं कि उन अधिकारियों का स्थानान्तरण करें। माननीय सदन के नेता, आप हम सब के भी एक तरह से रखवाले हो, राजस्थान की सारी समस्याओं को सुलझाने के लिये मेरी आपसे, प्रार्थना है कि आप जब अपनी बात कहें तो पीपाड़ और किशनगढ़ इन दोनों घटनाओं और इसके साथ ही जो नवज्योति का कार्यालय जला है और भरतपुर का, सी.आई.डी. में अगर इसकी जांच करवायेंगे तो निश्चित रूप से इनको ठीक प्रकार से न्याय मिलेगा। रेवेन्यू बोर्ड के किसी मैम्बर से आप इसकी जांच करवायेंगे और जो अधिकारी वहां हैं उनका ट्रांसफर करके जांच करायेंगे तो न्याय मिलने की बहुत ज्यादा गुंजाइश रहेगी। जब आप अपनी रिप्लाई दें तो हमारे इन विषयों को जरूर इसमें मिलाते हुये आपकी जो भी इच्छा है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उससे इस सदन को अवगत कराएं ताकि हम लोगों को विश्वास हो कि हमने दिनभर बैठकर जिन बातों पर अपनी चर्चा की उसका कोई ठीक हल निकला। यह सदन ठीक प्रकार से चले ताकि हम अपनी कार्यवाही को ठीक प्रकार से संचालित कर सकें। अभी जब आप अपना वक्तव्य देंगे उसमें इस बात को मिलाकर इसके बारे में जरूर बतायें, यही आपसे अनुरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि हमारे विरोधी पक्ष के तमाम साथी लोग यहां सदन में मौजूद हैं। मुझे इस बात का संतोष है। राजस्थान की परम्परा रही है, विशेष रूप से इस सदन की। हमारे माननीय सदस्य जो सन् 52-57 से आते हैं, जिन्होंने 40-50 साल तक परम्पराओं को बनाने का काम भी किया। वह परम्परा जो अच्छी परम्परा है, आगे भी जारी रहे, इस बात का प्रयास हम सभी पक्षों का होना चाहिये। मुझे चिन्ता थी कि शायद वे परम्पराएं टूटने की स्थिति बनी, कोई ऐसी हालत पैदा न हो कि राजस्थान की परम्पराएं टूट जायें। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आपने, हमारे सीनियर साथियों ने सबने प्रयास किये, आपके पक्ष के लोगों ने भी इसमें भागीदारी निभाई और वे परम्पराएं कायम रहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम सबके सहयोग से परम्पराएं बनी रहेंगी। प्रतिपक्ष के नेता महोदय सदन में नहीं हैं, मेरे ख्याल से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर वह भी प्रयास कर रहे थे। कल उनसे मेरी बातचीत हुई थी, मुझे उम्मीद थी कि कोई रास्ता निकलेगा। आखिर में रास्ता निकला, यह हमारे सबके लिए प्रसन्नता की बात रही।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया, मैं समझता हूं कि सब साथी उसमें भाग नहीं ले सके। मुझे अच्छा लगता अगर आप लोग भी उसमें भाग लेते, अपनी बात को जमकर कहते। आम जनता भी आपसे यह उम्मीद करती है कि जब बजट सत्र हो उस वक्त तमाम पक्षों के लोग अपनी बात कहें और जन-भावनाओं को उसमें रिफ्लैक्ट करें। मुझे आश्चर्य और दुःख भी है, पता नहीं किन कारणों से ये हालात बने। मेरी दृष्टि के अन्दर इनसे बचा जा सकता था। हो सकता है मेरी सोच दूसरे तरह की हो। कोई न कोई रास्ता निकालकर, जो बातें अभी हमारे विपक्ष के उप नेता ने कहीं, वे शुरू में ही कही जा सकती थीं, तो हमारे जो तीन दिन खराब हुये हैं वे खराब नहीं होते। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे हम सब लोग इन बातों का ख्याल रखेंगे।

साल में दो या तीन बार एक मौका आता है जिसमें हम लोग बैठकर खुलकर बात कर सकते हैं। प्रतिपक्ष का भी दायित्व है कि वह सरकार की जमकर आलोचना

(श्री अशोक गहलोत)

करे। जहां पर लगता है कि यहां पर काम करने के तरीके के अन्दर कमी है, कोई मुद्दों को लेकर कमी है, विकास को लेकर है, उसकी बजाय हम अगर गलत मुद्दों को पकड़कर चलेंगे तो मैं समझता हूं कि उससे किसी का लाभ नहीं होगा।

विशेष रूप से मैं धरने की बात कहना चाहूंगा। आप लोगों ने धरना दिया, धरना देना कोई बुरा नहीं है। आज तक लोक सभा में, विधान सभा में धरने होते रहते हैं। आपने कल पढ़ा होगा, मैंने प्रेस वालों को कह दिया, यह तो मुझे फ्रैंडली धरना दिखता है। मेरा मकसद यही है कि आपने धरना दिया, आप लोग वहां अन्दर सोफा सैट पर बैठे रहे। जब चाहो सदन में आ जाओ, जब चाहो चले जाओ, धरना भी अपने आप में एक अलग तरीके की गरिमा होती है। पूरे देश के अन्दर धरने दिये जाते हैं। धरने चौराहों पर भी होते हैं, लोक सभा के सामने भी होते हैं और विधान सभा के सामने भी होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी, एक मिनट, समय बढ़ा दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अशोक गहलोत : पर मुझे यहां के धरने की परम्परा कुछ अजीब-सी लगी। साढ़े तीन साल हो गये हैं, डेढ़ साल का अर्सा सामने है। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जो बात कहीं, मेरे ख्याल से एक तरफ तीन-साढ़े तीन साल की उपलब्धियां बनाई गई हैं तो सरकार की आगे क्या सोच है इसके ऊपर भी प्रकाश डाला।

देश के जो हालात बने हुये हैं, उन हालात से आज पूरा मुल्क चिन्तित है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य तो है ही, जो चुने हुये जन-प्रतिनिधि हैं उनका बड़ा कर्तव्य है। देश के अन्दर जो घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, वह सबके लिये चिन्ता का विषय बना हुआ है। अमेरिका के अन्दर 11 सितम्बर को घटना हुई, उसके बाद 13 दिसम्बर को पार्लियामेंट पर आतंकवादियों का हमला हुआ, उसके बाद अयोध्या का मुद्दा आ गया, उसी की परिणति हमने देखी है कि क्या हालात बने हैं। किस प्रकार से आतंकवादियों ने, साम्प्रदायिक तत्वों ने आक्रमण किये, एक के बाद एक घटनाएं होती गईं।

(श्री अशोक गहलोत)

गोधरा में काण्ड हुआ, मैं समझता हूं कि ऐसा काण्ड जिसकी निंदा करने का शब्द किसी के पास नहीं है। लोगों ने जघन्य अपराध किया। जिन्दा जला देना, सुनते ही रौंगटे कांप उठते हैं। किस प्रकार से वहां पर जिन्दा जलाया गया। उसके बाद गुजरात में जो कुछ हुआ वह मानवता पर कलंक था। सभ्य समाज में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता। जहां निर्दोष लोगों के घरों में जाकर लूटपाट करें, चोरियां करें, जिन्दा जलायें, बलात्कार करें, ये सब तमाशे हो रहे हैं और पूरा देश बेबस होकर देखता रहा। मैं भी जब टेलीविजन के सामने बैठा हुआ था, जो घटनाएं दिखाई जा रही थीं तो मुझे लगा कि चाहे केन्द्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पूरा मुल्क देख रहा है और किसी के कुछ बस में नहीं है। जिस राज्य में कानून-व्यवस्था नहीं होगी वहां पर ऐसी स्थिति बनेगी। यह तो अच्छा है कि राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र के अन्दर कांग्रेस की सरकार थी। जब मैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा में मिलने गया, लोग कैम्प में आये थे- हिन्दू भी आये थे, मुस्लिम भी आये थे। उन्होंने जो कहानी कही, अगर आप में से कोई जाकर सुनता तो मैं समझता हूं कि आप भी विचलित होते। चाहे वे हिन्दू थे या मुस्लिम थे, एक बुजुर्ग आदमी अगर दास्तान कहता तो पूरे कैम्प में 500-600 लोग बैठे हुये थे, सब के सब रोने लगते। वहां के ऐसे हालात बने हुये थे। मुझे कहते हुये प्रसन्नता है कि उसके बावजूद भी राजस्थान में राजस्थान के प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, जो निर्देश हम लोगों ने दिये उस प्रकार से शुरू में ही कदम उठाये। एलर्ट किया गया, उसका परिणाम रहा कि राजस्थान में शांति कायम रही, कोई घटना नहीं हुई। राजस्थान को लेकर केवल राजस्थानवासी ही नहीं बल्कि पूरे देश के नागरिक चिन्तित थे। पिछले 6 महीने, 8 महीने से जो घटनाएं हो रही थीं, चाहे आसीन्द में हो, जहाजपुर में हो चाहे और किसी इलाके में हो, चित्तौड़ में हो, उनको लेकर लोगों को लगा कि पता नहीं राजस्थान में क्या होगा, क्योंकि सीमा पर पहले ऐसा वातावरण बना हुआ है। मुझे खुशी है कि पूरे राजस्थान में शांति के साथ बन्द का काल निकल गया।

आप किशनगढ़ की जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं, वहां पर समय रहते हुये कदम उठाये गये, वर्ना हो सकता है वहां पर कोई हादसा हो जाता। कोई हादसा होता तो वह न आप पसन्द करते और न हम पसन्द करते।

सीमलवाड़ा में एक नौजवान की पुलिस फायरिंग में मृत्यु हो गई। मैं समझता हूं कि कोई भी जन-प्रतिनिधि यह नहीं चाहेगा कि ऐसी कोई घटना हो। हमें यह देखना पड़ेगा कि जो वातावरण देश के अन्दर बना हुआ था उससे अछूता

(श्री अशोक गहलोत)

राजस्थान भी नहीं था, क्योंकि राजस्थान ही पड़ौस में था। मुझे संतोष है कि आम जनता के सहयोग से, मैं राजस्थान प्रदेश की शांतिप्रिय जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके सहयोग से, समर्थन से, बन्द के माध्यम से भावना प्रकट की गई, जिसमें हिन्दू भी थे, मुस्लिम भी थे। वह बन्द ऐसा बन्द था जिसमें अधिकांश जगह पर चाहे किसी धर्म का हो, किसी जाति का था, जिनकी भी दुकानें थीं, उन्होंने बन्द रखीं। गोधरा की घटना ऐसी थी जिसको लेकर किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता था। इसीलिये बन्द सफल रहा और किसी जगह पर हिंसा नहीं भड़की। जिस प्रकार विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल जैसे नये संगठन 10-12 सालों में खड़े हो गये हैं, उनका इन्वाल्मेंट पता नहीं क्या होता होगा। त्रिशूल बांटने का काम करने लग गये। मैंने प्रधानमंत्रीजी से पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया, गृह मंत्रीजी से निवेदन किया कि वह त्रिशूल नहीं है, त्रिशूल की शक्ल में एक चाकू की तरह है। मैंने कहा हम लोकतंत्र में हैं, बी.जे.पी. भी राजनीतिक पार्टी है। ये लोग जिनका बैक ग्राउण्ड पता नहीं, पता नहीं उसमें किस-किस तरह के बैक ग्राउण्ड के लोग घुसते जा रहे हैं, कोई वक्त आ सकता है ये ही लोग बी.जे.पी. के खिलाफ भी काम आ सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह के हालात अगर देश के अन्दर बनेंगे तो अच्छी बात नहीं है। मैं आप सबका सहयोग चाहूंगा, तमाम विपक्षी सदस्यों का भी, कि कैसे आप लोग इन बातों में सहयोग करें। साम्प्रदायिकता चाहे किसी भी कोने से आ रही हो, कोई व्यक्ति कर रहा हो, कोई संस्था कर रही हो, ऐसे साम्प्रदायिक तत्वों पर रोक लगनी चाहिये। चाहे विश्व हिन्दू परिषद् हो, चाहे बजरंग दल हो। उड़ीसा में क्या हुआ? देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि इससे मेरा मरना अच्छा है। इससे अंदाज लगा लें। एक देश के पी.एम. बार-बार कहें, मुझे इस पद पर रहना चाहिये या नहीं रहना चाहिये, इससे मरना अच्छा है, वह कण्डैम करें इस घटना को। तो क्या प्रधानमंत्री के ये शब्द कहने के बाद में भी ऐसे दलों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कोई और तर्क की जरूरत होती है? मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार को खुद को, चाहे विश्व हिन्दू परिषद् है, चाहे बजरंग दल है, इन दलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिये। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष की पार्टियां हैं वे अपना काम करें, अपनी बात रखें, आलोचना करें एक दूसरे की नीतियों पर, सिद्धान्तों पर, कार्यक्रमों पर, कोई किसी को हर्ज नहीं होना चाहिये। ये साम्प्रदायिक तत्व अगर घुसने की कोशिश करेंगे, बल्कि आपकी पार्टी के पी.एम. कहने लग गये दिल्ली के अन्दर कि ये ही संगठन हमें बदनाम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन बातों पर समय रहते हुये गम्भीरता से विचार करने की

(श्री अशोक गहलोत)

आवश्यकता है। वर्ना हो सकता है कि आने वाले वक्त में इन बातों का खामियाजा आपको भी भुगतना पड़े। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे सदन के साथियों को कि हम सबको मिलकर राजस्थान को बचाना है। राजस्थान में शांति कायम रहे, भाई-चारा रहे। हम सब मिलकर कैसे राजस्थान के विकास में भागीदार बने, यह हमारा प्रयास होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, जब सरकार बनी थी तो आपको मालूम है, हम कई बार कह चुके हैं कि वित्तीय संकट भी था, हालात बहुत गम्भीर थे। उसके बावजूद भी हमने प्रयास किये कि कैसे हम इन हालात से निपटे कि विकास में कम्प्रोमाइज नहीं हो। चूंकि समय चला जाता है, वापस नहीं आता है, इसलिये चाहे वह बिजली का क्षेत्र था, चाहे सड़कों का क्षेत्र था, चाहे सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की बात थी, पीने के पानी की बात थी, सोशल सैक्टर था,. शिक्षा और स्वास्थ्य की बात थी, कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा। बल्कि हमारे प्रयास रहे कि कैसे इन तमाम विषयों को लेकर हम आगे बढ़ें जिससे कि राजस्थान का चहूंमुखी विकास हो। क्योंकि हम जानते हैं कि उदारीकरण के बाद अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा राजस्थान के अन्दर तो पहले से ही पिछड़े हुये प्रदेश को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। यही सोचकर हम लोगों के आधारभूत ढांचा कैसे मजबूत हो इस दिशा में निर्णय किये। आज हमारे सामने परिणाम आने लगे हैं।

शुरू-शुरू में कई आशंकाएं व्यक्त की गयी थीं पावर रिफार्म्स को लेकर भी, बिजली उत्पादन को लेकर भी। आज मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आंकड़ें गवाह हैं, आप खुद देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक के बाद एक बिजली की इकाइयां आती जा रही हैं। अभी हाल ही में ढाई सौ मेगावाट की एक इकाई का लोकार्पण हुआ। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि अगले वीक में या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सूरतगढ़ की चौथी इकाई भी कमीशन हो जायेगी। पांचवीं इकाई भी सन् 2003 के मई तक आ जायेगी। कोटा की छठी इकाई जो हमने शुरू की है, वह भी 2003 के अक्टूबर तक आ जायेगी। रामगढ़ का प्लांट भी आ जायेगा। कहने का मतलब यही है कि एक सैक्टर हमने पकड़ा। बिजली है तो विकास है इस नये जमाने के अन्दर, नये युग के अन्दर। किसान हो, चाहे वह मजदूर हो और उद्योग धन्धे की बात करेंगे तो प्रतिस्पर्धा हो गयी। मंदी का दौर चल रहा है पूरी दुनिया के अन्दर भी, देश के अन्दर भी। हालत ये हैं कि नौजवानों की फौज बढ़ती जा रही है, बेकारी बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूं कि हम सबके लिये बहुत चिन्ता का विषय है। अगर आर्थिक गतिविधियां नहीं

(श्री अशोक गहलोत)

होंगी, प्रदेश के अन्दर निवेश नहीं आयेगा देश या दुनिया से। और वही आयेगा जिस प्रदेश में पहले से उनको बिजली अच्छी उपलब्ध होगी, पानी की समस्या नहीं होगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर में चाहे इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी की बात करें, सड़कें अच्छी होंगी तब जाकर यह सम्भव होगा। और मुझे यह कहते हुये खुशी है कि इस मायने में हमने बिजली में उपलब्धि हासिल की। रिकार्ड टाइम पर हमारे प्लांट बन रहे हैं। पूरे देश में एक रिकार्ड है। और तो और, समय के पहले आ रही हैं इकाइयां, उससे हमारी बचत हो रही है। जबकि आपके राज में तो मैंने पहले भी कहा, एक हजार करोड़ रुपये बढ़ गये, साढ़े चार साल तक आपने फैसले नहीं किये सूरतगढ़ की पहली, दूसरी इकाई के। आपकी खुशखबरी के लिये मैं कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि जो निर्णय सन् 1999 में अप्रैल के अन्दर तीसरी और चौथी इकाई लगाने का लिया, वह तीसरी-चौथी इकाई आ रही है। एक आ गयी, एक अगले वीक में आयेगी। कीमत 2057 करोड़ रुपये थी, उसके 150 करोड़ रुपये कम लगे हैं। यह मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहूंगा। इस प्रकार से हमने बिजली सैक्टर को हाथ में लिया हुआ है।

ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से जी.एस.एस. का जाल बिछ रहा है। ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज जो हैं इस बार फिर 2 प्रतिशत से अधिक कम होंगे, यह भी अपने आप में एक रिकार्ड है। चोरी कैसे रुके, यह हमारा प्रयास है। यह एक ऐसा सैक्टर है बिजली का जिसमें इस बार किसानों को तकलीफ नहीं रही, वर्ना पिछली बार हम लोगों ने 180 करोड़ रुपये दिये इसके बावजूद भी आपको मालूम है रास्ते रोके गये थे, बिजली की कमी महसूस की गयी थी। हमारा अपना उत्पादन हो रहा है इस कारण से यह समस्या कम होती जा रही है। इस तरह से हम लोगों का प्रयास है कि कैसे बिजली के अन्दर हम आत्मनिर्भर बनें। मुझे उम्मीद है, जो 50 साल में मैंने पहले भी कहा था, 3350 मेगावाट का उत्पादन था, इन 5 सालों में 1750 मेगावाट से अधिक का उत्पादन होगा।

इसी ढंग से पानी को लेकर जो योजनाएं ठप्प पड़ी हुई थीं, उन सबको हाथ में लिया गया है। मानसी वाकल का काम द्रुत गति से चल रहा है, भरतपुर की योजना है, चूरू-बिसाऊ की है। राजसमन्द जिले की योजना है, जहां पर खारा पानी फ्लोराइडयुक्त है, उन जिलों को अलग भी लिया गया है जिनमें विशेष रूप से अलवर-जयपुर और सीकर को लिया गया है। भीलवाड़ा की अलग योजना बनायी गयी है। पीने का पानी कैसे बचे, यह हमारा नारा है– पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। हमने हिसाब लगाया है कि प्रदेश के अन्दर पानी को कैसे बचाएं, गांव में कैसे पानी रोकें, गांव में कुंओं का पानी का स्तर कैसे ऊपर उठे। पानी नीचे जा रहा है कुओं के अन्दर। आने वाले वक्त

(श्री अशोक गहलोत)

में पानी की हालत खराब हो रही है। फ्लोराइड की और साल्ट की स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिये हमने पूरे राजस्थान में करीब 237 पंचायत समितियों में एक गांव लिया है, गांधी ग्राम योजना के नाम से। हमारा प्रयास है कि यह प्रयोग वहां पर करें। धीरे-धीरे जनता भी इस दिशा में आगे आये और यह कोशिश हो कि कैसे पानी को बचाएं।

जब-जब अकाल पड़ता है, पानी का महत्त्व समझ में आता है। सौभाग्य से अकाल इस बार नहीं पड़ा है इस कारण से कुछ राहत मिली हुई है। अकाल आप देख चुके हैं, क्या हालात थे। रेल गाड़ी से पानी पहुंचाने का प्रबंध किया गया 105 गांवों के अन्दर। अकाल का मैनेजमेंट जो हुआ वह शानदार हुआ। टाइम पर पेमेंट अपने आप में उपलब्धि थी। पूरा पेमेंट, 60 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये देश में सबसे अधिक था। करप्शन नहीं था किसी ब्लाक के अन्दर। इस प्रकार मैनेजमेंट किया गया और यह कोशिश की गई कि वह टाइम निकले। 3 साल का अकाल, 3-3 बार अकाल पड़ना, आप-हम सब जानते हैं क्या हालात बनते हैं उसके अन्दर। तो वह काम भी पूरा हुआ। इसलिये मैंने कहा कि जब अकाल पड़ता है तब पानी का महत्त्व समझ में आता है। इसलिये हम आह्वान करना चाहते हैं इस सदन के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों से भी कि पानी को बचाने का काम हम सबको करना पड़ेगा। गांव में पुराने तालाब थे उनको खुदाया गया, एनीकट बनाये गये। अकाल को विकास में बदलने की बात कही हमने, वह करके दिखायी। और तो और, 20 हजार कुओं को, बावड़ियों को जो परम्परागत स्रोत थे, बंद पड़े थे, राजीव गांधी पेयजल मिशन के माध्यम से उनमें से 13 हजार कुएं, बावड़ियां ठीक हो चुकी हैं, बाकी का काम चल रहा है। इस प्रकार पानी को लेकर प्रयास जारी हैं।

सड़कों के अन्दर मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, जो काम हाथ में लिया गया है वह ऐतिहासिक काम है। नेशनल हाई-वे के काम राजस्थान वह प्रदेश है जहां टाइम पर पूरे हो रहे हैं। और तो और, जयपुर से किशनगढ़ का मार्ग जो अटका पड़ा था 5 साल से टेंडर होने के बावजूद भी, हाल ही में उसको स्वीकृति मिली है। उम्मीद करता हूं कि वह काम भी टाइम पर पूरा होगा। छह लाइन का काम है वह। पी.एम.जी.एस.वाई. जो योजना है, 1000 की आबादी से जोड़ने की, आपको जानकर प्रसन्नता होगी, उपाध्यक्ष महोदय, कि देश के अन्दर राजस्थान पहला राज्य है, जहां पी.एम.जी.एस.वाई. में सबसे ज्यादा काम, सबसे पहला काम हो रहा है। 600 करोड़ रुपये की योजना के माध्यम से जो सड़कों की मरम्मत का काम हाथ में लिया गया है, एक लोक सभा क्षेत्र में करीब ९६0 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा। 120 किलोमीटर सड़कें प्रति विधान सभा

(श्री अशोक गहलोत)

क्षेत्र प्रायोरिटी, यह प्रयास होना चाहिये सबका, जब तीन करोड़ रुपये खर्च होंगे 120 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत के काम में, तीन करोड़ रुपये मामूली रुपये नहीं होते हैं, मामूली रकम नहीं है। बल्कि 24 हजार किलोमीटर की सड़कों का काम जो शुरू हो चुका है, उम्मीद करता हूं कि अगले 15 महीनों में वह काम पूरा हो जायेगा। उस काम को हमने हाथ में लिया है और उम्मीद करते हैं कि उसके पूरे होने के बाद में जिस प्रकार से सी.आर.एफ. के माध्यम से जो स्टेट हाई-वेज हैं, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स हैं, उसके काम को हाथ में लिया गया है, और तो और, बी.ओ.टी. की जो स्कीम बनी है, आर्डिनेंस जारी हो चुका है, आप लोगों के सहयोग से जल्दी बिल पेश होगा और उसको पास किया जायेगा। एक्ट बनने के बाद में मैं उम्मीद करता हूं, पूरे देश से बी.ओ.टी. को लेकर निवेश राजस्थान में अधिक से अधिक आयेगा। इस तरह से एक कल्पना करके चल रहे हैं कि कैसे राजस्थान कम से कम उत्तर-भारत के अन्दर सड़कों के मामले में सबसे आगे रहे ये हमारे प्रयास हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें हम लोग कामयाब हो सकेंगे। इस तरह की सोच के साथ जो काम शुरू हुये हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वे समय से पूरे हो सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई के क्षेत्र में भी मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने जिस प्रकार से योजना बनाई है, एक तरफ तो 76 साल पुरानी नहर गंग कैनाल जब से बनी तब से मरम्मत नहीं हुई थी। लम्बे समय से मांग चली आ रही थी। एक महत्वाकांक्षी मरम्मत की योजना जिसमें 446 करोड़ रुपये खर्च होंगे, प्रारम्भ कर दी गई है। पंजाब के अन्दर, राजस्थान के अन्दर सिद्धमुख नहर परियोजना का निर्माण पूरा हुआ है। 93 हजार हैक्टेयर में इससे सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और तो और, 730 करोड़ की लागत से वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो 30 साल पुरानी नहरे हैं, 1970 के पहले की, उस काम को हाथ में लिया गया है जिससे कि उन नहरों का अधिकतम उपयोग हो सके। सिंचाई का एरिया बढ़ सके, टेल एण्ड तक पानी पहुंच सके। इसी के साथ-साथ नाबार्ड से 113 करोड़ रुपये का लोन लेकर 95 योजनाएं और प्रारम्भ की जा रही हैं लघु सिंचाई की इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि सिंचाई के साधन अधिक से अधिक बढ़े यह हमारा प्रयास होना चाहिये, उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

आपको शायद याद होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कई बार कहा था कि इस मंदी के दौर में जब इण्डस्ट्रीज लग नहीं पा रही हैं, बेकारी बढ़ती जा रही है इसलिये पर्यटन क्षेत्र को हमने प्रायोरिटी देने का तय किया है।

(श्री अशोक गहलोत)

राजस्थान देश के अन्दर पर्यटन के क्षेत्र में सबसे आगे रहा है हमेशा, लेकिन अब केरल आगे निकलता जा रहा है कई कारणों से। यहां अकाल व सूखे पड़ते हैं, उसके कारण कई समस्याएं हो सकती हैं विकास को लेकर तो हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र को पूरी प्रायोरिटी मिले, अधिक से अधिक देश और विदेश का ट्यूरिस्ट यहां पर आये जिससे हमारी खुद की इनकम बढ़ सके, राजस्थान का इन्फ्रास्ट्रक्चर बन सके। जो ए.डी.बी. एशियन डवलपमैंट बैंक के प्रोजैक्ट की बात की जाती है, इसीलिये छह सम्भागीय मुख्यालय लिये गये हैं जिसमें उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, कोटा है, करीब-करीब सभी जगह ट्यूरिज्म के आगे बढ़ने की सम्भावना छिपी हुई है। जितना विकास होगा वहां पर उतना ही ज्यादा ट्यूरिज्म आने का स्कोप बढ़ेगा, वहां पर आधारभूत ढांचा तैयार होगा। आपको जानकर खुशी होगी कि जो इसके लिये ऐसे स्पॉट ट्यूरिज्म चाहे जैसलमेर हो, चाहे सवाईमाधोपुर हो, माउंट-आबू हो, उसको भी इसी योजना से जोड़ा गया है। पुष्कर हो, जिससे कि ए.डी.बी. प्रौजेक्ट का लाभ उन जगह मिल सके, यह हमारा प्रयास है।

श्री जगत सिंह दायमा : अलवर हो।

श्री अशोक गहलोत : सभी का ध्यान रखेंगे, अलवर का ध्यान पहले रहेगा।

जो सड़कों की योजना बनी है, सी.आर.एफ. में बनी हो, चाहे वह नाबार्ड के सहयोग से बनी हो, हमारा यह प्रयास है कि जितने भी धार्मिक स्थल हैं राजस्थान के अन्दर, चाहे सालासर है, विश्नोइयों का मुकाम है, कैलादेवी है, रामदेवरा है, महावीरजी है, खाटूश्यामजी है, गोगामेड़ी है और जो भी धार्मिक स्थान हैं, जहां पर धार्मिक ट्यूरिज्म का स्कोप है, वहां पर प्रायोरिटी पर सड़कों की मरम्मत कराई जाये। सवाईमाधोपुर है। पूरे राजस्थान का सर्वे कराया गया है। जिन जिलों में जहां पर स्कोप होगा, हमने निर्देश दिये हैं कि वहां पर प्रायोरिटी से सड़कों की मरम्मत करायें क्योंकि वहां पर प्रदेश के विभिन्न भागों से लोग जाते हैं, देश से, दुनिया से लोग आते हैं, इसलिये हमारी कोशिश यह रहेगी कि चाहे किसी धर्म के धार्मिक स्थान हों, हिन्दू के हों, मुस्लिम के हों, सिख के हों, इसाई के हों, सबके धार्मिक स्थानों का सर्वे कराएं ताकि ट्यूरिज्म को बढ़ावा मिले। सड़कों का निमार्ण हो चाहे पानी की समस्या हो या वहां की अन्य समस्या हो। सड़क की बात मैंने आपसे कही, बिजली की बात मैं कह रहा हूं, इन तमाम बातों पर हम चाहेंगे कि धार्मिक पर्यटन बढ़े और यह इस दिशा में हमारा प्रयास है।

उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर की मैंने बात की आपसे। आज किसान की हालत हम जानते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई

(श्री अशोक गहलोत)

है। उसको अपनी उपज का पूरा मूल्य मिलता नहीं है। उसको अच्छा खाद मिले, अच्छा बीज मिले, यह सरकार का प्रयत्न रहेगा। जब कभी मौका लगा है, उपाध्यक्षजी, हमने कोशिश की है कि कैसे उनको राहत दें। आज मैं गंगानगर गया, मालूम हुआ वहां पर इस वक्त में हालत बहुत खराब है। कपास की फसल बरबाद हो चुकी थी बुरी तरह से, निर्णय किया उनके जो लोन शॉर्ट टर्म उन को मिडियम टर्म में बदलने का। मुझे खुशी है कि अभी तीन-चार दिन पहले ही नाबार्ड ने हमारी बात को स्वीकार कर लिया है और वे मिडियम टर्म में बदल दिये जायेंगे, यह मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहूंगा।

इसी तरह से आबयाना माफ करने की बात की। पचास साल में पहली बार हुआ है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ में जहां पर कपास की फसल ज्यादा बरबार हुई, आबयाना माफ किया गया। ऐसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ था। और तो और, अभी सीमा पर जो सेना की गतिविधियां हैं वे आप सबको मालूम हैं। वहां पर माइन्स बिछाई गईं, कुछ लोग मारे भी गये वहां पर। पशुधन मारा जा रहा है। खेत खराब हो गये। मूवमैंट से सड़कें खराब हुईं। फसलें बरबाद हो गईं। हमने केन्द्र को लिखा है। राज्य सरकार का जो काम है, उसमें हमने फैसले कर लिये। इन तमाम गांवों के अन्दर, चाहे बिजली के बिल हों, चाहे रेवेन्यू के ड्यूज हों, उन सबको हमने पोस्टपोन कर दिया। हमने केन्द्र को लिखा है कि जो खेत बरबाद हो गये हैं, फसले चौपट हो गई हैं, उनको आप मुआवजा दें। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी ही फैसला करेगी केन्द्र सरकार, जिससे कि इन जिले के लोगों को पूरा लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुये दु:ख भी है कि इन्दिरा गांधी कैनाल जो हमारी लाइफ लाइन मानी जाती है, लम्बे समय से वहां पर काम चल रहा है, 1997-98 तक 60 करोड़ रुपये मिलते थे प्रति वर्ष केन्द्र से लेकिन 1998-99 में 30 करोड़ हो गये। और अब जब नई सरकार आई, सिर्फ 8 करोड़ रुपये मिलने लगे 1999-2000 में और उसके बाद में वह मद ही समाप्त कर दिया गया। मैं हमारे प्रतिपक्ष के नेता जो अभी मौजूद नहीं हैं, उनको भी और तमाम साथियों को भी कहना चाहूंगा कि ऐसे मामले में अगर वह पैसा राजस्थान में लगातार आता तो बाड़मेर तक पानी पहुंचाने की हम कल्पना करके चल सकते थे। आप जानते हैं कि सिंचाई के साथ-साथ में हालात बदलते जा रहे हैं, पीने के पानी की घोर समस्या है। चाहे बाड़मेर हो, चाहे सांचोर हो, चाहे जालौर जिला हो, चाहे पाली जिला हो, मांग आती है कि हमें पीने का पानी चाहिये। मुझे कहते हुये दु:ख है कि जिस तेज गति से इसका काम होना चाहिये,

(श्री अशोक गहलोत)

अचानक 60 करोड़ रुपये कम करना, बन्द करना मायने रखता है। मैं चाहता हूं कि इस दिशा में हम सब प्रयत्न करें जिससे कि इसका लाभ मिल सके।

बी.ए.डी.पी. के अन्तर्गत भी, हमने केन्द्र को लिखा है कि साढ़े सात प्रतिशत डी.आर.डी.ए. के फण्ड्स में मिलता है बी.ए.डी.पी. के अन्तर्गत, हमने कहा इसको 15 प्रतिशत करना चाहिये और मुझे सूचना मिली है कि रक्षा मंत्रालय ने प्लानिंग कमीशन को लिखा है 15 प्रतिशत करने के लिये। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग जायेंगे प्लान साइट लेकर तब इस सिलसिले में भी कुछ काम हो सकेगा, कुछ फैसले हो सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा हमारी प्रायोरिटी के अन्दर है। आपको याद होगा कि जब हम सत्ता में आये थे तब हमने संकल्प लिया था कि राजस्थान में हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, कैसे हम आगे बढ़ें। बल्कि एक कल्पना करके चलते हैं कि केरल की तरह हमारे यहां पर भी सौ प्रतिशत शिक्षा कैसे हो। कटारियाजी बैठे हुये हैं, आपके जमाने में भी प्रयत्न हुये थे। हम जब आये थे हमने भी गांव-गांव में स्कूल खोलने की बात की। राजीव गांधी के नाम से गांवों में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खुलीं, अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। पहले कुछ आलोचनाएं हुई थीं कि यहां तो आठवीं पास लड़कों को लगा दिया गया। फिर आपको मालूम पड़ा होगा कि आठवीं पास थे, बारहवीं पास थे या बी.ए. पास थे, एम.ए. पास थे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी सदस्य राजस्थान के किसी भी जिले में जाएं, आप अपने क्षेत्र में चले जाइयेगा, जाकर देखेंगे उन पाठशालाओं को तो मैं समझता हूं कि आप महसूस करेंगे, उन पाठशालाओं में जो शिक्षा दी जा रही है उसके अन्दर कोई तरह की कमी नहीं है। जहां हम साढ़े छह हजार रुपये देते हैं टीचर्स को, ये जो नये टीचर्स लगे हैं बाकायदा ट्रेनिंग लिये हुये हैं। पूरे मन से पढ़ा रहे हैं। बच्चे अच्छे राष्ट्र भक्ति के गीत गाते हैं, उन स्कूलों के अन्दर जो पढ़ाई-लिखाई कराते हैं वह उन्हें कण्ठस्थ याद रहता है। मैं खुद आठ-नौ स्कूलों में गया, मैंने खुद ने देखा है। अगर कोई कमी है, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी कमियां आप बतायेंगे उस पर गौर करके उनको दूर करेंगे। यह ऐसा अभियान है जिसमें मैं आह्वान करना चाहूंगा हमारे तमाम पक्ष-विपक्ष के लोगों को, पूरे प्रदेश के लेखकों को, पत्रकारों को, पेंशनधारी हमारे जितने भी राजस्थान निवासी हैं उनको, विशेष रूप से टीचर्स हैं उनको, वर्तमान टीचर्स को कि एक-एक नागरिक को लगना है इस काम में। एक भी बालक-बालिका पढ़ने से वंचित नहीं रहे, यह हमारा सपना होना चाहिये। और मैंने कहा आपको, कमी होगी हम दूर करेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

जब यह योजना चालू हुई थी, यह तो मध्य प्रदेश से योजना शुरू हुई। केन्द्र सरकार ने इसको अपनाया पहली बार। 1999 का बजट आया था उसमें वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की कि हम 50 हजार स्कूलें खोलेंगे देश के अन्दर। मध्य प्रदेश पैटर्न का नाम लिखा गया। बजट के अन्दर उसके मायने साढ़े चार हजार रुपये देना एक साल के अन्दर, उसके बाद में सिर्फ 500 रुपये की स्कीम थी टीचर्स के लिये। हमने तो 500 नहीं, बल्कि 1200 रुपये रखी। हमने कहा 500 बहुत कम है। कच्ची बिल्डिंग की बात नहीं थी, कच्ची की बात नहीं थी, गांव में किसी घर में बैठकर पढ़ाओ, यह स्कीम थी। हमने अकाल राहत के कामों का फायदा उठाया। टैंथ फाइनेंस कमीशन का पैसा पड़ा था मटीरियल कम्पोनैंट, उसको काम में लिया। 12 हजार बिल्डिंगें खड़ी हो गयीं राजस्थान में।

संवेदनशीलता का नारा दिया आपने पारदर्शी, संवेदनशील और जवाबदेह, उसी के अनुरूप हमने खुद चलकर देखा है। देश के अन्दर पहली राजस्थान सरकार होगी जिसने उन पैरा-टीचर्स को जो मानदेय ले रहे थे 1200 रुपये, हमने कहा प्रतिवर्ष बढ़ायेंगे पैसा इनका और पांच साल के बाद में रैगुलराइज कर देंगे जो ट्रेनिंग किये हुये लोग होंगे। आप कल्पना करें इतना बड़ा निर्णय जहां 20-22 हजार टीचर्स लग चुके हों, उन सबको कहा जाये कि पांच साल के बाद में रैगुलराइज करेंगे तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से उनके पढ़ने का काम किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा साढ़े सात लाख बच्चों ने प्रवेश लिया। 1999-2000 में सर्वे हुआ था, 23 लाख बच्चे वंचित थे शिक्षा से 18 लाख गांवों के बच्चे, 5 लाख शहरों के बच्चे। मुझे यह कहते हुये खुशी है, अभी जब ''प्रशासन गांवों के संग'', ''प्रशासन शहरों के संग'' प्रोग्राम चला उसमें वापस सर्वे हुआ है, 50 प्रतिशत-12 लाख बच्चे बचे हैं। इसके मायने करीब 11 लाख बच्चों ने प्रवेश लिया है स्कूलों के अन्दर। मैं आह्वान करना चाहूंगा, यह काम ऐसा काम है जो खाली सरकारी स्तर पर नहीं हो सकता जब तक कि जन सहयोग नहीं मिले इसके अन्दर। जैसे लोक जुम्बिश योजना, डी.पी.ई.पी. की वर्ल्ड बैंक योजना, शिक्षा कर्मी योजना चल रही है, सब लोगों के सहयोग से अगर यह काम हाथ में लेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा काम हम लोग करने में कामयाब हो सकेंगे।

इसी तरह, मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जो स्थिति हमारे सामने है उसके अन्दर यह बराबर बात की जाती है कि नई सरकार आने के बाद नौकरियों पर रोक लग गयी। बल्कि आप कई बार आरोप लगाते हैं कि 60 वर्ष से 58 वर्ष

(श्री अशोक गहलोत)

तो कर दिये पर नौकरियां कहां है? आपकी जानकारी के लिये मैं कहना चाहूंगा, रोजगार किसी भी रूप में दिया गया हो, यह तो राजस्थान सरकार के हाथ की बात नहीं, जब से पांचवां वेतन आयोग लगा पूरे देश के अन्दर सब राज्य सरकारें संकट में हैं। केन्द्र संकट में है। डाउन साइजिंग की बात पूरे मुल्क में एक स्वर में हो रही है। किसी सूबे की सरकार नहीं होगी देश के अन्दर जो कह रही होगी कि हम नौकरियां बढ़ायेंगे। यह सबके सामने है। परन्तु इतना मैं आपको कह सकता हूं, आंकड़ें मेरे पास मौजूद हैं, कि कुल–मिलाकर 80 हजार लोगों को काम दिया गया। 80 हजार लोगों को, जिससे से 36 हजार लोग तो रैगुलर भर्ती किये गये हैं उसके अन्दर। राजीव गांधी पाठशालाओं में 26 हजार हैं। मुख्य–मुख्य आंकड़े ये हैं। बाकी भी किसी तरह कोशिश की गयी कि किसी न किसी रूप में काम पर कैसे लगायें। सबको नौकरी देना सम्भव नहीं है, यह आप और हम सब अच्छी तरह जानते हैं। नौकरी देना सम्भव नहीं है, पर यह कोशिश की गयी चाहे इण्डस्ट्रीज के माध्यम से, चाहे खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से, पी.एम.जी.वाई. योजना के माध्यम से जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उनके माध्यम से कैसे अधिक से अधिक लोग रोजगार पा सकें। यह सरकार का प्रयास है। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि इन सब हालात में प्रदेश चल रहा है, उसमें आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन मिलेगा तो मैं समझता हूं कि जो हमारी कल्पना थी उसी के अनुरूप हम लोग काम कर पायेंगे।

नौकरियों की बात चल रही है, मुझे मालूम है कि मजबूरी के अन्दर जब सरकार नई बनी थी, हमारे पटवारियों, ग्राम सेवकों का भी उस वक्त सलैक्शन हुआ था। सलैक्शन हुआ, मुझे कहते हुये दुःख है, 1,619 पदों के लिये लिखित परीक्षा ले ली गयी। ग्राम सेवक। पदेन सचिव ग्राम पंचायतों में और उसके बाद में भर्ती पर रोक लगा दी गयी। कानून लाया गया इस असैम्बली के अन्दर नौकरियों पर पाबन्दी छह महीने की सजा हो जायेगी कोई लगायेगा सीधा तो। पर कितना कष्ट हुआ होगा हम सबको? एक नौकरी हम नहीं दे पाते। सलैक्शन हो गया। परीक्षाएं पास कर लीं 1,619 लोगों ने। हमने कहा नहीं, आपको हम नौकरी नहीं दे सकते। मान्यवर, उन हालात के अन्दर हमने मजबूरी में उनको मजबूर किया, 1200 रुपये में। यह कोई अच्छी बात नहीं थी। हमने कहा पैराटीचर्स लगा रहे हैं आप उसमें लग जाइये, हमारी स्थिति नहीं है। स्ट्राइक भी चल रही थी उस वक्त में हालात बहुत गम्भीर थे, मजबूरी थी। आज भी मैं दुःखी हूं इस बात को याद करके। मैंने खुद ने जब सी.पी. जोशीजी मेरे पास आये, कहा कि इनका कोई रास्ता निकालो और किसी ढंग से इनको लेओ। परीक्षा पास किये हुये हैं, हमने 1200 रुपये में रखा, बहुत दुःख की बात है। इसी प्रकार से पटवारी चयनित हुये 914, इनकी ट्रेनिंग रुकवा दी गयी कि हम आपको ले नहीं सकते। मजबूरी रही। फिर इनको भी कहा गया कि आप 1200 रुपये में ग्राम सेवक

(श्री अशोक गहलोत)

के रूप में काम करो। आज इनको दो साल से अधिक अरसा हो गया।

(21.00 बजे)

आप मानते हैं कि जो सरप्लस होते हैं, पटवारी हों चाहे कोई पद पर हों, सिंचाई विभाग के पटवारी थे उनको राजस्व के अन्दर भेजा गया। चलता रहा कि भाई, कम से कम कैसे नौकरी हम दें। एक तरफ दबाव, बेकारी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ नौकरियां नहीं। पर मैं आपको इस मौके पर कहना चाहूंगा कि सरकार ने निश्चय किया है कि कम से कम उन लोगों को जो ट्रेनिंग किये हुये हैं, लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं, 1619 तो ग्राम सेवक और 914 पटवारी, इनको अगले तीन महीने के अन्दर-अन्दर हम रैगुलराइज करेंगे पूरी स्केल देकर।

मान्यवर, कर्मचारियों की स्ट्राइक हुई थी राजस्थान के अन्दर, सरकार की मजबूरी रही कि हम उनकी मांगों को नहीं मान पाये। उनकी शिकायत बराबर बनी रही। इसके बावजूद मेरा मानना है। हालांकि इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश भी की गयी कि सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ हैं, पर मेरी ऐसी धारणा नहीं है क्योंकि मैं मानता हूं कि सच्चाई का आधार हो तो रुकावट नहीं आती। मेरा मानना था कि धीरे-धीरे जो कुछ भाई लोग स्ट्राइक में गये थे, बाद में वे भी हालात को समझेंगे। आज जब पूरे मुल्क में उन्होंने हालात खराब देखे, पंजाब में आप ही की सहयोगी पार्टी और आपकी मिलाकर सरकार थी, कितनी दुर्दशा हुई वहां पर? जहां-जहां बी.जे.पी. रही है देश के अन्दर, वहां पर कुशासन ही हुआ है, इसीलिये वहां की जनता आपको सबक सिखा रही है। एक मौका है, जब चुनाव में कोई पार्टी हारती है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बी.जे.पी. हो, चाहे जनता दल हो, एक मौका देती है जनता समझने का, समझाने का और सुधार करने का। फिर भी वे नहीं सुधरें, खाली धरना देते रहें तो फिर जनता क्या करेगी, यह तो आपको सोचना पड़ेगा। आपको मौका मिला है। यू.पी. के अन्दर देखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आत्म चिन्तन आप खुद भी कर लो।

श्री जगत सिंह दायमा : दोनों कर लो यू.पी. को देखकर।

श्री अशोक गहलोत : यू.पी. के अन्दर देखिये, पंजाब में मैंने कहा आपको, राजस्थान का उदाहरण आपके सामने था, क्या कुशासन था, क्या हालात थे? यू.पी. में अभी आपके सामने क्या हुआ? एक मेगावाट बिजली नहीं बनायी यू.पी. ने भी, पता नहीं उन्होंने आपसे प्रेरणा प्राप्त की

(श्री अशोक गहलोत)

होगी। एक मेगावाट बिजली नहीं, 12 साल के अन्दर यू.पी. में, जब से कांग्रेस ने सत्ता छोड़ी तब से लगा कर आज तक। जैसे मैंने यहां पर हाउस के अन्दर कहा था कि राजस्थान में एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई, वहां पर भी एक मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई। आप सोच सकते हो, कैसे आपकी सरकार वापस आती। पंजाब में क्या हुआ?

श्री मानिक चन्द सुराना : मुख्य मंत्रीजी, आपके विद्युत मंत्री स्वयं यह एडमिट कर चुके हैं कि सूरतगढ़ की पहली इकाई बी.जे.पी. सरकार के इन्वैस्टमैंट के कारण आयी है। बैठे हैं यहां पर।

श्री अशोक गहलोत : पंजाब के अन्दर क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : 250 मेगावाट सूरतगढ़ की इकाई राजस्थान में 8 साल में आयी हुई है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। आपके विद्युत मंत्री का स्वयं का एडमिशन है।

श्री अशोक गहलोत : पंजाब के अन्दर क्या हुआ?

श्री मानिक चन्द सुराना : पंजाब में क्या हुआ, यह आप बता दीजिये। पंजाब से हमें मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : पंजाब में क्या हुआ? हालात बिगड़ते गये और वहां क्या स्थिति बनी? और तो और....

श्री सांवरलाल : वह आपकी बनने वाली है।

श्री अशोक गहलोत : वह तो वक्त बतायेगा। एक में रह जाओगे यहां पर। (व्यवधान) पंजाब में क्या हुआ? पंजाब में यह स्थिति बनी आपकी, तीन पर आ गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मुख्य मंत्रीजी आप तो +++ मत लो।

श्री अशोक गहलोत : बैठिये, बैठिये आप। पंजाब में क्या हुआ? प्लीज, आप बैठिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने जो कहा न, एक मिलेंगे, कभी राजीव गांधी ने भी हम जब लोक सभा में दो थे, तब उंगली ऊंची करके कहा था। वो सरकार है न, उसी ने धूला चाटा था।

श्री अशोक गहलोत : वही हालात बनने वाले हैं आप लोगों के। वो हालात अब बनने वाले हैं। काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ चुकी है आपकी। (व्यवधान) धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो राजनीति करेगा वह कभी राजनीति में कामयाब नहीं होगा, यह मैं आपको कह सकता हूं।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह समय बतायेगा।

श्री अशोक गहलोत : इसलिये मैं आपको कहना चाहूंगा कि जहां-जहां आपकी सरकारें रही हैं, राजस्थान की बात छोड़िये, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी, दिल्ली में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी थी, तीनों में सफाया हो गया। अब यू.पी. में हो गया, पंजाब में हो गया आपका सफाया उत्तरांचल में हो गया और गोवा के अन्दर देख लें हालात क्या है। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि आज....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यू.पी. में आप कितने हो?

डा. किरोड़ी लाल : 20 सीट आयी हैं, यू.पी. में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारा सफाया हो गया या नहीं हुआ, आप कहां हो यू.पी. में?

एक माननीय सदस्य : हम तो पहले भी नहीं थे वहां।

श्री अशोक गहलोत : आप ठीक कह रहे हैं, राजेन्द्र राठौड़जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यू.पी. में कांग्रेस ने गलतियां कीं इसलिये हम वहां पर नहीं आये। वह टाइम चला गया। अब यू.पी. के लोगों को मालूम था, इस बार की कांग्रेस की सरकार नहीं बन सकती।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : 402 में से 324 की जमानत जब्त हुई है कांग्रेस की।

श्री अशोक गहलोत : यू.पी. में कांग्रेस ने गलतियां की थीं। सबसे बड़ी अलाइंस करके गलती की कांग्रेस ने। मैं स्वीकार करता हूं, बिलकुल स्वीकार करता हूं।

डा. किरोड़ी लाल : सोनियाजी तो स्वीकार नहीं करतीं, साहब।

श्री अशोक गहलोत : आप शांत रहिये।

और उस गलती का खामियाजा कांग्रेस ने भुगता। क्योंकि कांग्रेस हमेशा गलतियों से सीख लेती है, आपकी तरह अहम में नहीं आती। जीते जी कांग्रेस को नहीं आने दूंगा राजस्थान के अन्दर, यह जुमले नहीं बोलती है कांग्रेस। कांग्रेस ह्यूमिलिटी के साथ हार स्वीकार करती है। हमारी हार हुई है, हम स्वीकार करते हैं। टौंक में हम हारे, हमने स्वीकार किया। हम से कुछ गलती हुई होगी, हम उसको सुधारना चाहते हैं। अजमेर में जीत कर दिखा दिया आपको।

इसलिये मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, उपाध्यक्ष महोदय, कि देश के हालात बहुत नाजुक हैं। प्राइम मिनिस्टर पांच बार कह चुके हैं कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं। पता नहीं कौनसी अदृश्य शक्ति का उनके ऊपर दबाव आता है बार-बार, पार्टी के अन्दर एन.डी.ए. के घटक दल या

(श्री अशोक गहलोत)

विश्व हिन्दू परिषद्, बजरंग दल वाले तंग करते होंगे उनको, आप लोग बचाने के लिये जाते नहीं हो दिल्ली में। टाइम रहते हुये कांग्रेस हो, बी.जे.पी. हो, जनता दल हो, कोई बात नहीं, राजनीतिक पार्टियां हैं पर ये जो बाकी के लोग हैं आपके साथ जुड़े हुये नाम, छुटकारा पा लो टाइम पर, वरना आपको वह घाटा होगा जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकेगी, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर : विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल राष्ट्रवादी संगठन हैं और आप जो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : बीच में नहीं।

श्री मदन दिलावर : इन मदरसों में जो आतंकवादियों को...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, इनको बैठा दीजिये, अभी क्या हो जायेगा जाने।

श्री अशोक गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बहुत लम्बी बात नहीं करना चाहता। और बात करने का इसलिये तुक नहीं है कि आप लोगों ने कोई अपनी बात कही नहीं, मैं किस का जवाब दूं? मेरे तमाम साथी जिन्होंने जम कर अपनी बात कही, उपलब्धियों को बताया।

राज्यपाल महोदय की अपनी गरिमा होती है। उनका अभिभाषण था, मुझे खुशी होती आप लोग उसमें बढ़-चढ़कर भाग लेते, अच्छा लगता। पर पता नहीं किन कारणों से आप लोग तय करके आये हाउस के अन्दर। पर मुझे उम्मीद है कि जो वक्त आने वाला है उसमें आप लोग अपनी बात कहेंगे तो मुझे खुशी होगी।

कर्मचारियों की बात चल रही थी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो-जो हमने निर्णय किये, अकाल के वक्त में तमाम मशीनरी लगी, उसने बहुत शानदार काम किया। प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग में जो काम हुये, जिस प्रकार की मानिटरिंग हुई, गांव-गांव में टाइम पर गये कर्मचारी लोग, अधिकारी लोग, संवेदनशीलता से काम किया उन लोगों ने। गांव वाले याद रखेंगे। रात को 12 बजे 2-2 बजे वहां गांवों के अन्दर कैम्प लगे। जिस प्रकार वहां काम हुआ है, एक रिकार्ड बन गया। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 30800 परिवारों को तो भू-आबंटन हुआ, 82000 परिवारों को खातेदारी अधिकार प्रारम्भ किये गये, 4 लाख 84 हजार नामान्तरण तस्दीक किये गये, 2 लाख 94 हजार नयी पास बुकों का वितरण किया गया और 4 लाख 87 हजार पास बुकें आदिनांक की गयीं, 12 लाख 80 हजार पशुओं को चिकित्सा उपलब्ध करवायी गयी, 2.71 लाख राजस्व रिकार्ड की नकल प्रतियां दी गयीं,

(श्री अशोक गहलोत)

38 हजार से अधिक मौके पर भू-विभाजन के काम निपटाये गये इत्यादि। इस प्रकार कुल 66 लाख लोगों को इसका लाभ मिला है, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तीन साल में बेमिसाल बचे हुये काम थे क्या ये? इतने काम रोज नहीं हो रहे थे क्या इनके दफ्तरों में? इकट्ठे कैसे हुये ये काम?

श्री अशोक गहलोत : प्रशासन शहरों के संग में करीब 12 लाख लोगों को लाभ मिला। इसमें कर्मचारियों/अधिकारियों ने जमकर काम किया, परन्तु आप लोग जानते हैं राजनीति में अफवाहें फैलायी जाती हैं। अफवाहें फैलाने में आप लोगों का कोई मुकाबला नहीं। आप लोगों कोई कल्पना कर लो, 12 घंटे के अन्दर देश में ही नहीं पूरी दुनिया के गणेशजी को दूध पिला सकते हैं। आप में बड़ी करामात है। पता नहीं आप में से कौन लोग इस थ्यौरी में बिलीव करते हैं, कौन नहीं करते हैं, यह मैं नहीं कह सकता हूं, परन्तु आपकी पार्टी के अन्दर ऐसे एक्सपर्ट लोग हैं। सब नहीं होंगे। मुझे मालूम है ऐसे लोग हैं जो अफवाहें फैलाकर कभी बच्चों के पैरों में सीढ़ियां लगवा सकते हैं, कभी गणेशजी को दूध पिलवा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। इसलिये मुझे कहना पड़ता है, जब हम कभी हिदायत देते हैं पुलिस प्रशासन को, एलर्ट करते हैं, कहना पड़ता है कि विशेष रूप से खयाल रखना कि अफवाहों का बाजार गर्म नहीं हो। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। अफवाहें फैलती गयीं कर्मचारियों के बारे में भी कि सरकार उनके रिटायरमैंट बेनीफिट खतम कर रही है, पेंशन के लाभ खतम कर रही है। मैं इस हालत में कहना चाहता हूं कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं।

मैं आपको अन्त में अपील करूंगा कि अभी तो आप लोगों ने डिबेट में भाग नहीं लिया परन्तु पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील सरकार, कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं होगा, मैनीफेस्टो को आधार बनाकर काम करना चाहेंगे। ये जितनी बातें हमने की थीं, मैं दावा नहीं कर सकता हमेशा कि तमाम काम पूरे हो जायेंगे मैनीफेस्टो के, परन्तु मैनीफेस्टो को आधार बनाकर प्रयत्न किये जा रहे हैं कि कैसे हम वायदों को निभायें, हम भेदभाव नहीं करें। चाहे सड़कों का काम हो चाहे दूसरे काम हों, हमारा प्रयत्न रहता है कि राजस्थान का चहुंमुखी, समग्र और संतुलित विकास हो। इसी कारण से हमने यह भी कोशिश की है कि तमाम साथियों को साथ में लेकर चलें और मैं उम्मीद करता हूं कि उसके लाभ राजस्थान में आने वाले वक्त में मिलेंगे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर में मैंने कहा कि हम पिछड़ना नहीं चाहते हैं। आप सब के सहयोग से मैं अपील करना चाहूंगा, इसमें

(श्री अशोक गहलोत)

कोई कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिये। अभी वक्त नहीं है, वित्त मंत्रीजी कल बजट पेश करेंगे तब और आपको बतायेंगे कि इस दिशा में किस प्रकार से शानदार प्रबन्ध हुआ। जो हालात दूसरे राज्यों के हुये, पंजाब में आपके शासन के अन्दर वहां की बिल्डिंग्स को मोरगेज रखा गया तनख्वाह चुकाने के लिये। असम के अन्दर ए.जी.पी. की गवर्नमेंट थी, सात बार वहां पर ट्रैजरी बन्द करनी पड़ी, हालात बहुत गम्भीर थे। यू.पी. और बिहार के हालात आपके सामने हैं और जो राज्य मजबूत हैं, चाहे वह गुजरात हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, वहां की हालत भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है आज के वक्त में। केरल में हमारी सरकार है जो अभी हाल ही में आयी है। असम में हमारी सरकार आयी। मध्य प्रदेश में सरकार पहले से ही काम कर रही है। वित्तीय संकट को लेकर सब लोग चिन्तित हैं। मैं समझता हूं आप लोगों के सुझाव समय पर मिलते रहेंगे कि हम सब मिलकर कैसे इन तमाम हालातों का मुकाबला करें जिससे कि आने वाले वक्त में राजस्थान भी अन्य राज्यों से पीछे नहीं रहे।

अन्त में मैं आपको कहना चाहूंगा, पिछली बार भी आप लोगों ने मेरे पर कृपा नहीं की थी। जब मैं बोलने लगा तो आप लोगों ने हाउस को एडजोर्न करा दिया क्योंकि बाजरे की खरीद का मामला था और मैं कहना चाहता था कि किस प्रकार से केन्द्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। दूसरी तरफ पंजाब को तो 1500 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचा रही है इमदाद देकर। एक लाख मीट्रिक टन राजस्थान को दे रही है और 1500 मीट्रिक टन दे रही है पंजाब को छूट। वहां पर तो ऐसी छूट दी जा रही है और यहां पर कसावट हो रही है, यहां के किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन आपने मेरी बात को सुनना पसन्द नहीं किया। कम से कम प्रतिपक्ष के नेता बोलें, लोक सभा के अन्दर, विधान सभा के अन्दर प्रतिपक्ष के नेता हाउस को रिप्रजैन्ट करते हैं और मैं आपके आशीर्वाद से कांग्रेस संसदीय दल का नेता तो हूंगा बाहर, हाउस के अन्दर हाउस का नेता माना जाता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हां, हो, साहब।

श्री अशोक गहलोत : इतनी गरिमा तो सभी पक्षों को रखनी पड़ेगी तब जाकर हम अपनी परम्परा को आगे बढ़ा पायेंगे। यही बात कहता हूं मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने....

श्री अशोक गहलोत : कटारियाजी ने जो बात कही थी, मैं शक्तावत साहब से कहूंगा कि वे इसके बारे में बात कहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन कोई आदेश दे। सदन के नेता ने कहा कि "मैं शक्तावत साहब को कहूंगा कि वह कहें", यह क्या बात है? यह नयी परिपाटी क्यों?

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्षजी, बात तो यही तय हुई थी कि जवाब मुख्य मंत्रीजी देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, अब अपने वायदे से सरकार मुकरे तो हमें कुछ नहीं कहना। सरकार के नुमाइन्दों ने जो बात हमसे की, हमारी जो मांगें मानीं...

डा. किरोड़ी लाल : कहा गया है कि मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उन्होंने कहा कि राजस्व मण्डल के वरिष्ठ अधिकारी से जांच करवायेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इन्तजार करो। आप बिराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं?

शासकीय वक्तव्य

किशनगढ़, पीपाड़ व भरतपुर में घटित घटनाओं की जांच

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रारम्भ से ही कुछ गतिरोध उत्पन्न हो गया था किशनगढ़ की घटना को लेकर। बाद में पीपाड़ की घटना और जोड़ी गयी, फिर नवज्योति के कार्यालय की घटना को भी जोड़ने की कोशिश की गयी और भरतपुर को भी लाने की कोशिश की गयी। किन परिस्थितियों में किशनगढ़ की घटना घटी है....(व्यवधान) अलवर शांत है और आगे भी रहेगा। किन परिस्थितियों में वह घटना घटी, किन परिस्थितियों में जिला प्रशासन को कदम उठाने पड़े, उसमें आपका एक मत है और जिला प्रशासन का दूसरा मत है। जिला प्रशासन ने.... (व्यवधान) सुनें तो सही, थोड़ा बहुत तो कुछ कहने दीजिये। आप तो तीन दिन से कह रहे हैं, मैं तो बोला ही नहीं था। मैंने आपसे बोलने के लिये अनुरोध किया था, आपने कहा कि आवश्यकता नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल : आप तो अपना निर्णय सुना दो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, बस।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : निर्णय तो बिना भूमिका के नहीं सुनाया जा सकता। इतना आतुर क्यों हो रहे हो? आप बैठिये। घंटे दो घंटे और विधान सभा सत्र चले तो क्या तकलीफ है?

श्री सांवरलाल : हमें तो नहीं है। आप वालों को ही होगी तकलीफ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो परिस्थितियां इस देश में पैदा की गयी थीं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बना दीं वह तो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : गुजरात की घटनाओं के बाद उसकी आग की

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

लपटों में राजस्थान को भी जलाने का प्रयत्न किया गया था। मैं हमारे राजस्थान के जिला प्रशासन को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन व्यक्तियों के मंसूबों को हमने पूरा नहीं होने दिया। और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस प्रकार के मंसूबों को कभी पूरा नहीं होने देगी, उसके लिये जो कुछ भी करना पड़ेगा उसको करने के लिये तैयार रहेगी। मैं बहुत ज्यादा विवाद में न आपको उलझाना चाहता हूं न मैं उलझना चाहता हूं क्योंकि दो मत हैं किशनगढ़ की घटना के सम्बन्ध में। उसका अभिमत दूसरा है, हमारा अभिमत दूसरा है, आपको मालूम है। सरकार संवेदनशील है और उस घटना के सम्बन्ध में आपकी मांग के पहले ही बिना मांग के ही सम्भागीय आयुक्त ने दिनांक 6.3.2002 को अतिरिक्त कलेक्टर विकास को जांच के आदेश दिये थे। मांग तो अब आयी है आपकी। राजस्थान सरकार ऐसी घटनाओं को जो संवेदनशील घटनाएं हैं, उसकी जांच के लिये आदेश दे दिये हैं। अब आप यह कहना चाहते हैं...(व्यवधान) सरकार का प्रशासन तो जिला प्रशासन से ही चलता है, डिवीजनल कमिश्नर के मार्फत ही चलता है। सरकार का तंत्र क्या है, सरकार अपने तंत्र के जरिये सरकार चलाती है....(व्यवधान) वह चलाती होगी, हम नहीं चलाते। विश्व हिन्दू परिषद या बजरंग दल या शिव सेना का सम्बन्ध हमारा नहीं।

आपकी जो भावना है, मैं उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सरकार ने समझा और समझकर इसकी जांच के निर्णय हमने लिये। अब विपक्ष के उप नेता बड़ी सादड़ी से आने वाले सदस्य ने मांग की माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि जो ए.डी.एम. डवलपमैंट जांच कर रहे हैं, उससे वह संतुष्ट नहीं हैं। यही तो बात कहना चाहते हैं आप या और कुछ? मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच सीनियर आफिसर से करायी जायेगी ताकि इसमें आपकी शंकाएं दूर की जा सकें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राजस्व मण्डल के अधिकारी से जांच की बात हुई थी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह आप अन्दर जाकर क्या गुपचुप करते हो, बार्गेनिंग करते हो? हाउस में होनी चाहिये बात। यह कहां से हो गयी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर की बात? उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी मुद्दा जब हाउस में उठाते हैं तो उसका निर्णय भी यहीं पर होना चाहिये। यह रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर की बात कहां पर हो गयी? (व्यवधान) हमको क्यों नहीं शामिल किया गया इसके अन्दर? यह बात कहां पर हो गयी है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : सीनियर अधिकारी से जांच की बात करता हूं तो माननीय सदस्यों के मन में यह भरोसा

(श्री गुलाब सिंह शक्तावत)

होना चाहिये और इस सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि वह रेवेन्यू बोर्ड का मैम्बर भी हो सकता है और उस स्तर का अधिकारी भी हो सकता है। क्यों आपको शंका पैदा हो रही है। जब मैं कह रहा हूं कि जब आप उस जांच से संतुष्ट नहीं हों।

श्री सांवरलाल : जब यह क्लीयर कट बात हुई कि रेवेन्यू बोर्ड के मैम्बर की, फिर स्तर के अधिकारी से क्या मतलब है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य, रेवेन्यू बोर्ड का अधिकारी यहां सचिवालय में आ जाता है, सचिवालय का अधिकारी रेवेन्यू बोर्ड में चला जाता है। मैंने जब यह कहा कि उस स्तर के अधिकारी से जांच करायी जायेगी तो आपके दिमाग में कोई शंका नहीं होनी चाहिये। हमारी नीयत-नीति में कोई फर्क नहीं होता है, आप क्यों फर्क करना चाहते हैं? (व्यवधान) राजस्थान सरकार ने....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, माफी चाहते हुये निवेदन करूंगा सदन में जिस तरह का वातावरण बना, आपकी कृपा से सारे मामले में शांति स्थापित हुई। अब गृह मंत्रीजी जांच चाह रहे हैं, जो बातें हुई उन बातों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करें....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने कोई तोड़-मरोड़ कर करने की कोशिश नहीं की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन का अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आपको रिजल्ट से मतलब है, काहे को आप...

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने किसी चीज को तोड़-मरोड़ कर करने की कोशिश नहीं की।

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, सीधा सीधा-सा है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किशनगढ़ और पीपाड़ दोनों के मामले में राजस्व मण्डल के अधिकारी से जांच....(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : अब आगे तो सुन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आगे बोल रहे हैं ना वह।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी तो ब्लैकमेल करने की आदत है लेकिन राजस्थान की सरकार इनसे ब्लैकमेल नहीं होगी।

श्री जगत सिंह दायमा : छिप-छिप कर बात करते हैं यह हमारा अपमान है। हम भी चुनकर आये हैं आपकी तरह। छिप-छिप कर बात करते हो।

श्री सांवरलाल : जिसमें ताकत होती है उससे बात करते हैं। आपसे क्या बात करेंगे?

श्री जगत सिंह दायमा : आपको हमारी बात माननी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में, क्या समझते हो।

श्री हीरासिंह (महुवा) : गुस्सा ना करें।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट टाइम बढ़ा दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन का समय आधा घंटा और बढ़ाया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया गया।

शासकीय वक्तव्य

किशनगढ़, पीपाड़ व भरतपुर में घटित घटनाओं की जांच

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : भरतपुर की घटना भी शामिल है?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बात तो सुनने की कोशिश करें।

जब जब भी पुलिस के खिलाफ किसी तरह के मुकदमे दर्ज होते हैं तो हमारी सरकार की नीति यह रही है कि ऐसे मुकदमों का अनुसंधान स्थानीय पुलिस से न कराकर सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच से हम कराते हैं और इसमें भी इसी तरह का हम फैसला करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : बात खतम हुई।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक किशनगढ़ के नवज्योति कार्यालय में आपका प्रश्न है....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पीपाड़ की बात करो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आ तो रहा हूं सरकार, आज क्या जल्दी भूख लग गयी क्या? (व्यवधान) जहां तक किशनगढ़ के नवज्योति के अखबार में आग लगने की घटना का सवाल है, स्थानीय पुलिस ने उस सम्बन्ध में केस रजिस्टर किया है। नवज्योति के मालिक दीनबंधु जी चौधरी ने भी उस पर सन्तोष व्यक्त किया है। मेरे पास कागज हैं आप चाहो तो मैं पढ़कर सुना दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस घटना की जांच भी मैं सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच से कराऊंगा ताकि सही बात पता लग सके, ताकि किसी के साथ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी ना बात।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पीपाड़ की घटना के सम्बन्ध में एक प्राइवेट इस्तगासा वहां की मुंसिफ कोर्ट में दायर किया गया है। 156-3 के तहत आदेश दिया गया, उसकी जांच के लिये 156-3 में उसकी जांच चल रही है। मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं कि 156-3 में दिये गये कोर्ट के आदेश की पालना करूं या उसके सम्बन्ध में क्या करूं। उस मामले को मैं देख रहा हूं और यदि इसमें यह पाया गया कि राज्य सरकार सक्षम है तो उसमें भी इस तरह की कोई व्यवस्था करूंगा कि जिसकी किसी भी समुदाय के लोगों को चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो या किसी जाति का हो या किसी वर्ग का हो, किसी को भी सरकार के उसमें किसी प्रकार की आशंका न रहे।

एक माननीय सदस्य : चाहे आर.एस.एस. का हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : चाहे आर.एस.एस. का है, न्याया तो न्याय करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह भी राजस्व मण्डल से कराओ। पीपाड़ के मामले में भी राजस्व मण्डल के अधिकारी से जांच कराओ।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने आपसे कहा कि 156-3 के दिये गये आदेश की...(व्यवधान) एक मिनट आप बिराजें तो सही। मेरी बात सुन लीजिये, पूछ लीजिये, जवाब दे दूंगा। आप मेरी बात तो सुन लीजिये। (व्यवधान) दो मिनट सुन लो।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप 156-3 की बात कह रहे हैं उसके सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप पूछ लेना।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह इस्तगासा एक व्यक्ति का है, 31 व्यक्तियों के चोटें लगी हैं, 31 व्यक्तियों को एस.पी. के द्वारा उलटा लटकाकर पीटने का आरोप है और एक व्यक्ति ने इस्तगासा किया है तो आप तीस आदमियों को महरूम नहीं कर सकते सी.आई.डी., सी.बी. की जांच से, मैं यह निवेदन कर रहा हूं। माननीय गृह मंत्रीजी, पीपाड़ आपके पूरे प्रशासन पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा होगा।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह कोई काला धब्बा नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : यदि आप उसकी जांच नहीं कराते हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह आपके मन की कल्पना है। कोई धब्बा नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप धब्बा रखना चाहते हैं, रखें। वह मुख्य मंत्रीजी की कांस्टीन्युएंसी है जोधपुर जिला, कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) आप यदि निर्दोष लोगों को रात को बुलाकर पीटते हैं तो उसकी जांच कराने का आपका दायित्व है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक मैंने कहा कि 156-3 के आदेश का प्रश्न है। इसकी लीगलिटी को देखकर मैं इस सम्बन्ध में भी निश्चित रूप से....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : 156-3 में तो कोर्ट के आदेश के एफ.आई.आर. रजिस्टर होती है तो इसीलिये it is as good as any other case अब तो एक केस आपके सामने है....(व्यवधान) अभी आपके पास कोई मुकदमा दर्ज करने का आप अगर आदेश फर्माते हैं और सी.आई.डी. में भी देते हैं तो पहले वह मुकदमा दर्ज होगा सम्बन्धित थाने में। इसलिये 156-3 तो एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश हैं, बाकी जांच तो आप सक्षम हैं, आप मर्जी आये जहां कराइये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उन्होंने पर्टीकुलर थाने के नाम पर आदेश किया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह एफ.आई.आर. वहां पर दर्ज होगी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (पचपदरा) : माननीय गृह मंत्रीजी, काग्नीजेबल केस होता है....

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने आपसे कहा है।

श्री अमराराम (पचपदरा) : काग्नीजेबल केस होता है उसमें 156(3) में भेजते हैं। इसी कारण इसके जाने के बाद में आप कहीं भी दे सकते हो। मैं लॉ की बात कर रहा हूं। थाने में दर्ज होने के बाद आप कहीं भी सी.आई.डी. में दे सकते हैं, ऐसे आपने सैकड़ों दिये और हमेशा होता है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मुझे इसमें कोई आपत्ती नहीं है कि एक व्यक्ति द्वारा दायर की गयी है, उसमें और कितने व्यक्ति शामिल हैं, कितने नहीं है। इन सारी चीजों को देखकर इस सम्बन्ध में भी....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जहां तक भरतपुर की घटना का सम्बन्ध है... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सी.आई.डी., सी.बी. करेगी कि नहीं? इस सम्बन्ध में सी.आई.डी., सी.बी. भी जांच करेगी ना?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप चुप रहिये, भाई चुप रहिये।

जहां तक भरतपुर की जनता का सम्बन्ध है वह तो विस्तार से न तो गुलाब चन्दजी कटारिया ने उठाया और न ही नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया, न किसी और न उठाया। मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। आप जानकारी देंगे तो सरकार उसमें भी न्याय करेगी। उसमें भी कोई किसी तरह के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एफ.आई.आर.?

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी दे दें साहब एफ.आई.आर.। खुद एस.पी. ने एफ.आई.आर. दर्ज करायी है, सारी डिटेल आपके पास है। आप कहो तो मैं अभी दे देता हूं। मेरे पास है, यह अभी दे देता हूं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैंने कह दिया, आप तो दे देना मेरे को।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, अभी दे देता हूं ना।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : दे देना। सोच कर दे देना, कोई गलत मत दे देना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : एफ.आई.आर. दर्ज करने वाली बात भी कह दें, गृह मंत्रीजी। किशनगढ़ के अन्दर एफ.आई.आर. जो दर्ज नहीं हुई, वह भी बात कहें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इसको भी इसी के साथ जोड़ दें आप। मैं आपसे एक तो यह बात कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : किशनगढ़ में आपने यह कहा था, किशनगढ़ में जो लोग एफ.आई.आर. दर्ज करवाना चाहते थे, जिनकी नहीं हुई, उनकी एफ.आई.आर. दर्ज करेंगे। यह बात भी कहें आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप जल्दबाजी न करें। आपका रात का खाना नहीं पहुंचा तो मैं पहुंचा दूंगा आज। देखिये, जहां तक भरतपुर की घटना का सवाल है, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझे कुछ मेटीरियल दिया है उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं इसकी जांच भी सी.आई.डी., सी.बी. से करवा दूंगा।

मैं तो माननीय सदस्यों से एक अपील करना चाहता हूं....

श्री जगत सिंह दायमा : पूरे हाउस की करवा दें आप तो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पूरे हाउस से यह बात कहता हूं कि आप सबकी जांच चाहते हैं तो करवा दूंगा, मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से एक अनुरोध करना चाहता हूं और विधान सभाओं में क्या हालात हो रहे हैं, कैसे हुये हैं....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : किशनगढ़ में एफ.आई.आर. दर्ज करने की बात है...

श्री संजीव बेनीवाल : बैठिये, क्या बीच में आपने लगा दी? बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : किशनगढ़ की एफ.आई.आर. दर्ज करने वाली बात कहें, किशनगढ़ की एफ.आई.आर. दर्ज होगी कि नहीं?

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : बाहर जाइये। बाहर जाइये। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : बैठ जाओ। इस राजस्थान विधान सभा का एक इतिहास है...

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दिलावरजी को बैठा दीजिये आप। दिलावरजी नहीं बोलेंगे बीच में।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : इनको बैठाओ। बीच में नहीं बोलेंगे। इनको बैठाओ। बैठिये... (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस पाइंट पर आ रहा हूं कि हम मिल बैठ करके हमारी समस्या का समाधान करते हैं। बड़े से बड़े मसले हमने हल किये हैं। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि ऐसी कोई समस्या आये, मिल बैठकर हल करें। धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद आपके ध्यान से यह बात निकल गयी है....

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आप तो यह जांच कराइये, मदन दिलावरजी बार-बार कैसे खड़े होते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, जिन लोगों ने भी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ यह शिकायत दर्ज की कि हमारे साथ इन्होंने पिटाई की, उनकी एफ.आई.आर. दर्ज करने वाली बात थी। उसको शायद आप भूल गये हैं।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कोई भी नहीं भूला हूं, वे सब चीजें ट्रांसफर हो जायेंगी सी.आई.डी. क्राइम ब्रांच में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या बोले हैं, कहां बोले हैं, एफ.आई.आर. दर्ज होगी कि नहीं, आपने नहीं बताया इसलिये पूछ रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : एफ.आई.आर. दर्ज करनी पड़ेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एफ.आई. आर. दर्ज होगी कि नहीं होगी? यह क्या है कि....(व्यवधान) एक सैकण्ड, आप इसको जल्दी मत कराइये। सामान्यत:...

डा. किरोड़ी लाल : गृह मंत्रीजी, यह तो बताये एफ.आई.आर. दर्ज होगी?

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, उन लोगों का ट्रांसफर हो जायेगा, मुकदमा दर्ज होगा तब ट्रांसर्फर होगा ना। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह प्रश्नोत्तरकाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपसे दो बातों के लिये ही निवेदन कर रहा हूं। जिन लोगों की भी शिकायत है कि अधिकारियों ने हमारे साथ मारपीट की उनकी एफ.आई. आर. दर्ज हो और चूंकि अधिकारियों के खिलाफ उनकी शिकायत है...

श्री उपाध्यक्ष : यह बात कह दी ना उन्होंने। कह चुके हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जिसके कारण से वह अधिकारी वहां से ट्रांसफर हो...

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह प्रश्नोत्तरकाल नहीं है, माननीय सदस्य। बैठ जाइये। प्रश्नोत्तरकाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत पहले कह दी।

डा. किरोड़ी लाल : नहीं कही, साहब, एफ.आई.आर. दर्ज करने वाली बात....

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने कहा ना मैं दूसरी जगह ट्रांसफर करवा दूंगा। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : एफ.आई.आर. दर्ज कराने वाली बात नहीं कही, साहब। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, क्लीयर तो करवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसके बाद सुनने में नहीं आया, या कोई बात ऐसी हो गयी हम शायद या तो सुन नहीं पाये, या फिर इस तरह से समझ नहीं पाये। जिन लोगों ने भी....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात के साक्षी हैं वह बात तो पूरी कराओ। जो बात आपकी जमानत से पूरी हुई....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : शायद कोई सुनने में, बराबर समझ में नहीं आ रहा है। जिन लोगों को पुलिस अधिकारियों ने स्वयं पीटा। उन लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज करायी थी, लेकिन उन्होंने उसे एफ.आई.आर. के रूप में दर्ज नहीं किया। एफ.आई.आर. दर्ज करके उस केस की भी तफतीश हो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह सब जांच का विषय है। जांच आ जायेगी और उसमें कानूनी प्रक्रिया पूरी की जायेगी, आप लोग विश्वास रखिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको कनकाक्टेड स्टोरी का मौका नहीं दिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, हो गया।

श्री मदन दिलावर : एफ.आई.आर. कब दर्ज होगी? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, वह बात कुछ और थी... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मनगढंत एफ.आई.आर. दर्ज कराने का मौका नहीं मिलेगा आपको। आप सोचते हैं कि आपको कनकाक्टेड एफ.आई.आर. दर्ज कराने का मौका मिल जाये, वह कतई नहीं मिलने वाला है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, इनके दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं करना चाहिये सदन को....(व्यवधान)

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस सदन को वापस चलाने में मेरा सहयोग किया। मैं आपके इस सहयोग की कामना करता हूं।

प्रश्न यह है कि श्री शैलेन्द्र जोशी, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2002 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक 21.36 बजे शुक्रवार 22 मार्च, 2002 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-56 का विवरण)

परिशिष्ट ''अ''

CATEGORY WISE TARIFF BEFORE AND AFTER TARIFF REVISION, 2001 (Excluding ED)

S. No.	Category	Before Tariff Revision				After Tariff Revision	
		Fixed Service Charge Rs/Month/Conn	Meter Rent Rs/Meter/Mon	Energy Charge Paise/Unit	Fuel Surch Paise/Unit	Fixed Charges*	Energy # Charges Paise/Unit
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Domestic Service :** (Rural & Urban)						
(i)	First 50 Units/Month	15	15 (Single Ph)	155	—	Rs. 50/Connection/Month	170 Rebate of 10% in Rural areas
(ii)		30	30 (Poly Ph)	220	—	Rs. 75/Connection/Month	275
2.	**Non Domestic Service :**						
(I)	**LT Supply**						
(a)	**SCL Upto 5 KW**						
(i)	First 100 Units/Month	25(Upto 200 U/mon)	15 (Single Ph)	264	146	Rs. 80/Connection/Month	450
(ii)	Above 100 Units/Month	45(Above 200 U/mon)	30(Poly Ph)	304	146	Rs. 120/Connection/Month	490
(b)	**SCL above 5 KW**						
(i)	First 100 Units/Month	25(Upto 200 U/mon)	15 (Single Ph)	264	146	Rs. 40/KW of SCL	450
(ii)	Above 100 Units/Month	45(Above 200 U/mon)	30(Poly Ph) (40 CT Meter)	304	146		490

1	2	3	4	5	6	7	8
(II)	**HT Supply**						
(i)	First 100 Units/Month	750	600(LT Metering)	264	146	Rs. 60/KVA of BD	450
(ii)	Above 100 Units/Month	750	800(HT Metering)	304	146		490
3.	**Public Street Lighting :**						
(i)	In Panchayats/Municipal areas having population below 1-Lakh	—	15 (Single Ph)	154*	146	Rs. 30/Point	300*
		—	30(Poly Ph)				
(ii)	In Municipal areas having population of 1-Lakh and above	—	40 (CT Meter)	184*	146	Rs. 45/Point	330*
4.	**Agriculture :**						
(I)	**Merered Supply**						
(i)	General	15	30	70	—	Rs. 45/Connection/Month	90
(ii)	Agriculture connections in Farm Houses	15	30	220	—	Rs. 45/Connection/Month	275
(iii)	All others not covered under (i) & (ii) above including Nursery (till conversion), Urban area wells, 24 hours supply areas and Poultry farms	15	30	110/140	—	Rs. 45/Connection/Month	165

1	2	3	4	5	6	7	8
(II)	**Flat Rate Supply** (In Rs. Per HP/Month)						
(i)	General and Special General Category	15	—	Rs. 60/HP/Mon	—	Rs. 15/Connection/Month	85
(ii)	Special Scheme-Fodder Scheme	15	—	Rs. 120/HP/Mon	—	Rs. 15/Connection/Month	145
(iii)	All others not covered under (i) & (ii) above, Urban area wells, 24 hours supply areas	15	—	Rs. 95/HP/Mon	—	Rs. 15/Connection/Month	175
5.	**Small Industry:**	35	15(Single Ph) 30 (Poly Ph)	203	146	Rs. 30/HP/Month	344
6.	**Medium Industry:**	50 (LT) 750(HT)	600(LT Metering) 800(HT Metering)	236	146	Rs. 45/HP/Month or Rs. 75/KVA/Month of BD	372
7.	**Bulk Supply for Mixed Load:**						
(i)	Residential Colony (Per dwelling house)	35 (LT) 750(HT)	600(LT Metering) 800(HT Metering)	236	146	Rs. 67.5/Connection/Month	247.5
(ii)	Other than Residential Colony	35 (LT) 750(HT)	600(LT Metering) 800(HT Metering)	236	146	Rs. 45/HP/Month or Rs. 75/KVA/Month of BD	372
8.	**Large Industry:**	750 (Upto 33 KV) 1500(Above 33 KV)	800	259	146	Rs. 90/KVA/Month of BD	401

Notes :

* Includes elements of meter rent.
# Includes elements of fuel surchage.
* A rebate of 30 P/U for providing times

परिशिष्ट "ब"

TRANSFORMER RENT

Particulars	w.e.f. Billing month of January, 1999	w.e.f. Billing month of Februry, 1999	w.e.f. Billing month of December, 2001
1	2	3	4
From the old Medium Industrial consumers i.e. prior to issue of Notification No. 11929 Date 7.8.1990, having connected load above 60 HP who were being supplied power on LT system and were not able to install their own transformer in complince to erstwhile Board's Notification Date 7.8.1990.	3% of the cost of transformer	(1) From MIP Consumers billed of connected load basis.	
		(i) When conn . load above 60 HP & up to 75 HP : Rs. 600/month	No Change
		(ii) When conn . load above 75 HP & up to 125 HP : Rs. 750/month	No Change
		(iii) When conn . load above 125 HP & up to 150 HP : Rs. 1000/month	No Change
		(2) From the MIP Consumers opted to be billed on contract demand basis & MIP Consumer having conn. load above 150 HP & converted into Large Industrial Category.	
		(i) When contract demand up to 60 KVA : Rs. 600/month	No Change

1	2	3	4
		(ii) When contract demand above 60 KVA and upto 100 KVA : Rs. 750/month	No Change
		(iii) When contract demand above 100 KVA and upto 125 KVA : Rs. 1000/month	No Change
		(iv) When contract demand above 125 KVA : Rs. 1500/month	No Change
All other consumers opting for Discom's transformer and Double Pole Structure (D.P.) on rent.	3% of the cost of transformer.	3% of the cost of transformer.	(i) When contract demand up to 60 KVA : Rs. 2500/month (ii) When contract demand above 60 KVA & upto 100 KVA : Rs. 3000/month (iii) When contract demand above 100 KVA & upto 160 KVA : Rs. 4000/month (iv) When contract demand above 160 KVA : On actual i.e. 3% of the cost of transformer & Double Pole Structure.

परिशिष्ट "स"

Pole Charges

Category	As on 1.1.1999		w.e.f. 12.9.1999		w.e.f. 29.12.1999
1	2		3		4
Domestic	(A) **Rural Areas :**		(A) **Rural Areas :**		
	(1) If no pole is required or LT extension of one pole is required.	Rs. 950/conn.	(a) Abadi area :	Rs. 1200/conn.	No Change
			(b) Beyond Abadi area :		
			(1) Single Phase	Rs. 80/mtr.	No Change
			(2) Three Phase	Rs. 120/mtr.	No Change
	(2) If LT extension of more than one pole is required.		(B) **Urban Areas :**		
	(a) For Second Pole	Rs. 1450/Pole	(a) Developed Areas & Kachchi Basties	Rs . 1500/conn.	No Change
	(b) For Third Pole & subsequent poles, limited to a total of FIVE poles.	Rs. 1950/Pole	(b) Undeveloped Areas		
			(1) Up to 300 mtrs.	Rs. 2500/conn.	No Change

1	2	3		4
	(B) Urban Areas : Rs. 12000/Pole	(2) In excess of 300 mtrs.		
		(i) Single Phase	Rs. 9,000/Pole	No Change
		(ii) Three Phase	Rs. 12,000/Pole	No Change
		(C) Tribal Sub-Plan Area	Rs. 1200/conn.	Rs. 600/conn.
Non-Domestic	Urban & Rural : Rs. 12,000/Pole	No Change		No Change
Small & Medium Industrial Service	Rs. 12,000 per 100 mtr. Span	No Change		No Change

परिशिष्ट "स"

Pole Charges

Category 1	w.e.f. 29.3.2000 2	w.e.f. 22.5.2000 3		w.e.f. 10.7.2001 4
Domestic			**(A) Rural Areas :**	
	No Change	No Change	(a) Abadi area :	Rs. 1500/conn.
			(b) Beyonds Abadi area :	
	No Change	No Change	(1) Single Phase :	Rs. 100/mtr.
	No Change	No Change	(2) Three Phase :	Rs. 150/mtr.
			(B) Urban Areas :	
	No Change	No Change	(a) Developed areas & Kachchi Basties	Rs. 2000/conn.
			(b) Undeveloped areas	
	No Change	Rs. 5000/Pole	(1) Up to 300 mtrs. Plus	Rs. 5000/conn.
	No Change		(2) In excess of 300 mtrs. from existing mains.	
			(i) Single Phase line	Rs. 80/mtr.
			(ii) Three Phase line	Rs. 120/mtr.
	No Change	Rs. 9,000/Pole		
	No Change	Rs. 12,000/Pole		

1	2		3		4
	(C) Tribal Sub-Plan Area	Rs. 600/conn.	No Change		Rs. 750/conn
Non-Domestic	**(A) Rural Areas :**	Actual Cost OR Rs. 1800/conn. whichever is higher	No Change	(A) Rural Areas :	Actual Cost OR Rs. 2000/conn. whichever is higher
	(B) Urban Areas : (a) Developed areas & Kachchi Basties	Actual Cost OR Rs. 2250/conn. whichever is higher	No Change	(B) Urban Areas : (a) Developed areas & Kachchi Basties	Actual Cost OR Rs. 3000/conn. whichever is higher
	(b) Other areas :	Actual Cost OR Rs. 3750/conn. whichever is higher	No Change	(b) Other areas :	Actual Cost OR Rs. 5000/conn. whichever is higher
Small & Medium Industrial Service	Rs. 12,000 per 100 mtr. Span		No Change		No Change

परिशिष्ट "द"

Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited
(Department of Commercial Operations)

Statement Indicating Meter Rent

(In Rs./month)

S. No.	Particulars	Before B.M. March, 1999	From B.M. March, 99 to Feb., 2000	From B.M. of March, 2000 to Mar. 2001	w.e.f. April, 2001
	Meters				
(a)	**Hire of Meters :**				
(I)	**Regular Supply :** (In Per meter/month)				
(i)	220/230 Volts single phase meter	10	15	15	NO
(ii)	440/460 Volts poly phase meter	22	30	30	
(iii)	**LT metering equipment :**				
(a)	CT Meter	30	30	40	METER
(b)	Maximum demand indicator	250	250	330	
(c)	KVAH Meter	250	250	330	
(d)	LT Trivector meter	—	—	700	
(iv)	**11 KV metering equipment**				RENT
(a)	Trivector meter	800	800	800	
(v)	**33 KV metering equipment**				IS
(a)	Trivector meter	800	800	800	
(vi)	**EHT metering equipment**				CHARGED
(a)	Trivector meter	800	800	800	
(vii)	**Time Switch**	50	100	100	
(II)	**Temporary Supply :** (Per month or part thereof)				
(i)	single phase meter	15	25	25	
(ii)	poly phase meter	40	50	50	

परिशिष्ट-2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

मण्डी समितियों में अपराध शमन समिति की बैठकों का आयोजन

57. श्री मानसिंह चौहान (पिड़ावा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मण्डियों में अपराध शमन समिति की बैठकें नियमित रूप से किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या प्रत्येक माह में मण्डियों में उक्त समिति की बैठकें आयोजित की जा रही हैं? गत दो वर्षों में किन-किन मण्डी में कब-कब उक्त समिति की बैठकें आयोजित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अपराध शमन के मण्डी समितिवार कितने मामले कब से लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अपराध शमन समिति की बैठकें समय पर नहीं होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार उक्त बैठकों में विलम्ब न हो इस सम्बन्ध में कोई योजना रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जी हां। प्रार्थना पत्र विचाराधीन होने पर नियमित रूप से बैठक किये जाने का प्रावधान है। प्रत्येक माह में इस बैठक का होना आवश्यक नहीं है। गत 2 वर्षों में राज्य की विभिन्न मण्डी समितियों में आयोजित बैठकों की सूचना संलग्न ''अ'' के अनुसार है।

(2) अपराध शमन के मण्डी समितिवार लम्बित मामलों का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के कालम संख्या 5, 6 एवं 7 के अनुसार है। जो सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) सभी मण्डी समितियों की अपराध शमन समिति में राज्य सरकार का प्रतिनिधि क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, सरकारी प्रतिनिधि के रूप में सदस्य होता है, जिसे अपने खण्ड के अधीन सभी मण्डी समितियों की अपराध शमन समिति में भाग लेना होता है, ऐसी स्थिति में मासिक रूप से बैठकें आयोजित होना सम्भव नहीं हो पाता है। सामान्यतया अपराध शमन की बैठक होने में विलम्ब नहीं होता तथा समस्त प्रकरण यथा सम्भव ही निस्तारित किये जा रहे हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

महिला थाना, उदयपुर में दर्ज प्रकरण संख्या 1/2002

58. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 4 जनवरी, 2002 को महिला थाना, उदयपुर में दहेज हत्या सम्बन्धी प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 1/2002 दर्ज हुई? यदि हां, तो रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या उक्त प्रकरण में नामजद मुल्जिमान में से किसी को गिरफ्तार किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस मुल्जिमान को जान-बूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही है और उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है?

(4) क्या पुलिस द्वारा कतिपय मुल्जिमान को पुलिस अनुसंधान के दौरान निर्दोष करार दिया जाकर उन्हें दोषमुक्त करने की कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो सभी मुल्जिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है?

(5) क्या सरकार सभी नामजद मुल्जिमान को शीघ्र गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 4.1.2002 को प्रार्थी श्री नानगराम लखेरा ने श्री राजेश, मोहनलाल, श्रीमती भानुमति, मनिषा, श्री संजय के विरुद्ध महिला थाना उदयपुर पर पेश रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 1/2002 धारा 498(ए), 304(बी) भा.दं.सं. में अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में उक्त पांचों मुल्जिमान के विरुद्ध अपराध धारा 498(ए), 304(बी) भा.दं.सं. प्रमाणित पाया गया।

(2) समस्त नामजद अभियुक्तों के निवास स्थान से फरार होने के कारण बावजूद प्रयास के गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

(3) जी नहीं। मुल्जिमानों को किसी प्रकार का संरक्षण पुलिस द्वारा नहीं दिया जा रहा है। मुल्जिमानों की गिरफ्तारी हेतु भरसक प्रयास जारी है।

(4) जी नहीं। स्थानीय पुलिस के अनुसंधान से एफ.आई.आर. में नामजद सभी पांचों मुल्जिमानों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया है।

(5) प्रकरण की पत्रावली स्थानीय पुलिस के अन्वेषण उपरान्त जांच के प्रति गम्भीर असंतोष प्रकट करने पर अनुसंधान के सत्यापन हेतु सी.आई.डी. (सी.बी.) राज., जयपुर में दिनांक 27.2.2002 को स्थानान्तरित की गई। सी.आई.डी. (सीबी) में प्रकरण का अनुसंधान जारी है।

बाड़मेर बेसिन में मिथेन गैस दोहन योजना

59. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बाड़मेर बेसिन में अब तक तेल, गैस व लिग्नाइट के कितने–कितने भण्डारों का पता चला है?

(2) उक्त खोज का कार्य कौनसी कम्पनियां कितने चरण में पूरा कर रही है?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर बेसिन में लिग्नाइट की गहराई ज्यादा होने से कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.) गैस के दोहन की योजना है? यदि हां, तो अब तक की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त बेसिन में कहां-कहां कितनी मिथेन का पता चला है?

(4) बाड़मेर बेसिन में मिथेन दोहन के अलावा क्या लिग्नाइट के गैसीफिकेशन की योजना है? यदि हां, तो किस कम्पनी के साथ-साथ किन–किन शर्तों के आधार पर करार हुआ है?

(5) तेल की खोज में अब तक कितनी सफलता मिली है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त की भविष्य में दोहन की क्या योजना है?

उत्तर

(1) बाड़मेर बेसिन में अब तक 20 से 40 मिलियम बैरल तेल भण्डार व 2046.94 मिलियन टन लिग्नाइट के जिओलोजिकल भण्डारों का पता चला है। अभी तक गैस के कोई भण्डार नहीं मिले हैं।

(2) बाड़मेर बेसिन में वर्तमान में तेल व गैस की खोज हेतु बहु राष्ट्रीय कम्पनी– केर्न एनर्जी व लिग्नाइट की खोज हेतु खनिज गवेषण निगम लि. (एम.ई. सी.एल.) तथा भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग कार्यरत है। विस्तृत कार्य योजना परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। भारत सरकार के स्तर पर अन्तरराष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित कर कोल बैड मिथेन के ब्लॉक आबंटित किये जाते हैं। यह पता चला है कि हाल ही में बाड़मेर का एक ब्लाक रिलाइन्स इण्डस्ट्रीज को आबंटित किया गया है। पेट्रोलियम विभाग द्वारा सात और ब्लॉक बाड़मेर जिले के तैयार पर भारत सरकार को प्रस्तावित किये गये हैं। पेट्रोलियम निदेशालय द्वारा तेल उद्योग विकास बोर्ड से प्राप्त अनुदान के आधार पर कोल बैड मिथेन अनुसंधान व विकास परियोजना प्रारम्भ की गई है, जिसके अन्तर्गत एम.ई.सी.एल. द्वारा बाड़मेर जिले में रावतसर के निकट एक बोर होल की खुदाई की गई थी किन्तु लिग्नाइट की पतली परत होने के कारण कोल बैड मिथेन का परीक्षण सम्भव नहीं हो सका है।

(राज्य मंत्री, खनिज)

(4) जी हां। राज्य सरकार की गैस अथोरिटी आफ इण्डिया लि० (गेल) के साथ लिग्नाइट गैसीफिकेशन के सम्बन्ध में दिनांक 5.10.1998 को 2 वर्ष हेतु सहमति हुई थी। सहमति पत्र की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'ब' संलग्न है। तथापि, इस 2 वर्ष की अवधि में कोई प्रगति नहीं हो सकी। गैसीफिकेशन हेतु एक निजी कम्पनी आर.के. इलेक्ट्रो पावर द्वारा भी पूर्वेक्षण हेतु आवेदन किया गया है, जिसकी अनुमति हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजे गये हैं।

(5) अब तक खोदे गये तीन कुओं में से दो में तेल के भण्डार मिले हैं जिसका विवरण परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है।

(6) बाड़मेर बेसिन में केर्न एनर्जी द्वारा आगामी तीन वर्षों में कुल 9 कुओं की खुदाई की जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट ''अ''

बाड़मेर बेसिन में तेल, गैस एवं लिग्नाइट हेतु अन्वेषण

केर्न एनर्जी

केर्न एनर्जी द्वारा ब्लॉक आर.जे.ओ. एन–90/1 में आगामी 3 वर्षों में कोसूल के आसपास तेल की गुणात्मकता का पता लगाने हेतु त्रिआयामी सर्वे किया जायेगा तथा जिन क्षेत्रों में पर्याप्त आंकड़ों की और आवश्यकता है, अतिरिक्त द्विआयामी सर्वे कार्य किया जायेगा। कम्पनी द्वारा पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञापत्र में तीन वर्ष का नवीनीकरण भारत सरकार से चाहा गया है, जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री को अवधि बढ़ाने हेतु अनुशंसा की है। कम्पनी द्वारा आगामी तीन वर्षों में कुलमिलाकर 9 कुओं की खुदाई की जाना प्रस्तावित है।

खनिज अन्वेषण निगम

भारत सरकार के प्रतिष्ठान खनिज अन्वेषण निगम द्वारा बाड़मेर बेसिन में भारत सरकार के कोल मंत्रालय की प्रमोसनल छिद्रण योजना के अन्तर्गत सिन्दरी ब्लॉक में अब तक 256 बोर होल का छिद्रण किया जाकर 1200 मिलियन टन लिग्नाइट के जिओलोजिकल भण्डारों का आकलन किया है। निगम द्वारा पूर्व में बोर होल 1600 मीटर के अन्तराल में किये गये थे तथा वर्तमान में लिग्नाइट के 1200 मिलियन टन जिओलोजिकल भण्डार सिद्ध करने हेतु 800 मीटर के अन्तराल में छिद्रण किया जा रहा है। निगम द्वारा वर्तमान में तथा आगामी वर्षों में बाड़मेर बेसिन के निम्न ब्लॉक में लिग्नाइट हेतु अन्वेषण किया जाना प्रस्तावित है–

1. सिंदरी
2. कुरला
3. चोखला–नागुरड़ा
4. होडू
5. नागुरड़ा–नरगासर

भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग

भारत सरकार के भारतीय भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा बाड़मेर बेसिन में शिवकर एवं केलनोर क्षेत्रों में लगभग 2000 मीटर का छिद्रण किया जाकर गहराई में लिग्नाइट की परतों का पता लगाया गया है। लिग्नाइट भण्डारों के आकलन हेतु आगामी 5 वर्षों में लगभग 1,000 मीटर छिद्रण किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट "ब"

THIS MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ENTERED ON THIS 5th DAY OF OCTOBER, 1998 BY AND BETWEEN

Gas Authority of India Limited (A Government of India Undertaking having its registered offices set up at 10 Bhikaji Cama Palace, New Delhi-110 086 hereinafter referred as GAIL which expression shall mean and include its Administrators and executors

And

Government of Rajasthan, represented by the Secretary, Department of Mines, having its offices at Jaipur hereinafter referred to as Government of Rajasthan.

1. **Whereas** large deposits of lignite have been discovered in the State of Rajasthan and Government of Rajasthan is committed to exploit this resource through mining as well as insitu/ underground gasification for relatively deeper deposits which may not be economical for conventional mining.
2. **Whereas** Gas Authority of India Limited, the premier national

gas company engaged in the transportation, processing, marketing and distribution of gas and petrochemicals desires to examine the techno economic feasibility of insitu/underground gasification technologies involving Lignite deposits of Rajasthan, and,

3. **Whereas** The Government of Rajasthan supports such studies including the development of commercial scale projects after the economic viability is established.

4. **Scope**

   4.1 To study the lignite deposits of the State of Rajasthan and identify candidate deposits suitable for application and evaluation of insitu/underground gasification technologies.

   4.2 To scan various gasification technologies and their relative techno-economics.

   4.3 To implement pilot projects in a phased manner, with suitable wells, configuration to field test, short listed technologies, if supported on techno-economic considerations.

   4.4 Evaluate and establish techno-economics of the most successful technology for full scale commercial operations through proper pilot projects and formulate project proposals for field scale applications.

   4.5 Implementation of commercial projects including associated facilities for transportation and processing of gas and end use of gas for any application.

5. **Now in Order** to pursue the above objectives, it is hereby agreed between the parties, that the Government of Rajasthan through the Directorate of Petroleum shall:

   5.1 Provide available geological and geophysical reports, core hole data and other existing related studies and maps pertaining to the exploration of lignite deposits, free of charge to GAIL.

   5.2 Provide all available details, areawise and depthwise, characteristics/composition wise other technical data/ information and other existing and relevant data on lignite deposits free of charge to GAIL.

5.3 Permit GAIL to undertake field pilot studies in selected lignite deposit areas (without fee) so as to evaluate the techno-economic feasibility of the underground Gasification.

5.4 Grant lease/leases to GAIL on priority basis in case feasibility of process/processes is established for commercial operations.

5.5 To assist in providing/arranging all other clearances required for implementation of pilot projects and for commercial projects.

5.6 Provide all other assistance that may be required for successful implementation of various related programmes.

5.7 Permit GAIL or consortium of companies led by GAIL on first right basis, to implement pilots, field scale and downstream projects including setting up of power projects and other associated facilities (if required) for the utilisation of gases and/or other by products that may be obtained from pilot as well as commercial scale project.

6. **GAIL hereby agrees** to perform the following activities:

6.1 Examination/evaluation of all the technical data and scanning of potential project sites to be followed by prioritization/short listing of sites. A foreign company/companies may also be associated and services of consultants would be utilised.

6.2 Laboratory studies on testing of lignites, including simulation of gasification process to evolve basic parameters of the pilot projects as well as commercial projects.

6.3 Acquisition of new data, of any kind, if required and field surveys for selection of suitable sites.

6.4 Designing and implementation of pilot project or projects for field testing of gasification technology/technologies.

6.5 Techno-economic evaluations and applicability of technology/technologies for commercial scale operations with in a reasonable period.

6.6 Preparation of Detailed Project Report in case the economic viability is established.

6.7 Implementation of field scale commercial projects including downstream projects (Clause 5.7)

7. The technical studies would be jointly undertaken by the teams from Department of Petroleum, Government of Rajasthan and GAIL. All front end expenses covering supply of data, evaluation of available data, acquisition of new data, if required, implementation of pilot projects, market research, consultancy study etc. would be borne by the respective parties as per the respective obligations as brought out in a para 5 and para 6 respectively. However, in case of commercial projects, Government of Rajasthan or any other State Government Agency, if it so desires, may take to equity participation which shall be discussed and agreed mutually.

8. This MOU would be valid for a period of two years. However, the progress of the work should be reviewed regularly. A work programme would be finalised with in a period of three months from the date of signing of this agreement. GAIL would have the option to withdraw at any stage during the period of this MOU if it is not convinced about either the suitability of the deposits or the techno-economic viability of the projects.

Signed

(J.K. Jam)
Director (Finance), GAIL
On behalf of GAIL

(Rajiv Sharma) I.A.S.
Secretary, Mines
On behalf of Govt. of Rajasthan

Witness : 1.
Rajeev Khanna
DGM. GAIL

2.
(G.P. Mathur)
Director, Petroleum,
Govt. of Rajasthan

परिशिष्ट ''स''

राजस्थान में खनिज तेल की खोज

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम बाड़मेर बेसिन	कम्पनी	कार्य आरम्भ किया	कुओं की संख्या	छिद्रण करने का वर्ष	गहराई जिस पर तेल मिला	गुणवत्ता	परिमाण (रिजर्व)	अनुमानित व्यय	प्रतिशत हिस्सेदारी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	सांतोर जिला जालौर	ओ.एन.जी. सी.एल.	1989	1 (3800 मीटर)	1989	गैस के संकेत	—	—	—	—	—
2.	गुढ़ा, तहसील गुढ़ामालानी, जिला बाड़मेर	ओ.एन.जी. सी.एल./ शैल	15.5.1995	गुढ़ा–1 (2573 मीटर)	1999	तेल के संकेत	—	—	—	30 प्रतिशत भारत सरकार 30 प्रतिशत ओ.एन.जी. सी.एल. एवं 40 प्रतिशत शैल	—
				गुढ़ा–2 (3800 मीटर)	1999	1910 मीटर	41 एपीआई (उच्च किस्म)	2000 बैरल प्रतिदिन (रिजर्व आंकलन प्रगति पर)	194 करोड़		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	कोसलू तहसील सिंधरी जिला बाड़मेर	ओ.एन.जी. सी.एल./ शैल/केर्न	15.5.1995	1 (1837 मीटर)	2001	1400 मीटर	41 एपीआई (उच्च किस्म)	2075 बैरल प्रतिदिन 20 से 40 मिलियन बैरल तेल भण्डार आंकलित किये गये (विस्तृत आंकलन जारी)		30 प्रतिशत भारत सरकार 30 प्रतिशत ओ.एन.जी. सी.एल. एवं 40 प्रतिशत शैल/केर्न	शैल/केर्न के मध्य 50 प्रतिशत की सांझेदारी

जिला चित्तौड़गढ़ में "बालिका समृद्धि योजना" अन्तर्गत दी गई राशि

60. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि "बालिका समृद्धि योजना" के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों में 15 अगस्त, 1997 से तथा इसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के लिये पांच सौ रुपया आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों का आकलन किया है? जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति प्रतापगढ़, अरनोद एवं छोटी सादड़ी की सूची पंचायतवार सदन की मेज पर रखें।

(2) 1997-98 से 2001-2002 तक बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद के उक्त राशि बालिका के माता-पिता को अतिरिक्त पोषक भोजन के लिये उपलब्ध कराई? ग्राम पंचायतवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) बालिका समृद्धि योजना की राशि क्या मानदण्ड के अनुसार सभी परिवारों को उपलब्ध करवाई है? यदि नहीं हो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। इस हेतु बी.पी.एल. परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। जिला चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़, अरनोद एवं छोटी सादड़ी की पंचायत समितिवार सर्वेक्षण उपरांत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों की संख्या पंचायत समितिवार निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	परिवारों की संख्या
1.	अरनोद	12758
2.	प्रतापगढ़	19880
3.	छोटी सादड़ी	7611

माननीय सदस्य यदि चाहेंगे तो उपरोक्तानुसार सूची उन्हें उपलब्ध करा दी जावेगी।

(2) जी हां। इस योजनान्तर्गत वर्ष 1997 से 500/- रुपये की राशि बालिका के जन्म पर केवल माता को उपलब्ध कराई जाती है। ग्राम पंचायत सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी हां। इस योजनान्तर्गत राशि मानदण्डों के अनुसार सभी परिवारों को उपलब्ध करवाई गई है।

परिशिष्ट "अ"

कार्यालय पंचायत समिति प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
बालिका समृद्धि की लाभान्वितों की पंचायतवार संख्या की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत	लाभान्वितों की संख्या	विशेष विवरण
1	2	3	4
1.	रामपुरिया	11	
2.	पानमोड़ी	09	
3.	धमोतर	04	
4.	नारायणखेड़ा	08	
5.	ग्यासपुर	03	
6.	कचोटिया	67	
7.	कुलथाना	02	
8.	अमलावद	01	
9.	बाराबरदा	20	
10.	अचलपुर	29	
11.	बरड़िया	03	
12.	नकोर	86	
13.	रठांजना	01	
14.	मधुरा तलाब	07	
15.	मेरियाखेड़ी	10	
16.	डाबड़ा	14	
17.	सरी पिपली	12	
18.	लुहारिया	25	
19.	चिकलाड़	18	
20.	असावता	11	

1	2	3	4
21.	बसाड़	03	
22.	केरवास	28	
23.	मोटीखेड़ी	21	
24.	गादोला	22	
25.	गन्धेर	08	
26.	जोलर	32	
27.	अवलेश्वर	12	
28.	बसेरा	13	
29.	धमोतर	07	
30.	झांसड़ी	06	
31.	रतनपुरिया	08	
32.	वीरपुर	14	
33.	बरोठा	02	
34.	पण्डावा	10	
35.	सुहागपुरा	11	
36.	देवगढ़	06	
37.	सिद्धपुरा	07	
38.	कुलमीपुरा	02	
39.	कल्याणपुरा	02	
40.	वरमण्डल	02	
41.	खोरिया	04	
42.	थड़ा	07	

कार्यालय पंचायत समिति अरनोद जिला चित्तौड़गढ़ बालिका समृद्धि योजना की लाभान्वितों की पंचायतवार संख्या की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत	लाभान्वितों की संख्या
1	2	3
1.	कोटड़ी	7
2.	मोहड़ा	16
3.	मोटाधामनिया	3
4.	मचुण्डला	9
5.	बेडभा	4
6.	चूवना	8
7.	आम्बीरामा	3
8.	सालमगढ़	7
9.	मोवाई	17
10.	सेवना	30
11.	विरावली	8
12.	नौगावा	2
13.	निनोर	2
14.	दलीट	6
15.	बोरी	32
16.	चकुण्डा	2
17.	हिंगलाट	5
18.	अचनारा	24
19.	उठैल	14
20.	कानगढ़	1
21.	रायपुर जंगल	16
22.	अरनोद	2
23.	रायपुर	2
24.	साखथली खुर्द	2
25.	जाजली	2
26.	अचलावद	7

जिला डूंगरपुर में वन क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि

61. श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला डूंगरपुर में कितने आरक्षित वन क्षेत्र हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वन क्षेत्रों में कौन–कौन से पेड़ हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वर्ष 1980 के बाद सरकार ने कोई नया वन खण्ड तैयार किया है? यदि हां, तो कहां-कहां, कितनी–कितनी भूमि पर?

(4) वर्ष 1980 के पहले कितने क्षेत्रफल में वन था तथा अब कितने क्षेत्रफल में है? क्षेत्रफल में कमीबेशी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर के वन विभाग का 25,711,512 हैक्टेयर्स आरक्षित वन क्षेत्र है। वन खण्डवार विवरण परिशिष्ट 'अ' अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त वन क्षेत्रों में मुख्यत: सागवान, देशीबबूल, तेंदू, धावड़ी, रोंज, महुआ, कुमठ, कदम, खेर, सालर, विलायती बबूल इत्यादि प्रजातियों के वृक्ष है।

(3) वर्ष 1980 के बाद जिला डूंगरपुर में कोई नया वन खण्ड घोषित नहीं किया गया है।

(4) जिला डूंगरपुर में 1980 से पूर्व आरक्षित, रक्षित एवं अवर्गीकृत कुल मिलाकर वन क्षेत्र 693,351 वर्ग किमी. था जिसमें कमी–बेशी नहीं हुई है।

परिशिष्ट ''अ''

जिला डूंगरपुर में वन विभाग के आरक्षित वन क्षेत्र का विवरण

(अ) ऐसे आरक्षित वन खण्ड जिनकी अन्तिम विज्ञप्ति राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है

क्र.सं. 1	नाम वन खण्ड 2	क्षेत्रफल (हैक्टेयर्स में) 3
1.	बीड़ रामपुर	199.040
2.	रासापानी	5155.464
3.	उडसरी	1807.203
4.	पटखाना	559.008

1	2	3
5.	घौड़चा	1073.152
6.	भेड़साना	342.512
7.	बई पौड़ा	1495.096
8.	कुजेला	1972.168
9.	रतनपुरा	3300.984
10.	चुल रवैया	2560.870
11.	फटियामगरा	67.520
12.	चाक रेड़ा	951.440
13.	चावल लेक उर्फ चकलीबाग	3738.976
14.	चाना	2152.104
	योग	**25375.542**

(ब) ऐसे आरक्षित वन क्षेत्र जिनकी प्रारम्भिक विज्ञप्ति जारी हो चुकी है अन्तिम विज्ञप्ति प्रकाशित होनी है

क्र.सं.	नाम वन खण्ड	क्षेत्रफल (हैक्टेयर्स में)
1.	बेड़ाबेड़ी	336.000

मालवीय नगर जयपुर में हाउसिंग बोर्ड के रद्द आबंटन पत्र

62. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नगरीय विकास विभाग द्वारा हाउसिंग बोर्ड (डिस्पोजल आफ प्रोपर्टीज) रेगुलेशन 1978 की धारा 8ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये कितने आवासों का राजस्थान आवासन मण्डल ने जयपुर, कोटा में वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 तक आबंटन किया गया है? सूची श्रेणीवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा हाउसिंग बोर्ड (डिस्पोजल आफ प्रोपर्टीज) रेगुलेशन नियम 1978 की धारा 8ए के अन्तर्गत मालवीय नगर में स्वतंत्र आवास 14/73 को सितम्बर 2000 में आबंटित किया? यदि हां, तो आबंटित मकान को रद्द क्यों किया गया तथा उक्त मकान पुन: किसको किस वरियता व नियम के आधार पर आबंटित किया गया? आबंटी के नाम वल्दियत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान आवासन मण्डल (डिस्पोजल आफ प्रोपर्टीज) रेगुलेशन, 1970 प्रभावी है। नगरीय विकास विभाग द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल (डिस्पोजल आफ प्रोपर्टीज) रेगुलेशन, 1970 की धारा 8ए के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जयपुर में 12 एवं कोटा में 6 इस प्रकार दोनों शहरों में विभिन्न श्रेणियों के कुल 18 आवासों के आबंटन आदेश वर्ष 1999–2000 से 2001–2002 तक किये गये हैं। इनमें से सिर्फ श्री यू.सी. मिश्रा को मकान संख्या 10–डी–17, महावीर नगर, कोटा में आवासन मण्डल द्वारा आबंटन कब्जा दिया गया है। शेष आबंटन आदेशों की क्रियान्विति पर रोक राज्य सरकार द्वारा लगाई गई है। सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान आवासन मण्डल (डिस्पोजल आफ प्रोपर्टीज) रेगुलेशन, 1970 के नियम 8ए के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये थे। इन्हें राज्य सरकार द्वारा बाद में निरस्त कर इस आवास के पुन: आबंटन के आदेश दिनांक 5.5.2001 को दिये गये। इस प्रकार मकान संख्या 14/73 मालवीय नगर का आबंटन हेतु आदेश श्री भगवान दास गुप्ता के स्थान पर श्री हेमन्त गुप्ता एडवोकेट पुत्र श्री भगवान दास गुप्ता के नाम से राज्य सरकार द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल (डिस्पोजल आफ प्रोपर्टीज) रेगुलेशन, 1970 के नियम 8ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये थे, जिन पर राज्य सरकार ने ही आबंटन आदेश पर रोक लगा दी है अर्थात मकान नम्बर 14/73 का किसी को भी आबंटन नहीं किया गया है।

परिशिष्ट ''अ''

राजस्थान आवासन मण्डल (डिस्पोजल आफ प्रोपर्टीज) रेगुलेशन 1970 के नियम 8ए के तहत वर्ष 1999-2000 से 2001-02 तक आवास आबंटन की सूची

क्र.सं.	नाम	आवास सं. व योजना का नाम	आयवर्ग
1	2	3	4
1.	श्री हरक चन्द जैन	1-च-6, दादाबाड़ी, कोटा	उच्च आय वर्ग
2.	श्री श्याम रोहिड़ा	3/64, गणेश तालाब, कोटा	मध्यम आय वर्ग-ब
3.	श्रीमती ममता	4-डी-8, रंगबाड़ी, कोटा	उच्च आय वर्ग
4.	श्री यू.सी. मिश्रा	10-डी-17, महावीर नगर तृतीय, कोटा	उच्च आय वर्ग
5.	श्री यमुना शंकर सोनी	5-ए-2, रंगगाड़ी, कोटा	मध्यम आय वर्ग-ब
6.	श्री हेमन्त गुप्ता	14/73, मालवीय नगर, जयपुर	उच्च आय वर्ग
7.	श्री धीरज कुमार श्रीवास्तव	मालवीय नगर/मानसरोवर	मध्यम आय वर्ग-ब/ उच्च आय वर्ग
8.	श्री रमेश कुमा पथरिया	मानसरोवर, जयपुर	मध्यम आय वर्ग-ब/ उच्च आय वर्ग
9.	डा. निजाम मोहम्मद	जयपुर	---
10.	श्री शिवचरण	मानसरोवर, जयपुर	उच्च आय वर्ग
11.	श्री राकेश दुबे	53/193, मानसरोवर, जयपुर	उच्च आय वर्ग
12.	श्री प्रवीण माथुर	53/217, मानसरोवर, जयपुर	उच्च आय वर्ग
13.	श्री समीर सक्सेना	53/108-सी, मानसरोवर, जयपुर	उच्च आय वर्ग
14.	श्री शंकर लाल टेलर	37/119, मानसरोवर, जयपुर	---
15.	श्रीमती सुनीता देवी	53/210, मानसरोवर, जयपुर	उच्च आय वर्ग
16.	श्रीमती आशा लौगानी	68/176-बी, प्रतापनगर, सांगानेर	---
17.	श्री राजीव दत्ता	80/9, प्रतापनगर, सांगानेर	---
18.	श्री अरुण कुमार जैन	7-डी-27, महावीर नगर विस्तार, कोटा	उच्च आय वर्ग

मुख्य आपदा प्रबंधक
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड
जयपुर

रायपुर (पाली) में ऋण माफी योजनान्तर्गत ऋणधारी किसानों की बकाया राशि

63. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भारत सरकार की किसानों को ऋण राहत योजना के अन्तर्गत पाली सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक पाली को वर्ष 1990–91 से 1992–93 में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में पाली कोआपरेटिव बैंक की शाखा, रायपुर, जैतारण तथा सोजत को कितनी–कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ऋण राहत राशि के द्वारा रायपुर शाखा की किन–किन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के किसानों की ऋण राशि माफ की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्राप्त राशि को शाखा रायपुर द्वारा सस्पेंस एकाउंट में जमा की गई? यदि हां, तो ऋण माफी योजना के बाद पाली जिले की रायपुर व उनकी अन्य शाखाएं तथा सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक लि. पाली में कितनी राशि उक्त अकाउंट में उक्त वर्षों में अधिशेष रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त ऋण राहत माफी योजना के अन्तर्गत रायपुर तहसील के सभी ऋणधारी किसानों की जांच कर उनके खाते में ऋण का भुगतान बताया गया है? यदि नहीं, तो उक्त अवधि में ऐसे कितने किसान ग्राम सेवा सोसाइटी अनुसार शेष रह गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार की किसानों को ऋण राहत योजनान्तर्गत पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. को वर्ष 1990–91 से 1992–93 में कुल 1459.75 लाख रु. की राशि प्राप्त हुई।

(2) उक्त योजना में पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. की शाखा रायपुर, जैतारण तथा सोजत को क्रमशः 152.06, 72.26 तथा 122.57 लाख रु. स्वीकृत किये गये।

(3) उक्त ऋण राहत की राशि द्वारा पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. की शाखा रायपुर की निम्न 15 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के किसानों को ऋण राशि में राहत दी गई–

1. रायपुर, 2. झूंठा, 3. सबलपुरा, 4. लवाचा, 5. पचानपुरा, 6. काणुजा, 7. कोट किराना, 8. सेन्दड़ा, 9. बर, 10. बिराटियां कलां, 11. कुशालपुरा, 12. बिराटिया खुर्द, 13. निलाम्बा, 14. हाजीवास, 15. पुरानी बावड़ी (कुशालपुरा)।

(4) जी नहीं। उक्त प्राप्त समस्त राशि को शाखा रायपुर सस्पेंस अकाउंट में जमा नहीं किया गया। बल्कि योजनान्तर्गत प्राप्त राशि में से जो राशि पाली जिले की रायपुर व उससे सम्बन्धित ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक पाली में सस्पेंस अकाउंट में रही, उसका विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

(5) जी हां। रायपुर तहसील के योग्य ऋणधारी किसानों के ऋण खाते में ऋण राहत राशि जमा कर दी गई है।

परिशिष्ट "1"

दी पाली सैंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि०, पाली

पाली जिले की शाखा रायपुर एवं अन्य शाखाओं द्वारा ऋण राहत राशि को बैंक सस्पेन्स खाते में जमा रखने की सूचना

शाखा का नाम	नाम समिति	सस्पेन्स खाते में जमा राशि लाखों में			
		सदस्य सं.	1990-91	1991-92	योग राशि
1	2	3	4	5	6
रायपुर	1. कुशालपुरा	92	8.71	---	8.71
	2. लिलाम्बा	43	---	3.06	3.06
	3. हाजीवास	16	0.83	0.39	1.22
	4. झूंठा	5	0.45	---	0.45
	5. पुरानी बावड़ी	1	---	0.10	0.10
	योग	157	9.99	3.55	13.54
अन्य शाखाएं	1. बिशलपुर	30	2.54	---	2.54
	2. लुवाणा	1	---	0.10	0.10
	3. खूडाला	53	3.66	0.09	3.75
	4. लौटोती	4	---	0.25	0.25
	5. बूंटीवास	8	0.50	---	0.50
	6. रावड़ियावास	17	0.59	---	0.59
	योग	113	7.29	0.44	7.73

अधिशासी अधिकारी
दी पाली सैंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि०
पाली

राजस्थान व हरियाणा के मध्य वाहन संचालन क्षेत्र में वृद्धि

64. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान एवं हरियाणा के मध्य यात्री वाहन संचालन हेतु समय-समय पर पारस्परिक अन्तरराज्यीय परिवहन समझौते हुये हैं? यदि हां, तो कब-कब?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1968 के बाद राजस्थान व हरियाणा के मध्य वर्ष 1997 अर्थात 29 वर्ष बाद पारस्परिक वैध समझौता हुआ?

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 1997 के समझौते के बाद में भी कतिपय मार्गों पर यातायात सुविधा स्कोप यात्री संख्या से कम है जिसके रिवीजन की आवश्यकता है?

(4) क्या श्री निर्मल कुमार पुत्र श्री मुरलीधर निवासी भादरा ने दिनांक 5.12.2000 एवं अन्य तिथियों पर सचिव यातायात को लिखित प्रतिवेदन देकर अवगत कराया कि समझौते के कतिपय मार्गों पर स्कोप बढ़ाया जाना जनहित में है एवं समझौते के अन्तर्गत कुछ और नये मार्ग जोड़े जाने चाहिये?

(5) क्या यह सही है कि उक्त प्रकार की मांग काफी समय से उठ रही है पर उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा है?

(6) क्या उपरोक्तानुसार स्कोप बढ़ाने एवं नये मार्ग खोलने के प्रतिवेदन के आधार पर क्षेत्रीय विधायक ने अपने पत्र दिनांक 6 दिसम्बर, 2000 द्वारा सचिव परिवहन विभाग को उक्त मांग दोहराई है?

(7) क्या उक्त मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ है?

(8) क्या यह सही है कि उक्त मांगों पर विचार नहीं करने की पृष्ठभूमि में परिवहन विभाग के कतिपय अधिकारियों एवं उक्त मार्गों के वर्तमान अनुज्ञापत्रधारियों के मध्य सांठ-गांठ रही है?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान एवं हरियाणा राज्यों के मध्य अन्तरराज्यीय परिवहन करार दिनांक 5, 6, 7 एवं 8 फरवरी, 1968 एवं वर्ष 1997 में 15 जुलाई 1997 को सम्पन्न हुये हैं।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 1997 से आपसी अन्तरराज्यीय करार उस समय उपलब्ध यात्री भार के अनुसार किया गया था। पुन: नवीन समझौते के समय यात्री भार की आवश्यकता अनुसार सेवाएं तय की जा सकेगी।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं।

(यातायात मंत्री)

(6) जी हां।

(7) जी नहीं। उक्त मांगों से सम्बन्धी पत्र प्राप्ति के पश्चात् प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम एवं सम्बन्धित सभी प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों से हरियाणा राज्य के साथ नवीन परिवहन करार हेतु वर्तमान सेवाओं में वृद्धि के नवीन प्रस्ताव मांगे गये हैं तथा माननीय विधायक महोदय के पत्र के साथ प्राप्त पत्र में वर्णित एवं अन्य नवीन मार्गों के प्रस्तावों का सर्वे कराने हेतु भी सम्बन्धित प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों को लिखा गया है। सभी कार्यालयों से उक्त प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् उन पर विचार किया जा सकेगा।

(8) जी नहीं।

चौमूं (जयपुर) के अनुसूचित जाति क्षेत्रों में छात्रावासों की स्थापना

65. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति के गरीब क्षेत्रों के लिये छात्रावास खोलने की व्यवस्था की है? यदि हां, तो वर्तमान में जयपुर जिले में कहां–कहां छात्रावास हैं?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौमूं में छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्राम हस्तेड़ा, गोविन्दगढ़, सामोद, उदयपुरिया में छात्राओं व छात्रों के छात्रावास खोलने के लिये अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो कब?

(4) क्या सरकार उक्त ग्रामों में छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में जयपुर जिले में 31 राजकीय छात्रावास स्वीकृत हैं, इनमें से 25 अनुसूचित जाति व 5 अनुसूचित जनजाति के तथा 1 विमुक्त एवं घुमन्तु जाति का है। छात्रावासों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। पदों के स्वीकृति के अभाव में संचालन किया जाना सम्भव नहीं है। पद सृजित होने पर छात्रावास का खोला जाना सम्भव होगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चौमूं, गोविन्दगढ़, सामोद व उदयपुरिया में छात्रों के प्रस्ताव क्रमशः दिनांक 16.8.2001 व 25.8.2001 को प्राप्त हुये थे।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट "अ"

जयपुर जिले में संचालित राजकीय छात्रावासों की सूची

क्र.सं.	छात्रावास	स्थान
1.	अनुसूचित जाति बालक छात्रावास	बजाज नगर, जयपुर
2.	,, ,, ,,	बापू आश्रम, जयपुर
3.	,, ,, ,,	चाकसू
4.	,, ,, ,,	दूदू
5.	,, ,, ,,	गागरडू
6.	,, ,, ,,	जगतपुरा, जयपुर
7.	,, ,, ,,	कोटपूतली
8.	,, ,, ,,	लबाना
9.	,, ,, ,,	मनोहरपुर
10.	,, ,, ,,	मेड़
11.	,, ,, ,,	पावटा
12.	,, ,, ,,	फागी
13.	,, ,, ,,	गोनेर (सांगानेर)
14.	,, ,, ,,	राड़ावास
15.	,, ,, ,,	रामगंज, जयपुर
16.	,, ,, ,,	सांभर
17.	,, ,, ,,	शाहपुरा
18.	,, ,, ,,	शास्त्री नगर, जयपुर
19.	अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास	गांधी नगर–I
20.	अनुसूचित जनजाति छात्रावास	बगरू
21.	,, ,, ,,	बनेठी
22.	,, ,, ,,	बांसखो
23.	,, ,, ,,	बस्सी
24.	,, ,, ,,	जमवारामगढ़
25.	विमुक्त एवं घुमन्तु जाति छात्रावास	रामनगर, सोडाला, जयपुर
26.	स्वच्छकार छात्रावास	गांधी नगर
27.	स्वच्छकार छात्रावास	मानसिंहपुरा, जयपुर
28.	,, ,, ,,	फूलेरा
29.	,, ,, ,,	रूण्डल
30.	,, ,, ,,	तूंगा
31.	स्वच्छकार कन्या छात्रावास	गांधी नगर–II

जिला सीकर के हरिपुरा मोड़ से चूड़ला बालाजी तक स्वीकृत सड़क निर्माण

66. श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या ग्राम पंचायतपुरा सांवलपुरा तवरान में हरिपुरा मोड़ से चूड़ला बालाजी तक डामरीकृत सड़क या ग्रेवल सड़क की स्वीकृति हुई?

(2) उक्त सड़क की स्वीकृति कब हुई और उक्त सड़क कितनी लम्बाई की स्वीकृति हुई है?

(3) उक्त सड़क कार्य का किस ठेकेदार को ठेका दिया गया है? क्या उक्त कार्य पूर्ण किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त सड़क के लिये कितनी राशि की स्वीकृति हुई व कितनी राशि उक्त कार्य पर व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत सांवलपुरा (शेखावतान) तवरान से हरिपुरा मोड़ से गुडला बालाजी तक के लिये ग्रेवल सड़क की स्वीकृति हुई थी।

(2) इसकी स्वीकृति 4.1.1996 को हुई थी एवं इसकी लम्बाई 4 किमी. स्वीकृत थी।

(3) उक्त सड़क पर सामग्री परिवहन व कुटाई के कार्य का ठेका श्री संतोष कुमार, ठेकेदार को दिया गया था तथा उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है।

(4) कार्य पर 4.20 लाख रुपये की स्वीकृति हुई थी। कार्य पर कुल 5.24 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है।

जिला जैसलमेर में प्रस्तावित नये ग्रिड सब स्टेशन

67. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 33 व 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने के क्या नियम हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर के भूगर्भ में चांधन साठी के साथ राजमथाई बाधेवा बाखरी एकादि नये क्षेत्र सिंचाई के विकसित हुये हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि लम्बी दूरी की लाइनों में पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलते हैं जिससे 11/33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने आवश्यक हैं?

(4) क्या चांधन के पास चार 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित हैं? क्या उक्त स्थान पर 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करना आवश्यक है?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जिले में इन्दिरा गांधी नहर का बहुत बड़ा उपनिवेशन क्षेत्र विकसित हो रहा है? क्या उक्त क्षेत्र का विद्युतीकरण आवश्यक है?

(6) क्या सरकार उक्त जिले में सम्पूर्ण ऊर्जा वितरण विकास की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नये 132 व 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु उस क्षेत्र का विद्युत भार, वोल्टेज रेग्यूलेशन व विद्युत छीजत को ध्यान में रखा जाता है।

(2) जी हां।

(3) लाइन की लम्बाई, उससे जुड़े विद्युत भार तथा कन्डक्टर की साइज इत्यादि के अनुसार लाइन के वोल्टेज रेग्यूलेशन की गणना की जाती है। 11 के.वी. लाइन के वोल्टेज रेग्यूलेशन 8 प्रतिशत से ज्यादा होने पर, अतिरिक्त 11 के.वी. लाइन खींचकर, कन्डक्टर की साइज बढ़ाकर या 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाकर वोल्टेज रेग्यूलेशन निर्धारित सीमा में लाने की कार्यवाही की जा सकती है।

(4) जी हां। चाधन के पास 33 के.वी. के चार सब-स्टेशन क्रमशः चाधन, भोजका, करमों की ढाणी व धायसर में स्थापित है। उक्त क्षेत्र में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जाने की योजना को स्वीकृत कर वर्ष 2001-2002 की योजनाओं में सम्मिलित किया जा चुका है।

(5) विद्युतीकरण की आवश्यकता होने पर नियमानुसार कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

(6) विद्युत की मांग व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार वितरण तंत्र विकसित करना एक सतत् प्रक्रिया है। जैसलमेर जिले में भी इसी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही की जावेगी।

कृषि विपणन बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं के पदों पर पदोन्नति

68. श्री उदय सिंह राठौड़ (बनीपार्क): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या गत दो वर्षों में कृषि विपणन बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं के पद पर पदोन्नती दी गई है? यदि हां, तो कब एवं किन-किन को?

(2) क्या उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध बोर्ड या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में कोई जांच विचाराधीन थी? यदि हां, तो कब से, किन-किन आरोपों के लिये?

(3) क्या उक्त जांच समाप्त हो गई? यदि हां, तो कब?

(4) पदोन्नति आदेशों से कितने समय पूर्व उक्त जांच समाप्त हुई?

(5) क्या उक्त में से किसी अधिकारी के विरुद्ध चालान पेश करने की अनुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मांगी गई है? यदि हां, तो कब? क्या उक्त अनुमति दे दी गई है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों एवं अनुमति कब तक दे दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विपणन बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं के पद पर दो अधिकारियों श्री बी.पी. विजय और श्री बी.आर. मेहता को दिनांक 5.10.2001 को पदोन्नति दी गई है।

(2) यद्यपि पदोन्नति के दिन श्री बी.पी.

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

विजय एवं श्री बी.आर. मेहता के विरुद्ध बोर्ड में कोई विभागीय जांच विचाराधीन नहीं थी, परन्तु इससे पूर्व बोर्ड में श्री मेहता के विरुद्ध 16 सी.सी.ए. की 2 एवं 17 सी.सी.ए. में भी 4 जांच तथा श्री बी.पी. विजय के विरुद्ध 17 सी.सी.ए. में एक जांच की गई थी, जिसका विवरण निम्नप्रकार है–

नाम	जांच का प्रकार	दिनांक	आरोप
श्री बी.पी. विजय	17CCA	27.8.98	भरतपुर उपखण्ड में 198 कट्टे सीमेंट के सैट होने के सम्बन्ध में
श्री बी.आर. मेहता	16CCA	2.7.94	बीकानेर मण्डी में घटिया निर्माण करवाकर बोर्ड को आर्थिक नुकसान
	16CCA	2.9.99	बाड़मेर मण्डी में 36 नं. गोदाम निर्माण में अनियमितता
	17CCA	7.11.97	बोर्ड के आदेशों की अवहेलना
	17CCA	26.5.94	रावला मण्डी में बिना प्रशा. एवं वित्तीय स्वीकृति के निविदा स्वीकृत करना
	17CCA	1.7.2000	अंकेक्षण के आक्षेपों के निस्तारण में लापरवाही
	17CCA	31.12.97	निर्माण कार्यों का निरीक्षण नहीं करने के सम्बन्ध में

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में एक जांच अपराध संख्या 9/90 श्री बी.आर. मेहता के विरुद्ध सन् 1990 से विचाराधीन चल रही है। इस जांच में श्री बी.आर. मेहता के विरुद्ध अपनी अघोषित आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप है।

(3) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में तो उपरोक्त जांच अभी भी विचाराधीन है, किन्तु दोनों के विरुद्ध विभागीय जांच समाप्त हो चुकी है।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 5.10.2001 को हुई एवं श्री बी.पी. विजय के विरुद्ध चल रही सी.सी.ए. 17 की विभागीय जांच दिनांक 4.4.2000 को समाप्त हुई।

श्री मेहता के विरुद्ध 16 सी.सी.ए. की विभागीय जाचं दिनांक 26.10.1999 एवं 27.7.2001 को तथा 17 सी.सी. ए. की तीन विभागीय जांच में से एक दिनांक 8.2.1999, दूसरी 21.12.2000 एवं तीसरी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से केवल एक दिन पूर्व दिनांक 4.10.2001 को समाप्त की गई। इसके अतिरिक्त श्री मेहता के विरुद्ध 31.12.1997 की जांच में बोर्ड के कार्यों का निरीक्षण नहीं करने जिसके कारण कार्यों की

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ने से सम्बन्धित जांच से दोषी पाये जाने पर एक वेतन वृद्धि रोकने का दण्ड दिनांक 18.3.1998 को दिया गया था। यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश को अपास्त कर दिया था, परन्तु राज्य सरकार ने इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का निर्णय लिया है, जिसकी कार्यवाही चल रही है एवं अभी भी श्री मेहता को इस जांच से दोष मुक्त करने के आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

(5) इनमें श्री बी.आर. मेहता के विरुद्ध अदालत में चालान पेश करने की इजाजत दिनांक 16.1.1993 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मांगी थी, जिस पर लम्बी अवधि तक पत्र व्यवहार व विचार–विमर्श हुआ और दिनांक 18.11.1997 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपने पत्र से सूचित किया कि इस प्रकरण में फिलहाल विचार–विमर्श स्थगित रखा जावे, क्योंकि इस प्रकरण में प्राप्त अन्य प्रतिवेदन पर परीक्षण किया जा रहा है। इस क्रम में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दिनांक 20.2.2002 के पत्र से श्री मेहता को सूचित किया है कि यह प्रकरण सन् 1990 में लम्बित है और कई बार तलबी के पश्चात् भी श्री बी.आर. मेहता अनुसंधान हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में उपस्थित नहीं हुये हैं, जिसके कारण फरवरी 2002 में ही कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा श्री मेहता को दिये गये हैं। अत: प्रकरण अभी भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विचाराधीन है एवं चालान पेश करने की अनुमति का मामला बोर्ड में स्थगित रखा गया है।

पुलिस में सुधार कार्यक्रमों हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

69. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्र सरकार से राज्य को वर्ष 2001-2002 में कितनी राशि पुलिस में सुधार कार्यक्रमों हेतु स्वीकृत की गई?

(2) उक्त राशि में से कितनी राशि किन-किन कार्यों पर उपयोग में ली जा चुकी है?

(3) क्या उक्त योजना के अन्तर्गत गत वर्ष की कोई राशि शेष रही थी? यदि हां, तो कितनी तथा किन कारणों से? उक्त अवधि में उक्त राशि व्यय क्यों नहीं की जा सकी थी?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2001-2002 में भारत सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत रुपये 61.10 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

(2) भारत सरकार द्वारा यह राशि 15.2.2002 को ही स्वीकृत किये जाने के कारण एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति के कारण यह राशि अभी तक उपयोग में नहीं ली जा सकी है।

(3) जी हां। वर्ष 2000-2001 में केन्द्र सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत रुपये 45.52 करोड़ की स्वीकृतियां जारी की गई थी। चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर था इस कारण इस राशि का उपयोग वर्ष 2000-2001 में नहीं किया जा सका। वर्ष 2001-2002 में इस राशि का भारत सरकार से वैधकरण कराया जाकर, इस समस्त राशि की स्वीकृतियां वर्ष 2001-2002 में जारी कर दी गई है।

ग्राम उधनवास, कुलावठ एवं नीमली में स्थित होकर क्रेशर

70. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) ग्राम उधनवास कुलावठ एवं नीमली स्थित स्टोन क्रेशरों की गांव की आबादी से कितनी दूरी है? क्या यह सही है कि गांव की आबादी से स्टोन क्रेशर कम से कम 1 किलोमीटर दूर होना चाहिये?

(2) उक्त स्टोन क्रेशरों ने किस-किस खान के रवन्ने पेश किये हैं? क्या उक्त स्टोन क्रेशरों ने ग्राम चौपान की तहसील तिजारा तथा ग्राम उलाहेड़ी तहसील मुण्डावर तथा हरियाणा के रवन्ने पेश किये हैं?

(3) क्या उक्त रवन्नों की जांच विभाग द्वारा की गई है? यदि हां, तो जांच का नतीजा क्या रहा? यदि नहीं, तो क्या उक्त रवन्ने फर्जी पाये गये? क्या अब विभाग उक्त जांच करवाने का विचार रखता है?

उत्तर

(1) ग्राम उधनवास कुलावट एवं नीमली स्थित क्रेशर की दूरी गांव की आबादी क्रमश: 900 मीटर, 650 मीटर व 6.5 किलोमीटर है। आबादी से स्टोन क्रेशर की दूरी के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी निर्देश दिनांक 26.12.2001 की प्रति संलग्न है।

(2) उक्त स्टोन क्रेशरों ने हरियाणा राज्य की सीमा में स्थित खानों, ग्राम कुलावट एवं नीमली तहसील तिजारा की स्वीकृत खानों, अधिक अधिशुल्क संग्रह ठेका तहसील तिजारा, अधिक अधिशुल्क संग्रह ठेका क्षेत्र गोलेटा, भेटेसरा, ग्राम बलवण्डका एवं ग्राम ढहरा में स्वीकृत खानों के रवन्ने पेश किये हैं।

इन क्रेशरों ने ग्राम चोपानकी तहसील तिजारा तथा ग्राम उलाहेड़ी तहसील मुण्डावर के रवन्ने पेश नहीं कर हरियाणा के रवन्ने एवं अधिक अधिशुल्क संग्रह ठेका तहसील तिजारा के रवन्ने पेश किय हैं, जिनमें चौपानकी का भी नाम अंकित है।

(3) जी हां। निम्न 6 प्रकरणों में विभाग द्वारा विस्तृत जांच की गई है जिनमें क्रेशर मालिकों द्वारा वर्ष 1999-2000 के लिये प्रस्तुत रवन्ने/भार पर्चियां वैद्य नहीं पायी गयीं। अत: नियमानुसार खनिज की कीमत वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है–

1. मैसर्स महालक्ष्मी ग्रिट उद्योग
2. राजेश ग्रिट उद्योग
3. सूर्या ग्रिट उद्योग
4. हनुमान ग्रिट उद्योग
5. एम.टी.सी. ग्रिट उद्योग
6. गणेश ग्रिट उद्योग

7. मां संतोषी ग्रिट उद्योग– इस प्रकारण में वसूली की कार्यवाही का शासन का स्थगन होने से वसूली की कार्यवाही को लम्बित रखा गया है। शासन द्वारा स्थगन पर निर्णय के पश्चात् नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

8. शिव ग्रिट उद्योग –

9. जैन स्टोन क्रेशर, हसनपुर- इन दोनों प्रकरणों में क्रेशर मालिकों को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया गया है। जांच पूर्ण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
4, इंस्टीट्यूशनल एरिया, झालाना डूंगरी, जयपुर
कार्यालय आदेश

पूर्व में प्रसारित समस्त निर्देशों के अतिक्रमण में स्टोन क्रेशर इकाइयों के लिये दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं। ये दिशा निर्देश संलग्न परिशिष्ट-''अ'' के अनुसार है।

सभी सम्बन्धित को आदेश दिये जाते हैं कि वे इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे/सुनिश्चित करेंगे।

स्टोन क्रेशर इकाइयों के लिये दिशा निर्देश

1. स्टोन क्रेशर की नई इकाइयां रीको द्वारा स्थापित/विकसित औद्योगिक क्षेत्र से न्यूनतम दो किलोमीटर की दूरी पर लगाये जा सकते हैं।
2. स्टोन क्रेशर्स इकाइयों की सड़कों के केन्द्र से न्यूनतम दूरी इस प्रकार होनी चाहिये।

(अ) राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग से	---	500 मीटर
(ब) राज्य उच्च राजमार्ग से	---	300 मीटर
(स) ग्राम सड़क (विलेज रोड से)	---	200 मीटर

3. आवासीय क्षेत्रों से स्टोन क्रेशर उद्योगों की न्यूनतम दूरी इस प्रकार होनी चाहिये–

आवासीय क्षेत्र की आबादी	**दूरी**
(अ) 200 तक	300 मीटर
(ब) 201 से 500 तक	500 मीटर
(स) 501 से 1000 तक	1 किलोमीटर
(स) 1000 से अधिक	2 किलोमीटर

4. क्रेशर के समूह (क्लस्टर) के वास्ते और 50 मीटर तक छायादार वृक्ष लगाये जाने चाहिये। उक्त वृक्षारोपण के लिये भूमि उस विभाग/संस्थान द्वारा उपलब्ध करवायी/आरक्षित की जानी चाहिये, जो इकाइयों को समूह (क्लस्टर) के रूप में भूमि का आबंटन करता है, अथवा इस हेतु भू-उपयोग परिवर्तित करता है।
5. डक्ट एवं ट्रांसफार्मर पॉइंट्स, जो ढके हुये (कवर) नहीं है, पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जायेगी।
6. जहां तक सम्भव हो, जॉ क्रेशर व अन्य ट्रांसफार्स पोइंट्स को ढका (कवर किया) जाना चाहिये। छोटे क्रेशर में, यहां ढापर से जॉ क्रेशर में कच्चा माल हाथों द्वारा (मैन्यूअली) फीड किया जाना है, जॉ क्रेशर को ढकने की अनिवार्यता से मुक्त रखा जा सकता है, परन्तु ट्रांसफार्मर पाइंट्स को ढका जाना चाहिये।
7. वायु अवरोधक दीवार या टीन से अवरोधक बनाने की व्यवस्था की जावेगी।

सदस्य सचिव

विधान सभा क्षेत्र जैतारण के आंगनबाड़ी केन्द्र

71. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो कब से? उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकर्त्ता/सहायकों की नियुक्ति हेतु क्या कोई नियम बने हुये हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां पर कब खोले गये? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1995 से फरवरी, 2002 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र के किन-किन केन्द्रों पर कुल कितनी मात्रा में खाद्य सामग्री व अन्य कोई सामग्री सप्लाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में वर्ष 1975 से आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत सभी 146 केन्द्र चल रहे हैं। ये केन्द्र वर्ष 1983-84 से खोले गये। विस्तृत सूचना परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(3) वर्ष 1995-96 से फरवरी, 2002 के मध्य उपलब्ध कराई गई खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री का विवरण परिशिष्ट ''स'' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट ''अ''

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक : प.11(3)33/मो/मबावि/35867 जयपुर, दिनांक 22.06.2000

परिपत्र

राज्य मंत्रिमण्डल की आज्ञा क्रमांक 5/2000 के अनुसरण में समेकित बाल विकास पत्र कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, कार्यकर्ताओं/सहाचिकाओं का चयन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापना का कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय की क्रियान्विति में निम्न अधिकार एवं दायित्व ग्राम पंचायतों को देने का विभाग ने निर्णय लिया है-

(अ) आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना (स्थान एवं भवन का चयन)

आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन हेतु राजकीय भवन उपलब्ध होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जावें अथवा ग्राम पंचायत की सिफारिश एवं ग्राम पंचायत में पारित प्रस्ताव के अनुसार ही आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन हेतु किराये के भवन का निर्धारण किया जावे। किसी भी परिस्थिति में आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन कार्यकर्ता/सहायिका के निजी आवास में नहीं किया जावे :–

1. जिन ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये विभाग द्वारा भवन निर्मित हो चुके हैं। वहां आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवन में ही संचालित किया जायेगा।
2. आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत ग्राम में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है तो आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिकता से स्वास्थ्य उप केन्द्र के भवन में ही संचालित किया जावेगा।
3. आंगनबाड़ी केन्द्र वाले ग्राम में स्वास्थ्य उप केन्द्र का भंवन नहीं होने की स्थिति में आंगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक शाला प्रांगण में या प्राथमिक शाला के पास में संचालित किया जावेगा।
4. जिन ग्रामों में दो या अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत (संचालित) है वहां केन्द्र संचालन हेतु भवन का निर्धारण ग्राम का नजरी नक्शा तैयार कर केन्द्र का कार्यक्षेत्र निर्धारित करते हुये उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार किया जावे।
5. उपरोक्त सभी स्थितियों में भवन उपलब्ध नहीं होने तथा ग्राम में प्राथमिक शाला/स्वास्थ्य उप केन्द्र की संख्या से अधिक संख्या में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत (संचालित) होने पर केन्द्र के कार्य क्षेत्र में ही ग्राम पंचायत की सहमति से किराये के भवन का चयन कर आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किया जावें।

(ब) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिक का चयन

विभाग द्वारा नवीन खोली जा रही परियोजनाओं तथा पूर्व में संचालित परियोजनाओं जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का चयन किया जाना है उनमें चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :–

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका का चयन ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में किया जावेगा। पारित प्रस्ताव के अनुसार चयनित महिला के कार्यकर्ता/सहायिका रखे जाने के आदेश बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रसारित किये जावेंगे।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन हेतु महिला का स्थानीय होना, विवाहित होना, आयु 21 से 45 वर्ष के मध्य होना तथा न्यूनतम आठवीं पास होना आवश्यक है। उच्च योग्यता वाली महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यकता को चयन

में निर्धारित अर्हताएं पूरी होने पर प्राथमिकता दी जावे। यथासम्भव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की योग्य महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जावे।

3. ग्राम में आठवीं पास या अधिक योग्यता की महिला उपलब्ध नहीं होने पर ग्राम पंचायत पांचवीं तक पास महिला को कार्यकर्ता रखे जाने की सिफारिश ग्राम सभा के माध्यम से करेगी। ऐसे प्रकरणों में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आदेश जारी किये जायेंगे। यदि ग्राम में पांचवीं पास महिला भी उपलब्ध नहीं होती है तो ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कराकर किसी भी सक्षम, योग्य महिला का केन्द्र, संचालन हेतु चयन निर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हता को महिला मिलने तक के लिये कर सकती है।

4. ग्राम में आठवीं पास या अधिक योग्यता की महिला उपलब्ध होने पर न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष तक की शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। आयु सीमा में शिथिलता के सम्बन्ध में ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किये जाने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा ही आदेश जारी किये जावेंगे।

आंगनबाड़ी सहायिका हेतु चयन प्रक्रिया एवं योग्यताएं उपरोक्तानुसार ही रहेगी परन्तु इनके लिये कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं है एवं शेष योग्यताओं में कोई शिथिलता देय नहीं है इसमें यथासम्भव पढ़ी-लिखी महिलाओं को प्राथमिकता दी जावें।

ग्राम पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के चयन सम्बन्धी कार्यवाही के दौरान यथासम्भव बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा सम्बन्धित परिक्षेत्र की महिला पर्यवेक्षक ग्राम सभा में मौजूद रहेगी तथा विभाग के मानको के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिक का चयन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(स) ग्राम पंचायतों द्वारा पर्यवेक्षण

ग्राम पंचायतों को यह अधिकार होगा कि वह समय-समय पर अपने क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करेंगी। उपस्थित लाभान्वितों की पुष्टि उपस्थिति पंजीका के आधार पर कर सकेंगे। खाद्यान्न सामग्री के स्टॉक का भौतिक सत्यापन भी किया जा सकेगा। आंगनबाड़ी केन्द्र पर पूरक पोषाहार हेतु पंजीकृत लाभान्वितों के सही होने की पुष्टि ग्राम सभा में करवा ली जावे।

यह आदेश नवीन एव पुरानी सभी परियोजनाओं पर समाप रूप से तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे। सभी संबंधितों द्वारा इसकी अक्षरश: पालना सुनिश्चित की जावे।

शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान सरकार

परिशिष्ट "ब"

बाल विकास परियोजना, जैतारण (पाली) के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र.सं. 1	केन्द्र का नाम 2	खोलने की तिथि 3	क्र.सं. 1	केन्द्र का नाम 2	खोलने की तिथि 3
1.	चावण्डिया 1	1984	22.	निमाल 2	7/1999
2.	चावण्डिया 2	1984	23.	निमाल 3	12/1994
3.	चावण्डिया 3	5/1986	24.	दागला	12/1994
4.	आगेवा 1	12/1994	25.	भाखरवास	12/1994
5.	आगेवा 2	2/1992	26.	खेड़ा रामगढ़	6/1999
6.	आगेवा 3	11/1983	27.	गरनीया 1	5/1989
7.	देवरिया 1	5/1986	28.	गरनीया 2	3/1994
8.	देवरिया 2	4/1994	29.	गरनीया 3	8/1995
9.	देवरिया 3	3/1992	30.	लाटोती 1	5/1995
10.	पावटा 1	12/1993	31.	लाटोती 2	12/1986
11.	पावटा 2	9/1985	32.	बेडकला 1	11/1985
12.	फूलमाला 1	2/1984	33.	बेडकला 2	11/1985
13.	फूलमाला 2	1/1992	34.	इनावासकला	12/1994
14.	समोखी	6/1986	35.	इनावास खुर्द	3/1986
15.	मोहराई	12/1985	36.	जोधावास	3/1990
16.	सागांवास	6/1994	37.	रामावासकला	8/1986
17.	खिनावड़ी	6/1986	38.	रामवास खुर्द	6/1986
18.	खेड़ा महाजपुर	8/1985	39.	पृथ्वीपुरा	8/1986
19.	जनासनी	2/1999	40.	रानीवाल	10/1994
20.	मुडाण्डा	10/1990	41.	राजादण्ड	7/1984
21.	निमाल 1	12/1994	42.	डाडानवास	7/1983

1	2	3	1	2	3
43.	बिरोल 1	7/1986	70.	आ. कालू 2	12/1983
44.	बिरोल 2	7/1999	71.	आ. कालू 3	9/1983
45.	पालुस	4/1994	72.	आ. कालू 4	6/1999
46.	निम्बोला 1	8/1986	73.	आ. कालू 5	5/1992
47.	निम्बोला 2	7/1994	74.	आ. कालू 6	3/1999
48.	निम्बोला 3	6/1999	75.	नोखड़ों की ढाणी	11/2000
49.	सिमला	12/1985	76.	आकोदिया	8/1995
50.	बोगसनी	7/1995	77.	पीपाड़ा	7/1996
51.	बलून्दा 1	7/1983	78.	फलवा 1	3/1986
52.	बलून्दा 2	11/2000	79.	फलवा 2	7/1986
53.	बलून्दा 3	5/1984	80.	फलवा 3	12/1988
54.	बलून्दा 4	9/1993	81.	बाकावास	12/1983
55.	बलून्दा 5	3/2000	82.	खारचीमा	12/1983
56.	बलून्दा 6	7/1985	83.	का. कला	9/1986
57.	कानावास	12/1988	84.	का. खुर्द	9/1996
58.	कानेचा	12/2000	85.	गुजरों की ढाणी	8/1985
59.	मालपुरिया	8/1986	86.	लिलरीमा	7/1986
60.	बिकरलाई	5/1989	87.	बस्सी	9/1991
61.	लितरिया	9/1986	88.	केसा बाबा की ढाणी	12/1983
62.	खराड़ी 1	11/1983	89.	का. खुर्द 2	6/1992
63.	खराड़ी 2	11/1983	90.	लाम्बीया 1	7/1983
64.	डिगरना 1	8/1986	91.	लाम्बीया 2	7/1984
65.	डिगरना 2		92.	लाम्बीया 3	7/1993
66.	बाझाकुडी 1	1/2001	93.	लाम्बीया 4	2/1984
67.	बाझाकुडी 2	8/1986	94.	लाम्बीया 5	9/1989
68.	ठाकरवास	4/2001	95.	लाम्बीया 6	1/1987
69.	आ. कालू 1	12/1983	96.	कोलीन्दड़ा 1	5/1984

1	2	3	1	2	3
97.	कोलीन्दड़ा 2	11/1984	122.	विजयगढ़	3/1984
98.	धर्मरिया 1	12/1983	123.	लासणी	9/1995
99.	धर्मरिया 2	8/1986	124.	मण्डावा	3/1986
100.	बगलवरपुरा	6/1995	125.	छोडावड़	12/1983
101.	ओडावास	11/1986	126.	वासरीया	1/1986
102.	कठमोर	9/1985	127.	प्रतापपुरा	1/1991
103.	लक्ष्मणपुरा	11/1994	128.	जास	11/1984
104.	कुम्बलीया 1	10/2000	129.	रास 1	9/1985
105.	कुम्बलीया 2	6/1993	130.	रास 2	9/1985
106.	घाघलिया 1	11/1994	131.	रास 3	12/1988
107.	बलाड़ी 1	9/1986	132.	कुड़की 1	11/1985
108.	बलाड़ी 2	2/1984	133.	कुड़की 2	3/2000
109.	बलाड़ी 3	10/1989	134.	सेवरीया 1	3/1986
110.	बलाड़ी 4	7/1985	135.	सेवरीया 2	10/1986
111.	बलाड़ी 5	2/1993	136.	अमरपुरा 1	1/1995
112.	बलाड़ी 6	5/1989	137.	अमरपुरा 2	6/1990
113.	रावड़ीवास 1	9/1986	138.	भा. गुड़ा	12/1986
114.	रावड़ीवास 2	12/1983	139.	कोहाड़िया	12/1986
115.	रावड़ीवास 3	1/1987	140.	भीमगढ़	11/2000
116.	आसरलाई 1	10/1985	141.	रूपनगर	10/1986
117.	आसरलाई 2	9/1984	142.	पालियावास	11/1985
118.	पिपलीया 1	12/1983	143.	बलुपुरा	6/1996
119.	पिपलीया 2	1/1987	144.	चेनपुरा	5/1995
120.	टूकड़ा	11/1983	145.	दयालपुरा	12/1986
121.	निम्बेड़ा	2/1984	146.	बगतपुरा	3/1995

परिशिष्ट ''स''

परियोजना जैतारण के अधीन खाद्य सामग्री एवं अन्य सामग्री वितरण का विवरण

परियोजना जैतारण

सामग्री विवरण प्रपत्र

क्र.सं.	सामग्री का नाम	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सोयाबीन आटा (कट्टे)	5512	6834	5595	5085	6609	5805	6360
2.	सोयाबीन तेल (पेल्स)	1004	1236	878	831	1203	909	1050
3.	गुड़ (क्वि.)	101.30	43.50	43.50	65.25	29.20	29.20	---
4.	नमक (क्वि.)	20	---	17.50	15	20	---	---
5.	स्टेशनरी (96-97 से 2000-01 तक)	1. फार्म नंबर-4, 2. विजिट पुस्तिका, 3. प्रतिरक्षण पंजिका, 4. परिवार सर्वे, 5. उपस्थिति रजिस्टर महिला/पुरुष 6. उपस्थिति पत्रक, 7. मकान किराया बिल, 8. ईंधन व्यय बिल, 9. एम.पी.आर. (प्रतिकेन्द्र एक सेट)						
6.	टावल/पोचे/डस्टर आदि	---	---	---	---	---	584 नग टावल, 584 नग पोचे, 584 नग डस्टर, केन्द्रों पर इश्यू किये गये।	

परियोजना जैतारण

सामग्री विवरण प्रपत्र

क्र.सं.	सामग्री का नाम	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मेडिकल किट	135 नग	112 नग	---	146 नग	---	---	---
2.	वेइंग मशीन	---	50 नग	---	---	---	---	---
3.	आइरन की गोलियां	---	---	---	24000	21 कार्टून	3 कार्टून	---
4.	विटामिन-ए	---	---	---	24 बोतल	650 शीशी 4 कार्टून	---	---
5.	ओ. आर. एस. का घोल	---	---	---	---	13 कार्टून	---	---
6.	एल्यूमिनियम प्लेट	2660 नग	---	---	---	---	---	---
7.	झारा	133 नग	---	---	---	---	---	---
8.	बकला/बेलन	133 नग	---	---	---	---	---	---
9.	कढाई	50 नग	---	---	---	---	---	---
10.	तवे	133 नग	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	बाल्टी	13 नग	---	---	---	---	---	---
12.	कुर्सी	13 नग	---	---	---	---	---	---
13.	बक्से	13 नग	---	---	---	---	---	---
14.	जाजम	13 नग	---	---	---	---	---	---
15.	डेनेज लोहा	---	---	---	---	---	146 नग	---
16.	शिशु शिक्षा किट	---	---	---	---	---	146 नग	---

धौलपुर शहर की जल निकासी

72. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा शहरों के सौन्दर्यीकरण की योजना बनाई गई? यदि हां, तो योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना में धौलपुर शहर को शामिल किया गया है? यदि हां, तो क्या योजना बनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि धौलपुर शहर में जल निकास का कोई साधन नहीं है और शहर का पानी शहर के अन्दर ही भरा रहता है? क्या सरकार जल निकास के लिये नाला बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ऐशियन डवलपमेंट बैंक के सहयोग से सम्भागीय मुख्यालयों के शहरों के सौन्दर्यीकरण एवं मूलभूत सुविधाओं के निमित्त योजनाएं बनाई गई हैं। योजना का प्रारूप सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। नगरपालिका द्वारा प्रस्ताव करने पर तत्सम्बन्धित कार्यवाही औचित्य के आधार पर की जावेगी।

(3) जी हां। नगरपालिका से प्रस्ताव प्राप्त होने पर औचित्य एवं उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुरूप समुचित निदानात्मक कार्यवाही की जावेगी।

एशियन विकास बैंक वित्त पोषित राजस्थान शहरी ढांचागत विकास परियोजना पर विस्तृत टिप्पणी

राज्य के सीमित संसाधनों के कारण शहरों के विकास के लिए उपलब्ध धन राशि आवश्यकता से बहुत कम है। अत: छह सम्भागीय मुख्यालयों में शहरी ढांचागत सुविधाओं के विस्तार एवम् स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण व उनकी क्षमता में अभिवृद्धि हेतु 362 मिलियन अमरीकी डॉलर (1529 करोड़ रुपये) की योजना बनाई गई है। एशियन विकास बैंक परियोजना की 69 प्रतिशत राशि 250 मिलियन अमरीकी डॉलर (रुपये 1055 करोड़-एक अमरीकी डॉलर बराबर 42.3 रुपये की दर पर) ऋण के रूप में देगा शेष 31 प्रतिशत राशि में रुपये 380 करोड़ की भागीदारी राज्य सरकार की होगी एवं रुपये 94 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

ए.डी.बी से 1055 करोड़ रुपये की ऋण राशि भारत सरकार को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर प्राप्त होगी। भारत सरकार प्राप्त ऋण राशि का 70 प्रतिशत भाग (739 करोड़ रुपये) 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर व 30 प्रतिशत राशि (316 करोड़ रुपये) अनुदान के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध करवायेगी। अनुदान राशि एवं ऋण को मिलाकर राज्य सरकार को कुल राशि पर लगभग 8.5 प्रतिशत की प्रभावी ब्याज दर से ऋण प्राप्त होगा। ऋण दिनांक 18 जनवरी, 2000 से प्रभावी घोषित किया गया है। परियोजना 31 दिसम्बर, 2004 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

ऋण की वापसी जून, 2004 से प्रारम्भ होकर दिसम्बर, 2023 तक प्रत्येक वर्ष दो किस्तों में एक जून व एक दिसम्बर को की जावेगी। प्रत्येक किस्त की भुगतान की राशि जो राज्य सरकार व विभिन्न नगर निगमों/नगर परिषदों व शहरी विकास न्यासों द्वारा की जावेगी जो उनके विचार-विमर्श एवं सहमति से निश्चित कर ली गई है इस प्रकार 20 वर्षों में 40 किस्तों में कुल राशि 2025.09 करोड़ रुपये का भुगतान प्रस्तावित है।

परियोजना के तहत प्रस्तावित कार्य

ढांचागत विकास हेतु निम्न तरह के कार्य प्रस्तावित है :-

- **जलदाय योजनाओं के पुनर्वासन एवं क्षमताओं में अभिवृद्धि :** वर्तमान क्षमताओं का पूर्ण उपयोग तथा जहां भी आवश्यक हो उत्पादन एवं वितरण व्यवस्था में अभिवृद्धि का कार्य। क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सीवरेज लाइनों या नालियों के गंदे पानी से प्रदूषण होने की सम्भावना रहती है, को बदलना। जल वितरण की पूर्ण मीटरिंग एवं कम्प्यूटरीकृत बिलिंग व वित्तीय प्रबन्धन लागू करना।

- **शहर की पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार :** जिसमें कि निस्तारित जल का प्रबन्धन, ड्रेनेज, स्थान एवं सेवाएं, अग्नि शमन सेवाएं एवं ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण शामिल है। सीवरेज की विस्तृत प्रणाली स्थापित की जायेगी एवं उसमें घरों से होने वाले सभी प्रकार के निस्तारित जल को सीवर लाइन से जोड़ना अनिवार्य किया जायेगा। निस्तारित जल शोधन संयन्त्र लगाये जायेंगे। वर्षा के पानी के निकास हेतु नालों में सुधार किया जायेगा एवं उन्हें बढ़ाया जायेगा। कचरे को उठाने एवं निस्तारित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जायेगा। अग्नि शमन सुविधाओं हेतु उपकरणों एवं गाड़ियों को मुहैया करवाया जावेगा जिससे की बहुमंजिली इमारतों में होने वाले हादसों पर काबू पाया जा सके।

- **कच्ची बस्ती विकास :** कच्ची बस्ती में रहने वाले नागरिकों को पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना, सफाई व्यवस्था एवं समुचित आवाजवाई के रास्तों का निर्माण कर उनको ढांचागत मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। सामुदायिक सहभागिता एवं जागरूकता प्रदान करने वाले कार्यों को हाथ में लेना।

- **शहरी परिवहन एवं यातायात व्यवस्था में सुधार :** सड़कों में सुधार करना, नये पुल बनाना, पार्किंग स्थल का निर्माण कराना आदि।

- **स्थानीय निकायों एवं अन्य शहरी संस्थाओं :** जिसमें कि सामुदायिक जागरूकता एवं शिक्षा शमिल है।

- **परियोजना के तहत प्रस्तावित अन्य कार्य :** परियोजना के द्वारा स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण एवं उनकी क्षमता में अभिवृद्धि करना प्रस्तावित है जिससे कि वह संविधान के 74 वें संशोधन के अनुरूप कार्य करने में सक्षम हो सकें। स्थानीय निकायों की क्षमता अभिवृद्धि हेतु निम्न कार्य प्रस्तावित है :-

  - स्थानीय निकायों में कम्प्यूटरीकरण एवं सम्पूर्ण सूचना के आधार (Comprehensive Information Base) तैयार करना।

  - राजस्व बढ़ोतरी हेतु बनायी गयी कार्य योजना (Revenue Improvement Action Plan) को लागू करना, जिससे स्थानीय निकायों की आय में वृद्धि हो सके।

  - स्थानीय निकायों के कर्मचारियों की दक्षता में अभिवृद्धि करना जिससे कि वे परियोजना के क्रियान्वयन एवं नगरीय सेवाओं के संचालन–संधारण के कार्य को भलीभांति कर सके।

परियोजना के क्रियान्वयन की व्यवस्था

इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न व्यवस्था प्रस्तावित की है:

- **परियोजना कार्य पालन एजेन्सी (Executing agency) : RUDIP** की कार्य पालन एजेन्सी नगरीय विकास विभाग होगा एवं परियोजना के क्रियान्वयन का पूर्ण नियंत्रण इस विभाग का होगा।

- **उच्चाधिकार प्राप्त समिति (Empowered Committee) :** राज्य स्तर पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में गठित की गई है। प्रमुख शासन सचिव मुख्य मंत्री, सचिव वित्त विभाग, आयोजना विभाग, नगरीय विकास विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग इस समिति के सदस्य हैं। परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी. इस समिति के सदस्य सचिव है। यह समिति परियोजना के समन्वय व निर्देशन की जिम्मेदारी होगी। साथ ही परियोजना से सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत निर्णय लेगी। इस समिति को परियोजना बाबत समस्त कार्यों को स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा अधिकार प्राप्त है।
- **राज्य स्तरीय परियोजना स्टीयरिंग समिति (State Level Project Steering Committee) :** परियोजना की क्रियान्विति की प्रगति की परिविक्षा एवं समीक्षा तथा परियोजना क्रियान्वयन हेतु आवश्यक मार्ग दर्शन प्रदान करने हेतु तथा विभिन्न क्रियान्वयन विभागों/एजेन्सियों के मध्य आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तर पर एक स्टीयरिंग समिति गठित की गई है। इस समिति में उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों के अतिरिक्त छह परियोजना शहरों के नगर निगम/नगर परिषदों के मेयर/अध्यक्षों, सम्भागीय आयुक्तों को सदस्य बनाया गया है। आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण एवं मुख्य नगर नियोजक राजस्थान भी इस समिति के सदस्य होंगे। परियोजना निदेशक आर.यू.आई.डी.पी. इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।
- **शहरी स्तरीय समिति (City Level Committees) :** परियोजना के लिये स्थानीय स्तर पर दिशा-निर्देशों के लिये सिटी लेवल कमेटीज का गठन किया गया है। जयपुर के अतिरिक्त पांचों परियोजना शहरों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में इन समितियों का गठन किया गया है। इस समिति में स्थानीय विधायक, स्थानीय निकायों के अध्यक्ष, यू.आई.टी. के अध्यक्ष, पी.डब्ल्यू.डी. एवं पी.एच.ई.डी. के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, वरिष्ठ नगर नियोजक एवं कम्यूनिटी लाइजन आफिसर सदस्य होंगे। जयपुर शहर में सचिव, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है, जिसमें स्थानीय विधायक, जयपुर नगर निगम के मेयर, जयपुर विकास प्राधिकरण के कमिश्नर, जिलाधीश, परियोजना निदेशक, अतिरिक्त परियोजना निदेशक आर.यू.आई.डी.पी. मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, अतिरिक्त मुख्य

अभियन्ता पी.डब्ल्यू.डी. व पी.एच.ई.डी. कम्यूनिटी लाइजन आफिसर समिति के सदस्य होंगे। राज्य सरकार द्वारा सभी सिटी लेवल समितियों में विशेष आमंत्रित एन.जी.ओज./सी.बी.ओज. के प्रतिनिधि मनोनीत किये गये है। परियोजना क्रियान्वयन इकाई के अधीक्षण अभियन्ता इन सिटी लेवल समितियों के सदस्य सचिव होंगे।

- **परियोजना प्रबन्ध इकाई (Project Management Unit-PMU) :** परियोजना के क्रियान्वयन, समन्वय, प्रबन्धन एवं पर्यवेक्षण का मुख्य दायित्व परियोजना प्रबन्धन इकाई का होगा जो परियोजना निदेशक के नेतृत्व में नगरीय विकास विभाग के अधीन कार्य कर रही है। परियोजना से संबंधित विभिन्न विकास कार्य ऋण समझौते अनुरूप करवाये जाने का दायित्व इस इकाई का है। परियोजना का लेखा इस इकाई में संकलित एवम् संधारित किया जावेगा।

- **परियोजना क्रियान्वयन इकाई (Project Implementation Units) :** परियोजना क्रियान्वयन हेतु हर शहर में एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (PIU) स्थापित किये गये है जिसमें विभिन्न संबंधित विभागों से अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है। यह इकाई PMU के अधीन कार्य का निष्पादन करती है। इस इकाई द्वारा परिकल्पन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार द्वारा किये गये कार्यों की जांच एवं निगरानी का कार्य किया जाएगा।

- **परियोजना प्रबंध सलाहकार (Project Management Consultant):** परियोजना प्रबंध इकाई की सहायता एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु अंतरराष्ट्रीय सलाहकार मैसर्स लुईस बर्जर इन्टरनेशनल इन्का, यू.एस.ए. को नियुक्त किया गया है। सलाहकारों ने अपना कार्य दिनांक 25.06.2001 से प्रारम्भ कर दिया है।

- **परिकल्पन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार (Design & Supervision Consultant) :** परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के विस्तृत परिकल्पन तैयार करने व निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण का कार्य परिकल्पन एवं पर्यवेक्षण सलाहकार द्वारा किया जायेगा। परियोजना के तीन पैकेजो के लिये परिकल्पन एवं पर्यवेक्षण सलाहकारों ने अपना कार्य दिनांक 16 जुलाई, 2001 से प्रारम्भ कर दिया है।

राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत प्रोजेक्ट के छह शहरों में वितरण राशि का प्रस्तावित आबंटन निम्नानुसार हैं

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	सैक्टर का विवरण	अजमेर	बीकानेर	कोटा	जयपुर	जोधपुर	उदयपुर	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	जल प्रदाय योजनाओं का पुनर्वासन एवं क्षमताओं में अभिवृद्धि	18.02	44.20	45.50	79.35	25.00	41.00	253.07
II.	शहर की पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार							
	निस्तारित जल का प्रबंध	50.00	27.00	35.00	90.00	70.00	24.30	296.30
	ठोस कचरा प्रबंध	2.77	4.00	6.00	12.00	4.00	3.00	31.77
	जल निस्तारण	7.25	14.78	19.00	20.78	12.67	3.38	77.86
	अग्नि शमन सेवाएं	1.00	1.50	2.00	6.00	6.00	2.11	18.61
	ऐतिहासिक स्थानों का संरक्षण	0.00	0.00	7.72	50.00	13.67	0.00	71.39
	कच्ची बस्ती विकास	4.22	7.57	8.00	15.00	15.00	3.31	53.10
III.	शहरी परिवहन एवं यातायात व्यवस्था में सुधार							
	सड़कें	12.00	0.00	12.61	30.40	12.50	8.44	75.95
	पुल	21.00	23.67	8.00	50.00	21.00	14.00	137.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	बस/ट्रक टर्मिनल व पार्किंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22	4.22
IV.	सामुदायिक जागरुकता व भागीदारी	2.11	1.61	2.11	6.33	2.11	2.11	16.38
V.	सामुदायिक जागरुकता व भागीदारी	6.57	6.94	9.18	21.11	9.87	6.40	60.07
	कंटीजेंसी (कार्य लागत का भाग)	20.23	22.71	48.67	98.66	27.22	28.99	246.48
	योग (सैक्टर कार्यों का)	**145.17**	**153.98**	**203.79**	**479.63**	**219.04**	**141.26**	**1342.87**
VI.	स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण एवं उनकी क्षमता में अभिवृद्धि							
	प्रशासनिक अभिवृद्धि	2.21	2.40	3.17	7.78	3.42	2.14	21.12
	वाहन एवं उपकरण	0.44	0.48	0.63	1.55	0.68	0.43	4.21
	अभिकल्पन, निर्माण एवं निरीक्षण सेवाएं	4.63	5.03	6.65	16.30	7.16	4.49	44.26
	परियोजना प्रबंधन सेवाएं	1.40	1.52	2.02	4.93	2.17	1.36	13.40
	ब्याज	11.10	11.79	15.60	36.80	16.77	10.79	102.85
	योग	**19.78**	**21.22**	**28.07**	**67.36**	**30.20**	**19.21**	**185.84**
	कुल योग	**164.95**	**175.20**	**231.86**	**546.99**	**249.24**	**160.47**	**1528.71**

1. सांगानेर शहर के लिये 20 करोड़ रु. व आमेर के लिये 10 करोड़ रु. का प्रावधान जयपुर शहर की कंटींजेंसी में से किया गया है।
2. परियोजना में होने वाली बचत में माउण्ट आबू, पुष्कर, सवाईमाधोपुर व जैसलमेर शहर शामिल किये जाते हैं।
3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिये प्रावधान 13वीं उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णयानुसार लिया जाता है।

नोटेरी नियुक्ति हेतु लम्बित प्रार्थना-पत्र

73. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने विभिन्न न्यायालयों में नोटेरी नियुक्त करने के लिए प्रस्ताव या प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किए थे जिनका निपटारा अभी तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो कब-कब से कितने-कितने प्रार्थना-पत्र विचाराधीन किन-किन कारणों से हैं?

(2) क्या सरकार ने उक्त सम्बन्ध में नियम बना रखे हैं? यदि हां, तो नियमों में क्या व्यवस्था है तथा उनकी पालना किस सीमा तक हो रही है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने पूर्व में अपनाई जा रही प्रक्रिया में कोई परिवर्तन किया है? यदि हां, तो क्या? पूर्व में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, जिसमें क्या-क्या कठिनाइयां कब से आ रही थी?

उत्तर

(1) यह सही है कि सरकार ने नोटेरी नियुक्त करने के लिये प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये थे तथा निम्नलिखित स्थानों के लिये उनके सम्मुख अंकित तिथि तक अंतिम तिथि निर्धारित करते हुए, आवेदन आमंत्रित किये थे जो निस्तारण के लिये लम्बित है:-

क्र. सं.	स्थान	आवेदन की अंतिम तिथि	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या
1	2	3	4
1.	पाली	9.11.2001	17
2.	अलवर	5.12.2001	8
3.	बूंदी	6.11.2001	1
4.	हनुमानगढ़	26.10.2001	18
5.	टोंक	26.10.2001	6
6.	धौलपुर	8.11.2001	17
7.	सरदारशहर	8.11.2001	8
8.	कोटा	8.11.2001	6
9.	राजगढ़ (चूरू)	14.2.2002	13
10.	भीलवाड़ा	8.10.2001	2
11.	उदयपुर	18.10.2001	31
12.	अनूपगढ़	18.10.2001	5
13.	बांसवाड़ा	26.11.2001	12
14.	कानोड (उदयपुर)	26.11.2001	-
15.	आसपुर	25.8.2001	2
16.	जोधपुर	25.8.2001	32
17.	शाहपुरा (भीलवाड़ा)	25.8.2001	5
18.	लाडनूं (नागौर)	23.8.2001	5
19.	भीम (राजसमंद)	23.9.2001	2
20.	बेगूं (चित्तौड़)	23.9.2001	3
21.	सिरोही	23.9.2001	4
22.	साम्भरलेक	19.11.2001	1
23.	सपोटरा	23.9.2001	-
24.	कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)	30.9.2001	2
25.	बालेसर	30.9.2001	-

(विधि मंत्री)

1	2	3	4
26.	किशनगंज (बारां)	8.11.2001	7
27.	केशवरायपाटन	11.10.2001	3
28.	अजमेर	3.11.2001	53
29.	जयपुर	3.11.2001	91
30.	बारां	8.11.2001	33
31.	बीकानेर	26.10.2001	36

प्रक्रियात्मक कार्यवाही में लगने वाले समय के कारण ये आवेदन लम्बित है और कुछ समयावधि तक प्रक्रिया इसलिये रोके भी रखी गई थी कि गुणशीलता एवं पारदर्शिता बनाने के लिये मार्गदर्शन सिद्धान्त निर्धारित करने पर विचार किया गया एवं मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित किये गये।

(2) नोटेरी के संबंध में केन्द्रीय अधिनियम तथा केन्द्रीय नियम प्रवर्तनशील है व नोटेरीज रूल्स 1956 के सुसंगत अंश संलग्न है जिसमें दी गई प्रक्रिया का पालन इस संबंध में हो रहा है।

(3) कुछ प्रक्रियात्मक मार्गदर्शक सिद्धान्तों को जोड़ा गया है किंतु अब भी नोटेरी के चयन में नोटेरी एक्ट एवं नोटेरी रूल्स के प्रावधान ही अंतिम है। चयन प्रक्रिया में नोटेरी की नियुक्ति के लिये अधिसूचना जारी करके आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की संसदीय कार्य सचिव (सक्षम प्राधिकारी) द्वारा स्क्रूटिनी (परीक्षण) पात्रताधारी आवेदकों के पूर्ण पाये गये आवेदनों की सूची तैयार की जाती है। उन आवेदक अधिवक्ताओं के विषय में संबंधित अधिवक्ता संघ एवं बार कौंसिल से रिपोर्ट मांगी जाती है। पूर्व में प्रचलित प्रक्रिया में पूर्ण पाये गये आवेदनों की सूची तथा प्रतिवेदनों को नोटेरी की नियुक्ति के लिये माननीय विधि मंत्री जी के समक्ष रख दिया जाता था और वे जिसे चयनित करते उसकी नियुक्ति का आदेश संसदीय कार्य सचिव प्रसारित करते थे। संबंधित अधिवक्ता जब निर्धारित फीस की राशि चालान के जरिये राजकोष में जमा करा देता तब उसका लाइसेंस जारी कर दिया जाता था। इसमें अब यह सुधार लाया गया है कि प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर पूर्ण पाये गये आवेदनों का रजिस्टर में इन्द्राज कर लेने के बाद संसदीय कार्य सचिव अब उन प्रार्थना पत्रों को अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीशों के पास भेजेगा जो नोटेरी एक्ट एवं रूल्स को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पद के लिये तीन अभिभावकों के नाम का पैनल भेजेगा। अभिशंसा करते समय पैनल में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, नि:शक्तजन परित्यक्तया विधवा महिला में से भी नाम लिये जा सकेंगे। यह पैनल विधि मंत्री जी के समक्ष पेश होगा जो नियुक्ति करेंगे तब संसदीय कार्य सचिव नियुक्ति आदेश प्रसारित करेंगे व चालान के जरिये विहित फीस जमा होने पर लाइसेंस जारी कर दिया जायेगा। यह प्रक्रियात्मक परिवर्तन किसी कठिनाई के निराकरण के लिये नहीं बल्कि जिन जिला न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार में आवेदक कार्यरत है और नोटेरी की हैसियत से आगे भी कार्य करेंगे उन जिला न्यायाधीशों के निजी आकलन का भी लाभ उठाने के लिये यह सुधार लाया गया है।

The Notaries Rules, 1956[1]

In exercise of the powers, conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Goverment hereby makes the following rules, namely:

1. **Short title:** These rules may be called the Notarise Rules, 1956.
2. **Definitions:** In these rules, unless the context otherwise requires.

   (a) "appropriate Government" means, in relation to a notary appointed by the Central Government, the Central Government and in relation to a notary appointed by the State Government, the State Government;

   (b) "Form" means a Form appended to these Rules;

   (c) "the Act" means the Notaries Act, 1952 (53 of 1952).

[2][3. **Qualifications for appointment as a notary:** No person shall be eligible for appointment as a notary unless on the application for such appointment—

(a) he had been practising at least for ten years as a legal practitioner, or

(b) he had been a member of the Indian Legal Service under the Centeral Government, or

(c) he had been at least for ten years;

(i) a member of Judicial Service; or

(ii) held an office under the Central Government or a State Government requiring special knowledge of law after enrolment as an advocate; or

(iii) held an office in the department of Judge Advocate General or in the legal department of the armed forces.]

4. Application for appointment as a notary: (1) A person may make an application for appointment as a notary (hereinafter called "the applicant") in the form of memorial addressed to such officer or authority

1. Vide S.R.O. 324, dated 14th February, 1956, Published in the Gazette of India, Extra.Pt.II. sec. 3, dated 15th February, 1956, p. 191.
2. Subs. by G.S.R. 870(E), dated 8th July, 1997 (w.e.f. 8-7-1997).

(hereinafter referred to as the "competent authority") of the appropriate Government as that Government may, by notification in the official Gazette, designate in this behalf.

[(2) The memorial shall be drawn by a person referred to in clause (a) of rule 3 in accordance with Form I and by a person referred to in clauses (b) and (c) of the said rule in accordance with Form II.

(3) The memorial of a person referred to in clause (a) of rule 3 shall be signed by the applicant and shall be countersigned by the following persons—

(a) a Magistrate;

(b) a Manager of a nationalised bank;

(c) a merchant; and

(d) two prominent inhabitants of the local area within which the applicant intends to practise as a notary.]

[1][***].

[2][**6. Preliminary action on application:** (1) The competent authority shall examine every application recevied by him and, if he is satisfied that the applicant does not possess the qualifications specified in rule 3, or that any previous application of the applicant for appointment as a notary was rejected within six mionths before the date of application, shall reject it and inform the applicant accordingly.

(2) If the competent authority does not reject the application under sub-rule (1), —

[3][***]

(b) he may, if he thinks fit, ascertain from any Bar Council, Bar Association, Incorporated Law Society or other authrority in the area where the applicant proposes to practise, the objections, if any, to the appointment of the applicant as notary, to be submitted within the time fixed for the purpose.]

1. Rule 5 omitted by G.S.R. 151 dated 14th March, 1958.
2. Subs. by G.S.R. 151, dated 14th March, 1958.
3. Omitted by G.S.R. 870 (E), dated 8th July, 1997 (w.e.f. 8-7-1997).

7. Recommendation of the competent authority: (1) The competent authority shall, after holding such inquiry as he thinks fit and after giving the applicant an opportunity of making his representaions against the objections, if any, received within the time fixed under sub-rule (2) of rule 6, make a report to the appropriate Government recommending either that the application may be allowed for the whole or any part of the area to which the application relates or that it may be rejected.

(2) The competent authority shall also make his recommedation in the report under sub-rule (1) regarding the persons by whom the whole or any part of the costs of the application including the cost of hearing, if any, shall be borne.

(3) In making his recommedation under sub-rule (1), the competent authority shall have due regard to the following matters, namely :-

(a) whether the applicant ordinarily resides in the area in which he proposes to practise as a notary;

(b) whether, having regard to the commercial importance of the area in which the applicant proposes to practise and the number of existing notaries practicing in the area, it is necessary to appoint any additional notaries for the area;

(c) whether, having regard to his knowledge and experience of commercial law and the nature of the objections, if any, raised in respect of his appointment as a notary, and in the case of a legal practitioner also to the extent of his parctice, the applicant is fit to be appointed as a notary;

(d) where the applicant belongs to a firm of legal practitioners, whether, having regard to the number of existing notaries in that firm, it is proper and necessary to appoint any additional notary from that firm; and

(e) where applications from other applicants in respect of the area are pending, whether the applicant is more suitable than such other applicants.

8. Appointment of a notary: [1][(1) On receipt of the report of

1. Subs. by G.S.R. 151, dated 14th March, 1958

the competent authority, the appropriate Government shall consider the report and shall—

(a) allow the application in respect of the whole of the area to which it relates; or

(b) allow the application in respect of any part of the area to which it relates; or

(c) reject the application,

and shall also make such orders as the Government thinks fit regarding the persons by whom the whole or any part of the cost of the application including the cost of hearing, if any, shall be borne.]

[1][(2) An applicant shall be informed of every order passed by the appropariate Government under sub-rule (1).

(3) Any applicant whose application has been rejected [2][or allowed in respect of only a part of the area to which it relates] or against whom an order as to cost has been made under sub-rule (1) may, within sixty days of the date of the order apply to the appropriate Government for reviewing the order and that Government may, after making such further inquiry as it thinks fit pass such order as it considers necessary.]

[3][(4) where the application is allowed, the appropriate Government shall appoint the applicant as a notary and direct his name to be entered in the Register of Notaries maintained by that Government under Section 4 of the Act and issue to him a certificate on payment of prescribed fees authorizing him to practice in the area to which the application relates or in such part therof as the appropriate Government may specify in the certificate, as a notary for a period of three years from the date on which the certificate is issued to him.

[4][[5][(5) The Register of Notraies shall be in Form II A and the certificate of practice shall be in Form II B].

1. Ins. by G.S.R. 151. dated 14th March, 1958
2. Ins. by G.S.R. 1056. dated 8th November. 1958.
3. Re-numbered by G.S.R. 151, dated 14th March. 1958.
4. Ins. by S.R.O. 1353. dated 6th June. 1956.
5. Re-numbered by G.S.R. 1056. dated 30th October. 1958.

[1][8A. **Extension of area of practice:** A notray public who is already in possession of a certificate of practice in respect of a paricular area, may for sufficient reasons, apply for extension of his area of practice. If the original certificate of practice had been issued by a State Government and the new area of practice applied for lies within the territory of that State, the application for extension of the area of practice shall be made to that State Government. In all cases where the original certificate of practice had been issued by the Central Government, the application for extension of the area of practice shall be made to the Central Government. Applications for the extension of the area of practice where the new area lies either wholly outside the State or partly inside and partly outside the State which granted the original certificate shall be made to the Central Government for the issue of a fresh certificate. The Sater Government or the Central Government, as the case may be, shall, after considering the reasons stated in the application and other factors, pass such orders theron as it may deem fit. Any extension of the area of pracitse shall not have the effect of extending the period of validity of the original certificate beyond the period of three years specified in rule 8(4)]

[2][9. **Fees for issue and renewal of certificate of practice and extension of area:** The fees for issue and renewal of certificate of practice and extension of area shall be as under.-

(a) issue of certificate of practice—Rs. 1000;
(b) extension of area of practice—Rs. 750;
(c) renewal of certificate of practice—Rs. 500;
(d) issue of a duplicate certificate of practice—Rs. 300]

[2][10. **Fees payable to a notary for doing any notarial act:** (1) Every notary may charge fees not exceeding the rates mentioned below, namely:—

1. Ins. by G.S.R. 1056, dated 30th October,1958
2. Subs. by G.S.R. 870(E), dated 8th July, 1997 (w.e.f. 8-7-1997)

ब्यावर से मेड़ता वाया पीसांगन मार्ग पर निगम बस सेवा

74. श्री रमजान खान (पुष्कर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर से गोविन्दगढ़ वाया-गोला, नागेलाव, भडसूरी, पीसांगन मार्ग पर राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों को बन्द कर दिया गया और उनके स्थान पर प्राइवेट बसों का संचालन पूर्व की भांति यथावत कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला यातायात सलाहकार समिति की बैठक में ब्यावर-पीसांगन मार्ग पर निगम बस सेवा संचालन के प्रस्ताव लिये गये थे?

(3) क्या जिला यातायात सलाहकार समिति के अनुसार विभाग ने ब्यावर-पीसांगन मार्ग पर निगम बस संचालन शुरू की थी? यदि हां, तो कितनी बसें प्रतिदिन शुरू की गई?

(4) क्या यह सही है कि ब्यावर से मेड़ता वाया पीसांगन मार्ग पर निगम द्वारा बसों का संचालन किया जा रहा था, जिसे भी बन्द कर दिया गया? क्या सरकार उक्त बन्द की गई बसों को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी बसें प्रतिदिन संचालित की जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार उक्त मार्ग पर पुन: पूर्व की भांति निगम बसों का संचालन प्रारम्भ कर निजी बस आपरेटरों से जनता को राहत दिलायेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। ब्यावर से गोविन्दगढ़ अराष्ट्रीयकृत मार्ग है, जिस पर पहले से ही सात निजी बसें संचालित हैं। निगम द्वारा ब्यावर से गोविन्दगढ़ वाया गोला, नागेलाव, भडसूरी, पीसांगन मार्ग पर निगम द्वारा केवल ब्यावर से पीसांगन तक ही वाया गोला, नागेवाल, भडसूरी बस सेवा का माह जुलाई, 2001 से दिनांक 15.12.2001 तक संचालन किया गया था। उक्त बस सेवा की औसत आय प्रति कि.मी. रु. 06.07 व यात्रीभार 36 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ। जिसके कारण सेवाएं बन्द कर दी गई थी जिसे जनता की मांग पर इस मार्ग पर बस सेवा का संचालन दिनांक 1.2.2002 को पुन: आरम्भ कर दिया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। ब्यावर-पीसांगन मार्ग पर 6 एकल सेवाएं संचालित हैं।

(4) जी नहीं। वर्तमान में ब्यावर से मेड़ता वाया मांगलियावास-पीसांगन मार्ग पर 4 एकल परिचक्र दैनिक संचालित किये जा रहे हैं।

(5) बिन्दु संख्या 4 के अनुसार निगम बसों का संचालन जारी है।

जनजाति क्षेत्र के आवासों का रख-रखाव

75. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जनजाति विभाग द्वारा निर्मित जनजाति क्षेत्र के आवासों के रख-रखाव हेतु राशि आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सहायता मद से जनजाति विकास विभाग द्वारा निर्मित आवासीय भवनों की मरम्मत हेतु आवश्यक राशि की गणना हेतु आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के स्तर पर सूचना एकत्रित की जा रही है। इन आवासीय भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु अनुमानित लागत की सूचना प्राप्त होने के पश्चात् तथा राशि की उपलब्धता के आधार पर इन भवनों की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु राशि स्वीकृत करने पर विचार किया जावेगा।

श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ एवं पल्लू से सरदारशहर की क्षतिग्रस्त सड़कें

76. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के कितने मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रतनगढ़-सरदारशहर-पल्लू-हनुमानगढ़-सादुलशहर को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो अब तक की प्रगति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार श्रीगंगानगर से हनुमानगढ़ व पल्लू से सरदारशहर के क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग को कब तक बनाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु समय-समय पर केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाते हैं। जिनमें से गत वर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक 541 दिनांक 25.8.2001 के द्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय को राज्य के 18 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। (जो परिशिष्ट "क" पर संलग्न है) इनमें से क्रम संख्या 18 किशनगढ़ नसीराबाद

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

को भारत सरकार की गजट अधि-सूचना दिनांक 21.11.2001 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 ''क'' घोषित किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के लिये भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय के द्वारा निर्धारित मानदण्डों की सूची परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। रतनगढ़-सरदारशहर-पल्लू-हनुमानगढ़-सादुलशहर मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने हेतु राज्य सरकार के उपरोक्त वर्णित पत्र के द्वारा केन्द्र सरकार को प्रेषित प्रस्ताव के क्रम संख्या 1 पर सम्मिलित है। उक्त प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय के अन्तर्गत विचाराधीन है।

(3) राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्र संख्या 917 दिनांक 13.3.02 के द्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय को राज्य के राज्य उच्च मार्गों व मुख्य जिला सड़कों को केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत स्वीकृत करने के प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। सरदारशहर-पल्लू-हनुमानगढ़ (राज्य उच्च मार्ग संख्या 7) के 126 किमी. में रुपये 916.00 लाख की लागत के सड़क सतह सुधार के प्रस्ताव सम्मिलित हैं। जो निम्नप्रकार है:-

क्र.सं.	नाम सड़क	कुल लंबाई किमी.	अनुमानित लागत (लाखों में)
1.	छापर-रतनगढ़-सरदारशहर-पल्लू सड़क (राज्य उच्च मार्ग 7) के किमी. 10/0 से 17/0, 32/0 से 47/0, 50/0 से 57/0, 59/0 से 76/0 एवं 96/0 से 103/0 पर सड़क सतह सुधार कार्य।	53.00	364.00
2.	सरदारशहर-पल्लू-रावतसर-हनुमानगढ़ सड़क (राज्य उच्च मार्ग-7) किमी. 133/200 से 200/0 पर सड़क सतह सुधार कार्य।	49.00	254.00
3.	सरदारशहर-पल्लू-रावतसर-हनुमानगढ सड़क (राज्य उच्च मार्ग-7) पर किमी. 200/0 से 224/0 पर सड़क सतह सुधार कार्य।	24.00	298.00
	कुल	126.00 किमी.	916.00 लाख

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

इन सड़कों पर भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर वर्ष 2002-03 में कार्य करवाया जा सकेगा।

4. हनुमानगढ़ से गंगानगर सड़क के किमी. 57/0 से 59/0 आर.यू.पी. प्रथम में स्वीकृत है व सरदारशहर से पल्लू सड़क का भाग किमी. 85/0 से 133/400, किमी. 85/0 से 108/0 व 110/0 से 120/500 तथा 130/0 से 133/0 तक कुल 36.5 किमी. पेच कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। किमी. 108/0 से 110/0 व 120/500 से 130/0 से 133/400 यानि 11.900 किमी. आर.यू.पी. रोड अपग्रेडेशन प्रथम में स्वीकृत है। कार्यादेश दिया जा चुका है। कार्य माह जून, 2002 तक पूर्ण करवा दिया जावेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील आसींद (भीलवाड़ा) के अविद्युतीकृत ग्राम

77. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के कितने, कौन-कौन से ग्राम व ढाणियां विद्युतीकृत नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

आसीन्द तहसील में जनगणना 1991 के अनुसार कुल 204 राजस्व ग्राम हैं जो सभी विद्युतीकृत घोषित हैं। इनमें से एक गांव, बाला की बाडिया पंचायत चैनपुरा में विद्युत तंत्र स्थापित नहीं है। मांग आने पर उसमें विद्युत तंत्र स्थापित किया जायेगा। ढाणी-मजरे, जो कि विद्युतीकृत गांवों के ही भाग हैं, को मांग प्राप्त होने पर नियमानुसार तंत्र विकसित कर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जाती है।

आयोजना राशि में कटौती

78. श्री मदन लाल वर्मा (डग) : क्या आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि वर्ष 2001-02 की आयोजना सीमा में कटौती किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो किस-किस विभाग में कितनी-कितनी कटौती की जा रही है एवं इसका क्या आधार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नहीं। वर्ष 2001-02 की आयोजना सीमा में राज्य सरकार द्वारा कोई कटौती किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम बरखेड़ा (भरतपुर) में दर्ज आपराधिक प्रकरण की जांच

79. श्री यशवंत सिंह (रामू) (नदबई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री यशवंत सिंह (रामू)

(1) ग्राम वरखेड़ा (भरतपुर) में दिनांक 1 जनवरी, 2002 को वहां के निवासी श्री रामकिशोर के साथ क्या घटना घटी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संबंध में पुलिस ने अब तक ग्राम वरखेड़ा काण्ड के मुलजिमों को गिरफ्तार किया है? यदि हां, तो किन-किन को और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मुलजिमों को पुलिस का संरक्षण है?

उत्तर

(1) दिनांक 02.01.02 को श्री रामकिशोर निवासी वरखेड़ा के मकान पर 9 मुलजिमान ने हमला कर मारपीट की, हवाई फायर किये 68000/- हजार रुपये नगद एक सोने की चैन छीन कर ले गये जिस पर मुकदमा नं. 2/02 जुर्म धारा 147, 148, 149, 452, 323, 379, 307 आई पी सी में दर्ज हुआ बाद में जुर्म धारा 336, 324 व 325 आई पी सी जोड़ी गई। प्रथम सूचना परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) पुलिस द्वारा मुलजिम विनोद कुमार उर्फ दीपक पुत्र जवाहर सिंह यादव उम्र 22 साल निवासी बढाइच को गिरफ्तार किया गया है। शेष मुलजिमान 1. वीरभान, 2. महावीर, 3. तोताराम, 4. नरेन्द्र, 5. रविन्द्र, 6. बहादुर, 7. अर्जुन, 8. सत्यप्रकाश कुल 8 मुलजिम गिरफ्तार करने शेष है तथ्यात्मक रिपोर्ट संलग्न है।

(3) जी नहीं। मुलजिम की गिरफ्तारी हेतु पूर्ण प्रयास जारी है। ग्राम बागरैन में अस्थायी गार्ड लगाकर मुलजिमान की तलाश कराई गई। पुलिस की पार्टियां बनाकर तलाश मुलजिमान कराई जा रही है गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

परिशिष्ट ''क''

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. जिला भरतपुर थाना बयाना वर्ष 2002 प्र. इ. रि. सं. 2/02 दिनांक 2.1.02
2. अधिनियम आई पी सी धाराएं 147, 148, 149, 323, 379, 307, 452 आई पी सी
3. रोजनामचा रपट संख्या 70 समय 2.45 पी एम

   अ. अपराध घटने का दिन मंगलवार दिनांक 1.1.02 समय 1.30/2 पी एम
   ब. थाने पर सूचना होने का दिनांक 2.1.02 समय 2.45 पी एम
   स. सूचना की किस्म :- लिखत

5. घटना स्थल : गांव वरखेड़ा

   अ. पुलिस थाने से दिशा व दूरी व जानिब पश्चिम व फासला 25 कि.मी.
   ब. पता गांव वरखेड़ा बीट संख्या 4 जुरामदेही सं. 84

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-

   अ. नाम :- रामकिशोर पुत्र श्री मनोहर लाल जाति वैश्य उम्र 55 साल निवासी बरखेड़ा तहसील व थाना बयाना जिला भरतपुर

7. नाम पता मुल्जिम

   1. वीरभान
   2. महावीर पुत्रान पूरन
   3. तोताराम
   4. नरेन्द्र
   5. रवीन्द्र पुत्रान सूरजी जाति जाट निवासी बरखेड़ा
   6. बहादुर
   7. अर्जुन पुत्रान चिरंजी रैवाड़ी निवासी रैवाड़पुरा एवं अन्य दो इनके साथी
   8. इतला विलम्ब से देने का कारण :- पर्चा बयान
   9. चुराई हुई सम्पत्ति :- 68000/- सोने की चैन दो तोला
   10. चुराई हुई सम्पत्ति का मूल्य :-
   11. पंचनामा अगर हो तो :-
   12. प्रथम इत्तिला रिपोर्ट

पर्चा बयान श्री रामकिशोर पुत्र मनोहरीलाल उम्र 55 साल जाति वैश्य निवासी बरखेड़ा थाना बयाना हाल भरती एम. एस. डब्ल्यू बैड नं. 3 पर सा. चि. भरतपुर दिनांक 1.1.2002 ने दरियाप्त पर बयान किया कि आज दिनांक 1.1.2002 दिन के करीब 1.30–2 बजे की बात है कि मैं अपनी बैठक में बैठा हुआ था तथा मेरा भाई राधे व छोटा लड़का सतीश पास ही कपड़े की दुकान में बैठे थे तो वहां पर एक दम वीरभान एवं महावीर पुत्रान पूरन जाति रेवाड़ी तथा तोताराम, नरेन्द्र रवीन्द्र पुत्रान सुरजी, जाति जाट निवासी बरखेड़ा तथा बहादुर अर्जुन पुत्रान चिरंजी जाति रेवाड़ी निवासी रैवाड़पुरा व इनके साथ दो अन्य व्यक्ति जिनके में नाम नहीं जानता सामने आने पर पहचान सकता हूं जिनमें से वीरभान, तोताराम अर्जुन पर फरसे बहादुर व अन्य दो व्यक्तियों पर कट्टे तथा बाकी सभी पर लाठी व सरिया थे आते ही बहादुर ने कट्टे से हवाई फायर किया और कहा कि तेरे पास जो भी माल है वह कहां रखा है उसे हमें दो। इस पर मैंने आना कानी की और डर कर अपनी बैठक से अन्दर होल में लपका तो मुझे बहादुर वीरभान व अर्जुन ने पकड़ लिया और बहादुर ने कहा कि इसे जान से खतम कर दो और यहां जो भी माल मिले उसे लूट कर ले चलो और फिर मेरे ऊपर जान से मारने के लिये कट्टे से फायर किया जो मेरी बगल से निकल गया फिर वीरभान अर्जुन व तोता ने फरसे से मारपीट शुरू कर दी तथा तोता ने फरसे से मेरा पैर दाहिना टकने के पास काट दिया तथा सिर में वीरभान ने व बहादुर ने जान से मारने की नीयत से सरिया मारे जिनसे सिर में गहरी चोट आई है मेरे महावीर रवीन्द्र ने भी सरिये से चोटे पीठ व बगल में पहुंचाई है तथा मुझे बहादुर ने कट्टा गले पर रख कर कहा कि बता माल कहां है। तो मैंने डर कर गद्दे के नीचे रखे अड़सठ हजार रुपये बता दिए जो उन्होंने जबरन ले लिए फिर महावीर ने मेरे गले की चैन जो दो तौला की थी छीन कर तोड़ ली तथा वीरभान कहने लगा कि और माल कहां है। बता तब तक गांव के लोग इकट्ठे होने लगे जिनमें हमारा ड्राइवर देवी सिंह हल्ला कर बचाओ बचाओ का शोर करने लगा तो सभी भागने लगे और ये व्यक्ति गांव वालों को यह धमकी देते हुए कि पीछा किया तो गोली से उड़ा देंगे वहां पर भागने से सफल हो गये वीरभान बहादुर तोताराम बदमाश किस्म के लोग हैं। गांव में आये दिन दुकानदारों से जबरन सामान छीनते रहते है। इनके खिलाफ मैंने पहले भी रिपोर्ट की थी जिसमें पुलिस ने वीरभान को बंद किया था। उसी रंजिश की वजह से यह अन्य मुलजिमों को लेकर आया है। और इसने पूरी योजना बनाकर यह डकैती डालने व मुझे मारने की वारदात की है। इसके खिलाफ कार्यवाही की जावे। मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने से मुझे अस्पताल में लाकर घर वालों ने भर्ती करा दिया है। पर्चा बयान मजरूब, श्री रामकिशोर के कहे अनुसार लिखा व पढ़कर सुनाया सुन समझ

सही मान अपने हस्ताक्षर किए। एस.डी. वीरेन्द्र सिंह 1165 आई सी ओ पी सा. चि. भरतपुर ता. 1.1.2002 समय 10.30 ए. एम. एस. डी. रामकिशोर नोट :- मुताबिक बयान के घटना इलाका थाना बयाना की है। अतः असल पर्चा बयान वास्ते अग्रिम कार्यवाही श्रीमान् एस एच ओ साहब पीएस बयाना की सेवा में प्रेषित है। वीरेन्द्र सिह एच सी. नं. 1165 आई सी ओ पी सा. चि. भरतपुर ता. 2.1.2002.

कार्यवाही पुलिस

उपरोक्त मजमून का पर्चा बयान मजरूब श्री रामकिशोर पुत्र श्री मनोहरलाल जाति वैश्य उम्र 55 साल निवासी बरखेड़ा पी एस बयाना हाल भर्ती एम एम डब्ल्यू बैड नं. 3 सा. चि. भरतपुर का कानी. श्री बृजेश कुमार नं. 30 ओ पी सा. चि. भरतपुर ने उप. थाना होकर पेश किया जिसकी नकल जिल्द एफ. आई. आर. में अक्षरशः की गई पढ़कर सुनाई सही मान अपने हस्ताक्षर किए मजमून पर्चा बयान से मामला जुर्म धारा 147, 148, 149, 452, 323, 379, 307 आई पी सी का बकु में आना पाया जाता है। अतः मु. नं. 2/2002 व दफा उपरोक्त में कायम कर मन एस एच ओ हरवीर सिंह चौहान मशरूफ तफतीश हुआ प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार इरसाल हुई।

हरवीर सिंह चौहान

एस डी बृजेश कुमार क. नि. 30   सी आई एस एच ओ पी एस बयाना

2.1.2002 एट 2.45 पी एम.

तथ्यात्मक रिपोर्ट

मु. नं. 2/2002 धारा 147, 148, 149, 459, 323, 379, 307 ता. हि. एड
धारा 336, 324, 325 ता. हि. दिनांक 2.1.2002 थाना बयाना

संक्षिप्त हालात मुकदमा इस प्रकार है कि दिनांक 2.1.2002 मजरूब रामकिशोर पुत्र श्री मनोहरलाल उम्र 55 साल जाति वैश्य निवासी बरखेड़ा थाना बयाना हाल भरती एम. एस. डब्ल्यू. बैड नं. 3 पर सा. चि. भरतपुर दिनांक 1.1.2002 ने दरियाफ्त पर बयान किया कि आज दिनांक 1.1.2002 दिन के करीब 1.30-2 बजे की बात है

कि मैं अपनी बैठक में बैठा हुआ था तथा मेरा भाई राधे व छोटा लड़का सतीश पास ही कपड़े की दुकान में बैठे थे तो वहां पर एक दम वीरभान एवं महावीर पुत्रान पूरन जाति रेवाड़ी तथा तोताराम, नरेन्द्र, रवीन्द्र पुत्रान सुरजी, जाति जाट निवासी बरखेड़ा तथा बहादुर अर्जुन पुत्रान चिरंजी जाति रैवाडी नि. रैवाडपुरा व इनके साथ दो अन्य व्यक्ति जिनके मैं नाम नहीं जानता सामने आने पर पहचान सकता हूं, जिनमें से वीरभान, तोताराम, अर्जुन पर फरसे बहादुर ने कट्टे तथा बाकी सभी पर लाठी व सरिया से आते ही बहादुर ने कट्टे से हवाई फायर किया और कहा कि मेरे पास जो भी माल है वह कहां रखा है उसे हमें दो इस पर मैंने आना कानी की और डर कर अपनी बैठक से अन्दर होल में लपका तो मुझे बहादुर वीरभान व अर्जुन ने पकड़ लिया और बहादुर ने कहा कि इसे जान से खतम कर दो और यहां जो भी माल मिले उसे लूट कर ले चलो और फिर मेरे ऊपर जान से मारने के लिये कट्टे से फायर किया जो मेरी बगल से निकल गया फिर वीरभान अर्जुन व तोता ने फरसे से मार पीट शुरू कर दी तथा तोता ने फरसे से मेरा पैर दाहिना टकने के पास काट दिया तथा सिर में वीरभान ने व बहादुर ने जान से मारने की नीयत से सरिया मारे जिनसे सिर में गहरी चोट आई है मेरे महावीर रवीन्द्र ने भी सरिये से चोटें पीठ व बगल में पहुंचाई है तथा मुझे बहादुर ने कट्टा गले पर रख कर कहा कि बता माल कहां है। तो मैंने डर कर गद्दे के नीचे रखे अड़सठ हजार रुपये बता दिए जो उन्होंने जबरन ले लिये फिर महावीर ने मेरे गले की चैन जो दो तौला की थी छीन कर तोड़ ली तथा वीरभान कहने लगा कि और माल कहां हैं। तब तक गांव के लोग इकट्ठे होने लगे जिनमें हमारा ड्राइवर देवीसिंह हल्ला कर बचाओ–बचाओ का शोर करने लगा तो सभी भागने लगे और ये व्यक्ति गांव वालों को यह धमकी देते हुए कि पीछा किया तो गोली से उड़ा देंगे वहां पर भागने से सफल हो गये वीरभान, बहादुर, तोताराम बदमाश किस्म के लोग हैं। गांव में आये दिन दुकानदारों से जबरन सामान छीनते रहते हैं। इनके खिलाफ मैंने पहले भी रिपोर्ट की थी जिसमें पुलिस ने वीरभान को बंद किया था। उसी रंजिश की वजह से यह अन्य मुल्जिमों को लेकर आया है और इसने पूरी योजना बनाकर यह डकैती डालने व मुझे मारने की वारदात की है। इसके खिलाफ कार्यवाही की जावें मेरी तबियत ज्यादा खराब होने से मुझे अस्पताल में लाकर घर वालों ने भर्ती करा दिया है। आदि पर मु. नं. 2/2002 धारा 147, 148, 149, 452, 323, 379, 307 ता. हि. दिनांक 2.1.2002 कायम किया जाकर मुकदमा का अनुसंधान श्री हरवीरसिंह चौहान पु. नि. तत्कालीन एस. एच. ओ. बयाना द्वारा किया गया। दौराने तफतीश मौका पर पहुंच कर घटना स्थल का निरीक्षण कर मानचित्र कसीद किया सम्बन्धित गवाहन मुस्तगीस रामकिशोर व उसके लड़का सतीश चन्द भाई राधेश्याम

मुस्त. के ड्राइवर देवी सिह एवं अन्य गवाहन रामरतन जाट, बाबूलाल जाट के बयान लेखबद्ध किये गये। मजरूब रामकिशोर की एम.एल.आर. राय एक्सरा रिपोर्ट सा. चि. भरतपुर से प्राप्त की गई, एम.एल.आर. में कुल 6 चोटें जिनमें तीन चोट सिर में दो वलिन्ट व एक सार्प तीनों को एड वाइज एक्सरा किया गया दो चोट दायें पैर में एक बिलिन्ट एक्सरा किया गया तथा एक चोट बाईं तरफ पैर में साधारण है। एक्सरा रिपोर्ट में सिर व पैर की विलन्ट चोट में एक-एक फ्रैक्चर होना तथा बाकी चोटों में कोई फ्रैक्चर न होना बताया गया।

अनुसंधान से पाया गया कि दिनांक 22.11.2001 को मुस्तगीस रामकिशोर वैश्य की अध्यक्षता में गांव के कुछ लोगों द्वारा एक महजरनामा इस आशय का दिया गया कि हमारे गांव में वीरभान रेवाड़ी बरखेड़ा व बहादुर रेवाड़ी निवासी रेवाड़पुरा थाना वैर गांव के कुछ एक दो व्यक्तियों को साथ लेकर नाजायज गिरोह बना रखा है और भारी गुण्डा गर्दी व बदसलूक पर उतर रहे हैं। सारा गांव इनके आतंक व आचरणों से भारी परेशान है। भले आदमियों का जीवन दूभर हो गया है। यदि इनको तत्काल गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई तो ये लोग कभी भी संगीन वारदात कर सकते हैं। इनके पास अवैध हथियार हैं आदि इस महजरनामा पर अभियुक्त गण को तलाश किया वीरभान रेवाड़ी को दिनांक 23.11.2001 को धारा 110 जा. फौ. में गिरफ्तार किया जाकर दिनांक 24.11.2001 को न्यायालय एसडीएम बयाना में पेश किया गया जहां से 20-20 हजार रुपया के जमानत मुचलकों से पाबन्द किया गया।

इस महजरनामा देने की वजह से अभियुक्त वीरभान रेवाड़ी मुस्तगीस मुकदमा से बदले की भावना रखने लगा और अपने साथियों बहादुर अर्जुन तोताराम नरेन्द्र रवीन्द्र महावीर व अपनी ससुराल के दो साथियों विनोद कुमार एवं सत्य प्रकाश यादव को साथ लेकर यह वारदात मुस्त. रामकिशोर सेठ के साथ किया इस तरह उपरोक्त विवेचना से अभियुक्तगण, वीरभान, महावीर पुत्रान पूरन रेवाडी तोताराम, नरेन्द्र, रवीन्द्र पुत्रान सूरजी जाट निकासीगण बरखेड़ा बहादुर, अर्जुन पिसरान चिरंजी रेवाड़ी निवासी रेवाड़पुरा थाना वैर तथा विनोद कुमार सत्यप्रकाश जाति यादव उ. प्र. के विरुद्ध जुर्म धारा 147, 148, 149, 323, 336, 324, 325, 379, 452, 307 ता. हि. अपराध प्रमाणित पाया गया।

मुकदमें में मुलजिमान की गिरफ्तारी बाबत पुलिस पार्टियों की अलग टीमें गठित कर तथा मौजा बागरैन में अस्थाई पुलिस गार्ड लगाई जाकर मुलजिमों की गिरफ्तारी के पूर प्रयास किये गये। मुलजिमान घटना घटने के बाद से ही अपने-अपने मकानों से फरार हो गये हैं। जिनकी दूर-दूर रिश्तेदारियां हैं। जिनको बरखेड़ा रेवाड़पुरा व

आसपास के गांव में तथा कैथल हरियाणा, कठैला, धीरपुरा, फिरोजाबाद, टूडला, आगरा, भरतपुर, डीग आदि स्थानों पर दबिश देकर तलाश किया गया। मुकदमें में मुलजिम विनोद कुमार उर्फ दीपक पुत्र जवाहर सिंह जाति यादव उम्र 22 साल निवासी बुढाइच थाना सैफ जलेसर रोड जिला हाथरस को गिरफ्तार किया गया जो बाद तफतीश माननीय न्यायालय के आदेश से न्यायायिक अभिरक्षा में है। अभियोग का अग्रिम अनुसंधान थानाधिकारी थाना रूपवास द्वारा किया जा रहा है एवं अभियोग में शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास एवं अनुसंधान जारी हैं।

तथ्यात्मक रिपोर्ट अवलोकनार्थ सेवा में प्रेषित है।

जिला करौली से प्राप्त डेडरेन्ट राशि

80. श्री जनार्दन गहलोत (करौली): क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला करौली से प्रतिवर्ष कितनी डेडरेन्ट वसूल की जाती है?

(2) उक्त राशि में से खनिज क्षेत्र के विकास तथा सड़क निर्माण आदि पर गत तीन वर्षों में कितनी राशि कहां-कहां पर व किस-किस कार्य हेतु व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला करौली में प्रति वर्ष डेडरेन्ट के रूप में लगभग रुपये 1.10 करोड़ की राशि वसूल की जाती है।

(2) उक्त राशि में से खनिज क्षेत्र के विकास तथा सड़क निर्माण आदि पर गत तीन वर्षों में किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र बानसूर के आंगन बाड़ी केन्द्र

81. श्री जगत सिंह दायमा (बानसूर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बानसूर में आंगनबाड़ी कार्यक्रम चालू है? यदि हां, तो केन्द्रों की सूची सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त सभी केन्द्र खोले जा चुके हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में और अधिक आंगन बाड़ी केन्द्र खोलने का विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और कितने स्थानों पर?

(3) उक्त खोले गये आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अब तक कितनी राशि सरकार ने व्यय की है?

उत्तर

(1) जी, हां। विधान सभा क्षेत्र बानसूर में कुल 205 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। ग्राम सभा के द्वारा कार्यकर्ता तथा सहायिका के चयन हेतु प्रस्ताव नहीं होने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोले जा सके हैं।

(2) जी, नहीं।

(3) वर्ष 2001-2002 के दौरान फरवरी, 2002 तक 21,47,945 रुपये की राशि व्यय की गई है। मदवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

परिशिष्ट ''अ''

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, बानसूर (अलवर)

आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

1. कराणा (1)
2. कराणा (2)
3. कराणा (3)
4. कराणा (4)
5. नयाबास
6. तुराणा
7. लालपुरा
8. बैनपुरा
9. माण्डली
10. बिलाली (1)
11. बिलाली (2)
12. बड़ा गांव (1)
13. बड़ा गांव (2)
14. ज्ञानपुरा (1)
15. ज्ञानपुरा (2)
16. खर्बा
17. बासगोरधन
18. चतरपुरा (1)
19. चतरपुरा (2)
20. चतरपुरा (3)
21. पृथ्वीपुरा (1)
22. पृथ्वीपुरा (2)
23. बासनरपाद
24. नीमूचाना (1)
25. नीमूचाना (2)
26. झगड़ेतकलां
27. बास दयाल
28. बास करणावत
29. बास शेखावत
30. खोहरी (1)
31. खोहरी (2)
32. खोहरी (3)
33. गोलाबास (1)
34. गोलाबास (2)
35. बासना (1)
36. बासना (2)
37. बानसूर (1)
38. बानसूर (2)
39. बानसूर (3)
40. बानसूर (4)
41. बानसूर (5)
42. बानसूर (6)
43. बाढ़ ठेगूवास
44. बाढ़ भापसिंह
45. मायरा रावत
46. लेखरी (1)
47. लेखरी (2)
48. तोड़िया का बास
49. अनंतपुरा
50. बिसालू
51. गिरूडी (1)
52. गिरूडी (2)
53. गिरूडी (3)
54. मण्डीजा बसई
55. इन्द्राण्डा
56. लोपती

57. साथलपुर
58. नांगल भावसिंह
59. कोथल
60. श्यामपुरा (1)
61. श्यामपुरा (2)
62. नवलपुरा
63. खेड़ा
64. झझारपुरा
65. कानपुरा
66. रामपुरा खेड़ा
67. आलमपुर
68. रसनाली
69. खरकड़ा
70. बुटेरी (1)
71. बुटेरी (2)
72. बसेरा
73. केसरपुरा
74. नांगल लाखा
75. कोठियां
76. परसा का बास
77. उखलेड़ा
78. मोरोडी
79. हमीरपुर (1)
80. हमीरपुर (2)
81. हमीरपुर (3)
82. हमीरपुर (4)
83. छींड
84. बामनवास
85. किशोरपुरा
86. भूरियावास
87. हाजीपुर (1)
88. हाजीपुर (2)
89. हाजीपुर (3)
90. मूण्डली
91. चूला
92. कल्याण नगर
93. भुवाड़ा
94. रघुनाथपुरा
95. रामपुरा (1)
96. रामपुरा (2)
97. रामपुरा (3)
98. रामपुरा (4)
99. बहराम का बास (1)
100. बहराम का बास (2)
101. बहराम का बास (3)
102. कल्याणपुरा
103. गुढा भांकरवाला
104. मंगलवा
105. कालीपहाड़ी
106. बालावास (1)
107. बालावास (2)
108. रतनपुरा
109. उदो का बास
110. भूपसेड़ा (1)
111. भूपसेड़ा (2)
112. कांजीपुरा
113. हरसोरा (1)
114. हरसोरा (2)
115. हरसोरा (3)
116. माजरा अहीर
117. आलमपुर
118. छिपारी
119. लाडपुर
120. भग्गू का बास

121. रावली
122. मल्लूवास
123. देवसन
124. खटोती
125. धीरपुर
126. बाबरिया (1)
127. बाबरिया (2)
128. माजरा ढाकोडा
129. मुगलपुर
130. शाहपुर (1)
131. शाहपुर (2)
132. शाहपुर (3)
133. गूंता (1)
134. गूंता (2)
135. गूंता (3)
136. मांची
137. रामनगर
138. मोठूका (1)
139. मोठूका (2)
140. फतेहपुर (1)
141. फतेहपुर (2)
142. महनपुर (1)
143. महनपुर (2)
144. ढाकला
145. ऊंछपुर (1)
146. ऊंछपुर (2)
147. बबेड़ी (1)
148. बबेड़ी (2)
149. ईशरा का बास
150. डांगीवास
151. बसई चौहान

निम्न आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है

152. बूर्जा
153. निमूचाना (2)
154. बानसूर (7)
155. घाट
156. गिरूडी (4)
157. कांकरिया
158. हमीरपुर (5)
159. हाजीपुर (4)
160. रामपुर (5)
161. बलवा का बीस
162. भूपसेडा (3)
163. हरसोरा (4)

नोट : क्रम संख्या 1 से 151 तक के केन्द्र संचालित है।
क्रम संख्या 152 से 163 तक के केन्द्र (12) ग्राम पंचायतों से ग्राम सभा के प्रस्ताव (कार्यकर्त्ता एवं सहायिका के चयन हेतु) प्राप्त नहीं होने के कारण अभी नहीं खोले जा सके हैं। ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव होते ही संचालित कर दिये जायेंगे।

ह०

बाल विकास परियोजना अधिकारी

बानसूर (अलवर)

परिशिष्ट ''अ''

बाल विकास परियोजना, बानसूर के ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	नाम स्वीकृत केन्द्र	केन्द्र संख्या	निम्न आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं है
1	2	3	4
1.	गोकुलपुरा	1	1. नरसिंहपुरा
2.	शिमलायामपुर	1	2. डिस
3.	खेड़की	1	3. बर्डोद–6
4.	शेरपुर प्रथम	1	
5.	शेरपुर द्वितीय	1	
6.	तलवाड़	1	
7.	मोमनपुर प्रथम	1	
8.	मोमनपुर द्वितीय	1	
9.	जागुवास प्रथम	1	
10.	जागुवास द्वितीय	1	
11.	गूजरवास	1	
12.	जलालपुर	1	
13.	नांगलिया	1	
14.	कांकरदोपा II	1	
15.	बर्डोद–5	1	
16.	अजमेरीपुर	1	
17.	नालोता	1	
18.	कांकर छाजा	1	
19.	जैनपुरवास प्रथम	1	

1	2	3	4
20.	जैनपुरवास द्वितीय	1	
21.	पहाड़ी प्रथम	1	
22.	पहाड़ी द्वितीय	1	
23.	मौसमपुर	1	
24.	मोहम्मदपुर प्रथम	1	
25.	मोहम्मदपुर द्वितीय	1	
26.	दहमी प्रथम	1	
27.	दहमी द्वितीय	1	
28.	मिटेडा	1	
29.	रिवाली प्रथम	1	
30.	रिवाली द्वितीय	1	
31.	हमजापुर	1	
32.	कांकर दोपा	1	
33.	भूपखेड़ा	1	
34.	मिलकपुर	1	
35.	डवानी	1	
36.	बर्डोद प्रथम	1	
37.	बर्डोद द्वितीय	1	
38.	बर्डोद तृतीय	1	
39.	बर्डोद चतुर्थ	1	

परिशिष्ट ''ब''

मदवार व्यय

क्र.सं.	मद	वर्ष 1999-2000		वर्ष 2000-2001		वर्ष 2001-2002		योग
		बानसूर	बहरोड़	बानसूर	बहरोड़	बानसूर	बहरोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मानदेय	---	---	338788	152767	918956	272959	1683470
2.	यात्रा व्यय	---	---	---	3645	---	5455	9100
3.	आंगनबाड़ी व्यय	---	---	88281	26382	27345	650	142658
4.	आ. भवन किराया	---	---	3725	---	---	1214	4939
5.	परिवहन व्यय	---	---	5200	---	33160	11728	100088
6.	एम.ई.टी.पी. (अन्य सामग्री)	---	---	163739	43951	---	---	207690
	कुल	---	---	599733	226745	1029461	292006	2147945

जमवारामगढ़ (जयपुर) वन क्षेत्र अभयारण्य का औचित्य

82. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या जमवारामगढ़ वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जा चुका है? यदि हां तो कब?

(2) क्या अभयारण्य घोषणा से पूर्व वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के सेक्शन 26ए और 66 की पालना कर ली गई थी? यदि हां, तो जनता द्वारा की गई आपत्तियों का निस्तारण कब और क्या हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वन्य जीव प्रतिपालक ने 1 फरवरी, 1997 के पत्र द्वारा पी.सी.सी.एफ. को यह राय जाहिर की है कि उक्त क्षेत्र अभयारण्य के उपयुक्त नहीं है? यदि हां, तो जमवारामगढ़ वन क्षेत्र को अभयारण्य घोषित करने का औचित्य और आधार क्या रहा?

(4) क्या सरकार उक्त प्रक्रिया पर पुनर्विचार कर उक्त क्षेत्र को अभयारण्य से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(5) उक्त वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित माना जाये या नहीं? उक्त संदर्भ में महाधिवक्ता राजस्थान की क्या सलाह है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 31.5.1982 को।

(2) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के सेक्शन 26 'ए' एवं 66(4) उक्त अधिनियम में वर्ष 1991 में संशोधन के फलस्वरूप जोड़ी गई जबकि जमवारामगढ़ उक्त संशोधन के पूर्व ही दिनांक 31.5.1982 की विज्ञप्ति के द्वारा अभयारण्य घोषित हो चुका था।

जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा जमवारामगढ़ अभयारण्य में अधिकारों के विनिश्चयकरण हेतु वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 21 के अन्तर्गत उद्घोषणा अधिसूचना दिनांक 15.11.1997 द्वारा जारी कर व्यक्तिगत हितों के सम्बन्ध में दावे मांगे और उक्त अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत अधिकारों का निर्धारण करने बाबत आदेश दिनांक 21.8.1998 जारी किया जिसमें जो क्षेत्र पूर्व से ही ''आरक्षित वन क्षेत्र'' घोषित है, के सम्बन्ध में अधिकार पूर्व में निर्धारण किये हुये होने से पुन: अधिकारों के निर्धारण की आवश्यकता नहीं होने का उल्लेख किया है।

उक्त क्षेत्रों के अलावा सम्मिलित किये गये अन्य क्षेत्रों में सड़क, रास्तों, बांध, तालाब, तलाई के उपयोग एवं धार्मिक स्थानों पर आवागमन, पूजा-अर्चना, सार्वजनिक स्थलों एवं भवन के उपयोग, चरागाह में चराई इत्यादि के बारे में अधिकारों का निर्धारण किया है।

उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(राज्य मंत्री, वन)

(3) जी नहीं। मुख्य वन जीव प्रतिपालक द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को लिखे गये पत्र दिनांक 1 फरवरी 1997 का ऐसा आशय नहीं है।

(4) वर्तमान में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिनांक 13.11.2000 से देश के समस्त अभयारण्य/राष्ट्रीय पार्कों के डिरिजर्वेशन करने पर रोक लगा रखी है इसलिये फिलहाल राज्य सरकार का उक्त क्षेत्र को अभयारण्य से मुक्त करने का कोई विचार नहीं है।

(5) वर्ष 1982 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार जमवारामगढ़ अभयारण्य घोषित है।

महाधिवक्ता राजस्थान ने अपनी राय में इसे अंतिम रूप से घोषित अभयारण्य नहीं माना है जबकि अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान की राय भिन्न है।

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भारत सरकार के विधि मामलात विभाग से राय प्राप्त कर स्पष्ट की गई स्थिति के अनुसार भी जमवारामगढ़ घोषित अभयारण्य की श्रेणी में आता है।

उक्त वर्णित राय की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर नगर निगम सीमा में अतिक्रमण

83. श्री सांवरलाल (भिनाय) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जयपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में सरकारी निगम की नाले आदि अतिक्रमण कर भूमि पर लोगों ने निर्माण कर रखा है? क्या उसे हटाने पर स्थगन आदेश है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर किस-किस ने कब से क्या-क्या निर्माण कर रखा है तथा स्थगन आदेश किस-किस द्वारा कब-कब दिया गया?

(2) क्या सरकार या नगर निगम ने उक्त का स्थगन आदेश निरस्त कराने/करने के प्रयास किये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या व नहीं, तो क्यों?

(3) अब कब तक उक्त पर कार्यवाही कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि निगम की सीमा के नालों की भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण कर, निर्माण कर रखा है। अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में निगम में कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतिक्रमियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) प्रश्न संख्या एक के उत्तर के अनुसार इसके लिये किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है।

(3) स्थगन पर किसी कार्यवाही की प्रश्न एक के उत्तर के अनुरूप आवश्यकता नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहकारी समितियों के चुनाव

84. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार ने नये सहकारिता कानून के तहत सहकारी समितियों के चुनाव कराने की घोषणा की थी? यदि हां, तो चुनाव अब तक क्यों नहीं कराये गये?

(2) क्या सरकार का सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराने का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट, 2001 अधिनियम प्रक्रियाधीन है, जिसके अधिनियम के रूप में प्रतिस्थापन होने के बाद नये कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत चुनाव करवाये जावेंगे।

(2) जी हां। राजस्थान कोआपरेटिव सोसायटी एक्ट, 2001 के अधिनियम के रूप में प्रतिस्थापित होने के बाद सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन करवाये जावेंगे।

जीप श्रेणी के वाहनों से सड़क दुर्घटना

85. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक जीप श्रेणी के वाहनों में सड़क दुर्घटना में छह से अधिक मृत व्यक्तियों वाले कितने मामले दर्ज हुये और उक्त दुर्घटनाओं में प्रत्येक में कितने-कितने व्यक्ति मारे गये? घटनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में जयपुर, दूदू, जयपुर-सीकर, जयपुर-शाहपुरा, जयपुर-महवा, सड़क मार्गों पर प्रत्येक दुर्घटना जिसमें छः से अधिक व्यक्ति जीप वाहन द्वारा मारे गये? कुल मृत व्यक्तियों की घटनावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या परिवहन आयुक्त द्वारा स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारी की सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु गत वर्ष परिपत्र जारी किया गया था? यदि हां, तो परिपत्र के तहत क्या-क्या कदम उठाये गये जिससे दुघटना में कितनी कमी आई व सम्बन्धित क्षेत्र के किन-किन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या स्वीकृत क्षमता से अधिक सवारियों चढ़नी बन्द हो गई? यदि नहीं, तो क्यों? परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 1999 से फरवरी, 2002 तक जीप श्रेणी के वाहनों की सड़क दुर्घटनाओं में 6 से अधिक मृत व्यक्तियों के कुल 34 मामले दर्ज हुये हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''क'' पर उपलब्ध है।

(2) वांछित सूचना संलग्न परिशिष्ट ''ख'' में उपलब्ध है।

(यातायात मंत्री)

(3) जी हां। दिनांक 1.8.2001 को विभाग द्वारा इस आशय का एक परिपत्र जारी किया गया था। परिपत्र जारी करने के बाद वाहनों की चैकिंग की गई एवं अभियान भी चलाये गये। माह अगस्त, 2001 से दिसम्बर, 2001 तक की गई कार्रवाई की प्रगति निम्नानुसार है :-

वाहन जप्त किये गये	48511
चालान बनाये गये	12231
वाहन सीज	2911
पंजीयन प्रमाण-पत्र निलम्बित	262
परमिट निलम्बित	490
फिटनेस निलम्बित	4
चालक लाइसेंस निलम्बित	24
वाहन बॉडी से अतिरिक्त परिवर्तन किये गये को हटाया गया	79

परिपत्र के तहत उठाये गये कदमों से वाहन दुर्घटनाओं में कमी आयी है। वर्ष 2000 में जहां दुर्घटनाओं की संख्या प्रति हजार वाहन 6.90 थी जो 2001 में घटकर 6.38 रह गई।

(4) क्षमता से अधिक सवारियां चढ़ना पूर्णरूप से बन्द नहीं हुआ तथापि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिये विभाग के उड़न दस्ते तैनात रहते हैं। परिपत्र की प्रति परिशिष्ट ''ख'' उपलब्ध है।

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	जिला	अभियोग संख्या	मृतकों की	घटनास्थल व अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1.	भीलवाड़ा	359/99–गुलाबपुरा	8	सरेरीग्राम हाइवे रोड।
2.	,,– – ,,	132/2001–हमीरगढ़	7	हमीरगढ़ रेल्वे स्टेशन के पास हाइवे रोड।
3.	,,– – ,,	29/2001–बनेड़ा	15	बालापुरा हाइवे रोड।
4.	झुंझुनूं	82/2002–नवलगढ़	12	ग्राम दीगाल में।
5.	सीकर	28/2001–रानोली	9	"जयपुर-सीकर" राजमार्ग पर।
6.	,,– – ,,	99/99–रघुनाथगढ़	12	सीकर जिले में अन्य मार्ग पर।
7.	,,– – ,,	208/99–रघुनाथगढ़	18	सीकर जिले में अन्य मार्ग पर।
8.	टोंक	24/99–देवली	9	अन्य रोड पर।
9.	,,– – ,,	181/99–मेहन्दवास	10	एन.एच. 12 पर।
10.	दौसा	367/99–दौसा	8	"जयपुर-महवा" राजमार्ग पर।
11.	,,– – ,,	31/2002–मानपुर	7	"जयपुर-महवा" राजमार्ग पर।
12.	,,– – ,,	116/2001–मण्डावर	18	मण्डावर रोड।
13.	नागौर	92/2001–मौलासर	8	कस्बा मौलासर।
14.	हनुमानगढ़	22/2000–भादरा	7	भादरा रेलवे स्टेशन के पास।
15.	,,– – ,,	386/99–भादरा	10	रायगढ़ व गोगामेड़ी के बीच।
16.	भरतपुर	509/2001–सेवर	8	एन.एच. 11 पर।
17.	,,– – ,,	208/2001–हलैना	7	,,– – ,, ,,– – ,,
18.	,,– – ,,	312/2001–भुसावर	8	,,– – ,, ,,– – ,,
19.	अलवर	192/2000–शाहजहांपुर	10	शाहजहांपुर में।

1	2	3	4	5
20.	करौली	575/99—हिण्डौन	7	हिण्डोन में।
21.	बाड़मेर	46/2001—सदर	11	बाड़मेर-खेड़ीधोरीमना रोड पर।
22.	सिरोही	101/2002—पालड़ी	7	पालड़ी में। राष्ट्रीय राजमार्ग पर।
23.	झालावाड़	65/2000—असनावर	10	डूंगर गांव के आगे राष्ट्रीय राजमार्ग पर
24.	अजमेर	29/2000—गेगल	10	एन.एच. 8, चौहान कृषि फार्म के सामने।
25.	बीकानेर	23/99—महाजन	8	महाजन
26.	जयपुर—ग्रामीण	92/2000—बगरू	9	''जयपुर—दूदू'' एन.एच. 8 पर।
27.	''—''	147/2001—दूदू	12	''जयपुर—दूदू'' एन.एच. 8 पर।
28.	''—''	4/2002—दूदू	7	''जयपुर—दूदू'' एन.एच. 8 पर।
29.	''—''	25/2001—गो. गढ़	10	''जयपुर—सीकर'' एन.एच. 11 पर।
30.	''—''	348/2001—चंदवाजी	8	''जयपुर—शाहपुरा'' एन.एच. 8 पर।
31.	''—''	155/2000—बस्सी	8	''जयपुर—महवा'' एन.एच. 11 पर।
32.	''—''	469/2001—बस्सी	10	''जयपुर—महवा'' एन.एच. 11 पर।
33.	''—''	386/2001—कोटपूतली	9	कोटपूतली।
34.	''—''	456/2001—बस्सी	14	''जयपुर—महवा'' एन.एच. 11 पर।

परिशिष्ट "ख"

क्र.सं.	मार्ग का नाम	मृतकों की संख्या	अभियोग संख्या व	थाना
1	2	3	4	5
1.	जयपुर–दूदू	9	92/2000	बगरू
2.	"–"	12	147/2001	दूदू
3.	"–"	7	4/2002	दूदू
4.	जयपुर–सीकर	9	28/2001	रानोली
5.	"–"	10	25/2001	गो. गढ़
6.	जयपुर–शाहपुरा	8	348/2001	चन्दवाजी
7.	जयपुर–महवा	8	367/1999	दौसा
8.	"–"	7	31/2002	मानपुर
9.	"–"	8	155/2000	बस्सी
10.	"–"	14	456/2001	बस्सी
11.	"–"	10	469/2001	बस्सी
	योग	**101**		

परिशिष्ट ''ग''

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक एफ. 10 (531) परि/पीडी/2001   जयपुर दिनांक : 1.8.2001

परिपत्र 39/2001

राज्य में सड़क दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण अवैध रूप से संचालित एवं क्षमता से अधिक सवारियां ढोने वाली जीपें है। ये जीपें हायर एण्ड रिवार्ड पर सवारियां ढोने का कार्य करती है। ऐसी जीपों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु परिवहन विभाग की ओर से दिनांक 6.1.2000 को परिपत्र जारी किया गया है। इससे पूर्व भी विभागीय परिपत्र सं. 15/95 दिनांक 31.5.1995 एवं 17/1995 दिनांक 30.6.1995 द्वारा भी समुचित निर्देश जारी किये गये हैं। इसी प्रकार गृह विभाग द्वारा भी क्षमता से अधिक सवारियां ढोने वाली जीपों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु दिनांक 3.1.2000 एवं दिनांक 22.6.2001 को परिपत्र जारी किये गये हैं। परिपत्रों की प्रतियां सभी जिला कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षक एवं प्रादेशिक एवं जिला परिवहन अधिकारियों को प्रेषित की जा चुकी है। इन परिपत्रों से ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये थाना प्रभारी एवं संबंधित परिवहन निरीक्षकों को उत्तरदायी बनाया गया है। इसी संदर्भ में राज्य में दिनांक 16.7. 2001 से 30.7.2001 तक वाहनों के अवैध संचालन के विरुद्ध चलाये गये संघन अभियान संबंधी वितन्तु संदेश दिनांक 10.7.2001 में भी क्षमता से अधिक सवारियां ढोने वाली जीपों को सीज कर उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 1.8.2001 को महवा थाना क्षेत्र के अन्तर्गत रसीदपुर गांव के पास जीप का राजस्थान रोडवेज की बस से हुये एक्सीडेंट में जीप की 18 सवारियों की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा लगभग 10 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गये। इस दुर्घटना से स्पष्ट है कि निरंतर निर्देशों के बावजूद भी क्षमता से अधिक सवारियां भरकर हायर एण्ड रिवार्ड पर संचालित जीपों के विरुद्ध परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अत: पुन: निर्देशित किया जाता है कि हायर एण्ड रिवार्ड एवं क्षमता से अधिक सवारियां ढोने वाली जीपों के विरुद्ध निम्न प्रभावी कार्यवाही तुरन्त सुनिश्चित की जावे:–

1. प्राय: यह देखा जाता है कि हायर एण्ड रिवार्ड पर संचालित जीपों के चालकों के पास या तो चालक लाइसेंस नहीं होता अथवा गैर व्यवसायिक वाहन चलाने का लाइसेंस होता हैं जबकि इनके द्वारा ऐसे वाहनों का संचालन परिवहन यानों के रूप में किया जाता है। अत: ऐसे मामलों में वाहन चालक मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 3 संपठित धारा 181 एवं वाहन स्वामी उक्त अधिनियम की धारा 3 संपठित 180 के अन्तर्गत अपराध के दोषी है। अत: ऐसे वाहनों के चालक एवं स्वामियों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग बनाये जाकर न्यायालय में इस्तगासा प्रस्तुत किये जावें।

2. इस प्रकार इन जीपों द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्रों में अनुमोदित बैठक क्षमता से अधिक सवारियां ढोने के कारण मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 का स्पष्ट उल्लंघन किया जाता है। इस प्रकार के मामलों में वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत जब्त किया जाकर उक्त अधिनियम की धारा 192ए के अन्तर्गत अभियोग दर्ज किया जाकर इस्तगासा सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त कार्रवाही के लिये परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी पूर्णतया सक्षम है। अत: ऐसी जीपों के मामलों में मोटर वाहन अधिनियम के उक्त प्रावधानों के साथ-साथ पुलिस विभाग द्वारा वाहन मालिक एवं वाहन चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 188 व 184 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 109, 279 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया जावे। दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए के तहत मुकदमा दर्ज कर प्रभावी कार्यवाही की जावे।

3. हायर एण्ड रिवार्ड पर संचालित पाये जाने वाली निजी जीपों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 192ए के अन्तर्गत अभियोग बनाये जाकर धारा 207 के अन्तर्गत जब्त किया जावे तथा उक्त अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र अधिक से अधिक अवधि (अधिकतम 4 माह) के लिये निलम्बित करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धारा 53 के अन्तर्गत कार्रवाही करने शक्तियां राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के

नियम 4.11 के अन्तर्गत उप पुलिस अधीक्षक एवं मोटर वाहन निरीक्षक को भी प्रदत्त की गई है। ऐसी जीपों का पंजीयन प्रमाण पत्र के निलम्बन की अवधि में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थल पर संचालन प्रतिबंधित होने के कारण इन्हें संबंधित पुलिस थानों की सुरक्षित अभिरक्षा में ही रखा जावेगा।

ऐसी जब्तशुदा जीपों को पुलिस थानों के सुपुर्दगी में लेने बावत गृह विभाग द्वारा दिनांक 3.1.2001 एवं 22.6.2001 को निर्देश जारी किये हुये हैं।

4. ऐसी जीपें जो 'पी' एवं 'टी' में पंजीकृत है और बैठक क्षमता से अधिक सवारियां ढोती हुई पकड़ी जाती है तो इनके विरुद्ध भी पैरा 1 से 3 में उल्लेखित कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया को अपनाते हुये इनके परमिट निलम्बन की कार्यवाही भी सुनिश्चित करें।

5. ऐसी बैठक क्षमता से अधिक सवारियां ढोते हुये पाये जाने वाली जीपों के वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस बावत मोटर वाहन अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत कार्रवाही करते हुये वाहन चालन के अयोग्य घोषित किया जाकर लाइसेंस कार्यालय में समर्पित करा लिया जावे। ऐसे अयोग्य घोषित किये गये वाहन चालकों का विवरण कार्यालय में संधारित रजिस्टर में अंकन किया जावे एवं ऐसे व्यक्तियों की सूची मय ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो प्रति राजस्थान के समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को भेजी जावें। सभी जिला परिवहन अधिकारी ऐसे अपात्र व्यक्तियों का रिकार्ड संधारित करेंगे एवं इस रिकार्ड से सत्यापन के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेंगे।

6. प्राय: यह देखने में आया है कि भार वाहन के रूप में पंजीकृत लोडिंग जीपों में सीटें लगाकर इनको यात्री वाहन के रूप में संचालित किया जाता है। ऐसे वाहनों के विरुद्ध भी मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39, 66, 192 एवं 192ए के अन्तर्गत अभियोग बनाये जाकर धारा 53 के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्रों के निलम्बन की कार्यवाही की जावे। ऐसे वाहनों के मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56(4) के अन्तर्गत फिटनेस सर्टिफिकेट निरस्त कर दिये जावे। ऐसे मामलों में फिटनेस सर्टिफिकेट निरस्त करने के पूर्व नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही पंजीयन प्रमाण

पत्र एवं भार वाहन का परमिट स्वत: ही निलम्बित होने के कारण इन दस्तावेजों को भी कार्यालय में समर्पित कराया जावे।

7. हायर एण्ड रिवार्ड पर संचालित जीपों के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में वाहन चालक को वाहन चालन के अयोग्य घोषित किया जाकर चालक लाइसेंस समर्पित करा लिया जावे। इसके अलावा ऐसी दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के वारिश एवं घायलों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के मामले में रु. 50,0000/- घायल व्यक्ति को स्थायी अपंगता के मामले में रु. 25,000/- वाहन के बीमित नहीं होने के स्थिति में वाहन स्वामी से एवं वाहन के बीमित होने पर बीमा कम्पनी से प्राप्त करने का अधिकार है। अत: परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी ऐसे प्रभावित व्यक्तियों को मानवीय आधार पर मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय में क्लेम पेश करने हेतु उचित मार्गदर्शन देवे।

8. जीपों के अनुमोदित प्रोटोटाइप के विरुद्ध बॉडी में किये गये परिवर्तन यथा कैरियर यात्रियों को लटकाने के लिये लगाये गये लोहे के एंगल एवं अनधिकृत गेट को हटाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जावे। इनको हटाने का व्यय वाहन स्वामी से वसूल किया जावे।

9. सभी थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में किसी थाने के सामने होकर कोई जीप क्षमता से अधिक सवारी बैठा कर नहीं निकले यदि कोई जीप इस प्रकार सवारी ढोती हुई पायी जावे तो उसे जब्त किया जाकर उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जावे।

10. सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी ऐसे वाहनों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की पूर्ण रिपोर्ट अ.शा. पत्र के द्वारा परिवहन आयुक्त को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-
परिवहन आयुक्त
एवं शासन सचिव

छात्रावास गढ़ी (बांस) के भवन निर्माण में अनियमितता

86. श्री जीतमल खांट (बीगीदौरा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) छात्रावास गढ़ी (बांस) के भवन निर्माण हेतु जो राशि व्यय नहीं हुई और कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं? उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(2) उक्त अधूरे छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु कितनी राशि आबंटित की गई उसमें से कितनी व्यय हुई? उक्त कार्य किस विभाग या ठेकेदार को दिया गया? उक्त में कितने मजदूर लगे तथा कितना भुगतान किया गया और कितना बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गढ़ी छात्रावास भवन निर्माण हेतु विभाग द्वारा आवास विकास संस्थान को वर्ष 1995-96 में 60.99 लाख रुपये का तखमीना स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करने हेतु राशि 3.88 लाख रुपये का भुगतान किया गया। आवास विकास संस्थान द्वारा कार्य प्रारम्भ कर प्लीन्थ लेवल तक कार्य किया। आवास विकास संस्थान बन्द होने के कारण निर्माण कार्य अपूर्ण रहा।

(2) उक्त अधूरे छात्रावास के भवन निर्माण के लिये आवास विकास संस्थान को 3.88 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे, आवास विकास संस्थान द्वारा उक्त स्वीकृत राशि का व्यय किया जा चुका है। बकाया भुगतान की कोई मांग नहीं की गई है।

छोटे ठेकेदारों के निर्माण कार्यों पर रोक

87. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने छोटे ठेकेदारों को निर्माण कार्य देना बन्द कर दिया है? यदि नहीं, तो क्या पैकेज में कार्य देने से छोटे ठेकेदार कार्य करने से वंचित नहीं होंगे तथा बड़े ठेकेदार ही काम ले पायेंगे?

(2) उक्त सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सभी श्रेणी के ठेकेदारों को सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य नियमानुसार व विभागीय नीति अनुसार आबंटन किये जाते हैं।

(2) सरकार की स्पष्ट नीति है कि समस्त प्रकार के ठेकेदारों को उनकी क्षमता अनुसार कार्य में शामिल होने का मौका मिलना चाहिये। लेकिन साथ ही कार्य को समय पर व गुणवत्तापूर्वक व नई तकनीक अनुभव पूरा करने की क्षमता भी उनमें होनी चाहिये।

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-88 की सूची)

List of Public Enterprises Under the Purview of BPE

S. No.	Name of Enterprises	Place
1.	Rajasthan State Electricity Board (upto 19.7.2000)	Jaipur
2.	Rajasthan State Road Transport Corporation	Jaipur
3.	Rajasthan Financial Corporation	Jaipur
4.	Rajasthan Land Development Corporation	Jaipur
5.	Rajasthan Housing Board	Jaipur
6.	Rajasthan State Warehousing Corporation	Jaipur
7.	Rajasthan State Agriculture Marketing Board	Jaipur
8.	Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd.	Jaipur
9.	Rajasthan State Mines & Minerals Ltd.	Udaipur
10.	Rajasthan State Mineral Development Corporation Ltd.	Jaipur
11.	Rajasthan State Tungsten Development Corporation Ltd.	Jaipur
12.	Rajasthan Electronics Ltd.	Jaipur
13.	The Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.	Jaipur
14.	Rajasthan State Handloom Development Corporation Ltd.	Jaipur
15.	Rajasthan Rajya Paryatan Vikas Nigan Ltd.	Jaipur
16.	Rajasthan State Hotels Corporation Ltd.	Jaipur
17.	Rajasthan State Seeds Corporation Ltd.	Jaipur
18.	Rajasthan State Agro Industries Corporation Ltd.	Jaipur
19.	Rajasthan State Bridge & Construction Corporation Ltd.	Jaipur
20.	Rajasthan Jal Vikas Nigam Ltd.	Jaipur
21.	Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.	Jaipur
22.	Rajasthan State Power Corporation Ltd.	Jaipur
23.	Rajasthan State Chemical Works (Sodium Sulphate Works)	Didwana
24.	Rajasthan Government Salt Works	Didwana
*	**Five Companies of erstwhile RSEB (from 19.7.2000)**	
1.	Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd.	Jaipur
2.	Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.	Jaipur
3.	Jaipur Vidyut Vitran Nigam Ltd.	Jaipur
4.	Ajmer Vidyut Vitran Nigam Ltd.	Ajmer
5.	Jodhpur Vidyut Vitran Nigam Ltd.	Jodhpur

परिशिष्ट "ब"

Statement Showing Profit/Loss/ (Earned/Incurred) Before Prior Period Adjustment and Tax by State Public Sector Undertakings During 1990-91

(Rs. in Lacs)

S. No.	Name of Enterprise	P/L Before Tax
1.	Rajasthan State Electricity Board	35923.65
2.	Rajasthan State Mines Minerals Ltd.	3113.73
3.	Rajasthan State Mineral Devlopment Corporation Ltd.	763.61
4.	Rajasthan State Agriculture Marketing Board	736.99
5.	Rajasthan State Warehousing Corporation	642.35
6.	Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.	607.61
7.	Rajasthan Financial Corporation	359.95
8.	Rajasthan Land Development Corporation	328.68
9.	Rajasthan Rajya Paryatan Vikas Nigam Ltd.	243.34
10.	Rajasthan State Seeds Corporation Ltd.	242.81
11.	Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.	127.43
12.	Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd.	85.88
13.	Rajasthan Housing Board	79.47
14.	Rajasthan Jal Vikas Nigam Ltd.	22.98
15.	Rajasthan State Bridge & Construction Corporation Ltd.	2.22
16.	Rajasthan State Power Corporation Ltd.	0.00
17.	Rajasthan State Chemical Works, Didwana (SSW)	0.00
18.	Rajasthan Government Salt Works, Didwana	0.00
19.	Rajasthan State Tungsten Development Corporation Ltd.	– 5.33
20.	Rajasthan State Hotels Corporation Ltd.	– 10.17
21.	Rajasthan State Electronics Ltd.	– 15.14
22.	Rajasthan State Agro Industries Corporation Ltd.	– 285.01
23.	Rajasthan State Handloom Development Corporation Ltd.	– 532.01
24.	Rajasthan State Road Transport Corporation	– 7187.27
	Total	35245.77

परिशिष्ट ''स''

Statement Showing Position of Accumulated Lossed of State Public Sector Undertakings as on 31st March, 2000

(Rs. in Lacs)

S. No.	Name of Enterprises	Accumulated Losses
1.	Rajasthan State Road Transport Corporation	11241.89
2.	Rajasthan Financial Corporation	7893.17
3.	Rajasthan State Agro Industries Corporation Ltd.	2520.08
4.	Rajasthan State Handloom Development Corporation Ltd.	2258.52
5.	Rajasthan State Electricity Board	1709.24
6.	Rajasthan Electronics Ltd.	261.61
7.	Rajasthan State Tungsten Development Corporation Ltd.	195.92
8.	Rajasthan State Power Corporation Ltd.	0.00
9.	Rajasthan Jal Vikas Nigam Ltd.	0.00
10.	Rajasthan State Bridge & Construction Corporation Ltd.	0.00
11.	Rajasthan State Chemical Works, Didwana (SSW)	0.00
12.	Rajasthan State Seeds Corporation Ltd.	0.00
13.	Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.	0.00
14.	Rajasthan Rajya Paryatan Vikas Nigam Ltd.	0.00
15.	Rajasthan Land Development Corporation	0.00
16.	Rajasthan State Ganganagar Sugar Mills Ltd.	0.00
17.	Rajasthan State Warehousing Corporation	0.00
18.	Rajasthan Housing Board	0.00
19.	Rajasthan State Hotels Corporation Ltd.	0.00
20.	Rajasthan State Agriculture Marketing Board	0.00
21.	Rajasthan State Mineral Devlopment Corporation Ltd.	0.00
22.	Rajasthan State Mines & Minerals Ltd.	0.00
23.	Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd.	0.00
24.	Rajasthan Government Salt Works, Didwana	0.00
	Total	26080.43

परिशिष्ट "द"

Statement Showing Paid-Up Capital of State Public Enterprises in Rajasthan Upto 1999-2000

(Rs. in Lacs)

S. No.	Name of Enterprise	Paid-Up Capital
1.	Rajasthan State Electricity Board	177459.00
2.	Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Ltd.	16760.25
3.	Rajasthan State Road Transport Corporation	10795.25
4.	Rajasthan Financial Corporation	9107.70
5.	Rajasthan State Agriculture Marketing Board	6376.13
6.	Rajasthan State Mines & Minerals Ltd.	6172.60
7.	Rajasthan Land Development Corporation	2051.45
8.	Rajasthan State Mineral Development Corporation Ltd.	1633.00
9.	Rajasthan Rajya Paryatan Vikas Nigam Ltd.	1384.96
10.	Rajasthan State Bridge & Construction Corporation Ltd.	1000.00
11.	Rajasthan State Warehousing Corporation	750.26
12.	Rajasthan State Seeds Corporation Ltd.	729.83
13.	Rajasthan State Handloom Development Corporation Ltd.	615.00
14.	Rajasthan State Agro Industries Corporation Ltd.	600.73
15.	Rajasthan Small Industries Corporation Ltd.	546.40
16.	Rajasthan State Power Coporation Ltd.	365.00
17.	Rajasthan State Ganganagar Sugan Mills Ltd.	364.73
18.	Rajasthan State Tungsten Development Corporation Ltd.	133.80
19.	Rajasthan Jal Vikas Nigam Ltd.	127.00
20.	Rajasthan State Hotels Corporation Ltd.	106.75
21.	Rajasthan Electronics Ltd.	30.00
22.	Rajasthan Housing Board	0.00
23.	Rajasthan State Chemical Works, Didwana (SSW)	0.00
24.	Rajasthan Government Salt Works, Didwana	0.00
	Total	237109.84

परिशिष्ट–4

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–89 की सूची)

विगत तीन वर्षों में राज्य में स्थापित नये वृहद, मध्यम उद्योग एवं उनमें हुये पूंजी निवेश का विवरण

क्र. सं. 1	इकाई का नाम व पता 2	पूंजी निवेश (लाख में) 3
1.	मैं. उत्तरा फूड एण्ड फीड प्रा. लि. अजमेर	408.03
2.	बी. एस. एल. वर्फिंग लि. भीलवाड़ा	724.81
3.	बोहरा सिन्थेटिक्स प्रा. लि. रीको, भीलवाड़ा	489.00
4.	सांगनेरिया स्पिनिंग मिल्स लि. नीमराना, भिवाड़ी	716.07
5.	फेडेरल मोगल आटोमोटिव प्रोडक्ट प्रा. लि. भिवाड़ी	1785.00
6.	सकत इनेक्स लि. भिवाड़ी	571.15
7.	नीलकंठ पोलीमर्स, चूरू	766.98
8.	जगजन्नी टैक्सटाइल लि. बगरू, जयपुर	1429.47
9.	श्री मिलिक राजन मार्बल प्रा. लि. बडरडा, राजसमन्द	98.00
10.	स्वतंत्र भारत मिल्स, टोंक	1842.00
11.	सिद्धार्थ पोलिएक्स प्रा. लि., टोंक	1000.00
12.	सिरोसमेल्ट इण्डिया लि. उदयपुर	1002.00
13.	मै. पेरामाउण्ट वायर्स एण्ड कैबल लि., भिवाड़ी	492.00
14.	पारले बिस्कुट लि. नीमराना, भिवाड़ी	3350.00
15.	क्रिस्टल स्टोन एक्सपार्ट लि. चाकसू, जयपुर	827.00
16.	योगमाया मार्बल्स प्रा. लि. करीडा, राजसमन्द	84.74
17.	रेन्वो ब्रेवरीज लि. सवाईमाधोपुर	1250.00
18.	इश्यूजी गारमेन्टस, टोंक	868.69
19.	मैं. सुजूकी सिन्थेटिक्स, भीलवाड़ा	533.20
20.	मैं. कंचन प्रोसेसर्स, भीलवाड़ा	619.32
21.	सोल्जर प्रोसेसर्स, भीलवाड़ा	486.82
22.	सिसम फूड प्रा. लि., भिवाड़ी	1100.00
23.	हिन्दुस्तान जनरल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि., भिवाड़ी	500.00
24.	गेमस्केव इण्ड. लि., भिवाड़ी	500.00
25.	रस्तोगी प्लास्टिक इण्ड. प्रा. लि., भिवाड़ी	400.00
26.	रोहित पोली प्रोडेक्ट प्रो. लि. औ. क्षे. बगरू, जयपुर	231.46
27.	मोहनोत मेटल्स, जोधपुर	200.78
28.	गुलशन इण्डस्ट्रीज लि., जोधपुर	2850.00
	योग	25127.42

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या–90 का विवरण)

बापूनगर वार्ड संख्या 18 के डेयरी संचालकों की सूची

क्र. सं. 1	डेयरी संचालक का नाम 2	पिता/पति का नाम 3	पता 4
1.	श्री हर सहाय शर्मा	पुत्र श्री रामनारायण शर्मा	प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर, जयपुर
2.	श्री तरुण यादव	पुत्र श्री ओम प्रकाश	डी–69, सिवार्ड एरिया, पारस मार्ग, बापूनगर, जयपुर
3.	श्री मोहनलाल यादव	पुत्र श्री मोहरीलाल	एस–70, सिवार्ड एरिया, बापूनगर, जयपुर
4.	श्री राकेश कुमार यादव	पुत्र श्री कल्याणमल	सी–83, सिवार्ड एरिया, बापूनगर, जयपुर
5.	श्रीमती शांति /रामदेव	पुत्र श्री श्याम सुन्दर रामदेव	बी–32, गणेश मार्ग, बापूनगर
6.	श्री रामकुमार यादव	पुत्र श्री भौरीलाल	डी–69–ए, बापूनगर
7.	श्री रूपनारायण यादव	पुत्र श्री कल्याणमल	सी–43, सिवार्ड एरिया, बापूनगर, जयपुर
8.	श्री रमेश चन्द्र यादव	पुत्र श्री रूड़मल यादव	एस–67, सिवार्ड एरिया, बापूनगर, जयपुर
9.	श्री मोहन कुमार यादव	पुत्र श्री रामकिशोर	सी–82, बापूनगर, जयपुर
10.	श्री राजेन्द्र कुमार यादव	पुत्र श्री सुजोलाल यादव	एस–67, कृष्णा मार्ग, बापूनगर, जयपुर
11.	श्री भवानी शंकर यादव	पुत्र श्रीरामकुमार	डी–69, बापूनगर
12.	श्रीमती अनिता बागड़	/ श्री गिर्राज प्रसाद	सी–701, सिकार्ड एरिया, बापूनगर
13.	श्री मधुर कुमार	पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार	एस–62, बापूनगर

1	2	3	4
14.	श्रीमती सुनीता यादव	श्री संतोष यादव	डी–64, पारस पथ, बापूनगर
15.	श्री बाबूलाल यादव	पुत्र श्री हरिसिंह	एस–910, कृष्णा मार्ग, सिवार्ड एरिया, बापूनगर
16.	श्रीमती इन्दिरा देवी		सी–104, बापूनगर
17.	श्री अनिल चौधरी	पुत्र श्री भीमसिंह	बी–193, मोती मार्ग, बापूनगर
18.	श्री रामगोपाल शर्मा	पुत्र श्री नानगराम	डी–86, सिवार्ड एरिया, बापूनगर

आयुक्त मुख्यालय

जयपुर नगर निगम

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या–94 की प्रति)

राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ और लिपिक वर्गीय सेवा) नियम, 1963

1	2	3	4	5
15.	टीकाकार	मैट्रिक टीका लगाने के प्रशिक्षित सहित	---	---
16.	दारोगा	मिडल	सफाई जमादार	5 वर्ष का अनुभव
(ग) विविध मामले				
1.	पैरोकार	विधि स्नातक, बार के एक वर्ष के अनुभव सहित	पैरोकार ग्रेड–II	–यथोक्त–
2.	पैरोकार ग्रेड–II	---	वरिष्ठ लिपिक	इस कार्य का 7 वर्ष का अनुभव यदि पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो तो किसी विधि स्नातक को या विधिक मामलों के तीन वर्ष के अनुभव सहित स्नातक को नियुक्त किया जा सकेगा।
(घ) सार्वजनिक निर्माण विभाग				
1.	अभियांत्रिकी अधीनस्थ	100% पदोन्नति द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा		

1	2	3	4	5
2.	नक्शानवीस	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा		
3.	नक्शानवीश एवं सर्वेक्षक	–यथोक्त–		
4.	मिस्त्री/सर्वेक्षक	मिस्त्री के लिये राजगीर का 5 वर्ष का अनुभव		

1. राज. राजपत्र भाग–4–ग दिनांक 9.12.1976 में पृष्ठ 541 पर प्रकाशित अधिसूचना सं. एस्ट (एम.) एफ. 18 (ए) (1) डीएलबी/76– II दिनांक 30.11.1976 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. प्रविष्टि 19 द्वारा प्रविष्टि सं. 3 से 8 तक को 2 से 7 तक के रूप में पुनः संख्यांकित किया गया।

परिशिष्ट–7

(अतारांकित प्रश्न संख्या–95 का विवरण)

कार्यालय नगरपालिका, आसीन्द, जिला–भीलवाड़ा

पालिका को वर्ष 1990-91 से वर्ष 2001- फरवरी, 2002 तक प्राप्त अनुदान राशि का विवरण (राशि लाखों में)

क्र. सं.	योजना/मद का नाम	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	विशेष अनुदान : सड़क, नाली, सफाई, रोशनी	—	0.50	1.00	1.00	—	6.00	1.00	2.00	1.14	—	—	—	12.64
2.	राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि	—	—	—	—	—	0.90	1.02	1.44	2.91	1.54	—	7.37	15.18
3.	दसवें वित्त आयोग से प्राप्त	—	—	—	—	—	—	—	1.23	1.23	1.23	6.00	—	9.69
4.	ग्यारहवें वित्त आयोग	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.38	4.38
5.	यू.बी.एस. (कच्ची बस्ती विकास)	2.51	1.13	0.20	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	4.24
6.	सहभागी योजना	—	—	—	—	—	1.36	—	6.70	0.15	—	—	—	8.21
7.	बाढ़/अतिवृष्टि सहायता	—	—	—	—	—	—	—	8.00	5.00	—	5.00	—	18.00
8.	अल्प लागत शौचालय	—	—	—	—	—	—	5.00	3.00	1.00	—	—	—	9.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	राष्ट्रीय कच्ची बस्ती योजना (एन.एस.डी.पी.)	—	—	—	—	—	—	0.53	0.37	1.53	3.09	2.50	—	8.02
10.	नेहरू रोजगार योजना	1.77	0.92	1.92	2.02	2.14	1.49	0.98	0.57	—	—	—	—	11.80
11.	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	—	—	—	—	—	—	—	0.53	3.86	1.41	1.10	1.51	8.41
12.	विधायक कोटा	—	—	—	—	—	—	—	—	0.15	—	1.00	2.84	3.99
13.	सांसद कोष	—	—	—	—	0.90	2.25	0.57	5.49	3.00	—	—	—	12.21
14.	बकाया वेतन हेतु विशेष अनुदान	—	1.00	—	4.00	—	5.00	—	4.75	—	—	—	—	14.75
15.	सामान्य अनुदान	0.9461	0.9461	0.9461	0.9461	1.18	1.385	1.385	4.155	4.155	4.155	4.155	4.155	28.5094
16.	चुंगी पुनर्भरण राशि	—	—	—	—	—	—	—	—	13.68	22.57	24.83	26.04	87.12
17.	बालिका समृद्धि योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.44	—	—	0.44
18.	ग्यारहवें वित्त आयोग (गंदी बस्ती सुधार योजना)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.60	5.60

ह०/
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका,
आसीन्द

कार्यालय नगरपालिका आसीन्द

1. नाली निर्माण कार्य
2. सड़क डामरीकरण कार्य
3. W.M.B. सड़क निर्माण कार्य
4. कम्यूनिटी हॉल निर्माण कार्य
5. रोड भर्ती कार्य
6. कुई भराई कार्य
7. निजी भवनों में शौचालय निर्माण कार्य
8. पार्क निर्माण कार्य
9. हैण्डपम्प व ट्यूबवैल बोरिंग कार्य
10. विद्यालयों में कमरा निर्माण कार्य
11. सड़क पेच वर्क निर्माण कार्य
12. विद्युत विस्तार कार्य

ह०/
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका, आसीन्द

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-97 का विवरण)

क्रमांक/2631/CEO/2000 दिनांक : 1.11.2000

समस्त क्षेत्रीय आयुक्त, HMZ (F)
जयपुर नगर निगम।

जयपुर नगर निगम द्वारा जहां-जहां शादी-विवाह आयोजित किये जाते हैं उनसे 1000/- एक हजार रुपये प्रति शादी सफाई शुल्क वसूल किये जाते हैं इसके साथ-साथ ऐसे भी निर्देश दिये गये हैं कि पार्किंग व्यवस्था विवाह स्थल के अन्दर की जायेगी। लेकिन प्रायः पार्किंग सड़क पर की जाती है। जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न होती है। अतः आप सभी को निर्देश दिये जाते हैं कि आप अपने-अपने क्षेत्र में स्थित विवाह स्थलों की जांच करें एवं सम्पूर्ण विवाह स्थलों की सूचियां बनाकर प्रस्तुत करें एवं उक्त विवाह स्थलों पर आयोजित शादी-विवाह से 1000/- रुपये सफाई शुल्क वसूली करें, अगर पार्किंग निर्धारित स्थल पर न कर आम सड़क पर की जाती है तो उनका चालान की कार्यवाही करें, अगर ऐसा पाया गया कि किसी शादी विवाह आयोजित किया गया था और आपके द्वारा सफाई शुल्क वसूल नहीं किया गया तो सम्बन्धित क्षेत्रीय आयुक्त विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

ह०/
(डा. मनजीत सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

चौकड़ी घाटगेट जयपुर की धर्मशालाओं का विवरण जहां शादी–विवाह समारोह होते हैं

रसीद संख्या 1	दिनांक 2	राशि 3
1. टांक धर्मशाला		
316077	दिनांक 21.02.2001	1000/=
355116	दिनांक 19.04.2001	1000/=
355117	दिनांक 19.04.2001	1000/=
355128	दिनांक 10.05.2001	1000/=
355129	दिनांक 10.05.2001	1000/=
355166	दिनांक 01.12.2001	1000/=
395728	दिनांक 05.03.2002	1000/=
	योग	8,000/=
2. श्योजीराम धर्मशाला		
316000	दिनांक 31.01.2001	8000/=
316020	दिनांक 09.12.2000	13000/=
316076	दिनांक 20.02.2001	2000/=
355114	दिनांक 19.04.2001	5000/=
355137	दिनांक 31.05.2001	2000/=
355157	दिनांक 21.11.2001	5000/=
	योग	35,000/=
3. बनर्जी ठोलियां धर्मशाला		
316073	दिनांक 17.02.2001	1000/=
355126	दिनांक 07.05.2001	1000/=
355127	दिनांक 07.05.2001	1000/=
355131	दिनांक 17.05.2001	1000/=

1	2	3
355133	दिनांक 24.05.2001	1000/=
355134	दिनांक 26.05.2001	1000/=
355142	दिनांक 13.06.2001	1000/=
355143	दिनांक 13.06.2001	1000/=
355175	दिनांक 10.12.2001	1000/=
355180	दिनांक 18.12.2001	1000/=
355199	दिनांक 19.02.2002	1000/=
355200	दिनांक 19.02.2002	1000/=
395701	दिनांक 19.02.2002	1000/=
	योग	**13,000/=**

ह०/–
आयुक्त (मुख्यालय)
जयपुर नगर निगम

परिशिष्ट–9

परिशिष्ट ''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या–102 की प्रति)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.10 (44)नवि/3/2000 जयपुर, दिनांक : 8 दिसम्बर, 2000

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय : मास्टर विकास योजना, 2011 जो जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिये दिनांक 1.9.1998 से प्रभावी हो गया था, में प्राधिकरण की 43वीं बैठक के निर्णयानुसार एयरपोर्ट एरिया का भू–उपयोग के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका पत्रांक एफ/15(238)जविप्रा/निआ/2000/डी–285 दिनांक 4.12.2000.

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निदेशानुसार लेख है कि हवाई अड्डा क्षेत्र में प्राप्त आपत्ति/सुझावों की रिपोर्ट के संदर्भ में जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25(2) के अन्तर्गत मास्टर विकास योजना–2011 जयपुर क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये मानचित्र (सीसीपी/आईडीए/2000/18) जिनके लिये आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किये गये थे, विभिन्न आपत्तियों को ध्यान में रखते हुये तथा दिनांक 22.11.2000 को आयोजित बैठक में आम सहमति के आधार पर प्रस्तावित मानचित्र में निम्न संशोधनों के साथ राज्य सरकार भू–उपयोग परिवर्तन का अनुमोदन करती है :–

1. फ्रोजन जोन – इस क्षेत्र में प्राप्त आपत्ति/सुझावों का ध्यान रखते हुये फ्रोजन जोन के क्षेत्र में एवं उससे लगती हुई (उत्तर की ओर) 80 फीट चौड़ी सड़क पर निर्णय फिलहाल स्थगित रखा जावे।
2. एयरपोर्ट क्षेत्र के विकास मानचित्र में दर्शाये गये ग्रीन एरिया व रिक्रेशनल एरिया में से तारों की खूंट के तिराहे के समीप के ग्रीन एरिया को छोड़कर शेष दोनों क्षेत्रों को आवासीय उपयोग दर्शाया जावे।

3. एयरपोर्ट की पश्चिमी बाउण्डरीवाल के साथ टोंक रोड की ओर 80 फीट चौड़ी सड़क को विलोपित कर उसके स्थान पर आवासीय दर्शाया जावे।

4. तारों की खूंट से गैटोर ड्राइविंग स्कूल तक प्रस्तावित 80 फीट सड़क, जिसमें जैड आकार क्रोसिंग को प्रस्ताव के अनुसार हटाने हेतु परिवर्तन करते हुये सीधा किया जावे, ताकि सड़क के निर्माण से वर्तमान निर्मित भवन कम से कम प्रभावित हों।

5. दक्षिणी बाइपास से टर्मिनल बिल्डिंग तक प्रस्तावित 100 फीट चौड़ाई के विषय में निर्णय फिलहाल स्थगित रखा जावे।

6. 160 फीट प्रस्तावित सड़क के पश्चिम में स्थित भूमि, जिनका उपयोग भण्डार एवं गोदामों तथा इसके समीप ही संस्थानिक उपयोग हेतु दर्शाया गया है, उक्त दोनों भूमियों को व्यावसायिक उपयोग हेतु दर्शाया जावे।

7. जवाहर सर्किल से एयरपोर्ट की तरफ 200 फीट की प्रस्तावित सड़क के सम्बन्ध में निर्णय फिलहाल स्थगित रखा जावे।

उपरोक्त संशोधनों को समायोजित करते हुये अधिसूचना जारी की जावे।

भवदीय

ह०/-
(एच.एस. भारद्वाज)
शासन उप सचिव

परिशिष्ट ''ब''

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक न.10 (44)नविवि/3/2000 जयपुर, दिनांक : 14 दिसम्बर, 2000

आयुक्त,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय : मास्टर विकास योजना, 2011 जो जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के लिये दिनांक 1.9.1998 से प्रभावी हो गया था, में प्राधिकरण की 43वीं बैठक के निर्णयानुसार एयरपोर्ट एरिया का भू–उपयोग के सम्बन्ध में।

महोदय,

विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 8 दिसम्बर, 2000 के क्रम में निदेशानुसार लेख है कि हवाई अड्डा क्षेत्र के सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापनों तथा मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

1. फ्रोजन जोन को हटाया जावे तथा इस क्षेत्र के विकास एवं अन्य सुविधाएं विकसित करने के लिये योजना तैयार की जावे।
2. ए टू बी प्रस्तावित 100 फीट चौड़ी सड़क की चौड़ाई 80 फीट कर दी जावे।

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

भवदीय

ह०/–
(एच.एस. भारद्वाज)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट "स"

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक न.10 (44)नविवि/3/2000 जयपुर, दिनांक : 17 जनवरी, 2001

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय : एयरपोर्ट एरिया के फ्रोजन जोन तथा सड़क सीमा के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ : इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 8.12.2000.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 8.12.2000 में निम्न संशोधित किया जाता है :-

1. वर्तमान में दर्शाये गये फ्रोजन जोन को हटा दिया जावे तथा इस क्षेत्र के सुव्यवस्थित ढंग से विकसित करने के लिये प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्लान तैयार किया जावे।
2. ए टू बी 100 फीट रोड की चौड़ाई 80 फीट पर दी जावे ताकि कम से कम क्षति हो।
3. 200 फीट चौड़ी सड़क को 120 फीट चौड़ा बनाया जावे। 160 फीट के सम्बन्ध में निर्णय स्थगित रखा जावे। इस पर पुनः निर्णय मौके को देखकर कर लिया जावेगा।

भवदीय

ह०/-
उप शासन सचिव

परिशिष्ट ''द''

क्र.सं.	नाम गृह निर्माण सहकारी समिति	नाम कालोनी
1.	शंकर भवन गृह नि. सह. स.	राधिकापुरम्
2.	अपोलो नगर हा. सो.	नन्दपुरी-ए
3.	नागरिक गृह नि. सह. स.	बंशीपुरी- I एवं II
4.	पटेल नगर गृह नि. सह. स.	विष्णु विहार (आंशिक)
5.	हथरोई गढ़ी गृह नि. सह. स.	सरस्वती कालोनी
6.	लक्ष्मी नगर गृह नि. सह. स.	कैलाशपुरी
7.	श्यामपुरी ,,	राम विहार
8.	सुभाष सिंधी ,,	पूनम विहार
9.	हथरोई गढ़ी ,,	अशोक वाटिका
10.	विकास भवन ,,	गणेश कालोनी
11.	हथरोई गढ़ी ,,	महेश कालोनी
12.	लक्ष्मी नगर ,,	जगदीशपुरी
13.	लक्ष्मी नगर ,,	शिवराम कालोनी
14.	छत्रपति शिवाजी ,,	विधानगर
15.	शंकर भवन ,,	ब्रज विहार
16.	विजय गृह नि. सह. स.	प्रेम विहार
17.	मित्र गृह नि. सह. स.	तारानगर
18.	शंकर भवन गृह नि. सह. स.	गोमती नगर
19.	श्री लक्ष्मीनारायणपुरी ,,	अवध विहार

परिशिष्ट-10
(अतारांकित प्रश्न संख्या-103 की प्रति)
राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.5 (2)नविवि/3/1999 जयपुर, दिनांक : 16 फरवरी, 2002

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान जयपुर
सचिव,
नगर सुधार न्यास,
.... समस्त

विषय : कृषि भूमि पर मास्टर प्लान एवं नगर नियोजन के स्वीकृत मानदण्डों के विपरीत नई-नई कालोनियों के नियोजित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.11.2001 के द्वारा जयपुर शहर सहित प्रदेश के अन्य शहरों/नगरों में गृह निर्माण सहकारी समितियों/खातेदारों/अन्य व्यक्तियों के द्वारा कृषि भूमि पर मास्टर प्लान एवं नगर नियोजन के स्वीकृत मानदण्डों के विपरीत नई-नई कालोनियों नियोजित कर भूखण्ड बेचे जाने के मामलों को रोकने/अंकुश लगाने के लिये निर्देश जारी किये गये थे। किन्तु इसकी पालना न्यास स्तर पर नहीं की जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस परिपत्र में वर्णित निर्देशों को गम्भीरता से नहीं लिया गया है, जबकि राज्य सरकार उनकी अक्षरश: अनुपालना चाहती है। अत: पुन: निर्देश दिये जाते हैं कि परिपत्र में वर्णित निर्देशों की शत प्रतिशत पालना की जाये एवं जन सामान्य को इसकी जानकारी कराने हेतु इसका भरसक प्रचार-प्रसार भी किया जाये। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक पं. 10(1) न.वि.आ./3/2002 दिनांक 1.1.2001 व 15.2.2002 जारी कर निजी क्षेत्र में आवासीय परियोजनाओं। टाउनशीप विकसित करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दिये गये, जिसके अनुरूप नई कालोनियों को विकसित किया जाना है। दिनांक 13.11.2001 के परिपत्र जारी होने से पूर्व कृषि भूमि पर निर्माण, मास्टर प्लान, सेक्टर प्लान की रोड की सीमा में बन गये हैं वहां सड़क की चौड़ाई यथा सम्भव बरकरार रखते हुये बिल्डिंग लाइन का पुन: निर्धारण कर पट्टा जारी कर दिया जावे।

भवदीय

ह०/-

शासन उप सचिव

परिशिष्ट ''अ''

परिशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-104 का विवरण)

क्र.सं.	न्यास का नाम	सड़कों की लम्बाई	
1.	श्री गंगानगर	25 किलोमीटर	न्यास क्षेत्र में आने वाली सड़कें
2.	उदयपुर	340 किलोमीटर	न्यास योजना क्षेत्र की सड़कें
3.	बीकानेर	176.80 किलोमीटर	न्यास क्षेत्र में आने वाली सड़कें
4.	भरतपुर	20.85 किलोमीटर 1 किलोमीटर कुल 21.85 किलोमीटर	न्यास योजना में स्थित सड़कें व सर्किट हाउस तिराहे से सारस चौराहे तक की सड़क
5.	कोटा	207 किलोमीटर	न्यास क्षेत्र में स्थित सड़कें
6.	भीलवाड़ा	51-70 किलोमीटर	न्यास की योजना क्षेत्र में स्थित सड़कें
7.	जोधपुर	343.72 किलोमीटर	न्यास की योजना क्षेत्र एवं कच्ची बस्तियों में स्थित सड़कें
8.	अजमेर	96.6 किलोमीटर	न्यास की योजना क्षेत्र व कच्ची बस्ती व सौन्दर्यकरण के तहत भी रखरखाव कराया गया है।
9.	अलवर	132 किलोमीटर	अलवर शहर की सड़कें

परिशिष्ट ''ब''

नगर विकास न्यासों द्वारा दी गई रोड कटिंग की अनुमति का विवरण

क्र.सं.	न्यास का नाम	कम्पनी का नाम	राशि
1.	श्री गंगानगर	मै० स्टीड फास्ट कन्स्ट्रक्शन एवं इंजीनियरिंग कम्पनी	40,500.00
2.	उदयपुर	भारत संचार निगम लि०	1,72,500.00
		रिलायन्स इनफोकोम लि०	72,000.00
3.	बीकानेर	कोई अनुमति नहीं दी गई	------
4.	भरतपुर	किसी विभाग या निजी कम्पनी द्वारा कोई अनुमति प्राप्त नहीं की	------
5.	कोटा	भारत संचार विभाग	16,117.00
		भारती टेलीकॉम	1,960.00
		रिलायन्स इन्फोकाम लि०	राशि जमा नहीं करायी गई।
6.	भीलवाड़ा	न्यास क्षेत्र में रोड कटिंग नहीं हुई	------
7.	जोधपुर	रिलायन्स इन्फोकाम लि०	6,020.00
8.	अजमेर	न्यास से रोड कटिंग की अनुमति नहीं ली गई	------
9.	अलवर	मै० रिलायन्स लिमिटेड	14,79,000.00

परिशिष्ट "स"

सार्वजनिक निर्माण विभाग

क्रमांक प.8(33)सा.नि./1996 जयपुर, दिनांक : 21 अगस्त, 2000

आदेश

1. राजस्थान सरकार द्वारा भारत सरकार के हाल ही में लिये गये निर्णय को दृष्टिगत रखते हुये, दूर संचार तथा सूचना औद्योगिकी आधारित सेवाओं के विस्तार हेतु आधारभूत ढांचा निर्माण के लिये नीतिगत निर्णय लिये गये हैं।

2. राज्य के उच्च मार्गों, जिले की सड़कों एवं अन्य सड़कों के किनारे निजी निवेशकों द्वारा आप्टीकल फाइबर कैबल (ओ.एफ.सी.) सुविधा को लगाने के लिये राज्य सरकार द्वारा बिना शुल्क अनुमति प्रदान करने के लिये निम्नानुसार नीतिगत निर्णय लिये गये हैं।

3. यह नीति निम्न आवेदकों पर लागू होगी–

   3.1 वे निवेशक जिन्हें भारत सरकार द्वारा मूलभूत टेलीकाम सेवाओं या इंटरनेट सेवाओं हेतु लाइसेन्स स्वीकृत किया गया है, के आवेदन राज्य की सड़कों एवं स्थानीय निकाय की सड़कों के किनारे आप्टीकल फाइबर कैबल डालने हेतु विचारार्थ स्वीकार किये जायेंगे।

   3.2 अन्य सेवाएं, जैसे टी.वी. नेटवर्क इत्यादि के लिये वे संस्थायें जो केन्द्र सरकार के डाक व तार विभाग अथवा दूर संचार (डी.ओ.टी.) विभाग के साथ पंजीकृत हो, के ही आवेदन नगरीय सीमा में आप्टीकल फाइबर कैबल डालने हेतु राज्य सरकार के विचारार्थ होंगे।

   3.3 पुराने लाइसेंस धारकों पर भी नये आवेदकों की भांति राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत शर्तें लागू होंगी।

4. उपर्युक्त अनुमति निम्न प्रक्रिया के अधीन होगी–

   4.1 समस्त निवेशकों को (चाहे वह पुराने लाइसेंसधारी हो अथवा नये आवेदक) राज्य सरकार के साथ एक संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध करना पड़ेगा, जिसमें सड़कों के किनारे आप्टीकल फाइबर कैबल डालने के समस्त तकनीकी विवरण अंकित होंगे।

4.2 संबंधित निजी निवेशक खुदाई का कार्य सड़क पर करने से पहले खुदाई की जगह पर सड़क की पूर्व स्थिति कायम करने हेतु निर्माण के लिये बाध्य होंगे। इसके क्रियान्वयन हेतु निजी निवेशकों के सामने निम्नानुसार विकल्प होंगे—

(अ) खुदाई के पहले प्रति मीटर 25/-रुपये की दर से एक वर्ष के लिये प्रभावी बैंक गारंटी सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रस्तुत करनी होगी।

अथवा

(ब) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर राशि खुदाई शुरू करने के पहले निवेशक को जमा करवानी होगी।

5. राज्य सरकार स्तर पर सुचारू रूप से इस संबंधित कार्य के क्रियान्वयन हेतु निम्न व्यवस्था की जाती है :-

5.1 राज्य सरकार स्तर पर एकल खिड़की प्रणाली के अनुसार निजी निवेशकों के द्वारा दिये गये सभी प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा गठित निम्न समिति द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे :-

1. शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग
2. शासन सचिव, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी विभाग
3. शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक
5. निदेशक, पंचायती राज विभाग
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग
7. मुख्य अभियन्ता (पथ), सार्वजनिक निर्माण विभाग – सदस्य सचिव

5.2 सार्वजनिक निर्माण विभाग खुदाई की जगह पर सड़क की पूर्ववत यथास्थिति कायम करने हेतु राशि की गणना करते समय सामान्यत: ऐसे कार्य में देय टेण्डर प्रिमियम तथा प्रोरेटा चार्जेज भी सम्मिलित होंगे।

ह०/-

(श्याम एस. अग्रवाल)
शासन सचिव

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-111 की सूचना)

परिशिष्ट ''अ''

दिनांक 28.2.2002 को राजस्थान बंद के दौरान अधिकृत की गयी मिनी बसों की सूची

क्र. सं.	वाहन संख्या	वाहन को अधिकृत की दिनांक	वाहन को छोड़ने का दिनांक	समय	डीजल की मात्रा
1	2	3	4	5	6
1.	आरजे-14-पी-6707	28.2.2002	1.3.2002	9.30 पीएम	20 लीटर
2.	आरजे-14-पी-1621	''	''	''	''
3.	आरजे-14-पी-6306	''	''	''	''
4.	आरजे-14-पी-4827	''	2.3.2002	8.00 पीएम	40 लीटर
5.	आरजे-23-पी-0911	''	1.3.2002	9.30 पीएम	20 लीटर
6.	आरजे-14-पी-4081	1.3.2002	''	''	''
7.	आरजे-14-पी-3982	28.2.2002	''	''	''
8.	आरजे-14-पी-4876	''	''	''	''
9.	आरजे-14-पी-5939	''	''	''	''
10.	आरजे-14-पी-3785	''	''	''	''
11.	आरजे-14-पी-9965	''	''	''	''
12.	आरजे-14-पी-6222	''	''	''	''
13.	आरजे-14-1 पी-1405	''	''	''	''
14.	आरजे-14-पी-5980	''	''	''	''
15.	आरजे-14-पी-6421	''	''	''	''
16.	आरजे-14-1 पी-0841	''	''	''	''
17.	आरजे-14-पी-4128	''	''	''	''
18.	आरजे-14-पी-4076	''	''	''	''

1	2	3	4	5	6
19.	आरजे-27-पी-1049	"	"	"	"
20.	आरजे-14-पी-0690	"	"	"	"
21.	आरजे-14-पी-6082	"	"	"	"
22.	आरजे-14-पी-5687	"	"	"	"
23.	आरजे-14-पी-1548	"	"	"	निल
24.	आरजे-14-पी-5817	"	"	"	20 लीटर
25.	आरजे-14-1 पी-0844	"	"	"	"
26.	आरजे-02-पी-0892	"	"	"	"
27.	आरजे-02-पी-0083	"	"	"	"
28.	आरजे-14-पी-6908	"	"	"	"
29.	आरजे-14-पी-0409	"	"	"	"
30.	आरजे-14-पी-3684	"	"	"	"
31.	आरजे-14-पी-9391	"	"	"	"
32.	आरजे-14-पी-6665	"	"	"	"
33.	आरजे-14-पी-5999	"	"	"	"
34.	आरजे-14-पी-6593	"	"	"	निल
35.	आरजे-02-पी-0571	"	"	"	20 लीटर
36.	आरजे-14-पी-1628	"	"	"	14 लीटर
37.	आरजे-14-पी-9561	"	"	"	20 लीटर

परिशिष्ट "ब"

दिनांक 28.2.2002 को राजस्थान बंद के दौरान अधिकृत की गई जीपों की सूची

क्र. सं.	वाहन संख्या	वाहन को अधिकृत की दिनांक	वाहन को छोड़ने की दिनांक	समय	डीजल की मात्रा
1	2	3	4	5	6
1.	आरजे-14-पी-9820	28.2.2002	1.3.2002	9.30 पीएम	15 लीटर
2.	आरजे-14-पी-9824	"	"	"	"
3.	आरजे-14-पी-9606	"	"	"	"
4.	आरजे-14-पी-8973	"	"	"	"
5.	आरजे-14-पी-9389	"	"	"	"
6.	आरजे-14-पी-7629	"	"	"	"
7.	आरजे-14-पी-8590	"	"	"	"
8.	आरजे-14-पी-0013	"	"	"	"
9.	आरजे-14-पी-9588	"	"	"	"
10.	आरजे-14-पी-0719	"	"	10.30 पीएम	निल
11.	आरजे-14-1 पी-0777	"	"	9.30 पीएम	15 लीटर
12.	आरजे-14-1 पी-0977	"	"	"	"
13.	आरजे-14-1 पी-0284	"	"	"	निल
14.	आरजे-14-टी-1546	"	"	"	15 लीटर
15.	आरजे-14-पी-8292	"	"	"	"
16.	आरजे-32-पी-131	"	"	"	"
17.	आरजे-14-1 पी-1522	"	"	"	"
18.	आरजे-14-पी-3421	"	"	"	"
19.	आरजे-14-पी-9722	"	"	"	"

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न संख्या–112 की प्रति)

वर्ष.................................. (1 जनवरी.................................. को) के लिये/प्रथम नियुक्ति के समय की स्थावर सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी का पूरा नाम तथा सेवा जिससे वह सम्बन्धित है — मंगलाराम HC-19 राजस्थान पुलिस

3. किन कैडर (संवर्ग) से है : राजस्थान पुलिस में हैडकांस्टेबल जयपुर

2. वर्तमान धारित पद — हैडकांस्टेबल

4. वर्तमान वेतन

उस जिले, उप-खण्ड, तहसील तथा गांव का का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित है।	सम्पत्तियों का नाम तथा विवरण आवासीय तथा भूमि अन्य मकान	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम में नहीं है, तो बताएं कि वह किसके नाम में धारित है तथा उस सदस्य के साथ उसका सम्बन्ध क्या है	कैसे अर्जित की, यदि क्रय-पट्टे द्वारा या बंधक, उत्तराधिकार, दान या अन्यथा रूप से अर्जित की गई हो तो अर्जन की तारीख तथा नाम साथ ही उस व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण जिससे अर्जित की है, दें	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
गांव-श्यानपुरा थाना-फूलेरा जिला-जयपुर (राज.)	पैतृक आवासी भवन व खेती की जमीन		पैतृक	पैतृक	करीब 8 हजार रुपये	

ह०/–

(मंगलाराम)

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न संख्या–113 का विवरण) परिशिष्ट ''क''

श्री रेड्डी के विरुद्ध ई.डी.सी. योजना में अनियमितता करने तथा एनीकट निर्माण में गड़बड़ी आदि की शिकायतों का विवरण

क्र.सं.	शिकायतकर्ता का नाम	संक्षिप्त विवरण	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1.	आम जनता बहराबड़ाखुर्द	ई.डी.सी. बहराबड़ाखुर्द में गठन में अनियमितता एवं एनीकट निर्माण में अनियमितता व अन्य बिन्दु।	जांच हेतु वन संरक्षक, क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर द्वारा जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन आपेक्षित है।
2.	श्री अनवर हुसैन अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी (आई)	ई.डी.सी. कमेटी के गठन, एनीकट व अन्य निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने व अन्य	जांच हेतु वन संरक्षक, क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर द्वारा जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन आपेक्षित है।
3.	श्री रामधन बैरवा सदस्य जिला परिषद्, करौली	रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र (कौर) सवाई माधोपुर तथा बफर करौली में इण्डिया इको डवलपमेंट कार्यों में भारी भ्रष्टाचार एवं फर्जीवाड़ा व अन्य बिन्दु	मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) द्वारा जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
4.	ग्रामवासी खिलचीपुर एवं अन्य	श्री जी.वी. रेड्डी द्वारा ग्राम खिलचीपुर में ई.डी.सी. गठन एवं कमेटी द्वारा करवाये गये कार्य में भारी अनियमितता व अन्य बिन्दु	जांच हेतु वन संरक्षक, क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर द्वारा जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
5.	आम जनता ग्राम हिन्दवाड़, जिला-सवाईमाधोपुर	श्री रेड्डी द्वारा ग्राम हिन्दवाड़ में ई.डी.सी. द्वारा कराये गये कार्यों में भारी अनियमितता एवं निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार व अन्य बिन्दु	जांच हेतु वन संरक्षक, क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर द्वारा जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

1	2	3	4
6.	ग्रामवासी उलयाना	ग्राम उलयाना में एनीकट के कार्य में भ्रष्टाचार व अन्य बिन्दु	जांच हेतु वन संरक्षक, क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सवाई माधोपुर द्वारा जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
7.	ग्रामवासी खिलचीपुर	श्री जे.वी. रेड्डी द्वारा ई.डी.सी. ग्राम खिलचीपुर द्वारा कराये गये कार्यों एवं एनीकट में भारी अनियमितता एवं अन्य बिन्दु।	जांच हेतु वन संरक्षक, क्षेत्र निदेशक बाघ परियोजना सवाई माधोपुर द्वारा जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
8.	श्री मोहम्मद माहिर आजाद मा. सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1236/ वन के उत्तर के दौरान माननीय वन मंत्री जी द्वारा दिया गया आश्वासन के परिप्रेक्ष्य में।	गत पांच वर्षों में बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर में निर्माण कार्य एनीकटों/तलाइयों का भौतिक सत्यापन एवं निर्माण कार्य की जांच।	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, की अध्यक्षता में एक टीम का गठन जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा किया गया है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या--114 का विवरण)

परिशिष्ट ''अ''

डी.एफ.ओ. स्टेट ट्रेडिंग सूरतगढ़ व उसके अधीन चार रेंज अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	नाम शिकायतकर्ता /एजेन्सी	पत्र दिनांक	शिकायत पर की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4
1.	श्री संजय अग्रवाल	13.9.2001	यह सभी शिकायतें मुख्यत: समान होने से इनकी निष्पक्ष जांच करवाने के उद्देश्य से मुख्य वन संरक्षक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर श्री ए.सी. चौबे की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन दिनांक 20.12.2001 को किया गया है। समिति के द्वारा इन शिकायतों की जांच की जा रही है। समिति से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होना अपेक्षित है।
2.	श्री गंगाधर शर्मा	10.9.2001	
3.	श्री हरचन्द सिंह सिद्धु विधायक	7.9.2001	
4.	श्री हरचन्द सिंह सिद्धु विधायक	3.9.2001	
5.	श्री गंगाधर शर्मा	---	
6.	श्री हरचन्द सिंह सिद्धु विधायक	3.10.2001	
7.	श्री हरचन्द सिंह सिद्धु विधायक	27.8.2001	
8.	श्री गंगाधर शर्मा	8.9.2001	
9.	श्री हरचन्द सिंह सिद्धु विधायक	27.11.2001	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं बन्दोबस्त द्वारा दिनांक 28.12.2001 को आवश्यक कार्यवाही हेतु मुख्य वन संरक्षक बीकानेर को भेजा।
10.	दैनिक पंजाब केसरी में प्रकाशित समाचार	28.1.2002	प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं बन्दोबस्त द्वारा जांच की जा रही है।
11.	राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार	18.12.2001	वन संरक्षक विभागीय कार्य वृत्त द्वारा जांच की जा रही है।

परिशिष्ट ''अ''

रावतसर एवं नोहर रेंज में हुये अवैध कटान की शिकायतों का एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	नाम शिकायतकर्ता	रेंज का नाम	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1.	श्री राम कुमार एवं अन्य ग्रामवासी हनुमानगढ़	रावतसर	मुख्य वन संरक्षक बीकानेर से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
2.	श्री बेगराज, साकिन पुनिया अध्यक्ष, असहाय मानव कल्याण समिति श्री गंगानगर	रावतसर	मुख्य वन संरक्षक बीकानेर से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।
3.	श्री आदराम मेघवाल विधायक टिब्बी	रावतसर	दोष पाये गये लोक सेवकों को उप वन संरक्षक, हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 12.10.2001 से दण्डित किया गया। जिसके द्वारा श्री हजारीलाल शर्मा वन रक्षक की दो वेतन वृद्धियां असिंचित प्रभाव से रोकना एवं 13,191 रुपये की वसूली के दण्ड, श्री जग्गुमल वन संरक्षक एवं श्री नवाब खां वृक्षपालक प्रत्येक से 11,001 रुपये के वसूली का दण्ड एवं दो वेतन वृद्धि असिंचित प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया गया एवं आदेश दिनांक 29.6.2001 से श्री मोहन सिंह क्षेत्रीय की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचित प्रभाव से रोकने का दण्ड दिया गया।
4.	राजस्थान राज्य वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ रावतरसर	रावतसर	जांच रिपोर्ट के अनुसार शिकायत निराधार पाई गई।
5.	श्री सुरजीत सिंह चक 12 डी.डब्ल्यू.डी. रावतसर	रावतसर	जांच में शिकायत निराधार पाई गई।
6.	श्री रमेश चमौली वन संरक्षक	नोहर	मुख्य वन संरक्षक बीकानेर से जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

परिशिष्ट–16

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–115 का विवरण)

विधान सभा क्षेत्र दानपुर में वर्ष 2001–2002 में कराये गये पक्के कार्यों का विवरण

कार्य स्थल का नाम– उप जल ग्रहण क्षेत्र नलदा

क्र.सं.	कार्य का प्रकार	कार्यों की संख्या
1	2	3
1.	सिल्ट डिटेन्शेन डैम	8
2.	वाटर हार्वेस्टिंग स्टेक्चर	4
3.	गेबियन	6
	योग	18

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र दानपुर में वर्ष 2001–2002 में कराये गये वृक्षारोपण कार्य स्थलों का विवरण

क्र.सं.	नाम वृक्षारोपण वर्ष	क्षेत्रफल (हैक्टेयर्स में)
1.	भोजिया सामरिया (एच)	50
2.	भोजिया सामरिया (जी)	50
3.	धनखेया कोटड़ा (डी)	50
4.	बड़ा नान्दाखो (ई)	50
5.	रोहाल पन्नासी (सी)	60
6.	रोहाल पन्नासी (डी)	40
7.	रोहाल पन्नासी (ई)	50
	योग	350

परिशिष्ट-17

(अतारांकित प्रश्न संख्या-120 की सूची) परिशिष्ट "अ"

मेटल रोड का विवरण बांसवाड़ा

क्र.सं.	सड़क का नाम	किमी.	विशेष विवरण
1	2	3	4
पंचायत समिति बांसवाड़ा			
1.	सम्पर्क सड़क छापरी	6.00	क्षतिग्रस्त नहीं है।
2.	सम्पर्क चौबीसों का पाड़ा	3.00	" "
3.	सम्पर्क छापरिया	0.50	" "
4.	सम्पर्क भीलवन	1.50	" "
5.	गणाऊ से देवगढ़ वाया नाल	6.00	" "
6.	सम्पर्क सड़क बोरिया	2.00	" "
7.	सम्पर्क कूपड़ा से गलकिया	4.00	" "
8.	सम्पर्क मुंथली	1.50	" "
		24.50	
पंचायत समिति पीपलखूंट			
9.	सम्पर्क सड़क धनाक्षरी	2.00	क्षतिग्रस्त है
10.	ढेचला से झामली	8.00	" "
11.	चोड़ी तेजपुर से नायन वाया पृथ्वीपुरा	10.00	" "
		20.00	
पंचायत समिति घाटोल			
12.	सम्पर्क सड़क सरोदिया	6.00	क्षतिग्रस्त नहीं है
13.	सम्पर्क कंठाव	1.50	" "
14.	डूंगरीया से मोगा सेल वाया डूंगर सड़क	2.00	आंशिक क्षतिग्रस्त है
15.	सम्पर्क सड़क घाटोल नेगरेड़	1.00	क्षतिग्रस्त है
		10.50	

1	2	3	4
	पंचायत समिति गढ़ी खण्ड–द्वितीय, बांसवाड़ा		
1.	परतापुर आंजना वाया मादलदा	2.50	सा.नि.वि. में संधारण
2.	सम्पर्क सड़क सालिया	1.00	आंशिक क्षतिग्रस्त है
3.	सम्पर्क सड़क बोरी	0.50	,, ,,
4.	गढ़ी से बिलोड़ा वाया पारसोलिया	5.00	,, ,,
5.	सम्पर्क सड़क मोयावासा	1.25	क्षतिग्रस्त है
6.	केशरपुरा से पादरी	2.00	,, ,,
7.	सम्पर्क सड़क ठीकरिया	1.50	,, ,,
8.	सम्पर्क सड़क नाथवाड़ा	3.00	,, ,,
9.	सम्पर्क सड़क सालिया से विजाखेरा	3.50	,, ,,
10.	सम्पर्क सड़क वखतपुरा	3.00	,, ,,
11.	सम्पर्क सड़क कुवानिया	3.50	,, ,,
12.	सम्पर्क सड़क नवाधरा	2.00	,, ,,
13.	सम्पर्क सड़क पारसोलिया	3.50	,, ,,
14.	सम्पर्क सड़क सोरड़ा	4.00	,, ,,
		36.25	
	पंचायत समिति कुशलगढ़		
15.	डूंगरा जालिमपुरा झेर	14.00	क्षतिग्रस्त है
16.	कलिंजरा कुशलगढ़ झाड़ी	0.50	,, ,,
17.	सम्पर्क सड़क निश्नावट	1.00	,, ,,
18.	सम्पर्क सड़क करमदिया	2.50	,, ,,
19.	सम्पर्क सड़क सब्बलपुरा	2.50	,, ,,
20.	सम्पर्क सड़क टिमेड़ा छोटा	3.00	,, ,,
21.	सम्पर्क सड़क मोहकमपुरा बावलोपाड़ा	4.00	,, ,,
22.	सम्पर्क सड़क पाटन बड़ी सरवा म.प्र. सीमा	4.00	,, ,,
		31.50	

1	2	3	4
पंचायत समिति आनन्दपुरी			
23.	सम्पर्क सड़क नाहरपुरा	2.00	सा.नि.वि. में संधारण
24.	सम्पर्क सड़क छाजा मुंदड़ी	2.00	आंशिक क्षतिग्रस्त है
25.	सम्पर्क सड़क ओबला	1.00	,, ,,
26.	सम्पर्क सड़क टामटिया	1.50	,, ,,
27.	सम्पर्क सड़क रतनपुरा	1.00	क्षतिग्रस्त है
28.	सम्पर्क सड़क बोरवानिया	0.50	,, ,,
29.	सम्पर्क सड़क पिथापुरा	1.00	,, ,,
30.	मटकला मोगजी (क्यूबा रोड़)	2.00	,, ,,
31.	चिकली तेजा सड़क	1.00	,, ,,
32.	वरेठ से खूंटालालू पारगी	1.50	,, ,,
		13.50	
पंचायत समिति बागीदौरा			
33.	झेर गांगड़तलाई सड़क	2.00	आंशिक क्षतिग्रस्त है
34.	सल्लोपाट खूंटागलिया सड़क	2.00	,, ,,
35.	सम्पर्क सड़क सालिया	1.00	,, ,,
36.	सम्पर्क सड़क टाण्डीनानी/मोटो	6.00	,, ,,
37.	सम्पर्क सड़क खोड़ालीम	4.00	,, ,,
38.	सम्पर्क सड़क ढालर	5.00	,, ,,
39.	बोडीगामा पनासी सड़क	1.50	,, ,,
40.	एमडीआर-43 से नागावाड़ा	3.00	,, ,,
41.	सम्पर्क सड़क नाल	5.00	,, ,,
42.	सम्पर्क सड़क गडूली	4.00	,, ,,
43.	सम्पर्क सड़क हड़मत	3.00	,, ,,
44.	बोडीगामा जलदा सड़क	1.75	,, ,,
		35.75	
	कुल योग	172.00	

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-122 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम/पिता का नाम	जाति	पता	जिला
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	बृजेश पंवार पुत्र श्री जौहरी लाल पंवार	माली	आजाद नगर, मदनगंज, किशनगढ़ (अजमेर)	अजमेर
2.	अश्वनी कुमार यादव पुत्र श्री सोमदेव यादव	अहीर	44-ए, स्कीम नं. 2, लाजपत नगर, अलवर	अलवर
3.	दीपक कुमार पुत्र श्री बी.एन. मोहिल	सोनी	बी-3/10, पटेल नगर, बीकानेर	बीकानेर
4.	शहनाज परवीन पुत्र श्री शिराज अहमद	तेली	अनिल आर्ट स्टूडियो हैड पोस्ट आफिस के पीछे, रतन सागर के पीछे, रतनसागर वैल, बीकानेर	बीकानेर
5.	शंकरलाल मारू पुत्र श्री तोलाराम मारू	नाई	श्री डूंगरगढ़, जिला चूरू	चूरू
6.	सत्यपाल वर्मा पुत्र श्री बृजलाल वर्मा	कुम्हार	106, III ब्लाक पुरानी आबादी, श्री गंगानगर	श्री गंगानगर
7.	कैलाश चन्द अटवासिया पुत्र श्री भंवलाल अटवासिया	जांगीड़	36, नटराज नगर, टोंक फाटक, जयपुर	जयपुर
8.	जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा	जांगीड़	बदनपुरा, वार्ड नं. 22, चौमूं, जिला-जयपुर	जयपुर
9.	ओमप्रकाश पुत्र श्री राघवेन्द्र	साद	बिचला मंदिर, मुख्य पोस्ट जंजीला, नागौर	नागौर
10.	सिद्धेश्वर पुरी पुत्र श्री किशनपुरी	गुंसाई	11, जयनारायण व्यास कालोनी, पाली	पाली
11.	अनवर अहमद चौहान पुत्र श्री गुलाम अहमद	तेली	वार्ड नं. 31, फतेहपुर शेखावाटी, सीकर	सीकर
12.	अशोक कुमार टांक पुत्र श्री भंवरलाल	दर्जी	अशोक मैदान, नेहरू मार्ग, सीकर	सीकर

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	नाम/पिता का नाम	जाति	पता	जिला
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	धूकलराम कसवा पुत्र श्री जोराराम कसवा	जाट	ई-65, शास्त्री नगर, अजमेर	अजमेर
2.	विक्रम सिंह पुत्र श्री नवल सिंह	स्वर्णकार	बरदिया पादी, मुंशी बाजार, अलवर	अलवर
3.	प्रेमलता सैनी पुत्र श्री मामराज	माली	97, स्कीम नं. 4, अलवर	अलवर
4.	तानसिंह चारण पुत्र श्री भंवरसिंह चारण	चारण	राय कालोनी, सरदारपुरा, बाड़मेर	बाड़मेर
5.	बलदेवराज बेनीवाल पुत्र श्री रामप्रताप बेनीवाल	जाट	6-सी-6, जयनारायण व्यास कालोनी, बीकानेर	बीकानेर
6.	सरोज चौधरी पुत्री श्री बी.आर. चौधरी	जाट	226-ए, इण्डस्ट्रियल एरिया रानी बाजार, बीकानेर	बीकानेर
7.	शिवप्रसाद तम्बोली पुत्र श्री बद्रीलाल तम्बोली	तम्बोली	बी-11, जवाहरनगर कालोनी प्रतापगढ़, (चित्तौड़गढ़)	बीकानेर
8.	रामावतार सोनी पुत्र श्री राधेश्याम सोनी	सोनी	रतननगर, जिला-चूरू	चूरू
9.	तसनीम खान पत्नी श्री जसवन्त खान	कायम खानी	जी-8, इण्डस्ट्रियल एरिया, चूरू	चूरू
10.	असरार खोखर पुत्र श्री नूर मोहम्मद खोखर	धोबी मुसलमान	इमामबाड़ा, रोड सदर सहार, चूरू	चूरू
11.	शिवकुमार पुत्र श्री धर्मपाल	जाट	वार्ड नं. 3, पोस्ट भादरा, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़
12.	सुमन सारण पुत्री श्री बुद्धराम सारण	जाट	7-14, जवाहरनगर, जयपुर	जयपुर

1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
13.	प्रदीप कुमार पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह	जाट	सी–25, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर	जयपुर
14.	रेखा चौधरी पुत्र श्री भरत सिंह	जाट	सी–24, माडल टाउन, जी.एस.आई. कालोनी, मालवीय नगर, जयपुर	जयपुर
15.	मदन गोपाल सोनी पुत्र श्री केदारनाथ सोनी	स्वर्णकार	146, श्री विहार कालोनी, क्लार्क आमेर के सामने, मालवीय नगर, जयपुर	जयपुर
16.	सोनिया बेनीवाल पुत्री श्री ओ.पी. बेनीवाल	जाट	एच ई–58, हनुमाननगर विस्तार, खातीपुरा, जयपुर	जयपुर
17.	अजय गोदारा पुत्र श्री ओमप्रकाश गोदारा	जाट	257, आफिसर्स केम्पस, खातीपुरा, जयपुर	जयपुर
18.	रामपाल जाट पुत्र श्री हरिनारायण जाट	जाट	कौथून, तहसील चौमूं, जिला–जयपुर	जयपुर
19.	प्रेम राजेश पुत्री श्री राजेश सिंह	जाट	भांमू हाउस, मोतीनगर, रोड नं. 4, क्वीन्स रोड, जयपुर	जयपुर
20.	रूबीना परवीन अंसारी पुत्री श्री मुश्ताक अहमद अंसारी	जुलाहा	10, किदवई नगर, इमली फाटक, जयपुर	जयपुर
21.	ऐलकुमारी सोलंकी पुत्री श्री बाबूलाल सोलंकी	पाली	61, गांधी नगर कालोनी, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर	जोधपुर
22.	अजीत खान पुत्र श्री खान मोहम्मद खान	सिंधी मुसलमान	10/472, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर	जोधपुर
23.	सुरेन्द्र सिंह सांदू पुत्र श्री चावण्डदान सांदू	चारण	29, महर्षि दधीचि नगर, महामन्दिर, जोधपुर	जोधपुर

1	2	3	4	5
24.	मनीषा चौधरी पुत्री श्री एन.आर. चौधरी	जाट	जी–112, शास्त्री नगर, जोधपुर	जोधपुर
25.	सुनील कुमार यादव पुत्र श्री राजवीर सिंह यादव	अहीर	पशु चिकित्सालय के पास, वार्ड नं. 15, खेतड़ी, (झुंझनूं)	झुंझनूं
26.	रणधीर सिंह मिर्धा पुत्र श्री प्रहलादराम मिर्धा	जाट	पोस्ट–परवतसर, जिला–नागौर	नागौर
27.	सतीश चन्द्र गोदारा पुत्र श्री टी.आर. चौधरी	जाट	सिविल लाइन, मेड़ता सिटी, नागौर	नागौर
28.	संजीव कुमार चारण पुत्र श्री अवरदान चारण	चारण	सी–58, वीर दुर्गादास नगर, रूपवास, जिला–पाली	पाली
29.	नीतू आर्य पुत्री श्री बाबूलाल आर्य	घाची	आर्य समाज के पास, शिवगंज, जिला सिरोही	सिरोही
30.	किशनलाल चौधरी पुत्री श्री परशुराम चौधरी	जाट	आदर्श नगर, मालपुरा, जिला–टोंक	टोंक

नोट : इनके अतिरिक्त वैधप्रिया का प्रोवीजनल तौर पर चयन किया गया है किन्तु लोक सेवा आयोग ने अभी उसके चयन को अंतिमता नहीं दी है।

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-19

(अतारांकित प्रश्न संख्या-128 की सूची)

प्रशासन गांव के संग पंचायत समिति रायपुर की ग्राम पंचायतवार वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, अन्नपूर्णा योजना व पारिवारिक सहायता योजना की सूची

क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	योजनावार स्वीकृत प्रकरणों की संख्या				
		वृद्धावस्था पेन्शन	विकलांग पेन्शन	विधवा पेन्शन	अन्नपूर्णा योजना	पारिवारिक सहायता योजना
1	2	3	4	5	6	7
1.	काकूवा	3	–	–	–	–
2.	झाला की चौकी					
	रामपुरा कला	5	–	11	–	–
3.	चिताड़	–	–	2	–	–
4.	कालब कला	1	–	2	–	–
5.	बगड़ी	1	–	4	–	–
6.	चांग	1	–	2	–	1
7.	सबलपुर	4	–	4	–	–
8.	कुशालपुरा	3	–	6	–	1
9.	दीपावास	5	–	5	–	1
10.	रामपुर	2	–	16	–	–
11.	झूठा	13	–	14	–	1
12.	निबेड़ा कला	–	–	6	–	–
13.	सैंघड़ा	–	1	4	–	–
14.	बूटीवास	–	–	5	–	–
15.	कारजा	–	–	3	–	..
16.	कोट किराना	–	–	6	–	4

1	2	3	4	5	6	7
17.	पीपलिया कला	–	–	4	–	1
18.	सतड़िया	–	–	6	–	–
19.	मोहरा कला	–	–	1	–	–
20.	सुमेल	–	–	5	–	–
21.	वालिया	–	–	1	–	–
22.	बलवरा	–	–	4	–	–
23.	बासियां	–	–	5	–	1
24.	बर	5	–	9	–	–
25.	कलालियां	–	–	2	–	–
26.	लीलाम्बा	–	–	8	–	–
27.	देवली कला	–	–	6	–	–
28.	विरटिया कला	–	–	2	–	–
29.	नानणा	–	–	4	–	–
30.	गिरी	–	–	4	–	–
31.	हाजीवास	–	–	2	–	1
32.	प्रतापगढ़	–	–	2	–	–
	योग	43	1	155	0	11

परिशिष्ट-2

प्रशासन गांव के संग पंचायत समिति सोजत की ग्राम पंचायतवार स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, अन्नपूर्णा योजना व पारिवारिक सहायता योजना की सूची

		योजनावार स्वीकृत प्रकरणों की संख्या				
क्र. सं.	नाम ग्राम पंचायत	वृद्धावस्था पेन्शन	विकलांग पेन्शन	विधवा पेन्शन	अन्नपूर्णा योजना	पारिवारिक सहायता योजना
1	2	3	4	5	6	7
1.	करमावास	3	1	2	–	1
2.	सजीस कला	1	–	4	–	–
3.	सरदार समन्द	5	1	1	–	1
4.	धीनावास	2	3	1	–	3
5.	गुड़ाकला	4	1	8	–	1
6.	बीसल	2	3	2	–	–
7.	चोपड़ा	4	1	5	–	–
8.	धुससनी	6	1	3	–	2
9.	खारिया नीब	14	2	3	–	–
10.	गुडा रामसिंह	3	–	4	–	–
11.	शिवपुरा	1	–	9	23	–
12.	खोखस	3	–	2	–	–
13.	बिलावास	3	–	6	–	–
14.	सोजत रोड	5	–	6	–	–
15.	चण्डावल नगर	1	3	6	–	1
16.	साड़िया	2	1	3	–	–
17.	सयरा कला	10	–	–	10	–
18.	मेव	1	–	–	15	2
19.	रूपावास	1	1	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
20.	गुडावीजा	5	3	4	–	1
21.	खारिया सोड़ा	2	1	–	–	–
22.	मामुडा	2	–	–	–	1
23.	मण्डला	1	–	–	–	–
24.	वासणा	1	–	3	4	–
25.	सियाट	–	3	3	–	2
26.	खाड़िया	–	1	7	30	3
27.	चाण्डवास	–	–	2	14	–
28.	सुसयता	–	–	2	–	2
29.	बगड़ी नगर	–	–	3	–	–
30.	धारड़ी	–	–	2	–	–
31.	खेड़ावास	–	–	1	–	–
	योग	82	26	93	96	20

परिशिष्ट-3 (अ)

प्रशासन गांव के संग पंचायत समिति रायपुर में 55 वर्ष की महिला व 58 वर्ष के पुरुष की स्वीकृत पेंशन की ग्राम पंचायतवार सूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	स्वीकृत पेन्शन योजना
1.	कलालिया	1
2.	सबलपुरा	1
3.	वासिया	1
4.	झूठा	2
5.	पीपलिया कला	1
	योग	6

परिशिष्ट-3 (ब)

प्रशासन गांव के संग पंचायत समिति सोजत में 55 वर्ष की महिला व 58 वर्ष के पुरुष की स्वीकृत पेंशन की ग्राम पंचायतवार सूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	राज्य वृद्धावस्था पेंशन55 वर्ष की महिला व 58 वर्ष के पुरुष
1.	गुढ़ा रामसिंह	2
2.	गुडानीजा	2
3.	गुड़ा कला	3
4.	गागुड़ा	0
5.	अटपड़ा	4
6.	चौपड़ा	1
7.	चाड़वास	1
8.	चण्डावल स्टेशन	0
9.	चण्डावल नगर	0
10.	सुरायता	2
11.	सोजत रोड	0
12.	साण्डिया	4
13.	सरदार समद	0
14.	रेन्दड़ी	0
15.	रेपड़ावास	3
16.	राजोला कलां	0
17.	रायस कलां	0
18.	भिसाना	0
19.	हरियागाली	0
20.	सियाट	1
21.	शिवपुरा	1
22.	बिलावास	4

1	2	3	4	5	6	7
23.	गेव		2			
24.	मण्डला		1			
25.	केलवाद		2			
26.	करगावारा पटा		0			
27.	बगड़ी नगर		4			
28.	वोयल		7			
29.	वासना		0			
30.	झूपेलाव		3			
31.	खोड़िया		0			
32.	खोखरा		0			
33.	खारीया नींव		1			
34.	खारीया साड़ा		3			
35.	रूपावास		3			
36.	धुरारानी		3			
37.	धाकड़ी		3			
38.	चीनावास		0			
	योग		**60**			

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–20

(अतारांकित प्रश्न संख्या–131 का विवरण)

गत तीन वर्षों में स्वीकृत छात्रावासों की सूची

क्र. सं.	सम्भाग का नाम	जिले का नाम	छात्रावास खोलने का स्थान	स्वीकृत छात्र संख्या	बालक/ कन्या	योजना
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	अजमेर	1. श्री नगर	25	बालक	अनु.जाति
			2. सायला (केकड़ी)	25	बालक	अनु.जाति
	भीलवाड़ा		3. सलावटिया (मांडलगढ़)	25	बालक	अनु.जाति
			4. मांडल	25	बालक	अनु.जाति
			5. नन्दराय (पं.स. कोटड़ी) तहसील शाहपुरा	25	बालक	अनु.जाति
			6. पीपलूद (जहाजपुर)	25	बालक	अनु.जाति
			7. दौलतगढ़ (दौलतगढ़)	25	कन्या	अनु.जाति
	टोंक		8. नासरदा, देवली (टोंक)	25	बालक	अनु.जाति
			9. मण्डावर	25	बालक	अनु.जाति
			10. निवाई	25	बालक	अनु.जाति
			11. राहोली (तह. निवाई)	25	बालक	अनु.जाति
			12. दूनी (तह. देवली)	25	बालक	अनु.जाति
			13. लाम्बा हरिसिंह (तह. मालपुरा)	25	बालक	अनु.जाति
	नागौर		14. छोटी खाटू (डीडवाना)	25	बालक	अनु.जाति
			15. खींवसर	25	बालक	अनु.जाति
2.	बीकानेर	बीकानेर	16. नोखा (जसरासर)	25	बालक	अनु.जाति
		चूरू	17. सालासर	25	बालक	अनु.जाति
		हनुमानगढ़	18. टीब्बी	25	बालक	अनु.जाति
			19. पण्डितावाली (तह. पीलीबंगा)	25	बालक	अनु.जाति
			20. पक्कासारण	25	बालक	अनु.जाति
		श्री गंगानगर	21. केसरीसिंहपुर	25	बालक	अनु.जाति

1	2	3	4	5	6	7
3.	जयपुर	अलवर	22. राजगढ़	25	बालक	अनु.जाति
			23. अलवर शहर	25	बालक	अनु.जाति
		दौसा	24. नौगावत (पे.स. बाड़ा)	25	बालक	अनु.जाति
		झुंझुनूं	25. चिड़ावा	25	बालक	अनु.जाति
			26. मरहमपुर	25	बालक	अनु.जाति
		सीकर	27. धोंद	25	बालक	अनु.जाति
			28. श्रीमाधोपुर	25	बालक	अनु.जाति
			29. धोई	25	बालक	अनु.जाति
		जयपुर	30. शास्त्री नगर	25	बालक	अनु.जाति
			31. जगतपुरा	25	बालक	अनु.जाति
			32. बजाज नगर	25	बालक	अनु.जाति
			33. प्रताप नगर (सांगानेर)	25	बालक	अनु.जाति
			34. रामगंज	25	बालक	अनु.जाति
4.	जोधपुर	बाड़मेर	35. सिवाना	25	बालक	अनु.जाति
		जैसलमेर	36. सांकड़ा	25	बालक	अनु.जाति
		जोधपुर	37. झंवर	25	बालक	अनु.जाति
		पाली	38. काणूजा (रायपुर)	25	बालक	अनु.जाति
		जालौर	39. आहोर	25	बालक	अनु.जाति
5.	कोटा	बारां	40. देवरी	25	बालक	अनु.जाति
		करौली	41. सपोटरा	25	बालक	अनु.जाति
		कोटा	42. खातौली	25	बालक	अनु.जाति
		स. माधोपुर	43. खण्डार	25	बालक	अनु.जाति
			44. मलारना चौड़	25	बालक	अनु.जाति
			45. फलौदी चारी	25	बालक	अनु.जाति
6.	उदयपुर	बांसवाड़ा	46. तलवाड़ा	25	बालक	अनु.जाति
			47. बड़वास बड़ी	25	बालक	अनु.जाति
			48. साड़ास (तह. गंगरार)	25	बालक	अनु.जाति
			49. सेनावासा	25	बालक	अनु.जाति
		उदयपुर	50. बदराना, झाड़ेल फलासिया	25	बालक	अनु.जाति

परिशिष्ट "1"

परिशिष्ट-21

(अतारांकित प्रश्न संख्या-142 का विवरण)

निगम एवं कर्मचारियों के मध्य विचाराधीन वादों की वर्षवार सूचना

		लम्बित वर्षवार प्रकरण		
क्र. सं.	वर्ष	सिविल वाद प्रकरण	श्रम न्यायालय प्रकरण	कुल योग
1	2	3	4	5
1.	1985	1	3	4
2.	1986	–	3	3
3.	1987	14	14	28
4.	1988	11	7	18
5.	1989	36	10	46
6.	1990	18	24	42
7.	1991	124	37	161
8.	1992	70	129	199
9.	1993	93	280	373
10.	1994	99	299	398
11.	1995	158	172	330
12.	1996	345	385	730
13.	1997	300	427	727
14.	1998	344	569	913
15.	1999	322	507	829
16.	2000	342	514	856
17.	2001	437	649	1086
18.	2002	82	–	82
	योग	2796	4029	6825

परिशिष्ट "1"

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या-144 का विवरण)

वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 में आगारों हेतु प्रस्तावित बजट प्रावधानों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	बजट अनुमार (लाख रु. में) 2001-2002	2002-2003
1	2	3	4
1.	अलवर आगार		
	1. बस स्टैण्ड पर सड़क व नाली का निर्माण कार्य	0.50	---
	2. बस स्टैण्ड, बानसूर में सिविल कार्य	0.16	---
2.	टोंक आगार		
	1. बस स्टैण्ड टोंक पर चार दीवारी एवं फर्श कार्य	0.61	---
3.	हिण्डौन आगार		
	1. बस स्टैण्ड करौली का निर्माण कार्य	6.19	---
	2. बस स्टैण्ड हिण्डौन का सुधार कार्य	0.30	---
	3. बस स्टैण्ड टोडाभीम का निर्माण कार्य	---	3.00
	4. बस स्टैण्ड सवाईमाधोपुर का निर्माण कार्य (जिला सवाईमाधोपुर)	6.50	8.00
4.	दौसा आगार		
	1. बस स्टैण्ड दौसा का निर्माण कार्य	13.41	12.00
	2. बस स्टैण्ड महुवा का सिविल कार्य	1.00	2.00
	3. प्रस्तावित बस स्टैण्ड महुवा का निर्माण कार्य	---	2.00
5.	अनूपगढ़ आगार (जिला-गंगानगर)		
	1. बस स्टैण्ड अनूपगढ़ का निर्माण कार्य	1.70	---
6.	हनुमानगढ़ आगार		
	1. बस स्टैण्ड हनुमानगढ़ का निर्माण कार्य	---	5.00
7.	बीकानेर आगार		
	1. बस स्टैण्ड खाजूवाला में तारबंदी कार्य	---	0.50

1	2	3	4
8.	जयपुर		
	1. बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प, जयपुर पर बुकिंग केबिन कार्य	3.44	---
	2. बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प, जयपुर पर यात्री प्रतीक्षालय निर्माण कार्य	3.19	---
	3. बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प, जयपुर पर "4" नम्बर प्लेट फार्म का विस्तार कार्य	---	2.00
	4. बस स्टैण्ड सिन्धी कैम्प, जयपुर पर डीलक्स प्लेटफार्म पर फ्लोरिंग कार्य	---	2.00
	5. बस स्टैण्ड विद्याधर नगर का निर्माण कार्य	---	7.00
	6. आश्रम मार्ग, टोंक रोड, जयपुर (प्रस्तावित बस स्टेण्ड) पर चारदीवारी निर्माण कार्य	---	5.50
	7. बस स्टैण्ड, शाहपुरा में यात्री शैड एवं सड़क निर्माण कार्य	---	---
9.	चित्तौड़गढ़ आगार		
	1. बस स्टैण्ड चित्तौड़गढ़ पर यात्री शैड विस्तार, टायलेट ब्लाक निर्माण कार्य	0.87	---
	2. बस स्टैण्ड चित्तौड़गढ़ पर यात्री शैड में विद्युत कार्य	0.23	---
10.	डूंगरपुर आगार		
	1. बस स्टैण्ड डूंगरपुर पर सड़क विस्तार कार्य	6.49	2.00
	2. बस स्टैण्ड डूंगरपुर पर दुकान निर्माण कार्य	5.00	---
	3. बस स्टैण्ड सांगवाड़ा पर दुकान निर्माण कार्य	2.55	---
11.	उदयपुर आगार		
	1. बस स्टैण्ड उदयपुर पर यात्री प्रतिक्षालय निर्माण कार्य (वातानुकूलित)	2.00	3.00
12.	अजमेर आगार		
	1. बस स्टैण्ड अजमेर पर चारदीवारी विस्तार एवं मुत्रालय निर्माण कार्य	2.10	---

1	2	3	4
13.	बारां आगार		
	1. बस स्टैण्ड बारां पर कुर्सियों की आपूर्ति एवं फिक्सिंग कार्य	0.14	---
	2. बस स्टैण्ड बारां पर बैंक भवन निर्माण कार्य	---	3.00
14.	श्रीमाधोपुर आगार (जिला-सीकर)		
	1. श्रीमाधोपुर में प्रस्तावित बस स्टैण्ड का निर्माण कार्य	1.00	14.00
15.	देहली आगार		
	1. बस स्टैण्ड, बीकानेर हाउस, देहली पर सिविल कार्य	1.62	---
16.	जोधपुर आगार		
	1. बस स्टैण्ड जोधपुर पर डीलक्स प्लेटफार्म निर्माण कार्य	22.25	---
17.	जालौर आगार		
	1. बस स्टैण्ड, आहोर में चारदीवारी एवं सड़क निर्माण कार्य	1.60	1.65
18.	बाड़मेर आगार		
	1. बस स्टैण्ड चौहटन पर चारदीवारी निर्माण कार्य	4.05	---
19.	पाली आगार		
	1. बस स्टैण्ड पाली पर पुलिस चौकी निर्माण कार्य	1.50	---
20.	फालना आगार (जिला-पाली)		
	1. बस स्टैण्ड फालना का निर्माण कार्य	2.60	---
21.	आबूरोड आगार (जिला-सिरोह)		
	1. बस स्टैण्ड माउण्ट आबू पर विविध निर्माण कार्य	1.50	1.00
	2. बस स्टैण्ड माउण्ट आबू पर टायलेट ब्लाक निर्माण कार्य	1.50	1.00
	विविध निर्माण कार्यों हेतु बजट प्रावधान (इकजाई)	1.00	59.35
	आगार स्तर द्वारा कराये जाने वाले कार्य हेतु (इकजाई) (प्रावधान)	3.00	5.00
	कुल योग बजट अनुमान	98.00	140.00
	यात्री सुविधा हेतु भारतीय तेल निगम से प्राप्त सहयोग राशि	7.00	---
	कुल बजट अनुमान	91.00	140.00

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-23

(अतारांकित प्रश्न संख्या-146 का विवरण)

मण्डी शुल्क अपवंचन की वसूली के प्रकरणों का विवरण

क्र. सं.	मण्डी समिति	फर्म का नाम जिसके विरुद्ध मण्डी शुल्क अपवंचन की राशि बकाया	निरीक्षण दिनांक	अपवंचन की राशि	वसूल की जा रही कार्यवाही	वि.वि.
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर अनाज	ओमप्रकाश विष्णुदत्त	28.02.1994	10619.00	न्यायालय में विचाराधीन	
2.		जेठानन्द एण्ड कम्पनी	10.11.1994	13946.00	न्यायालय में विचाराधीन	
3.		जैन ट्रेडर्स, पीसांगन	14.04.1999	3757.00	न्यायालय में विचाराधीन	
4.		बदरी लाल द्वारका प्रसाद	14.04.1999	7001.00	न्यायालय में विचाराधीन	
5.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा आयल प्रोड. एण्ड रिफानरी	30.05.1994	3501.25	न्यायालय में विचाराधीन	
6.		भीलवाड़ा आयल प्रोडक्टस	30.05.1994	2164.50	न्यायालय में विचाराधीन	
7.		केडिया कांटिनेंटल	21.11.1996	3709.00	न्यायालय में विचाराधीन	
8.		रामेश्वरलाल रामस्वरूप	11.04.1996	10970.00	न्यायालय में विचाराधीन	
9.		संजय इण्डस्ट्रीज	22.08.1997	11981.00	न्यायालय में विचाराधीन	
10.		साईबाबा दाल मिल	26.08.1997	18435.00	न्यायालय में विचाराधीन	

1	2	3	4	5	6	7
11.	निवाई	शिव शक्ति आयल इण्डस्ट्रीज	20.05.1995	2395.00	न्यायालय में विचाराधीन	
12.		सिंहल आयल प्रोडक्ट्स	19.02.1998	3483.00	न्यायालय में विचाराधीन	
13.	टोंक	मोतीलाल रामनिवास	05.09.1992	7573.00	मण्डी स्तर पर लम्बित	
14.		रामकिशोर रमेश कुमार	05.09.1992	754.00	मण्डी स्तर पर लम्बित	
15.		गुलाबचन्द रामावतार	05.09.1992	1298.32	मण्डी स्तर पर लम्बित	
16.	हनुमानगढ़	श्रीमनीराम रामचन्द्र	01.05.1997	361.95	मण्डी स्तर पर लम्बित	
17.		हनुमान ट्रेडिंग कम्पनी	02.08.1997	608.00	मण्डी स्तर पर लम्बित	
18.		मै. शुभलक्ष्मी दाल मिल	31.07.1997	2663.23	मण्डी स्तर पर लम्बित	
19.	संगरिया	भारत इण्डस्ट्रीज	21.06.1997	5337.00	न्यायालय में विचाराधीन	
20.		हरिनारायण ट्रेडिंग कम्पनी	19.08.1996	2662.00	न्यायालय में विचाराधीन	
21.		लूणाराम राजेन्द्र कुमार	08.10.1996	286.12	न्यायालय में विचाराधीन	
22.		प्रदीप कुमार प्रमोद कुमार	02.05.1996	3129.31	न्यायालय में विचाराधीन	
23.		रामनारायण बलदेवचन्द	29.04.1995	4247.00	उपनिदेशक सर्वे सतर्कता, श्री गंगानगर को पत्र 8060 दि. 1.3.96 से पत्रावली भेजी गई। मण्डी शुल्क नहीं बनता।	

1	2	3	4	5	6	7
24.		रोनकराम जगन्नाथ	08.10.1996	2613.67	न्यायालय में विचाराधीन	
25.		विजय कुमार नरेश कुमार	02.05.1996	33731.00	न्यायालय में विचाराधीन	
26.		विजय कुमार नरेश कुमार	08.10.1996	1463.36	न्यायालय में विचाराधीन	
27.	चाकसू	चांदमल कैलाश चंद, फागी	26.06.2001	4024.00	चालान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	
28.	कोटपूतली	कमला उद्योग, पावटा	24.07.1997	4332.00	एल.आर.एक्ट में विचाराधीन	
29.	जयपुर अनाज	धासीलाल रामबाबू	29.12.1995	21805.00	न्यायालय में विचाराधीन	
30.		प्रभुनारायण सत्यनारायण	29.12.1993	697.00	न्यायालय में विचाराधीन	
31.		रमेश चंद सूर्यनारायण दाल मिल	11.10.1994	16486.00	न्यायालय में विचाराधीन	
32.		एशोगमस प्रा. लि. जयपुर	30.01.1995	11189.00	मण्डी/निदेशालय स्तर पर लम्बित	
33.		सूरजमल रामनिवास	21.03.1995	246180.00	न्यायालय में विचाराधीन	
34.		संदीप इण्डस्ट्रीज	19.09.1995	3075.00	न्यायालय में विचाराधीन	
35.		लकड़ा उद्योग	18.03.1996	27108.00	न्यायालय में विचाराधीन	
36.		गोपीराम दामोदर लाल	22.01.1996	8500.00	न्यायालय में विचाराधीन	
37.		राजस्थान राज्य बीमा निगम, जयपुर	19.09.1995	126186.00	न्यायालय राज्य स्तर पर विचाराधीन	

1	2	3	4	5	6	7
38.		बाबूलाल सुनील कुमार, शाहपुरा	24.07.1997	422.00	न्यायालय में विचाराधीन	
39.		मारूति एंटरप्राइजेज	15.12.1997	2373.00	भूराजस्व के तहत वसूली	
40.	भरतपुर	निर्मल आयल मिल	20.03.1993	5207.44	न्यायालय में विचाराधीन	
41.		डालमिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	06.07.1995	321483.00	न्यायालय में विचाराधीन	
42.	खैरथल	कौशल काटन जिनिंग फैक्टरी	09.12.1999	1918.00	एल.आर. एक्ट में विचाराधीन	
43.		सिंधल ट्रेडर्स	26.02.2001	4255.00	न्यायालय में विचाराधीन	
44.		जयवैष्णव आयल मिल	26.11.2001	29646.00	वसूली हेतु कार्यवाही जारी	
45.		नथनलाल गंगालहरी	27.11.2001	779.00	वसूली हेतु कार्यवाही जारी	
46.		प्रकाश एण्ड ब्रदर्स	27.11.2001	252.00	वसूली हेतु कार्यवाही जारी	
47.		दिगम्बर जैन ट्रेडिंग कम्पनी	27.11.2001	781.00	वसूली हेतु कार्यवाही जारी	
48.		राजेन्द्र प्रसाद एण्ड कम्पनी	27.11.2001	479.00	वसूली हेतु कार्यवाही जारी	
49.		इन्द्रलाल बाबूलाल	28.11.2001	261.00	मण्डी स्तर पर लम्बित	
50.		राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल	28.11.2001	953.00	मण्डी स्तर पर लम्बित	
51.	बयाना	एम.एम. आयल मिल	28.04.1993	3674.00	न्यायालय में विचाराधीन	
52.		अशोक आयल मिल	28.04.1993	3884.00	न्यायालय में विचाराधीन	

1	2	3	4	5	6	7
53.		गोपाल ट्रेडिंग कम्पनी	27.09.1994	4678.00	न्यायालय में विचाराधीन	
54.		लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी	27.09.1994	648.00	न्यायालय में विचाराधीन	
55.		जैन ट्रेडिंग कम्पनी	10.07.1997	11500.00	न्यायालय में विचाराधीन	
56.		अधाना ट्रेडिंग कम्पनी	24.05.2001	5210.00	न्यायालय में विचाराधीन	
57.		रोशनलाल सुरेशचन्द	24.05.2001	1689.00	न्यायालय में विचाराधीन	
58.		प्रताप ट्रेडिंग कम्पनी	24.05.2001	3665.00	न्यायालय में विचाराधीन	
59.		बृजकिशोर कृष्णमुरारी	24.05.2001	3056.00	न्यायालय में विचाराधीन	
60.	अलवर	गजानन्द ट्रेडर्स	07.08.1999	1140.00	मण्डी स्तर पर लम्बित	स्टाक में चना 584 दर्ज, निरीक्षण में 524 दर्ज, राशि जमा नहीं
61.		प्रकाश डेयरी फार्म	07.12.1999	9366.67	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
62.		पुरुषोत्तमदास चंदकांत	08.12.1999	30602.00	न्यायालय में विचाराधीन	
63.		मोहनलाल गंगाबक्स	17.04.1993	15300.00	मण्डी शुल्क चुका सत्यापन 11263, अप्राप्त 4037	

1	2	3	4	5	6	7
64.		मोहनलाल गंगाबक्स	17.04.1993	85450.00	मण्डी शुल्क चुका सत्यापन 40675, अप्राप्त 44775	
65.		मोहनलाल एण्ड संस	17.04.1993	47051.00	मण्डी शुल्क चुका सत्यापन 35589, अप्राप्त 11462	
66.		कस्तूर चन्द हरिराम	17.04.1993	47302.00	मण्डी शुल्क चुका सत्यापन 12940, अप्राप्त 34362	
67.		बजरंगीलाल ओमप्रकाश	17.04.1993	50579.00	भूराजस्व के तहत वसूली	
68.	नवलगढ़	रामरायका ब्रदर्स	09.05.1994	79903.00	भूराजस्व के तहत वसूली	
69.		शाह ट्रेडिंग कम्पनी, गुढ़ा	25.01.1004	280.43	भूराजस्व के तहत वसूली	
70.	नीम का थाना	विष्णु इण्डस्ट्रीज	29.03.1993	14997.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
71.	नोखा	जयकिशन नरसिंहदास	18.04.1995	2222.00	न्यायालय में विचाराधीन	
72.		हनुमानमल संजयकुमार	18.04.1995	4752.00	न्यायालय में विचाराधीन	
73.	लूणकरनसर	गोविन्दराम राजकुमार	20.12.1996	8230.40	न्यायालय में विचाराधीन	
74.	जोधपुर अनाज	देवकिशन व्यास एण्ड पार्टी, फलौदी	26.02.1996	138080.00	न्यायालय में विचाराधीन	
75.		माहेश्वरी इण्डस्ट्रीज	29.06.1996	47480.00	न्यायालय में विचाराधीन	

1	2	3	4	5	6	7
76.		रामजस मनीष कुमार	01.12.1996	910.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
77.		ललित कुमार लोकेश कुमार	01.09.1997	5892.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
78.		भंवरलाल रामचन्द राठी, लोहावट	19.02.1997	106240.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
79.		सोहनलाल पुत्र मोतीराम, शेरगढ़	19.02.1997	53193.00	न्यायालय में विचाराधीन	
80.		विष्णु जनरल स्टोर, सालावास	12.04.1997	126.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
81.		सुरेन्द्र आयल एण्ड एग्रो मिल	12.07.1995	2002.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
82.		जम्बूकुमार जैन दाल मिल	31.05.1997	90845.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
83.		महावीर किराना स्टोर	21.06.1997	1130.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
84.		मूंदड़ा इण्डस्ट्रीज	31.07.1997	41741.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
85.		चौपड़ा ग्वार गम	29.07.1997	24609.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
86.		लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज	13.08.1997	15053.00	न्यायालय में विचाराधीन	
87.	पाली	बाबूलाल भानाराम, पोस्टडोडा व्यापारी	11.01.1996	47314.00	न्यायालय में विचाराधीन	
88.	सुमेरपुर	रहमत कादरी जनरल स्टोर, सेवाड़ी	25.07.1997	83595.00	एल.आर.एक्ट में विचाराधीन	
89.		उम्मेद दान एण्ड आयल मिल	25.07.1997	78873.00	एल.आर.एक्ट में विचाराधीन	
90.		आशा पूरा आयल मिल	25.07.1997	100219.00	एल.आर.एक्ट में विचाराधीन	

1	2	3	4	5	6	7
91.		भंवरलाल रामचन्द, मेवाड़ा	12.01.1996	41062.00	न्यायालय में विचाराधीन	
92.	पीपाड़ शहर	सोहनलाल चतुर्भुज बद्रीनारायण मोतीलाल	19.02.1997	38720.00	न्यायालय में विचाराधीन	
93.	सोजत रोड	श्यामलाल राधेश्याम	25.01.1996	61093.40	न्यायालय में विचाराधीन	
94.	साचौर	विमल बम्बू मर्चेन्ट	25.01.1994	473.00	एल.आर.एक्ट में विचाराधीन	
95.	बाड़मेर	सुरतानमल लूणकरण	08.03.1996	11302.00	न्यायालय में विचाराधीन	
96.		डूगरमल रामचन्द	13.06.1996	4005.00	न्यायालय में विचाराधीन	
97.		शिवराम एण्ड पार्टी	03.07.1996	324701.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
98.		जालमचन्द रामसिंह एण्ड पार्टी	26.02.1997	394920.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
99.		बेस्ट राज गम उद्योग	27.02.1997	3718.00	न्यायालय में विचाराधीन	
100.		बेस्ट राज गम उद्योग	27.02.1997	53587.00	न्यायालय में विचाराधीन	
101.	भवानी मण्डी	गिर्राज प्रसाद विट्ठलदास	21.08.2000	9465.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर
102.	बारां	भारतीय खाद्य निगम	19.12.1996	35304.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	बिलों के आधार पर
103.	अकलेरा	इन्द्रमल पारस चन्द्र	27.03.2000	21693.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर
104.		अनुपम ट्रेडर्स	27.03.2000	31892.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर
105.		सांवलिया आयल एण्ड दाल मिल	27.03.2000	3852.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर

1	2	3	4	5	6	7
106.		सांवलिया ट्रेडर्स	27.03.2000	26516.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर
107.		त्रिलोक चन्द अशोक कुमार	27.03.2000	2070.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर
108.		अरिहंत ट्रेडिंग कम्पनी	27.03.2000	13878.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर
109.		मुरली ट्रेडिंग कम्पनी	27.03.2000	21295.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर
110.		जे.पी. ट्रेडर्स	27.03.2000	14597.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर
111.		बी.ओ.बी. ट्रेडिंग कम्पनी	27.03.2000	20382.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर
112.		प्रियंका एंटरप्राइजेज	27.03.2000	317957.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर
113.		जयशिव ट्रेडिंग कम्पनी	27.03.2000	14398.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर
114.		सोनम ट्रेडिंग कम्पनी	27.03.2000	54017.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर
115.		गोयल ट्रेडिंग कम्पनी	27.03.2000	49796.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर
116.	स. माधोपुर	महादेव दाल मिल	03.05.1997	5062.00	न्यायालय में विचाराधीन	
117.		स.माधोपुर आयल एण्ड पल्स इण्डस्ट्रीज	14.06.1996	1474.00	न्यायालय में विचाराधीन	
118.		प्रेमप्रकाश पीयूशकुमार	09.01.1997	10232.00	न्यायालय में विचाराधीन	
119.	गंगापुर सिटी	राजेश कुमार दिनेशचन्द्र	29.01.1997	6578.00	न्यायालय में विचाराधीन	
120.	झालरापाटन	शक्ति सिंह मोलकिया	09.04.1999	5654.00	न्यायालय में विचाराधीन	

1	2	3	4	5	6	7
121.	कोटा	तोलाराम सत्यदेव	09.09.1992	4106.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
122.		श्री विष्णु ट्रेडर्स	09.09.1992	1000.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
123.		एस.एस. एग्रो इण्डस्ट्रीज	18.06.1993	1210.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
124.		ओम प्रकाश अशोक कुमार	18.06.1993	1822.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
125.		ईश्वरसिंह प्रितपालसिंह	04.02.1993	2184.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
126.		विशाल फ्रूट कम्पनी	07.09.1996	74581.00	मण्डी/निदेशालय स्तर पर कार्यवाही जारी	
127.		शीतलदास राकेश कुमार	07.09.1996	139443.60	मण्डी/निदेशालय स्तर पर कार्यवाही जारी	
128.		श्री नाथ ट्रेडिंग कम्पनी	09.07.1996	100930.00	एल.आर. एक्ट में विचाराधीन	
129.		रामा आयल एण्ड जनरल मिल्स	17.04.1996	20923.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
130.		किसान ट्रेडिंग कम्पनी	14.08.1996	3723.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
131.		गर्ग आयल एण्ड प्रोसेसिंग	16.08.1996	2097.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
132.		धर्मदास उन्दराजमल	20.01.1996	488.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
133.		मित्तल इण्डस्ट्रीज	15.04.1996	1139.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
134.		सांवलिया ट्रेडिंग कम्पनी	26.08.1996	7482.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	

1	2	3	4	5	6	7
135.		अशोका जनरल इण्डस्ट्रीज	29.11.1996	1489.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
136.		भारती आयल मिल	07.08.1996	2344.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
137.		भारतीय खाद्य निगम	16.03.1996	254560.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
138.		माडर्न डेयरी	02.02.2000	8015.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
139.		विपिन इण्डस्ट्रीज	02.02.2000	3616.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
140.		न्यू जनता डेयरी	02.02.2000	9241.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
141.		मंगलसिंह प्रीतम सिंह	02.02.2000	338.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
142.		शेखर एण्ड कम्पनी	27.03.2000	11346.00	न्यायालय में विचाराधीन	बिलों के आधार पर
143.		महक एण्ड कम्पनी	27.03.2000	84297.00	न्यायालय में विचाराधीन जारी	बिलों के आधार पर
144.		पायस फूड कम्पनी	22.09.1997	8904.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	चुंगी रिकार्ड के
145.		हरी ओम ट्रेडर्स	04.09.1996	5214.00	पुलिस/मण्डी स्तर पर लम्बित	आधार पर
146.		प्रभु ट्रेडिंग कम्पनी	04.09.1996	28193.00	पुलिस मण्डी स्तर पर लम्बित	
147.	छबड़ा	नवनीत ट्रेडिंग कम्पनी, छिपा बड़ौदा	16.11.1995	7662.67	न्यायालय में विचाराधीन	
148.		मित्तल ट्रेडिंग कम्पनी, कवाई	01.11.1995	3212.99	न्यायालय में विचाराधीन	
149.		श्याम ट्रेडिंग कम्पनी, कवाई	01.11.1995	7695.00	न्यायालय में विचाराधीन	

1	2	3	4	5	6	7
150.		श्रीनाथ परमानन्द, कवाई	01.11.1995	3280.50	न्यायालय में विचाराधीन	
151.		रामेश्वर फ्लोर एण्ड आयल मिल, कवाई	01.11.1995	8028.29	न्यायालय में विचाराधीन	
152.		बंशी ब्रदर्स, कवाई	01.11.1995	15613.37	न्यायालय में विचाराधीन	
153.		एस.पी. ट्रेडिंग कम्पनी, कवाई	01.11.1995	2414.03	न्यायालय में विचाराधीन	
154.		सत्यनारायण मिल, कवाई	01.11.1995	2452.56	न्यायालय में विचाराधीन	
155.		अग्रवाल ट्रेडिंग कम्पनी, कवाई	01.11.1995	669.00	न्यायालय में विचाराधीन	
156.		गोयल ट्रेडिंग कम्पनी, कवाई	01.11.1995	12329.04	न्यायालय में विचाराधीन	
157.		सत्यनारायण सुरेन्द्र कुमार एण्ड संस, छबड़ा	01.11.1995	2675.48	न्यायालय में विचाराधीन	
158.		प्रकाश ट्रेडिंग कम्पनी	01.11.1995	85722.00	न्यायालय में विचाराधीन	
159.	बड़ी सादड़ी	जीतमल नाथूलाल	29.04.1997	9341.00	न्यायालय में विचाराधीन	
160.	बांसवाड़ा	गोविन्द शरण रामशरण	29.04.1997	1587.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
161.	फतहनगर	पंकज एग्रो लिमिटेड	20.12.1993	428378.00	न्यायालय में विचाराधीन	
162.	निम्बाहेड़ा	मधुसूदन इण्डस्ट्रीज	22.03.1994	504247.00	न्यायालय के निर्णय से जमा राशि 252123/-, शेष पर स्टे	
163.		गोयल ट्रेडर्स, छोटी सादड़ी	19.03.1996	48181.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	

1	2	3	4	5	6	7
164.	श्रीगंगानगर	प्रवीण ट्रेडिंग कम्पनी	27.11.2001	4581.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
165.	अनाज	आशीष ट्रेडिंग कम्पनी	27.11.2001	223.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
166.		चेतनदास राजकुमार	27.11.2001	1949.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
167.		गोल्यान रोलर फ्लोर मिल्स	28.11.2001	2534.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
168.		गोल्यान इण्डिया बिजिंग एण्ड फाइनेन्स	28.11.2001	306.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
169.		शंकर डेयरी	27.11.2001	1136.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
170.		ग्रोवर फ्लोर मिल	27.11.2001	5688.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
171.		खण्डेलिया आयल मिल	28.11.2001	23166.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
172.		विकास केमिकल्स इण्डिया लिमिटेड	28.11.2001	10640.00	मण्डी स्तर पर कार्यवाही जारी	
173.	श्रीविजयनगर	रवि कुमार कुब्बा	10.04.1995	7400.00	न्यायालय में विचाराधीन	

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-24

(अतारांकित प्रश्न संख्या-149 की प्रति)

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.9(16) कृषि/ग्रुप-2/1994 जयपुर, दिनांक : 24 जून, 1994

प्रशासक,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
जयपुर।

महोदय,

निर्देशानुसार आप द्वारा प्रस्तावित फल एवं सब्जी मण्डियों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये योजना निम्न संशोधनों के साथ मंजूर की जाती है:-

1. एक निर्धारित साइज का भूखण्ड, मण्डी प्रांगण में, खुली निविदा द्वारा, लीज पर आबंटित किया जायेगा। फल एवं सब्जी सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. आबंटी वित्तीय संस्थाओं से अथवा अन्य स्रोतों से धन की व्यवस्था कर स्वयं निर्माण कार्य व "कोल्ड स्टोरेज" की स्थापना करेगा व चलायेगा।
3. इन कोल्ड स्टोरेज में फल एवं सब्जी के अलावा अन्य सामग्री नहीं रखी जायेगी।
4. भण्डारण के किराये की दर संबंधित मण्डी समिति द्वारा अनुमोदित की जायेगी।
5. कृषकों (Primary Producers) के लिये भण्डारण में प्राथमिकता रखी जायेगी।
6. गंगानगर व झालावाड़ जिले में उत्पादकों के लिये, पीक सीजन में, 80 प्रतिशत क्षमता आरक्षित रखी जायेगी।
7. कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिये ऋण वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया जायेगा।
8. यह सुनिश्चित किया जाये कि कोल्ड स्टोरेज निर्धारित उद्देश्यों के लिये ही उपयोग में लिये जायेंगे।

भवदीय
ह०/
(आर. के. जैन)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट ''ब''

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.9(16) कृषि/ग्रुप-2/1994 जयपुर, दिनांक : 6 सितम्बर, 1995

प्रशासक,
राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
जयपुर।

विषय : फल सब्जी मण्डियों के लिये कोल्ड स्टोरेज की सुविधा।
संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक प.3-ख/बो.मु./95/परियोजना/9648 दिनांक 21.8.1995.

महोदय,

निर्देशानुसार इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24 जून, 1994 के द्वारा फल एवं सब्जी मण्डियों में कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये स्वीकृत योजना के बिन्दु 3 एवं 6 में निम्न संशोधन किया जाता है:-

बिन्दु संख्या ''3''

इन कोल्ड स्टोरेज में फल सब्जी नहीं आने की स्थिति में अन्य कृषि जिन्स रखी जा सकेगी।

बिन्दु संख्या ''6''

गंगानगर एवं झालावाड़ जिले में उत्पादकों के लिये आवक अवधि में 80 प्रतिशत क्षमता आरक्षित रखी जा सकेगी। उत्पादकों को माल नहीं रखने पर अन्य कृषि जिन्सें रखी जाने की आज्ञा होगी।

भवदीय
ह०/
(सुनील धारीवाल)
उप शासन सचिव

परिशिष्ट ''स''

कृषि उपज मण्डी समितियों के मण्डी प्रांगणों में कोल्ड स्टोरेज के चिन्हित भू-खण्ड एवं आबंटन सम्बन्धी विवरण

क्र. सं.	मण्डी समिति	मण्डी यार्ड का नाम (मुख्य मण्डी/ गौण मण्डी)	चिन्हीकरण का दिनांक	चिन्हित भूखण्ड आवंटित है अथवा नहीं। यदि आवंटित है तो दिनांक
1	2	3	4	5
1.	सीकर	मुख्यमण्डी	19.1.96	नहीं
2.	दौसा	मुख्यमण्डी	20.1.98	नहीं
3.	जयपुर (फल सब्जी)	मुख्यमण्डी, लालकोठी	6.3.95	नहीं
4.	अलवर	फल सब्जी गौण मण्डी	11.8.95	नहीं
5.	अजमेर (फल सब्जी)	मुख्यमण्डी	22.7.96	नहीं
6.	ब्यावर	मुख्यमण्डी	6.3.95	नहीं
7.	जोधपुर (अनाज)	मुख्यमण्डी	25.9.89	नहीं
8.	जोधपुर (फल सब्जी)	भदवासिया, मुख्यमण्डी	11.8.95	है, 1.3.97
9.	बाड़मेर	मुख्यमण्डी	23.7.97	नहीं
10.	बीकानेर (फ.स. ऊन)	मुख्यमण्डी	4.1.99	है, 31.3.2001
11.	झालरापाटन	मुख्यमण्डी	8.2.99	नहीं
12.	श्रीगंगानगर	मुख्यमण्डी	11.8.95	नहीं
13.	उदयपुर	मुख्यमण्डी	11.8.95	नहीं
14.	कोटा	मुख्यमण्डी	6.3.95	नहीं
15.	चौमूं	मुख्यमण्डी	3.3.99	नहीं
16.	भीलवाड़ा	मुख्यमण्डी	8.4.86	नहीं
17.	निम्बाहेड़ा	मुख्यमण्डी	9.11.98	नहीं
18.	रामगंजमण्डी	मुख्यमण्डी	20.10.97	नहीं

परिशिष्ट-25

(नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव जो पढ़े हुये माने गये)

सार्दुलशहर में फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति के दर्ज प्रकरण में कार्यवाही नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया-बड़ी सादड़ी)

श्री गंगानगर जिले की सार्दुलशहर थाने में फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति प्रकरण मुकदमा नं. 26/2000 तथा मुकदमा नं. 123/2000 के अन्तर्गत ओड जाति के व्यक्तियों ने जो कि वास्तविकता में पिछड़ी जाती में आते हैं। उन्होंने ग्रामीण जाति का फर्जी प्रमाण-पत्र बनाकर राजकीय सेवा में लग गये। जिसकी जांच सी.ओ.सी.टी. श्री गंगानगर मुख्य मंत्री प्रकोष्ठ विजिलेंस व डी.आई.जी., बीकानेर द्वारा हो चुकी है जिसके अन्तर्गत समस्त दस्तावेज व तथ्य बरामद कर लिये गये। इसके पश्चात् उक्त प्रकरण के दोषी अध्यापकों को निलम्बित कर दिया। उक्त प्रकरण की वर्तमान में सी.आई.डी.सी.पी. में जांच चल रही है। उक्त प्रकरण को नवम्बर माह में विधान सभा सत्र के दौरान उठाया गया था जिसकी विस्तृत जांच के आदेश देकर इति श्री करली गई। वर्तमान में उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ताओं और निलम्बित अध्यापकों को डराया धमकाया जाकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वे इस प्रकरण में अपने बयान नहीं दे वरना उनको और फर्जी मुकदमों में फंसाया जा सकता है या मारपीट की जा सकती है उक्त दबाव वहां के स्थानीय विधायक और तत्कालीन सी.आई. द्वारा बनाया जा रहा है।

उक्त प्रकरण में उच्चाधिकारियों से आगामी आदेश की जब भी मांग की जाती है तो पत्रावली की जांच ही बदल जाती है बार-बार बयान लेने और बार-बार जाति प्रमाण-पत्र प्रक्रिया दोहराकर जांच को प्रभावित कर सम्पूर्ण प्रकरण को दबाना चाहते हैं। समस्त प्रकरण का भंडाफोड़ हो जाने के बावजूद भी येनकेन प्रकारेण गवाहों और शिकायतकर्त्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। वहां का पुलिस प्रशासन भी उक्त मामले में न तो चालान पेश कर रहा है और न ही फर्जी अध्यापकों को मिल रहे वेतन को रोका गया है जिससे सरकारी कोष को लाखों का चूना लग रहा है।

उक्त प्रकरण में जांच के दौरान साबित दोषियों को निलम्बित किया जा चुका है उसके बावजूद किसी भी प्रकार की आगे कार्यवाही न करने के पीछे राज्य सरकार की कमजोर मानसिकता और राजबल व धनबल से मामले को गर्त में डालने की मानसिकता दृष्टिगत होती है। ऐसे महत्त्वपूर्ण और लोकमहत्व के विषय पर शिक्षा मंत्री का सदन के माध्यम से चर्चा की अनुमति चाहता हूं।

बारां में 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन के न होने से असुविधा

(श्री शिवनारायण-बारां)

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि बारां जिला बने लगभग 11 वर्ष बीत चुके है। बारां जिला कृषि प्रधान तथा उद्योग पर आधारित होने से बिजली की महत्ती आवश्यकता रहती है। बारां जिले में बारां अन्ता करवाई छबड़ा केलवाड़ा आदि स्थानों पर 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन है जिन पर बिजली की सप्लाई जिला झालावाड़ स्थित 220 के.वी. ग्रिड स्टेशन से सांगोद (जिला कोटा) से होती है। टेल पर बारां जिला होने के कारण बिजली की सप्लाई पूरी नहीं मिल पाती है। जिससे किसानों को एवं उद्योगों को पूरी बिजली नहीं मिल पाती तथा किसानों एवं उद्योगपतियों को भारी असुविधा होती है।

अत: श्रीमान् से अनुरोध है कि बारां जिला मुख्यालय पर इसी वर्ष में 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किया जावे जिसके लिये बारां विद्युत विभाग के पास पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है जिससे जिले के किसानों एवं उद्योगपतियों को होने वाली असुविधा से राहत प्राप्त हो सके।

भादरा के पेयजल संकटग्रस्त गांवों का 'आपणी योजना' से जुड़ाव

(श्री संजीव बेनीवाल-भादरा)

निवेदन है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र का दक्षिणी भाग पूरा का पूरा मरूस्थलीय है। मेरे क्षेत्र के गांव मालकस, जिगासरी बड़ी, डूंगरसिंहपुरा, भानगढ़, अलायला, श्योराटाडा, पालड़ी, जिगासरी छोटी, किराड़ा छोटा, रामबास, चोबारा, मुंदड़िया बड़ा, मुंदड़िया छोटा, शेरड़ा, बीबीपूर, महेरियां आदि पेयजल स्त्रोतों से काफी दूर होने के कारण कभी बिजली की कमी व कभी पाइप लाइन की लिकेज तो कभी नहरों में पानी की कमी के कारण पेयजल संकट से ग्रस्त रहते हैं। इन गांवों से लगते क्षेत्र में जर्मन सहायता से "आपणी योजना" के नाम से नई पेयजल योजना लागू की जा रही है जिसके सुखद परिणाम जनता को मिलने शुरू हो गये हैं।

अत: मेरा माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से निवेदन है कि आप मेरे क्षेत्र के इन गांवों को पेयजल संकट से निजात दिलाने के लिये "आपणी योजना" (P.M.C.) से जुड़वाने की कृपा करें।

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या

(श्री ज्ञानदेव आहूजा-रामगढ़)

उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में पेयजल की बहुत कठिनाई आ रही है। पूर्व में भी हर विधान सभा सत्र के दौरान में ग्राम मिलकपुर में पानी की विशेष किल्लत की जानकारी दे चुका हूं, किन्तु वहां बोर होने के बाद भी पाइप लाइन बिछी होने के बाद भी पिछले 03 साल से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। लोग, पशुधन प्यासे हैं। परेशानी भुगत रहे हैं, पूर्व का कुओं का पाइप लाइनों से कीचड़युक्त पानी सप्लाई किया जा रहा है। इसके साथ ही अलवर जिले में केन्द्र से पेयजल के आये 40 करोड़ रुपये का भी सही उपयोग नहीं हो रहा है। सैक्टर रिर्फोम स्कीम का चेयरमैन कलक्टर साहब है जो अपनी अयोग्यता के कारण गर्मियां ऊपर से आने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। इनके साथ सैक्टर रिर्फोम स्कीम के सचिव है श्री वी.पी. गुप्ता, अधिशासी अभियंता, पी.एच.ई.डी. जो भ्रष्टाचार एवं अयोग्यता के कारण पूर्व में दो बार अलवर से स्थानान्तरित किये गये हैं। इन दोनों अधिकारियों के कुछ अत्यन्त भ्रष्ट एन.जी.ओ. है जो पानी की व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। हर गांव का रजि. कमेटी बनाना चाहते हैं, किन्तु इनकी अकर्मण्यता के कारण इन्हें सफलता नहीं मिल रही है। मेरा विधान सभा क्षेत्र ही नहीं पूरा जिला इस त्रासदी को झेल रहा है। अगर जल की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं हुई तो जिले में भयंकर स्थिति खड़ी हो जावेगी। भारी आन्दोलन एवं संघर्ष होने की स्थिति बन जावेगी।

मैं विधान सभा के माध्यम के नियम 295 के अन्तर्गत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, कृपा कर उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

कोटा बैराज की नहरों की मरम्मत

(श्री घासीलाल मेघवाल-पाटन)

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कोटा बैराज से निकाली गई बाई मुख्य नहर व दायीं मुख्य नहर एवं इसकी समस्त वितिरिकाओं के माध्यम से किसानों की भूमि को सिंचित किया जाता आ रहा है।

इस सिस्टम का निर्माण 40 वर्ष पूर्व हुआ था। तब से लेकर आज तक इनके रख-रखाव एवं मरम्मत के लिये पर्याप्त बजट नहीं मिलने के कारण इनकी स्थिति काफी दयनीय एवं जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है। जिसके कारण पूर्ण क्षमता के साथ पानी नहीं चल पाने की वजह से अंतिम छोर के किसानों की फसल को पानी नहीं मिल पा रहा है तथा किसानों की फुसल बर्बाद हो जाती है। महोदय वर्तमान में 650 करोड़ रुपये का जो लोन सम्पूर्ण राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने एवं पुराने सिस्टम को पुन: शुद्धीकरण करने के लिये लिया गया है।

उसमें कोटा बैराज से निकली हुई उपरोक्त दोनों नहरों एवं वितरिकाओं को शामिल कर इनके आधुनिकीरण के लिये पर्याप्त बजट उपलब्ध करवा कर अनुग्रहीत करने का कष्ट करें।

डूंगरपुर में अकाल राहत कार्य

(श्री शंकरलाल अहारी-चौरासी)

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि पिछले समय में डूंगरपुर जिले में वर्षा बहुत कम हुई है जिससे समय पर कृषि नहीं हो सकी व पीने के पानी का भी बहुत अभाव हुआ जिससे कि पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी रही है। पिछले समय में अकाल राहत कार्य चलाये गये थे, उसकी काफी प्रशंसा की जाती है। पड़ौसी राज्य गुजरात में दंगा होने से अधिकाधिक मजदूर वहां से चले आये हैं। गुजारा करने में भी कठिनाई हो रही है।

अत: मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिले में अकाल राहत कार्य खोले जाये जिससे लोगों को मजदूरी मिल सके।

बेगूं में रावतभाटा- जवाहर नगर पैराफेरी रोड की मरम्मत

(श्री घनश्याम जैन-बेगूं)

मेरे विधान सभा क्षेत्र बेगूं में करीब 35 वर्ष पूर्व रावतभाटा से राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ था। इसमें हजारों बीघा किसानों के घर व कृषि भूमि डूब में आई थीं लोगों को जहां बसाया गया वहां न पीने का पानी है, न सड़कें व यातायात के साधन नहीं है। कुछ दिनों तक तो लिफ्ट इरीगेशन के द्वारा किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा दी गई। मगर बी.जे.पी. के राज में उक्त सुविधा बन्द कर दिये जाने से इन डूब में आये काश्तकारों की माली हालत इतनी खराब हो गई है कि जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इनके त्याग की वजह से सारे राजस्थान को आज बिजली मिल रही है। मगर आज चिकित्सा, शिक्षा, सिंचाई, रोजगार के अभाव में इनके परिवार रोजी रोटी के मोहताज हो रहे हैं। डूब विस्थापित लोगों को जहां-जहां बसाया गया इनको सड़क सुविधा देने हेतु रावतभाटा से जवाहरनगर तक 90 किलोमीटर पैराफेरी सड़क का निर्माण 20 वर्ष पूर्व कराया गया था मगर 20 वर्ष के अंतराल में एक रुपया भी इस सड़क की मरम्मत पर नहीं लगाया गया। इसी ही वजह से सड़क है कि नहीं हालत यह हो गई है कि सड़क नाम मात्र की भी नजर नहीं आती है। इस सड़क पर जावदाघाट भी आता है, इस घाट की 4 किलोमीटर सड़क आज भी नहीं बनी है जिससे सड़क यातायात भी नहीं के बराबर हो रहा है। इस क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था का भी अभाव है। अत: जावदा में चिकित्सालय की स्वीकृति व पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत किया जावे व इस क्षतिग्रस्त पैराफेरी सड़क का पुनः निर्माण करने हेतु 60 लाख रुपया का प्रावधान किया जावे ताकि यहां के भील व गरीब तबके के निवासियों को उसका फायदा मिल सके। इस क्षेत्र में गांव मंडसरा जावदा कृपापुर में पुराने बांध है। इनकी मरम्मत हेतु यदि 50 लाख रुपये मिल जाये तो किसानों की माली हालत में अभूतपूर्व सुधार हो सकता है।